इंगलैंड की शिक्षा-प्रणाली

भागवत प्रसाद मिश्र एम० ए०, एल० टी०,
प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग
गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद

किताब महल [होलसेल डिविज़न] प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस : ५६-ए जीरो रोड, इलाहाबाद
१९६३

ग्रन्थ संख्या : २७०

प्रकाशक
किताब महल (होलसेल डिविजन) प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्टर्ड आफिस . ५६-ए, जीरो रोड,
इलाहाबाद

●

मुद्रक
प्रेम प्रेस, कटरा,
इलाहाबाद

●

आवरण मुद्रक
ईगल आफसेट प्रिन्टर्स
१५, थार्नहिल रोड,
इलाहाबाद

दो शब्द

'इगलैण्ड की शिक्षा' का अध्ययन करते समय अनेक बार यह प्रश्न मेरे सामने आया कि इस विषय के अध्ययन के लिए छात्रो को कौन सी पुस्तक या पुस्तके बतलायी जाये। वहुधा छात्र मुझसे हिन्दी मे इस विषय से सम्बन्धित पुस्तक का नाम पूछ बैठते। पर किसी उपयोगी पुस्तक के अभाव मे मुझे या तो मौन रहना पडता अथवा अग्रेजी भाषा मे लिखी हुई पुस्तके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए बतलाता।

वर्ष पर वर्ष बीतते गए और प्रति वर्ष मेरी यह धारणा दृढ होती गयी कि जब कक्षा मे अध्यापन के लिए हिन्दी माध्यम का आश्रय लेना ही पडता है, तो लेक्चर्स की सामग्री हिन्दी मे ही क्यों न लिखी जाए। वैसे भी परीक्षाओ मे छात्रो के उत्तरों से उनके अस्पष्ट और अनिश्चित ज्ञान का जो आभास मिला, उसने मेरी इस धारणा की और भी पुष्टि की। इस पुष्टि का फल ही प्रस्तुत पुस्तक है।

शिक्षा प्रेमियो और छात्रो की दृष्टि से भी दो शब्द कहना आवश्यक है। कोई भी पुस्तक यदि केवल परीक्षा पास कराने की दृष्टि से ही लिखी जाए, तो निश्चय ही उसका दृष्टिकोण अत्यत सकुचित होगा और फलस्वरूप उसका जीवन भी अस्थायी हो समझिए। 'इगलैण्ड की शिक्षा' एल० टी० पाठ्यक्रम के अतर्गत है, यह एक संयोग है। पर वह स्वय अपने मे एक आकर्षक विषय है और वे शिक्षा-प्रेमी जो विभिन्न देशो की शिक्षा प्रणालियो का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते है, इंगलैण्ड की शिक्षा की अवहेलना नही कर सकते। यह कहना भी अत्युचित न होगी कि ससार के अनेक ऐसे प्रगतिशील देश है जिनके लिए इगलैण्ड की शिक्षा प्रेरणा का स्रोत बनी है। अत यदि हम उसका सही मूल्याकन करना चाहते है तो हमे वहाँ की सस्कृति और परम्पराओ की पृष्ठभूमि मे ही शिक्षा के आधार-भूत सिद्धान्तों का अध्ययन करना होगा। हम वहाँ की शिक्षा को वहाँ के इतिहास से पृथक् नही कर सकते। अत. शिक्षा के प्रत्येक आन्दोलन की उत्पत्ति, उसके विकास, राज्य की ओर से उसके प्रति रुचि, राज्य हस्तक्षेप पर जनता की प्रतिक्रिया, उसकी आशंका और भय, राज्य की ओर से इन धारणाओ के निवारण के प्रयत्न इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्न है जिनके सम्यक् ज्ञान के बिना केवल सन् १९४४ का शिक्षा अधिनियम पढ़ लेना मात्र विषय को समझने की एक निरर्थक चेष्टा होगी। प्रारम्भिक दो अध्यायों में इस बात का ध्यान रक्खा गया है। प्रथम अध्याय एक सामाजिक और सास्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है और दूसरे मे इंगलैण्ड की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का वैधानिक स्वरूप उसके प्रमुख प्राविधानो के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इस अध्याय मे इंगलैण्ड की सम्पूर्ण शिक्षा का एक ढाँचा बहुत ही स्पष्ट और स्थूल रूप में रक्खा गया है ताकि उसकी रूप-रेखाये पाठको के लिए स्पष्ट हो जाएँ और आगामी अध्यायो मे विषय की तार्किक व्याख्या के समय उन्हे कोई अडचन प्रतीत न हो। इसके पश्चात् विभिन्न शीर्षकों के अतर्गत शिक्षा के विभिन्न अगो का वर्णन किया गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि रोजर आर्मफेल्ट ने अपनी पुस्तक 'Structure of English Education' मे भी इसी प्रणाली का अनु-

सरण किया है। मैं इससे विशेष प्रभावित हुआ हूँ और पुस्तक पर उसका फल स्पष्ट है। पुस्तक के अन्त में 'कौन, क्या, और कहाँ ?' के रूप में प्रचलित तकनीकी शब्द या पद और उनकी परिभाषायें दे दी गई हैं ताकि पुस्तक में बार-बार उनके व्यवहार के समय पाठक को कोई असुविधा न हो। परिशिष्टों के रूप में अन्य अमूल्य सामग्री दी गयी है, जो मेरा विश्वास है किसी अन्य पुस्तक में कठिनाई से ही मिलेगी और जिसके बिना इस विषय का ज्ञान किसी भी दशा में पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

एक बात और। व्यक्तिगत अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ कहीं शिक्षा सम्बन्धी किसी जटिल विषय का प्रतिपादन होता है, मानचित्र, रेखाचित्र तथा सारिणियाँ उसे सरल बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं। अत: लगभग ऐसे सभी स्थलों पर यह सामग्री भी पुस्तक में सम्मिलित कर दी गई है।

इतिहास की पुस्तक में मौलिकता का दावा मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता फिर भी सामग्री की चयन, उसकी व्यवस्था और प्रस्तुतीकरण ही उसे मौलिक बना देते हैं। मैं उन अनेकानेक अंग्रेजी लेखकों का हृदय से आभारी हूँ जिनकी पुस्तकों से मैंने सामग्री ली है। साथ ही मैं भारतस्थित ब्रिटिश इनफार्मेशन सर्विस का भी आभारी हूँ जिन्होंने सामयिक सामग्री द्वारा मुझे पुस्तक लिखने में सहायता प्रदान की। अंत में मैं अपने उन सब छात्रों का आभारी हूँ जिन्होंने हठ करके मुझसे यह पुस्तक लिखवा ही ली। यदि इससे उनका थोडा भी हित-साधन हुआ तो मैं अपना प्रयास सफल समझूँगा।

प्रयाग
३१-१२-६२

—भागवत प्रसाद मिश्र

विषय-सूची

क्रम सख्या		पृष्ठ संख्या
१.	विषय प्रवेश	१
२	शिक्षा की वैधानिक प्रणाली	५
३.	केन्द्रीय प्रशासन	२९
४.	स्थानीय शासन	४४
५	प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा	५५
६	प्राथमिक विद्यालय	६२
७	माध्यमिक विद्यालय	८०
८	स्वेच्छाकृत विद्यालय	१०३
९	अग्रिम शिक्षा	११५
१०.	स्वतत्र विद्यालय	१२७
११.	अध्यापकगण	१४९
१२.	अन्य सेवाये	१५८
१३.	अर्थ-व्यवस्था	१६८
१४	उपसंहार	१७६
१५.	कौन, क्या, कहाँ ?	१८०
१६.	एल० टी० परीक्षा के प्रश्न	१८९
१७.	कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न	१९१
१८	परिशिष्ट १—ब्रिटेन मे शिक्षा का विन्यास	१९३
१९.	परिशिष्ट २—शिक्षा सम्बन्धी आँकडे	१९४
२०.	परिशिष्ट ३—सरकारी विभाग और शैक्षिक संगठन	१९८
२१.	परिशिष्ट ४—चुनाव परीक्षा—एक प्रश्न पत्र	२०१
२२.	परिशिष्ट ५—कुछ महत्वपूर्ण पठनीय सामग्री	२०५

विषय-प्रवेश | १

किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली वहाँ की सांस्कृतिक परम्पराओं और जन-जीवन की जागृति पर निर्भर है, और इसी प्रकार किसी भी देश की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति वहाँ की शिक्षा पर निर्भर है। इमर्सन के अनुसार "शिक्षा केवल विद्यालयो और विश्वविद्यालयो तक सीमित नही है। यह सब तो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति मे माध्यम मात्र है। वास्तविक शिक्षा का आरम्भ तो उसके उपरान्त होता है।' सत्य ही जब हम विद्यार्थी जीवन मे अर्जित ज्ञान का प्रयोग जीवन की विविध समस्याओं को सुलझाने, उसकी उन्नति और परिष्कार मे करते है तभी तो शिक्षा के सच्चे स्वरूप के दर्शन हमे होते है। हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र-निर्माण है। किन्तु हमारे चरित्र की उज्ज्वलता तथा मलिनता तो जीवन की विविध परिस्थितियो मे ही दृष्टिगोचर होती है। अत निश्चय ही किसी भी देश का वैयक्तिक और सामाजिक जीवन वहाँ की शिक्षा का फल है। साथ ही प्रत्येक युग मे होने वाली धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उथल-पुथल का प्रभाव तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली पर भी पडे बिना नही रह सकता।

इगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करने के पूर्व हमे इगलैण्ड की भौगोलिक स्थिति, अग्रेज जाति की चरित्रगत विशेषताओं तथा वहाँ की ऐतिहासिक परम्पराओं पर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना इगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली का सम्यक् ज्ञान सम्भव नहीं।

यूरोप महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम मे स्थित ब्रिटिश द्वीपसमूह अटलाटिक महासागर मे ५०° उत्तरी अक्षाश से लेकर ५८° उत्तरी अक्षाश तक फैले हुए है, अत शीतोष्ण-कटिबन्ध मे होते हुए भी शीत-कटिबन्ध के अधिक निकट है। फिर भी अन्य पश्चिमी यूरोप के देशो के समान यहाँ तापान्तर बहुत साधारण रहता है। समुद्र की निकटता तथा उष्ण समुद्री धाराओ के फलस्वरूप यहाँ अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम गर्मी और कम सर्दी पडती है। शीत ऋतु मे हिमपात होता है, पर हिम अधिक देर तक पृथ्वी पर नही ठहरता। सक्षेप मे हम यहाँ के जलवायु को सर्द, आर्द्र, स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक कह सकते है। ऐसे जलवायु मे पलने वाले बालक निश्चय ही प्रसन्न-चित्त तथा परिश्रमी होते है। प्रकृति के विभिन्न रहस्यो के प्रति उनमे एक नैसर्गिक जिज्ञासा भी रहती है और शिक्षा-काल में वे उसका पूर्ण उपयोग करते है। ग्रीष्म ऋतु वहाँ की मधुरतम ऋतु है। इस काल मे वहाँ के विद्यालय अपने कार्यों मे पूर्णतः व्यस्त रहते है। अवकाश वहाँ शीतकाल मे मिलता है वह भी केवल उतने दिनों जब प्राकृतिक परिस्थितियाँ आवागमन तथा अन्य क्रियाएँ असम्भव बना देती है। शेष समय अवकाश काल मे भी पर्यटन, पिकनिक, क्रीडा-प्रतियोगिताये, शिक्षा-शिविर, शैक्षिक अधिवेशन, गोष्ठियाँ इत्यादि कुछ न कुछ कार्य होता ही रहता है। अतः इगलैण्ड के बालक विद्यालय की सीमाओ के बाहर भी ज्ञानोपार्जन करते रहते है।

एक व्यापारिक देश होने के कारण इंगलैण्ड को हम अर्थप्रधान देश ही कह सकते है। औद्योगिक उन्नति ही यहाँ की आर्थिक सम्पन्नता का मूलाधार है। फलस्वरूप यहाँ की अधिकांश जनसख्या नगरो मे रहती है। जिस प्रकार हम कहते है कि यदि भारत को देखना है तो उसके गाँवो को देखो। इसी प्रकार यह कहना भी अत्युक्ति नही है कि यदि इंगलैण्ड को देखना है तो उसके नगरो को देखो। शिक्षा के सच्चे स्वरूप का दर्शन भी हमे यहाँ के नगरो मे मिलेगा। यहाँ का नागरिक जीवन भारतीय जीवन से भिन्न है। यहाँ की सामाजिक परम्पराये भी हमसे भिन्न है। यहाँ पति और पत्नी दोनो समान रूप से अर्थोपार्जन करते है और बालको की देख-रेख उनका सिरदर्द नही है। उनके पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा के लिए नर्सरी तथा इन्फैंट स्कूल और आगे चलकर प्रिपेरेटरी (Preparatory) तथा अन्य प्रकार के बोर्डिंग स्कूल है। निश्चय ही इस देश मे बालको के चरित्र-निर्माण मे माता-पिता से कही अधिक वहाँ के शिक्षको का हाथ रहता है। हमारे देश मे भी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली मे गुरु का महत्व माता और पिता के ही समान था; किन्तु कालान्तर मे हम अपनी सस्कृति को खो बैठे और पश्चिम के सही मूल्यो को भी सही ढग से अपनाने में असफल हो रहे है। हमारे देश मे शिक्षक की स्थिति आज अत्यत दयनीय है, किन्तु इगलैण्ड मे शिक्षक का स्थान समाज मे उतना ही गौरवपूर्ण है जितना कि किसी डाक्टर, इजीनियर, वकील अथवा लेखक का। प्रकारान्तर से इन सव मे भी भेद पाये जाते है किन्तु इतना निश्चय है कि इगलैण्ड का शिक्षक हर दृष्टि से भारतीय शिक्षक की अपेक्षा अधिक प्रसन्न और सुखी है और उसी मात्रा मे वह अपने उत्तरदायित्वो का निर्वाह भी करता है।

किन्तु इंगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करते समय हमे अग्रेज जाति की चरित्रगत विशेषताओ का सर्वाधिक ध्यान रखना होगा; क्योकि इन विशेषताओ से पृथक् वहाँ की शिक्षा का कोई मूल्य ही नही रह जाता।

सर्वथा भौतिकवादी तथा व्यापार-प्रिय होते हुए भी अग्रेज प्रवृत्ति मे पुरातन और रूढ़िवादी और व्यवहार मे आधुनिकता-प्रेमी है। फलस्वरूप उनके जीवन के रहन-सहन, आचार तथा व्यवहार मे नूतन और पुरातन का अद्भुत सम्मिश्रण पाया जाता है। प्रत्येक प्राचीन वस्तु, साहित्य, परम्परा, स्मृति-चिह्न के लिए उसका लगाव विख्यात है। वह किसी भी प्राचीन भवन, प्राचीन परम्परा, प्राचीन स्मारक, प्राचीन साहित्य को नष्ट नही करना चाहता। आमूल परिवर्तन उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। हाँ, आवश्यकतानुसार नवीनता का समावेश वह उसमे कर सकता है। उसे नवीन स्तर तक लाने मे जो भी वाञ्छनीय परिवर्तन होंगे उन्हे वह निस्सकोच करेगा किन्तु वस्तु के मूल रूप को नष्ट न होने देगा। आधुनिकता उस पर इतना अधिकार नही जमा सकती कि प्राचीनता पहचानी ही न जाए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वहाँ के स्वेच्छाकृत विद्यालय भवन (Voluntary school buildings) है। सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार विद्यालय-भवन का एक स्तर निश्चित कर दिया गया है। सभी भवन उसी के अनुरूप होने चाहिए। इगलैण्ड के बहुत से चर्च-स्कूल जिनकी इमारते कई शताब्दियों पुरानी है, इस स्तर तक नही पहुँच पाते। उनके पास इतने आर्थिक साधन भी नही है। अतः वे अपने भवनो को स्थानीय शिक्षाधिकारियों को देने के लिए तो तत्पर हो जाते है किन्तु उनके स्थान पर नवीन भवन निर्माण के पक्ष मे वे नहीं है। इसीलिए यह कहा जाता है कि "इंगलैण्ड की शिक्षा किसी

स्थल पर समाप्त नहीं होती। केवल उसमें सुधार होता रहता है।"

"Education in England is not the result of an ending but a mending process."

एक दूसरी प्रचलित उक्ति के अनुसार 'इंगलैण्ड में शिक्षा क्रान्ति का फल नहीं क्रमश: विकास का फल है।'

"Education in England is not the result of revolution but of evolution."

अंग्रेज जाति की दूसरी प्रमुख विशेषता उसका स्वाधीनता-प्रेम है। इतिहास इसका साक्षी है। फ्रास, जर्मनी, हालैण्ड, स्पेन इत्यादि देशों से सैकड़ो वर्षों तक युद्ध मे रत रहने पर भी, इगलैण्ड ने कभी अपनी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं होने दिया। नार्मन, डेन, फ्रासीसी सभी वहाँ आये और वहाँ के समाज, राजनीति, धर्म एव साहित्य पर अपना प्रभाव भी डाला, किन्तु आज भी इगलैण्ड सभी क्षेत्रो मे इन सबसे पृथक् अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। राजनीतिक स्वतत्रता की बात जाने दीजिए। अंग्रेज अपनी सामाजिक और उससे भी अधिक व्यक्तिगत स्वतत्रता को सर्वाधिक महत्व देता है। वह किसी भी प्रकार राज्य और शासन के सम्मुख अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान करने के लिए सहमत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र मे इसका ज्वलत प्रमाण यह है कि प्राचीनता का प्रेमी और राज्य-भक्त होते हुए भी इंगलैण्ड के निवासियो ने शिक्षा को राज्य के हस्तक्षेप से सदैव मुक्त रक्खा। जर्मनी और रूस की भाँति शिक्षा कभी राज्य का विषय बन कर नहीं रही। लोगो को यह जानकर आश्चर्य होता है कि इगलैण्ड मे राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता शिक्षालयो के लिए सर्व प्रथम सन् १८३३ ई० मे दी गई और तत्कालीन नेशनल सोसाइटी और ब्रिटिश एण्ड फॉरेन सोसाइटी ने केवल इस शर्त पर यह सहायता स्वीकार की कि राज्य सरकार इसके उपयोग के सम्बन्ध मे पूर्ण स्वतत्रता दे। इतना ही नहीं शिक्षा की इतनी प्रगति हो जाने पर भी अग्रेज आज भी राज्य हस्तक्षेप को सदैव सदेह की दृष्टि से ही देखा करता है। यही कारण है कि इगलैण्ड के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय (Public Schools) राज्य हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त है।

अग्रेज जाति की तीसरी और सबसे बडी विशेषता शक्ति के विकेन्द्रीकरण (Decentralisation of Power) और साझेदारी की भावना (Spirit of Partnership) से सम्बन्धित है। किसी एक व्यक्ति या सत्ता मे शक्ति को निहित करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। भारतीय इतिहास मे अग्रेजी शासन काल स्वय इसका साक्षी है। अपने देश मे भी सिहासन और सम्राट् के प्रति श्रद्धालु होते हुए भी शक्ति ससद के हाथ मे ही है। शिक्षा के क्षेत्र मे भी यह बात स्पष्ट दृष्टि-गोचर होती है। शिक्षा का सम्पूर्ण प्रशासन केन्द्र और स्थानीय शिक्षाधिकारियो मे समान रूप से वितरित है। स्वय शिक्षा-मंत्री भी शिक्षा के क्षेत्र मे निरंकुश सत्ता नहीं रखता। उसे एक ओर ब्रिटिश पार्लियामेट के प्रति उत्तरदायी होना पडता है और दूसरी ओर सलाहकार समितियों (Advisory Councils) के निर्देशन का भी ध्यान रखना पडता है।

इसी प्रकार केन्द्र तथा स्थानीय शिक्षाधिकारी (Local Education Authorities), स्थानीय शिक्षाधिकारी तथा स्वैच्छिक सस्थाओं (Voluntary

schools) के मैनेजर और गवर्नर, स्कूलों की प्रबन्ध समितियों के सदस्य तथा प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकगण—इन सब के मध्य एक साझेदारी की भावना कार्य करती है। इस भावना का अंतर्निहित सिद्धान्त है सब की सत्ता मे सब का विश्वास या रहो और रहने दो की भावना। फलस्वरूप ये सब अन्योन्याश्रित भी है और अपने मे स्वतंत्र भी। शिक्षा के क्षेत्र मे सह-अस्तित्व की भावना का इससे सुन्दर उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। सन् १९४४ के एक्ट ने शक्ति के इस सतुलन को और भी सुदृढ़ बना दिया है।

अग्रेज जाति की अतिम विशेषता उसकी धर्म के प्रति अटूट आस्था है। उसकी यह आस्था और विश्वास इंगलैण्ड के सामाजिक जीवन का इतना अभिन्न अग है कि हम इंगलैण्ड के विद्यालयों का, वहाॅ के पाठ्यक्रम का स्मरण बिना वहाॅ की धार्मिक शिक्षा का स्मरण किए हुए नही कर सकते। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि धार्मिक शिक्षा ही इंगलैण्ड के काउन्टी और स्वेच्छाकृत स्कूलों के वर्गीकरण का मूलाधार है। फिर भी इस जाति मे कितनी धार्मिक सहिष्णुता है, इसका प्रत्यक्ष रूप भी हमारे सामने शिक्षा के क्षेत्र मे आ जाता है।

इस प्रकार हम देखेगे कि अंग्रेज जाति की चरित्रगत विशेषताओ ने जिनमे से केवल कुछ प्रमुख विशेषताओ का उल्लेख यहाॅ किया गया है, वहाँ के शिक्षा के इतिहास पर बडा व्यापक प्रभाव डाला है। चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेडरी ग्रामर स्कूल, चाहे वह काउन्टी स्कूल हो अथवा स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूल. चाहे वह अध्यापक-प्रशिक्षण की योजना हो अथवा अग्रिम शिक्षा (Further education) योजना सभी स्थलों पर उनकी अपनी विशेषताएँ परिलक्षित हो उठती है और वे उनके संचालन की गतिविधि का निर्देशन और नियत्रण भी करती है।

शिक्षा की वैधानिक प्रणाली | २

१९४४ के एक्ट की कुछ प्रमुख व्यवस्थायें

इंगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में बहुधा यह कहा जाता है कि वहाँ कोई शिक्षा प्रणाली ही नही है। किसी अश तक यह ठीक भी है। वहाँ कुछ विद्यालयों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तथा वे उनके नियत्रण मे रहते है, जब कि दूसरे विद्यालय जिन्हे 'पब्लिक स्कूल्स' कहते है सरकारी नियत्रण से नितान्त मुक्त रहते है। इसके अतिरिक्त उन शिक्षा-समितियो और सस्थाओ मे से जो सरकारी अनुदान प्राप्त करती है कुछ तो सीधे शिक्षा मत्रालय से ही उसे प्राप्त करती है जब कि दूसरी सस्थाये सरकार के दूसरे विभागो से यह सहायता प्राप्त करती है। फिर भी इगलैण्ड मे प्रदान की जाने वाली अधिकाश शिक्षा सरकारी शिक्षा-प्रणाली के ही अंतर्गत आती है और यही हमारे आज के अध्ययन का विषय है। इस शिक्षा-प्रणाली का आधार ससद मे पास किए हुए अधिनियम है और इसलिए इस शिक्षा-प्रणाली को वैधानिक शिक्षा-प्रणाली (Statutory System of Education) कहना अनुचित न होगा। इस नाम से पुकारने का औचित्य इसलिए भी है कि प्रमुख अधिनियम के भाग दो के अतर्गत उसकी ऐसी ही व्याख्या की गई है। उसका शीर्षक ही Statutory System of Education अर्थात् वैधानिक शिक्षा प्रणाली है। प्रस्तुत अध्याय मे हम इस अधिनियम पर विचार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसके अतर्गत आने वाली प्रमुख व्यवस्थाओ ने इगलैण्ड की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को एक सुनिश्चित रूप-रेखा प्रदान की है।

यह प्रमुख अधिनियम सन् १९४४ का शिक्षा अधिनियम (Education Act of 1944) है। यह अधिनियम इगलैण्ड की शिक्षा के इतिहास मे व्यापक रूप से प्रभावशाली कहा जा सकता है; क्योकि राज्य-शिक्षा-प्रणाली के सभी अधिकारो और कर्त्तव्यों का मूल स्रोत उसी को माना गया है। आगे चल कर यह आवश्यक समझा गया कि उसमे दी हुई व्याख्याओ और व्यवस्थाओ की पूर्ति और सशोधन के हेतु तीन और अधिनियम बनाये जाये। फलस्वरूप सन् १९४६ का शिक्षा अधिनियम, सन् १९४८ का शिक्षा (विविध व्यवस्था) अधिनियम तथा सन् १९५३ का विविध व्यवस्था सम्बन्धो (Miscellaneous Provisions) शिक्षा अधिनियम और पास किए गए। फिर भी सन् १९४४ का अधिनियम ही इंगलैण्ड की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के समझने का मुख्य आधार है। जहाँ कही विभिन्न धाराओ का उल्लेख है वे इसी अधिनियम की धाराये है।

केन्द्रीय प्रशासन (Central Administration)

इस अधिनियम की धारा १ के अनुसार इस प्रणाली का प्रधान स्वय इगलैण्ड का सम्राट् है। स्वय सम्राट् ही मत्री की नियुक्ति करता है। इंगलैण्ड और वेल्स के

निवासियों की शिक्षा की उन्नति के लिए सुविधा प्रदान करना तथा अपने नियत्रण तथा निर्देशन मे कार्य करने वाले स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (Local Education Authorities) द्वारा राष्ट्र नीति के प्रभावकारी निर्वाह का समुचित प्रबन्ध करना वहाँ के शिक्षा मंत्री के कर्त्तव्यों के अतर्गत है। अधिनियम के शब्दो मे--

"It shall be lawful for His Majesty to appoint a Minister whose duty it shall be to promote the education of the people of England and Wales and the progressive development of institutions devoted to that purpose and to secure the effective execution by local authorities under his control and direction of the national policy for providing a varied and comprehensive educational service in every area.'

इसी अधिनियम की धारा १ (३) के अतर्गत शिक्षा-मंत्री को अपने पद और कर्त्तव्य पालन मे सहायता पहुँचाने के लिए उसे एक ससद सचिव तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार है, जिन्हे वह स्वय तथा राज्य कोषाधिकारी (Chancellor of Exchequer) मिलकर तै कर लेते है। यह संसद-सचिव संसद का सदस्य होता है। अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वहाँ की सिविल सर्विस की श्रेणियों से लिए जाते है। इसके अतिरिक्त धारा ७७ (२) के अनुसार मंत्री का यह भी कर्त्तव्य है कि वह सम्राट् द्वारा नियुक्त होने वाले निरीक्षको (His/Her Majesty's Inspectors) के पद के लिए योग्य व्यक्तियो की सिफारिश करे और उनकी सहायता के लिए दूसरे इंस्पेक्टरो की नियुक्ति स्वय कर ले।

धारा ४ (१) के अनुसार शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए दो परामर्श-दात्री समितियाँ (Advisory Councils) होती है। इनमे से एक इगलैण्ड के लिए होती है और दूसरी वेल्स के लिए। इन समितियों के चेयरमैन और सदस्यो की नियुक्ति वह स्वयं करता है; किन्तु उसे इस नियम का पालन करना पडता है कि उसमें राज्य शिक्षा-प्रणाली के अनुभवप्राप्त सज्जन भी सम्मिलित हो तथा कुछ दूसरे ऐसे सदस्य भी जो दूसरे प्रकार की प्रचलित शिक्षा-प्रणालियो के अनुभवी हों। ये समितियाँ उन समस्याओं पर अपनी सम्मति और सूचनाये देती है जिनकी पूँछ-ताँछ मंत्री इनसे करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण विषयो पर भी जिन्हे वे उचित समझती है, वे अपना परामर्श दे सकती है।

धारा ५ के अतर्गत शिक्षा मंत्री का यह भी कर्त्तव्य है कि वह ससद के सामने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपस्थित करे जिसमे उसके अधिकारो के प्रयोग तथा कर्त्तव्यो के पालन का व्योरा हो। साथ ही शिक्षा की केन्द्रीय सलाहकार समितियो के कार्य का वार्षिक विवरण भी। अपने विभाग के अतर्गत आने वाले सभी विषयों पर किए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उसे तत्पर रहना चाहिए।

शिक्षा मन्त्री के अधिकार तथा कर्त्तव्य

अधिकार

- संसद सचिव की सहायता के लिए अन्य कर्मचारियों की राज्य कोषाधिकारी से मिल कर नियुक्ति
- हर मैजस्टीज इंसपेक्टर्स की नियुक्ति की सिफारिश
- अन्य निरीक्षकों की स्वयं नियुक्ति
- केन्द्रीय सलाहकार समितियों के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति

कर्त्तव्य

- सलाहकार समितियों में (१) राज्य शिक्षा प्रणाली के अनुभवो सदस्य तथा (२) देश में प्रचलित अन्य शिक्षा प्रणालियों के अनुभवी सदस्यों की अनिवार्य नियुक्ति
- अपने कार्य तथा सलाहकार समितियों के कार्यो की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखना
- शिक्षा संबंधी किसी प्रश्न का संसद के सामने उत्तर देना

स्थानीय प्रशासन (Local Administration)

काउन्टी और काउन्टी बरो कौंसिल—सन् १९४४ के अधिनियम की प्रथम सूची के द्वितीय भाग (Part II of the First Schedule) मे काउन्टी और काउन्टी बरो कौसिलो को ही स्थानीय शिक्षा-समितियाँ माना है। प्रत्येक एल० इ० ए० (Local Education Authority) अपने शिक्षा-सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए एक शिक्षा-समिति (Education Committee) की नियुक्ति करती है। प्रत्येक कौसिल इस सम्बन्ध मे अपना स्वयं प्रबन्ध करती है यद्यपि उसे अपने कार्य और निर्णय की स्वीकृति शिक्षा मत्री से लेनी पडती है और कुछ विशेष दशाओ का ध्यान रखना पडता है। इस प्रकार किसी भी शिक्षा-समिति के अधिकांश सदस्य कौसिल के सदस्य ही होने चाहिए। साथ ही इस समिति मे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति तथा स्थानीय शिक्षा सम्बन्धी दशाओं का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित होने चाहिए। सामान्य रूप से प्रत्येक एल० ई० ए० (Local-Education Authority) का यह कर्त्तव्य है कि अपना शिक्षा सम्बन्धी कोई भी कार्य सम्पादन करने के पूर्व वह अपनी शिक्षा समिति से निश्चित परामर्श कर ले तथा उसे यह भी अधिकार है कि वह उस समिति को केवल रुपए उधार लेने अथवा कर लगाने का कार्य छोड़कर शेष कोई भी कार्य सौप दे। इसी प्रकार ये समितियाँ भी अपने कार्य की सुविधा के लिए उप-समितियाँ स्थापित कर सकती हैं। किन्तु प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए उन्हें L.E.A. से स्वीकृति लेना आवश्यक है।

क्षेत्रीय कार्यकारिणी समितियाँ (Divisional Executives)—अधिनियम की प्रथम सूची के तीसरे भाग (Part III of the First Schedule) के अनुसार

जो एल० इ० एज़ (L.E. As.) काउंटी कौसिलों के रूप मे थी उन्हे यह आज्ञा दी गई कि जहाँ ऐसा करना प्रशासन की सुविधा और क्षमता को बढ़ाता हो, वहाँ ये कौंसिले अपने-अपने क्षेत्रों को कई उप-क्षेत्रों मे बाँट ले और उन्हे क्षेत्रीय कार्यकारिणी समितियो (Divisional Executives) के प्रशासन मे कर दे। इस प्रकार की क्षेत्रीय प्रशासन योजनाओं (Schemes for Divisional Executives) के प्रस्ताव मत्री महोदय से स्वीकृत किए जाने चाहिए। इन प्रस्तावो मे यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इन कार्यकारिणी समितियो का सगठन किस रूप मे होगा, उनके क्या कार्य होगे, और एल० ई० एज़ की शिक्षा-समितियो के साथ उनका क्या सम्बन्ध होगा ? इस प्रकार को क्षेत्रीयकार्यकारिणी-समितियाँ देश के सभी भागों मे पाई जाती है। व्यापक रूप से उन्हे शिक्षा समितियों के अधीन सहायक समिति कहा जा सकता है और उनके सगठन का एकमात्र उद्देश्य यह देखना है कि इन क्षेत्रो की एल० इ० एज़ अर्थात् काउँटी कौन्सिले अपने कर्त्तव्यों का पालन अपने अतर्गत विभिन्न क्षेत्रो की स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखकर करे।

अपवादी जिले (Excepted Districts)

सन् १९४४ के एक्ट की प्रथम सूची के तीसरे भाग के चौथे अनुच्छेद (Para IV of Part III of the First Schedule) मे एक तीसरे प्रकार की स्थानीय इकाई का उल्लेख है। इसे Excepted Districts के नाम से पुकारते है। अपनी सुविधा के लिए हम इन्हे अपवादी जिले की सज्ञा दे सकते है। इनके अपवादी (Excepted) कहलाने का मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के जिले कुछ विशेष शर्तो के पूरा करने पर क्षेत्रीय प्रशासन योजनाओ से मुक्त रहते है। इन शर्तों मे दो प्रमुख है। प्रथम तो यह कि ऐसा जिला विस्तृत क्षेत्रफल का कोई बरो (Borough) अथवा नगर-जिला (Urban District) हो, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे शिक्षा मत्री कुछ विशेष परिस्थितियो के कारण अपवादी क्षेत्र (Excepted District) बनाना चाहते हो। आकार की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र की जनसख्या ३० जून १९३९ को ६०,००० से कम न होनी चाहिए या ३१ मार्च १९३९ के अत तक वहाँ के प्राथमिक स्कूलो मे पढने वाले छात्रो की सख्या ७००० से कम न हो। एल० ई० एज़०.द्वारा इन अपवादी जिलों (Excepted Districts) को क्षेत्रीय कार्यकारिणी समितियों की अपेक्षा अधिक व्यापक अधिकार दे दिये जाते है और इन अधिकारों का उपयोग वहाँ की बरो कौसिले अथवा नगर जिला परिषदे (Urban District Councils) करती है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी (Chief Education Officer)

सन् १९४४ के एक्ट की ८८वी धारा के अनुसार प्रत्येक एल० इ० ए० (L.E.A.) किसी योग्य व्यक्ति को अपना मुख्य शिक्षाधिकारी नियुक्त करती है। इस नियुक्ति के पूर्व उसे शिक्षा मत्री से परामर्श लेना आवश्यक होता है। इसीलिए नियुक्ति के पूर्व वह मत्री महोदय के पास उन तमाम व्यक्तियो के नाम, उनका पूर्व अनुभव तथा अन्य योग्यताओं सम्बन्धी विवरण भेजती है, जिनमे से वह अपना मुख्य शिक्षाधिकारी चुनना चाहती है। साथ ही प्रत्येक एल० इ० ए० दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी करती है, जिनमे स्वयं उसके विद्यालय निरीक्षक (School Inspectors) भी होते है।

शिक्षा की वैधानिक प्रणाली

(अ)

स्थानीय प्रशासन
(Local Administration)

- काउँटी कौंसिल
- L.E As.
- काउंटी बरो कौंसिल

स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी
(Local Education Authorities)

शिक्षा समितियाँ

शिक्षा उपसमितियाँ
(इनकी नियुक्ति शिक्षा समितियाँ एल० ई० एज़ की स्वीकृति से करती हैं)

(ब)

काउंटी कौंसिल

- **क्षेत्रीय कार्यकारिणी समितियाँ** (Divisional Executives)
- **अपवादी क्षेत्र या जिले** (Excepted Districts)
  - **बरो कौंसिल** (Borough Council)
  - **नगर जिला कौंसिल** (Urban District Council)

शिक्षा-प्रणाली के तीन स्तर (Three Stages of the System.)

सन् १९४४ के एक्ट की धारा ७ के अनुसार वैधानिक शिक्षा-प्रणाली का संगठन विकास के उत्तरोत्तर तीन स्तरों के रूप में होता है। ये स्तर हैं—प्राथमिक (Primary), माध्यमिक (Secondary) तथा अग्रिम शिक्षा (Further Education)।

इस सम्बन्ध में एल० ई० ए० का यह सामान्य कर्त्तव्य हो जाता है कि वह समाज के आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास में पूर्ण योग दे और इस सम्बन्ध में अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करे।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा

व्यवस्था और निर्वाह—सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम की धारा ८ तथा ११४ में प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार है—

"प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो छोटी आयु के बालको अर्थात् १२ वर्ष से कम आयु के वालको के योग्य हो।"

सन् १९४४ के एक्ट की यह परिभाषा सन् १९४८ के शिक्षा (विविध व्यवस्था Miscellaneous Provision) अधिनियम को धारा ३ के द्वारा परिवर्द्धित कर दी गई। इस एक्ट के अनुमार 'प्राइमरी शिक्षा वह शिक्षा है जो १०½ वर्ष तक के वालको के लिए तथा उन बडे वालको के लिए जिनका पढना उनके साथ आवश्यक हैं, अनिवार्य रूप से पूरे समय दी जाए।'

सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार 'माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष से लेकर १९ वर्ष तक के वालकों के लिए दी जाने वाली शिक्षा हैं। इस परिभाषा का परिवर्धन (Amendment) भी सन् १९४८ के एक्ट द्वारा कर दिया गया। सन् १९४८ के एक्ट के अनुसार 'माध्यमिक शिक्षा बडे वालको को दी जाने वाली तथा उन छोटे बालकों की आवश्यकातओ को पूरा करने वाली शिक्षा है, जो १० वर्ष ६ माह के हो चुके हैं और जिन्हे वडे बालकों के साथ पढाना आवश्यक-सा हो गया है।[1]

शिक्षा पर्याप्त कब समझी जाए ?

(१) इसी धारा आठ मे यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक क्षेत्र मे पर्याप्त सख्या मे पाठशालाये होनी चाहिए और वे तब तक पर्याप्त न समझी जायेगी जब तक कि वे सख्या, विशेषताओ और सज्जा मे इतनी अधिक न हो कि सभी छात्रो को उनकी आयु, योग्यता, आवश्यकता, रुचि और विद्यालय मे व्यतीत होने वाले विभिन्न काल के अनुसार जिसमे प्रायोगिक शिक्षा भी सम्मिलित है, हर प्रकार की शिक्षा-दीक्षा की सुविधा दी जा सके।

(२) सन् १९४४ की धारा १० के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा अलग-अलग विद्यालयो मे दी जानी चाहिए जिनमे आवश्यकतानुसार नर्सरी पाठशालाये या पाँच वर्ष से कम आयु के वालकों के लिए शिशु विद्यालय (Infant Schools) शारीरिक तथा मानसिक असुविधा वाले बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय (Special Schools of for Physically and Mentally Handicapped Children), तथा छात्रावास की सुविधा वाले (Boarding) स्कूल भी सम्मिलित हों।

(३) पर्याप्ति (sufficiency) का एक रूप यह भी समझा गया कि एल० ई० एज० स्थानीय समितियों) द्वारा पालित (maintained) सभी स्कूलो की इमारते उस आदर्श स्तर को पूरा करने वाली हो जिसे शिक्षा मत्री ने निश्चित किया है।

---

[1](1) 'Primary education is full time education for pupils under the age of ten and a half and junior pupils over that age whom it is expedient to educate with them.

(2) Secondary education means education suitable for senior pupils and also for the requirements of junior pupils who have attained the age of ten years and six months and whom it is expedient to educate together with the senior pupils.'

Section 3 Education (Miscellaneous Provisions) Act, 1948.

निर्माण-स्तर से सम्बन्धित विद्यालयीय समस्यायें और उनका प्रभाव

सन् १९४४ के एक्ट की धारा ९ के अनुसार विद्यालयों की स्थापना यदि एल० ई० ए० द्वारा हुई है तो वे काउँटी स्कूल और यदि वे एल० ई० ए० के स्थान पर किसी दूसरी व्यक्तिगत (धार्मिक या अन्य किसी प्रकार की संस्था) द्वारा स्थापित किए गये हैं तो वे स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूल कहलाते हैं। इसी एक्ट की धारा १५ के अनुसार इन व्यक्तिगत स्कूलों के भी तीन प्रकार हैं : सहायता प्रदत्त (aided), विशेष समझौते वाले (special agreement) तथा नियन्त्रित (controlled) ।

आगे चलकर इसी एक्ट के दूसरे अनुच्छेद मे इन विभिन्न प्रकार के स्कूलो की व्याख्या भी की गई है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस वर्गीकरण की पृष्ठभूमि मे निर्माण-स्तर सम्बन्धी होने वाला आर्थिक व्यय है। मत्री महोदय की घोषणा के पश्चात् देश मे प्रचलित सभी विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालयों को छात्रो की नवीनतम आवश्यकताओ के अनुसार बदल ले और इस प्रकार अपने-अपने विद्यालयों को मत्री महोदय द्वारा निर्धारित विद्यालय-भवन-स्तर तक लाने का प्रयन्न करे। काउंटी स्कूलो के लिए यह कार्य उतना कठिन न था क्योंकि वे जनता के करों द्वारा चलाये जा रहे थे किन्तु स्वेच्छाकृत विद्यालयो (Voluntary schools) की प्रबन्ध-समितियो को इस सम्बन्ध मे असुविधा का सामना करना पडा। उनके आर्थिक साधन इतने अच्छे न थे और न ही उनके स्कूलों की इमारते इतनी आधुनिक थी कि वे सरलता से मंत्री महोदय की आज्ञा का पालन कर लेते। अत: इस सम्बन्ध में उन्हें अपने यहाँ के स्थानीय-शिक्षा-अधिकारियों (Local Education Authorities) से सहायता लेनी पडी। यह आर्थिक सहायता जिस सीमा तक ली गई उसके आधार पर ही स्वेच्छाकृत स्कूलों के उपर्युक्त तीन भेद हो गए।

सहायता-प्रदत्त (Aided) **विद्यालय**—१९४४ एक्ट के धारा ९ मे दी हुई व्याख्या के अनुसार एक सहायता-प्रदत्त (aided) विद्यालय वह विद्यालय है जिसके प्रबन्धक शिक्षा-मत्री को सतुष्ट करके और उसके द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता के बल पर अपने को इस योग्य सिद्ध कर सकते हैं कि—

(१) वे अपने विद्यालय-भवन को मंत्री द्वारा निश्चित भवन-स्तर तक लाने मेजो भी परिवर्तन या निर्माण सम्बन्धी व्यय होगा उसे सरलता से उठा सकेगे।

(२) वे केवल विद्यालय से संलग्न खेल के मैदानो को छोडकर शेष पूरी इमारत की मरम्मत स्वयं करा लेंगे।

अथवा (३) अपने भवनों में पाठशाला के नए आदर्शों के अनुरूप जो भी आंतरिक परिवर्तन होंगे उन्हें इसलिए करा लेंगे ताकि उनके विद्यालय भवन पाठशाला के उद्देश्यो को पूरा कर सके।

इसी अधिनियम की तीसरी सूची मे यह भी उल्लिखित है कि शिक्षा-मत्री इन स्कूलों के प्रबन्धकों को इस सम्बन्ध में किए हुए व्यय की आधी धन-राशि प्रदान करेगा।

विशेष समझौते वाले विद्यालय (Special Agreement Schools)—सन् १९४४ के एक्ट की धारा १०२ के अनुसार विशेष-समझौते वाला स्कूल वह स्कूल है

जिसके सम्बन्ध मे सन् १९३६ के शिक्षा-अधिनियम के अंतर्गत एक समझौता हो चुका था, यद्यपि वह कार्यान्वित नही हो सका। इसके अतर्गत इन स्कूलो की इमारतों मे जो भी परिवर्तन कराये जायेगे उनके व्यय का ¾ भाग वहॉ के स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को देना पडेगा। इनकी संख्या अधिक नही है।

नियंत्रित विद्यालय (Controlled Schools)—सन् १९४४ के एक्ट की धारा १५ के तीसरे अनुच्छेद मे यह भी दिया है कि एक नियत्रित (Controlled) विद्यालय वह विद्यालय है जिसके भवन को सुधारने, परिवर्तन कराने और उसकी सुरक्षा करने मे जो भी व्यय होगा वह वहॉ के एल० ई० ए० को उठाना पडेगा।

इन तीन प्रकार के स्वेच्छाकृत विद्यालयो मे आगे चलकर उनके प्रबन्ध-सम्बन्धी नियमो, उनमे दी जाने वाली सार्वजनिक तथा विशिष्ट धर्म की शिक्षाओ तथा शिक्षको की नियुक्ति और निष्कासन के आधार पर और भी मतभेद हो गए है।

शिक्षा के तीन स्तर

- **प्राथमिक** (Primary)
  - **नर्सरी स्कूल** पॉच वर्ष से कम आयु वालों के लिए
  - **शिशु तथा प्राथमिक** (Infant & Primary) **पॉच से १२ वर्ष की आयु वालों के लिए**
  - **विशिष्ट विद्यालय** (Special Schools for the Handicapped)
  - **छात्रावासीय विद्यालय** (Boarding Schools)
- **माध्यमिक** (Secondary)
  - **सामान्य माध्यमिक विद्यालय**
  - **विशिष्ट विद्यालय**
  - **छात्रावासीय विद्यालय**
- **अग्रिम** (Further)

चित्र—अ

प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय

- **काउंटी स्कूल** (County School)
- **वॉलंटरी (स्वेच्छाकृत) स्कूल** (Voluntary School)
  - **सहायता प्राप्त** (Aided) — **(मंत्री द्वारा आधे व्यय का उठाना)**
  - **विशेष समझौते वाले** (Special agreement) — **१९३६ के एक्ट के अनुसार एल० ई० ए० द्वारा ३/४ खर्च उठाना**
  - **नियंत्रित** (Controlled) — **एल० ई० ए० द्वारा निर्वाह का पूरा खर्च उठाना**

प्रबन्ध-व्यवस्था (Management and Government)

सन् १९४४ एक्ट की धारा १७ के अनुसार प्रत्येक प्राइमरी स्कूल का एक सविधान तथा उसके प्रबन्ध के कुछ नियम होते है। इन्हे इस्ट्रूमेंट्स एण्ड रूल्स ऑफ मैनेजमेट (Instruments and Rules of Management) कहते है। इसी प्रकार प्रत्येक माध्यमिक स्कूल का एक सविधान तथा उसके शासन के निर्देश होते है। इन्हे इस्ट्रूमेन्ट्स एण्ड आर्टिकिल्स ऑफ गवर्नमेट (Instruments and Articles of Government) कहते है। इस इस्ट्रूमेंट के द्वारा सदस्य-समिति के नियम और उसका विधान तै होता है। उसके रूल्स तथा आर्टिकिल्स स्कूलो का संचालन करने के उपयोग मे आते हैं। प्राइमरी स्कूलो के सदस्य मैनेजर तथा माध्यमिक स्कूलो के सदस्य गवर्नर कहलाते है।

धारा १८ के अनुसार प्राइमरी स्कूल का प्रबन्ध विधान (Instrument of management) स्कूल की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है, अर्थात् वह किस प्रकार का स्कूल है—काउन्टी या वॉलण्टरी (County or Voluntary)। और स्वेच्छाकृत स्कूलो (Voluntary Schools) मे भी वह किस वर्ग का है—सहायता प्राप्त (aided), विशेष समझौते वाला (special agreement) या नियत्रित (Controlled)।

प्राइमरी स्कूल—१९४४ के एक्ट की धारा ११४ के अनुसार एक काउंटी प्राइमरी स्कूल की सदस्य-समिति को वहाँ के स्थानीय-शिक्षा-अधिकारी (L. E. As) चुनते है। किन्तु यदि वह स्कूल किसी उप-क्षेत्र (Minor Area) मे स्थित है अर्थात् एक बरो (Borough) या नगर-जिला (Urban District) है, तो वहाँ के प्रबन्ध समिति के सदस्यो की सख्या ६ से कम न होगी बल्कि एल० इ० एज० की इच्छानुसार अधिक भी हो सकती है। किन्तु इन सदस्यो मे दो-तिहाई सदस्य एल० इ० ए० द्वारा चुने जायेंगे तथा एक-तिहाई अल्पपक्ष अधिकारियो (Minority Authority) द्वारा।

एक स्वेच्छाकृत प्राइमरी स्कूल की प्रबध-समिति के सदस्यो की संख्या एल० इ० ए० से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षामत्री स्वय तै करेगा। किन्तु सदस्यों की यह सख्या किसी भी दशा मे ६ से कम न होगी। इन ६ या इससे अधिक सदस्यो मे यदि स्कूल सहायताप्राप्त (Aided) या विशेष समझौते वाला (Special Agreement) है, तो दो-तिहाई और यदि नियत्रित प्राइमरी स्कूल (Controlled Primary School) है तो एक तिहाई सदस्य इस स्कूल से सम्बन्धित सस्था के मूल सदस्य होंगे अर्थात् वे सदस्य जिनकी नियुक्ति एल० इ० ए० द्वारा न होगी। इन सब का मूल उद्देश्य यही है कि प्रत्येक स्वेच्छाकृत स्कूल अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रख सके और उसके पचनामें (Trust Deed) मे दी हुई पूरी व्यवस्थाओ के अनुसार ही उसका सचालन हो।

किन्तु यदि वह स्कूल किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर कोई लघु-स्थानीय-शासन-समिति (Minor Local Authority) कार्य करती है जैसे क्षेत्रीय कार्यकारिणी समिति (Divisional Executive) या अपवादी जिला (Excepted District) तो स्कूल की प्रबन्ध-समिति के उन सदस्यों में से जो मूल सदस्य

(Foundation Managers) नही है, कम से कम $\frac{१}{३}$ और अधिक से अधिक $\frac{१}{२}$ सदस्य उस लघु-स्थानीय-समिति (Minor Local Authority) के होंगे तथा मूल सदस्यों को छोड कर शेष सदस्य एल० ई० एज़० द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी लघु-स्थानीय-शासन-क्षेत्र (Minor Local Authority Area) के स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूल की प्रबन्ध-समिति मे सदस्यो की सख्या ९ है, और वह नियंत्रित (Voluntary Controlled) स्कूल है तो इसमे तीन सदस्य अर्थात् $\frac{१}{३}$ तो मूल संस्थापक सदस्य (Foundation Managers) होंगे और शेष ६ बाहरी। इन छ सदस्यो मे कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन सदस्य लघु-स्थानीय-शासन-क्षेत्र (Minor Local Authority Area) से लिए जायेंगे और शेष ४ या ३ सदस्य एल० ई० एज० द्वारा नियुक्त किए जायेंगे अर्थात् ९=३+६=३+(२+४) या ३+(३+३) जो भी स्थिति हो। सहायता प्राप्त (aided) और विशेष समझौते वाले (Special Agreement) स्कूलो मे सस्थापक सदस्यों और बाहरी सदस्यों की सख्या क्रमशः ६ और ३ होगी। इन तीन सदस्यों मे कम से कम एक और अधिक से अधिक दो सदस्य लघु-स्थानीय-शासन-समिति द्वारा नियुक्त होंगे। शेष एल० ई० एज़० द्वारा नियुक्त किए जायेंगे; अर्थात् ९=६+३=६+(१+२) या ६+(२+१) जहाँ पर किसी लघु-स्थानीय-शासन-समिति का कोई प्रश्न नही उठता वहाँ सभी बाहरी सदस्य L E As. द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। इसे समझने के लिए सम्बन्धित चित्र भी देखिए।

चित्र—अ—जहाँ कोई लघु स्थानीय प्राधिकारी (Minor Local Authority) नही है।

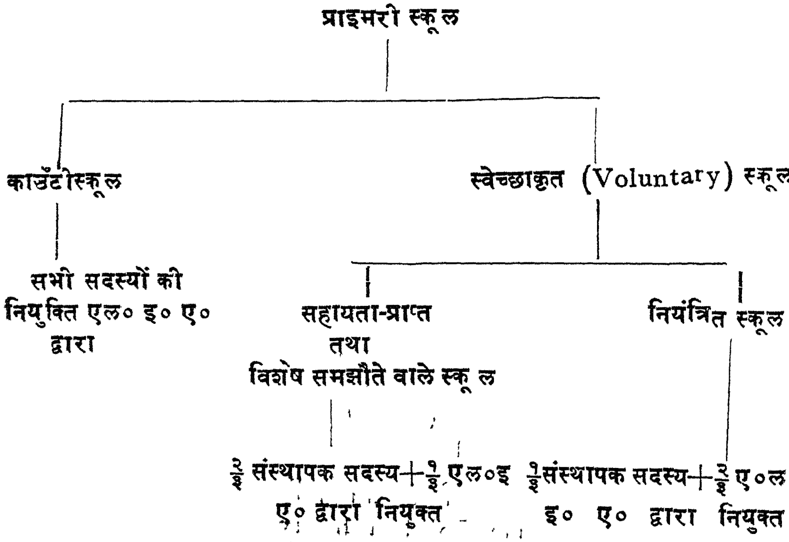

टिप्पणी—सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में ६ से कम न होगी।

चित्र—ब लघु-स्थानीय-शासन-क्षेत्र मे प्राइमरी स्कूल

- काउटी स्कूल
  - कम से कम १/३ या १/२ लघु स्थानीय शासन समिति द्वारा निर्वाचित
  - २/३ या १/२ एल०इ०ए० द्वारा निर्वाचित
- स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूल
  - सहायता प्राप्त और विशेष समझौते वाले स्कूल
    - २/३ संस्थापक + १/३ बाहरी सदस्य
      - कम से कम १/३ तथा अधिक से अधिक १/२ लघु स्था० शासन समिति द्वारा निर्वाचित
      - अधिक से अधिक २/३ और कम से कम १/२ सदस्य एल०इ० ए० द्वारा निर्वाचित
  - नियंत्रित स्कूल
    - १/३ संस्थापक + २/३ बाहरी सदस्य
      - कम से कम १/३ और अधिक से अधिक १/२ ल० स्था० शा० समिति द्वारा निर्वाचित
      - अधिक से अधिक २/३ और कम से कम १/२ सदस्य ल० इ० ए० द्वारा निर्वाचित

माध्यमिक विद्यालय—सन् १९४४ एक्ट की धारा १९वी के अनुसार एक काउटी माध्यमिक स्कूल की शासन-समिति (Governing Body) मे एल० इ० एज० द्वारा निश्चित की हुई सख्या मे और उसी ढग से सदस्यों की नियुक्ति होती है जैसी कि प्राथमिक विद्यालयो मे। किन्तु एक स्वेच्छाकृत माध्यमिक विद्यालय का शासन विधान (Instrument of Government) स्वय मत्री ही निश्चित करता है। ऐसा करने के पूर्व वह वहाँ की L.E.A. से परामर्श लेता है और इस नियम का पूरा ध्यान रखता है कि यदि स्कूल सहायता प्राप्त या विशेष समझौते वाला स्कूल है तो वहाँ प्रशासको (Governors) की सख्या सस्थापकों और L E.A. के मध्य २:१ मे होगी और यदि नियत्रित स्कूल है तो यह अनुपात १.२ होगा।

सन् १९४४ के एक्ट की चौथी सूची (Fourth Schedule) की १७वी धारा मे इस बात का उल्लेख है कि प्राइमरी स्कूल के सविधान और उसके रचना की विधि स्कूल के काउंटी अथवा वॉलण्टरी (स्वेच्छाकृत) होने के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। जहाँ तक नियमो का सम्बन्ध है, वे एक से ही होते हैं अर्थात् L.E.A. पचनामे (Trust Deed) मे दी हुई शर्तो को ध्यान मे रख कर उन्हे बनाती हैं। काउटी माध्यमिक स्कूल के नियम (Articles) भी L.E.A. द्वारा निर्धारित किए जाते हैं किन्तु उनकी स्वीकृति शिक्षा-मत्री से ली जाती है। स्वेच्छाकृत माध्यमिक विद्यालयो के सविधान और नियम मत्री महोदय की आज्ञा से ही बनाए जाते हैं।

लौकिक शिक्षा एवं अध्यापकों की नियुक्ति एवं निष्कासन (Secular Instruction and the Appointment and Dismissal of Teachers)—सन् १९४४के एक्ट की धारा २३ के अनुसार सहायता-प्राप्त माध्यमिक स्कूलो को छोड कर शेष सभी काउन्टी तथा स्वेच्छाकृत स्कूलो मे लौकिक शिक्षा L.E.As. के नियत्रण मे रहती है। सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयो मे यह लौकिक शिक्षा गवर्नरो के अधिकार मे रहती है। अन्य अधिकारो के साथ-साथ नियत्रण शब्द के अतर्गत विद्यालय सत्र का आरम्भ और अत भी सम्मिलित है। सन् १९४४ के एक्ट की २३वी धारा मे इसका उल्लेख है।

सन् '४४ के एक्ट की धारा २५ के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति और पदच्युति विशेष सम्प्रदायों की धार्मिक शिक्षा से सम्बन्धित है। प्रत्येक विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम का प्रारम्भ एक सामूहिक प्रार्थना एव उपासना से होना आवश्यक है। साथ ही वहाँ धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था भी आवश्यक है। काउन्टी स्कूलो मे यह धार्मिक शिक्षा तथा उपासना किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित नही होती, किन्तु स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूलो मे यह पचनामे (Trust Deed) मे दिए हुए नियमों एव दशाओ के अनुसार ही प्रदान की जा रही है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सभी काउन्टो स्कूलो मे जहाँ किसी सम्प्रदाय विशेष की आवश्यकताओं और उद्देश्यो की पूर्ति नही होती L.E.As, को शिक्षको की नियुक्ति और पदच्युति का निर्बाध अधिकार रहता है। स्वेच्छाकृत स्कूलो मे साम्प्रदायिक धर्म-शिक्षा की व्यवस्था का तात्पर्य है कि ऐसे शिक्षक अवश्य उपलब्ध होने चाहिए जो उसके योग्य हो तथा उसे देना चाहते हो। फलस्वरूप जिस सीमा तक साम्प्रदायिक धर्म-शिक्षा देने का अधिकार स्वेच्छाकृत स्कूलो के पास सुरक्षित रहता है उसी सीमा तक शिक्षको की नियुक्ति और पद-च्युति मे वे L. E. As के उत्तरदायित्व मे साझा रखते हैं।

सन् १९४४ के एक्ट की धारा २४ के अनुसार जैसा कहा जा चुका है काउटी स्कूलों में शिक्षको की नियुक्ति L E As के अधिकार मे रहती है। इसी तरह केवल L.E As ही उन्हे निकाल भी सकती है। किंतु स्वेच्छाकृत सहायताप्राप्त (Voluntary Aided) स्कूलो मे शिक्षको की नियुक्ति और पद-च्युति मैनेजरो और गवर्नरो के हाथ मे रहती है। पर वहाँ भी L. E As की ओर से थोडे से प्रतिबन्ध लगे है। उदाहरणार्थ L E A. ही यह निश्चय कर सकती है कि कितने शिक्षक नियुक्त किए जाये। साथ ही लौकिक शिक्षा के लिए किसी भी शिक्षक की नियुक्ति बिना L E A. की स्वीकृति के नही हो सकती। इसी प्रकार किसी अध्यापक को पद-च्युत करने के पूर्व भी यह स्वीकृति आवश्यक है। केवल धर्म-शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षको की नियुक्ति और पद-च्युति मे मैनेजर और गवर्नर पूर्ण स्वतंत्र हैं।

१९४४ के एक्ट की धारा २७ के अनुसार स्वेच्छाकृत नियंत्रित (Voluntary controlled) स्कूलों मे साम्प्रदायिक धर्म-शिक्षा (denominational teaching) सप्ताह मे दो घण्टो से अधिक नही दी जा सकती। इसकी सुविधा देने के लिए जहाँ कही स्कूल के शिक्षकों की सख्या दो से अधिक होती है, वहाँ इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षक उपलब्ध हों। ऐसे शिक्षक 'सुरक्षित अध्यापक' (Reserved teachers) कहलाते हैं। नियंत्रित स्कूल होने के नाते शिक्षको की नियुक्ति तथा

पद-च्युति तो L E As. के हाथ मे रहती है किन्तु सुरक्षित अध्यापकों (Reserved Teachers) की नियुक्ति बिना सस्थापक सदस्यो की स्वीकृति लिए नही होती। इसी प्रकार यदि कोई भी सुरक्षित अध्यापक धार्मिक शिक्षा (Denominational Religious Teaching) सुचारु रूप से प्रदान करने मे असफल होता है अथवा वे उससे सतुष्ट नही है, तो वे L E A से अनुरोध कर सकते है कि सुरक्षित अध्यापक के रूप मे उस व्यक्ति की सेवाये समाप्त कर दी जाये।

सन् १९४४ के एक्ट की धारा २८ के अनुसार स्वेच्छाकृत विशेष समझौते वाले (Voluntary Special Agreement) स्कूलो मे भी धार्मिक शिक्षा को छोडकर शेष नियुक्ति और पद-च्युति सम्बन्धी सभी कार्यवाही स्वेच्छाकृत नियत्रित स्कूलो के समान ही होती है।

लौकिक शिक्षा

- **सारे काउंटो स्कूलों, स्वेच्छाकृत सहायता प्राप्त, समझौते वाले तथा नियंत्रित प्राइमरी स्कूलों मे L. E. As. के हाथ मे रहती है।**
- **सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में यह शिक्षा भी गवर्नरों के हाथ में है।**

अध्यापकों की नियुक्ति और पदच्युति

- **काउन्टी स्कूल**
  - **सभी कुछ L. E. As. के हाथ में रहता है।**
- **स्वेच्छाकृत सहायता प्राप्त स्कूल**
  - **गवर्नरों और मैनेजरों के हाथ में है किन्तु लौकिक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में L. E. A. की स्वीकृति आवश्यक**
- **नियंत्रित तथा विशेष समझौते वाले स्कूल**
  - **L. E. A. द्वारा होती है किन्तु सुरक्षित अध्यापक बिना संस्थापक सदस्यों की स्वीकृति के न रक्खे जा सकते हैं और न निकाले।**

धार्मिक शिक्षा—सन् १९४४ के एक्ट की पाँचवी सूची के अनुसार धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध सर्व-सम्मत पाठ्यक्रम (Agreed Syllabus) के अनुसार होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए L E A. विभिन्न सम्प्रदायो के प्रतिनिधियो की एक सभा बुलाती है। ये प्रतिनिधि उस क्षेत्र मे रहने वाले सभी सम्प्रदायों के विशेषकर चर्च ऑफ इंगलैण्ड (Church of England), अध्यापक-संघ (Teachers Association) तथा L. E A के होते है। कान्फ्रेन्स का यह कर्त्तव्य है कि वह पूर्ण सहमति प्राप्त करे। यदि आपस मे सब का एकमत नहीं होता, तो शिक्षा मंत्री को इस बात की सूचना दी जाती है। इस पर शिक्षा मंत्री स्वयं

कई व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करता है और यह समिति धार्मिक शिक्षा के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करती है जिसे 'सम्मत पाठ्यक्रम' (Agreed Syllabus) कहते हैं।

धारा २५ के चौथे भाग के अनुसार यदि कोई माता-पिता अपने बालक को सामूहिक उपासना अथवा धार्मिक शिक्षा से मुक्त कराना चाहते है तो उन्हे छूट दे दी जाती है। धारा २५ के पाँचवे अनुच्छेद के अनुसार उस बालक को किसी दूसरे स्थान पर अपने धर्म को शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा भी दी जा सकती है किन्तु ऐसा करने के पूर्व L E As को चार बातो का पूरा-पूरा ज्ञान आवश्यक है—

१. क्या बालक के माता-पिता वास्तव मे अपने बच्चे को अपने धर्म-विशेष की ही शिक्षा देना चाहते है ?

२. ऐसी दशा मे क्या बालक किसी ऐसे स्कूल मे पूरे समय पढ नही सकता जो उसके धर्म से सम्वन्धित है ?

३. क्या बालक के लिए सम्मत पाठ्यक्रम (Agreed Syllabus) के स्थान पर सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध हो चुका है ?

४. क्या अपने धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए वह केवल विद्यालय के आरम्भिक अथवा अंत के घण्टो को छोड कर शेष समय उस स्कूल मे उपस्थित रह सकता है जिसमे वह धर्म-निरपेक्ष (Secular) शिक्षा प्राप्त कर रहा है ?

यदि किसी विशेष परिस्थिति मे L.E.A. को यह विश्वास हो जाए कि कोई काउन्टी माध्यमिक स्कूल ऐसी जगह स्थित है कि उसके आसपास उस बालक के लिए अपने सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक शिक्षा (Religious instruction of a particular denomination) के लिए कोई प्रबन्ध नही हो सकता, यद्यपि अन्य सब दशाये पूरी हो रही है, तो वह स्वय धर्म-निरपेक्ष शिक्षा वाले विद्यालय मे उसके धर्म-विशेष की शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी, यदि शिक्षा का प्रबन्ध और तत्सम्बन्धित व्यय उठाने के लिए बालक का अभिभावक तैयार हो।

सन् '४४ के एक्ट की धारा ७७ के अनुसार सम्मत पाठ्यक्रम (Agreed Syllabus) के अनुसार प्रदान की हुई शिक्षा का निरीक्षण या तो सम्राट् के निरीक्षक (His Majesty's Inspectors) कर सकते है या L.E.A. द्वारा नियुक्त किए हुए धर्म-निरपेक्ष शिक्षा के निरीक्षक।

व्यक्तिगत स्कूलों मे धार्मिक शिक्षा—काउन्टी स्कूलो के समान ही स्वेच्छाकृत स्कूलों मे भी अभिभावको की प्रार्थना पर बालक सामूहिक उपासना अथवा धार्मिक शिक्षा से मुक्त हो सकते है तथा काउन्टी स्कूलों से सम्बन्धित चारो दशाओ का ध्यान रखते हुए किसी दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते है। धारा २७ के अनुसार विशेषकर स्वेच्छाकृत नियन्त्रित स्कूलो मे पढ़ने वाले बालक अथवा उनके माता-पिता यदि यह चाहें कि उनके लिए पंचनामे (Trust Deed) मे उल्लिखित धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए, अथवा वह धार्मिक शिक्षा दी जाए जो उस स्कूल के नियन्त्रित (Controlled) बनने के पूर्व वहाँ प्रदान की जाती थी, तो साधारणतया उस स्कूल के मैनेजरों अथवा गवर्नरो

को उस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ेगा। किन्तु यह शिक्षा फिर भी सप्ताह मे दो दिन से अधिक न होगी।

धारा २८ के अनुसार विशेष समझौते वाले और सहायता प्राप्त (special-agreement and aided) स्कूलों मे धार्मिक शिक्षा पूर्णतया मैनेजरो तथा गवर्नरो के हाथ मे रहती है। किन्तु यह शिक्षा वही होनी चाहिए जो उस स्कूल के इन श्रेणियों मे आने के पूर्व वहाँ प्रदान की जाती थी। किन्तु यहाँ पर एक और भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। वह यह कि यदि किसी बालक के अभिभावक यह चाहते है कि उनके बालक सम्मत पाठ्यक्रम (Agreed Syllabus) के अनुसार धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे और यह शिक्षा किसी दूसरे स्कूल मे सुविधापूर्वक नहो दी जा सकती, तो यदि मैनेजर और गवर्नर सहमत हो तो उनके द्वारा अन्यथा L. E.A. के द्वारा इस शिक्षा का प्रबन्ध उसी स्कूल मे किया जावेगा।

धारा २५ के अनुसार काउन्टी और स्वेच्छाकृत दोनो प्रकार के स्कूलो के लिए दो विशेष सुरक्षा नियम है। पहला तो यह कि यदि कोई बालक Sunday School अथवा किसी अन्य उपासना के स्थान मे नही जाना चाहता अथवा अनुपस्थित रहता है तो उसे स्कूल की सामान्य उपस्थिति मे अनुपस्थित नही समझा जाना चाहिए[1]। दूसरे सन् १९४४ के एक्ट की धारा ३० के अनुसार सहायता प्राप्त तथा विशेष समझौते वाले और नियत्रित स्कूलो मे काम करने वाले सुरक्षित अध्यापको को छोडकर, किसी भी व्यक्ति को आप शिक्षण मे केवल इसलिए अयोग्य घोषित नही कर सकते क्योकि उसकी धार्मिक धारणाये स्कूल से मेल नही खाती या वह किसी धार्मिक प्रार्थना-सभा मे सम्मिलित नही होता। साथ ही इसलिए कि उसके धार्मिक सिद्धान्त सस्था के सिद्धान्तो से विरुद्ध है, न तो उसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और न उसकी पदोन्नति रोकी जा सकती है।

प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य उपस्थिति

सन् १९४६ के एक्ट की धारा ३५ के अनुसार बालक के पाँच वर्ष के होने पर जो पहला विद्यालय-सत्र (school session) आरम्भ हो, उससे लेकर बालक के पंद्रहवे जन्म दिवस तक जो अतिम सत्र होगा उस पूरे समय की शिक्षा बालक के लिए अनिवार्य समझी जायेगी। शिक्षा मंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि अनुकूल परिस्थिति के होते ही अतिम आयु-तिथि पद्रह के स्थान पर सोलह कर दी जाये। धारा ३६ के अनुसार प्रत्येक बालक के अभिभावक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने बालक को उसकी आयु, योग्यता तथा रुचि के अनुसार पूरे समय उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षा से लाभान्वित कराये। इसके लिए चाहे वह अपने बालक को नियमित रूप से किसी विद्यालय मे भेजे, चाहे उसका कुछ और प्रबन्ध करे। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यदि शिक्षा उत्तम (efficient)

1. 'It cannot be imposed as a condition of attendance at a school that a child should either attend or abstain from attending a Sunday School or any place of religious worship.'

Structure of English Education—Armfelt, Roger.

तथा बालक के योग्य दी जा रही हो, तो घर पर भी उसका प्रबन्ध मान्य समझा जाएगा।

फीस—L E A. द्वारा सचालित, किसी भी प्राइमरी या माध्यमिक विद्यालय मे पढने वाले छात्र से फीस न ली जाएगी।

अग्रिम शिक्षा (Further Education)

सन् १९४४ के एक्ट की धारा ४१ के अनुसार एक्ट की सातवी धारा मे शिक्षा की जिन तीन श्रेणियो का उल्लेख किया गया है उनमे से अग्रिम शिक्षा उसकी अंतिम श्रेणी है। इसकी सेवाये उन व्यक्तियों के लिए है जो विद्यालय की अनिवार्य-उपस्थिति-आयु (Compulsory school going age) को पार चुके हैं। इसमे एक ओर जहाँ पूर्णकालीन (Full time) तथा अल्पकालीन (Part-time) शिक्षा सम्मिलित है, दूसरी ओर अवकाश के समय को उचित ढंग से व्यतीत करने की सुविधाये भी सम्मिलित हैं। जैसा परिभाषा से स्पष्ट है, इस प्रकार की सेवा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमे एक ओर टेकनिकल कालेजो तथा कालेजेज आफ आर्ट (Colleges of Art) मे प्रदान की जाने वाली शिक्षा सम्मिलित है, तो दूसरी ओर (Youth Clubs) युवक सघो तथा गृहणी-समितियों (Housewives Associations) की सामान्य आकांक्षाओ की पूर्ति के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी। L E.As. का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने द्वारा निर्धारित तथा शिक्षा-मत्री द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अतर्गत ही इस शिक्षा सेवा की व्यवस्था करे। ऐसी योजनाये बनाते समय उन्हे विश्वविद्यालयो, अन्य ऐसी संस्थाओं तथा पडोस की दूसरी L.E.As द्वारा संचालित सेवाओ का भी ध्यान रखना पडता है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सेवा विभाग (Extra-mural Department) तथा कर्मचारी शैक्षिक संघ (Workers Educational Association) ऐसी स्वेच्छाकृत (Voluntary) संस्थाओ द्वारा सचालित और प्रसारित योजनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है। निम्नलिखित चित्र द्वारा अग्रिम शिक्षा का रूप और भी स्पष्ट हो जाएगा :

(अ) शिक्षा की तीन श्रेणियाँ

प्राथमिक	**माध्यमिक**	**अग्रिम**
(२ वर्ष से १२ वर्ष तक)	(१२ वर्ष से १६ वर्ष तक)	(१६ वर्ष से १८ वर्ष तक)

(ब) अग्रिम शिक्षा का क्षेत्र

पूर्णकालीन तथा अल्पकालीन शिक्षा	**अवकाश व्यतीत करन की सुविधाएँ**	**टेकनिकल कालेज तथा कालेज आफ आर्ट में दी जाने वाली शिक्षा**	**युवक संघ और गृहणी समितियों की सामान्य आकांक्षाओं की पूर्ति**

(स) अग्रिम शिक्षा के सहयोगी कार्यकर्त्ता

स्वेच्छाकृत संस्थाएँ	स्थानीय शिक्षा अधिकारी	विश्वविद्यालय अतिरिक्त सेवा विभाग	कर्मचारी शैक्षिक संघ
Other Voluntary associations	L.E.A.	University Extra Mural Department	Workers Educational Association

काउन्टी कालेज—सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अनुसार काउन्टी कालेजो द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होते है। इस एक्ट की धारा ४३ मे इसका उल्लेख इस प्रकार है—

"On and after such date as His Majesty may by Order in Council determine, not later than three years after the due date of the commencement of this part (*i. e.* Part II) of the Act, it shall be the duty of every Local Education Authority to establish and maintain Colleges."

अर्थात् 'सन् १९४४ के एक्ट के भाग दो के लागू होने के अधिक से अधिक तीन वर्ष बाद या इस बीच जब भी सम्राट् अपनी आज्ञा द्वारा यह तै कर दे, प्रत्येक L.E.A का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्र मे काउन्टी कालेज खोले और उसका खर्च वहन करे।' इस एक्ट का भाग दो १ अप्रैल १९४५ मे कार्यान्वित हुआ। फलस्वरूप काउन्टी कालेजो को खोलने का कार्य १ अप्रैल १९४८ के पहले या उस तिथि तक हो जाना चाहिए था। कितु घटना-क्रम के अनुसार इस सम्बन्ध मे कोई भी Order in Council नही पास हुआ। इसलिए कालेजो की स्थापना सन् १९५५ तक नही हो सकी। किन्तु सुविधानुसार शीघ्र ही उनका सचालन होगा अत उसका सक्षिप्त महत्व इस प्रकार है—

सन् १९४४ एक्ट की ११४ धारा के अनुसार ये कालेज नवयुवको के लिए खोले गए है। नवयुवको के अतर्गत वे छात्र आते है जो अनिवार्य विद्यालय आयु को तो पार कर चुके है किन्तु १८ वर्ष से अधिक आयु के नही हुए। विद्यालयीय शिक्षा की अधिकतम आयु सीमा सोलह वर्ष की हो गई है अत. इस शिक्षा को हम १६ वर्ष से १८ वर्ष तक के नवयुवको की शिक्षा भी कह सकते है। इसका उद्देश्य इनमे पढने वाले छात्रो की विभिन्न प्रतिभाओं तथा क्षमताओ को विकसित करना है तथा उन्हे नागरिकता के उत्तरदायित्वो के प्रति जागरूक बनाना है। इसी एक्ट की ४४वी धारा के अनुसार इस शिक्षा के अतर्गत 'शारीरिक, प्रायोगिक, तथा व्यावसायिक'—तीनो प्रकार की शिक्षा सम्मिलित है। यह पहले ही मान लिया गया है कि सोलह वर्ष से अधिक आयु वाले नवयुवक निश्चय ही कही न कही व्यवसाय मे लगे हुए है और इन कालेजो मे केवल कुछ समय के लिए आ सकते है। अत: उन्हे वर्ष के ४४ सप्ताहो मे से प्रत्येक सप्ताह एक पूरे दिन अथवा दो आधे दिन उपस्थित होना आवश्यक है। जहाँ कही अधिक सुविधाजनक समझा जाता है, वह आठ सप्ताहो तक लगातार प्रति दिन उपस्थित रह कर भी नियम का निर्वाह कर सकता है, अथवा चार-चार सप्ताह के दो भाग कर सकता है। किन्तु इसमे उपस्थिति प्रति दिन होनी चाहिए। यह सब उसे प्रति वर्ष करना पडेगा। ४४वी धारा के पाँचवे अनुच्छेद के अनुसार विशेष दशाओ मे L.E As को उपस्थिति का

समय वदलने का अधिकार है। उदाहरण के लिए ऐसे नवयुवको के लिए जो रात मे नौकरी करते है समय वदला जा सकता है। इन स्कूलो की उपस्थिति से केवल निम्नलिखित दशाओ मे मुक्ति मिल सकती है—

(१) वे वालक जो किसी भी संस्था मे (चाहे वह विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई सस्था) पूरे समय शिक्षा ग्रहण करते है।

(२) वे बालक जो किसी दूसरी सस्था द्वारा संचालित इस योज्ना के अतर्गत अल्पकालीन शिक्षा (Part-time education) का लाभ उठा रहे है। किन्तु ऐसी दशा मे **L E As.** का इस प्रकार की शिक्षा से सतुष्ट होना आवश्यक है। वह उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के समकक्ष ही होनी चाहिए।

(३) वे वालक जो सामुद्रिक व्यवसायो मे लगे है।

पूरक व्यवस्थाये (Supplementary Provisions)

(१) **डाक्टरी जॉच और चिकित्सा**—सन् १९४४ के एक्ट की ४८वी धारा के अनुसार **L E As** का यह कर्त्तव्य है कि उसके द्वारा प्रवन्धित सारे स्कूलो और काउन्टी कालेजो मे पढने वाले छात्रो की डाक्टरी जॉच समय-समय पर हो। साथ ही उन्हे यह भी अधिकार है कि वे यह देखे कि प्रत्येक छात्र अपने को इस जाँच के लिए उपस्थित करता है। साथ ही एल० इ० एज० को नि शुल्क डाक्टरी चिकित्सा का भी प्रवन्ध करना पडता है, ताकि यह निश्चय हो सके कि प्रत्येक छात्र को सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार अथवा ससद की किसी अन्य व्यवस्था के अतर्गत सम्पूर्ण डाक्टरी सुविधा उपलव्ध है अथवा नही। अन्य व्यवस्था का तात्पर्य पार्लियामेट द्वारा पास किए उन एक्टो से है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (National Health Service) योजना के अतर्गत आते है। यद्यपि एल० इ० एज० के अधिकारियो का यह कर्त्तव्य है कि वे हर प्रकार छात्रो को इन सेवाओ से पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करे इस धारा मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई माता-पिता अपने वालक की डाक्टरी जॉच या चिकित्सा के लिए अनिच्छुक हो, तो उन्हे इसके लिए वाध्य न किया जाए।

२ **दूध तथा भोजन** (Milk and Meals)—शिक्षा मत्री द्वारा वनाये हुए नियम एल० ई० एज़० पर यह अनिवार्य भार डालते है कि उनके द्वारा प्रबन्धित स्कूलो तथा काउन्टी कालेजो मे पढने वाले छात्रो के लिए दूध, भोजन तथा अन्य जलपान का प्रवन्ध किया जाय। सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व भी अनेक एल० ई० एज़० इस प्रकार के स्कूल कैन्टीन चला रही थी। सन् १९४४ तक प्रत्येक अभिभावक को छात्र के भोजन-सम्बन्धी सुविधाओ के लिए कुछ पैसा देना पडता था। किन्तु इस एक्ट के उपरान्त इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की फीस लेना मत्री महोदय पर छोड दिया गया है। अभी तक तो मत्री महोदय की आज्ञानुसार इस प्रकार का वहुत साधारण व्यय अभिभावको से लिया जाता रहा है किन्तु वे जब भी और जहाँ भी उचित समझे अनुकूल परिस्थितियो मे इसे बन्द कर सकते है। भोजन के सम्वन्ध मे केवल उसकी देख-रेख छोडकर वह अन्य किसी कार्य के लिए शिक्षकों को विवश नही कर सकते।

३ **वेश-भूषा** (Clothing)—सन् १९४४ एक्ट की धारा ५१ के अनुसार एल० ई० एज० को यह अधिकार दे दिया गया है कि उनके द्वारा व्यवस्थित स्कूलो

(Maintained Schools) मे ऐसे छात्रो के लिए जो बिना उपयुक्त वेश-भूषा शिक्षा का पूरा लाभ नही उठा पाते, वे आवश्यक वेश-भूषा का भी प्रबध करे। आगे चल कर यह उचित समझा गया कि इस अधिकार को विस्तृत कर दिया जाए और वे दशाये स्पष्ट कर दी जाये जिनमे यह लागू किया जा सके। फलस्वरूप सन् १९४६ के एक्ट की ९वी धारा तथा सन् १९४८ के एक्ट की ५वी धारा म यह स्पष्ट कर दिया गया कि एल० ई० एज० द्वारा निम्नलिखित सस्थाओ मे उन छात्रो के वस्त्रो का उचित प्रवन्ध करना पडेगा जो घरो से दूर वही पर भोजन करते है—

(१) कोई भी शिक्षा सस्था जिसका प्रबन्ध एल० ई० ए० के हाथ मे हो।
(२) एल० ई० ए० द्वारा सचालित या प्रबन्धित नर्सरी स्कूल या कक्षाये।
(३) काउन्टी कॉलेज।
(४) विशेष स्कूल (Special Schools for Handicapped Children) चाहे उनका प्रबन्ध दूसरों के हाथों मे हो क्यो न हो।

इसके अतर्गत वह वेश-भूषा और उपकरण भी सम्मिलित है जो शारीरिक व्यायाम शिक्षण के लिए आवश्यक है। साथ ही एल० ई० एज० से यह आशा की जाती है कि वे बिना अभिभावकों को विशेष कठिनाई मे डाले हुए उनसे इसकी व्यय सम्बन्धित राशि का कुछ अश उनसे ले लेगे।

४. मनोरंजन तथा सामाजिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण—(Recreation and Social and Physical Training)—सन् १९४४ की ५३वी धारा के अनुसार एल० ई० एज० को यह भी निश्चय करना पडेगा कि उनके क्षेत्रो मे जो सेवायें जनता को प्रदान की जा रही है उनमे मनोरजन, सामाजिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था सम्मिलित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे तो वे स्वय कैम्पो, अवकाश कक्षाओ (holiday classes), क्रीडा भूमियों (Play Grounds), क्रीडा केन्द्रो (play centres) तथा अन्य स्थानो का प्रबन्ध करें अथवा प्रबन्ध करने वाली दूसरी संस्थाओं को सहायता पहुँचावे। इस प्रबन्ध के अतर्गत स्कूलों तथा कालेजो से सन्नद्ध खेल के मैदान, जिमनेशियम तथा स्नानागार (Swimming Baths) नही आते। ये सारे प्रबन्ध शिक्षा-मंत्री की स्वीकृति पर ही मान्य होंगे। साथ ही ऐसा करते समय उन्हे अन्य सहयोगी संस्थाओ को भी पूरा सहयोग देना पडेगा।

५. आवागमन के साधन (Transport)—सन् १९४४ के एक्ट की धारा ५५ के अनुसार एल० ई० एज० (L.E As.) का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने द्वारा सचालित स्कूलो, कालेजो तथा अग्रिम शिक्षा-सम्बन्धी कक्षाओं मे पढने वाले छात्रों के लिए या तो स्वयं आवागमन का प्रबन्ध करे अथवा उचित दर के अनुसार यात्रा का भाडा छात्रो को दे। इस सम्बन्ध मे इसी एक्ट की ३९वी धारा के अनुसार यह निश्चय पहले ही किया जा चुका था कि विद्यालयो मे अनिवार्य उपस्थिति तब तक लागू नही की जा सकती जब तक उन छात्रो को छोडकर जो स्कूल से एक निश्चित पैदल चलने वाली मान्य दूरी (Walking Distance) पर रहते हैं, शेष छात्रों के लिए आवागमन की व्यवस्था न कर दी जाए। इस सम्बन्ध मे आठ वर्ष से कम के बालक के लिए यह दूरी दो मील और आठ वर्ष से बडे बालको के लिए इसकी सीमा तीन मील रक्खी गई है।

६. बालकों द्वारा व्यवसाय-ग्रहण (Employment of Children and

Young Persons)—व्यवसाय से शिक्षा का कोई सीधा सम्बन्ध नही है, किंतु जहाँ पर व्यवसाय सम्बन्धी कोई भी प्रश्न शिक्षा की व्यवस्था और उसके सचालन मे व्यवधान डालता है, वही वह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। वस्तुतः व्यवसाय का सीधा सम्बन्ध मंत्रि-मण्डल के गृह-विभाग से है। इससे सम्बन्धित गृह-विभाग के तीन ऐसे अधिनियम हैं जो बालकों के नौकरी करने से सम्बन्धित हैं—(१) Childrens and Young Persons Act 1933, (2) Shops Act 1934 (3) Young Persons (Employment) Act of 1938. ये तीनो एक्ट एक निश्चित सीमा से कम आयु के बालकों को किसी भी प्रकार का व्यवसाय ग्रहण करने से रोकते है। सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम के पूर्व यह आयु-सीमा बारह वर्ष थी किन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत १५ और आगे चलकर १६ वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। फलस्वरूप उपर्युक्त तीनों एक्टों मे दी हुई बालक की परिभाषा ही बदल गई है। अब यदि स्थानीय शिक्षा अधिकारियो को यह ज्ञात होता है कि कोई भी बालक जिसकी आयु १६ वर्ष से कम है, किसी व्यवसाय मे लगे रहने के कारण शिक्षा का समुचित लाभ नही उठा पा रहा, तो वे इस सम्बन्ध मे सभी आवश्यक कदम उठा सकती है।

स्वतंत्र विद्यालय (Independent Schools)

सन् १९२१ के शिक्षा अधिनियम की ४२वी धारा के अनुसार विद्यालय-कालीन आयु वाले छात्रो के अभिभावको का यह कर्त्तव्य था कि वह 'Reading, Writing and Arithmetic' अर्थात् Three Rs मे प्राथमिक विद्यालयो मे दी जाने वाली उत्तम शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बालको को बाध्य करे। यदि किसी कारणवश L.E.A. को इस पर सन्देह होता था कि अमुक स्वतत्र विद्यालय (Independent School) मे दी जाने वाली शिक्षा उत्तम (efficient) नही है तो वह उस स्कूल के अधिकारियो से यह स्पष्ट प्रश्न करती थी कि क्या उनके स्कूल का निरीक्षण किया जा सकता है। यदि वे अधिकारी इस बात पर सहमत हो जाते थे और निरीक्षण करने पर वहाँ प्रदान की जाने वाली शिक्षा उत्तम सिद्ध होती थी तब तो एक्ट की परिभाषा के अनुसार वहाँ पढने वाले छात्र Three Rs मे उत्तम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उन छात्रो के अभिभावक अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे थे किन्तु यदि किसी स्वतत्र विद्यालय का अधिकारी वर्ग विद्यालय निरीक्षण से असहमति प्रकट करता था तो सन् १९२१ के एजूकेशन एक्ट की धारा १४७ के अनुसार वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रो के अभिभावक अपने कर्त्तव्यों का पालन नही कर रहे थे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती थी। इस प्रकार कहने को तो एक ऐसे स्वतत्र विद्यालय को बन्द करने का प्रयत्न किया जाता था और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती थी जहाँ की शिक्षा उत्तम न हो, किन्तु यह कार्यवाही सीधी न होकर उस विद्यालय मे पढने वाले छात्रो के अभिभावकों के विरुद्ध होती थी। इसका एक ही उपाय था। वह यह कि अभिभावक अपने बालको को वहाँ पढ़ाना बद कर दे। किन्तु इस कार्यवाही का सीधा प्रभाव इन विद्यालयो के अधिकारियों पर बहुत कम पडता था। यह अवश्य था कि उनके विद्यालयों मे पढ़ने वाले छात्रों की सख्या कम हो जाती थी, पर ऐसी दशा मे ये स्कूल उस स्थान के बजाय किसी दूसरे स्थान पर चलाये जाने लगते थे।

सन् १९४४ के एक्ट की ७०वी धारा के अनुसार उसके तीसरे भाग (Part III) मे स्वतत्र स्कूलो के नियमन की बिल्कुल नई व्यवस्था की गई है। यह प्रबन्ध

कौसिल की आज्ञा द्वारा निश्चित की हुई तिथि पर लागू किया जाता। पर्याप्त समय तक यह Order in Council कार्यान्वित न हो सका। किन्तु १ जुलाई १९५४ को शिक्षा-मत्राणी महोदया ने लोकसभा (House of Commons) मे यह घोषणा की कि सन् १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग लगभग सन् १९५७ मे लागू होगा। अतः इस व्यवस्था को लागू हुए अभी अधिक समय नही हुआ।

स्वतत्र स्कूलो से सम्बन्धित नयी व्यवस्था देखने मे सरल किंतु कडी है। सर्वप्रथम मत्री को यह आदेश है कि वह एक Register of Independent Schools का प्रबन्ध करे। इसके पश्चात् यह स्वतत्र विद्यालयो के सस्थापको पर छोड दिया गया है कि वे अपने स्कूल को इस रजिस्टर मे प्रविष्ट कराने का प्रयत्न करे। एक्ट के इस भाग के लागू होने के ६ महीने के अन्दर यदि कोई स्कूल इस रजिस्टर की सूची पर नही होता और कोई व्यक्ति ऐसे स्कूल का सचालन करता है जो अस्थायी रूप से भी रजिस्टर्ड नही है, अथवा धारा ७० और ७१ के अनुसार जनता को अपना स्कूल रजिस्टर्ड बतला कर धोखा देता है, तो वह अपराधी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक शर्ते मत्री द्वारा निश्चित की जाती है। यदि मत्री को यह विश्वास हो जाता है कि अस्थायी रूप से रजिस्टर किया हुआ कोई स्कूल अपनी इमारत की दृष्टि से अथवा शिक्षा की दृष्टि से, अथवा सचालक और शिक्षको के चरित्र की दृष्टि से ठीक नही है, तो वह निश्चित ही इस सम्बन्ध मे एक रिपोर्ट तैयार करता है और ऐसे स्कूल को अपराधी घोषित करता हुआ अवैध करार कर देता है। वह एक तिथि भी निश्चित कर देता है जब कि सुधार हो जाने पर उसे फिर रजिस्टर मे सम्मिलित कर लिया जाएगा। किंतु इस घोषणा से दण्डित किसी भी व्यक्ति को सन् १९४४ के एक्ट की छठी सूची (Sixth Schedule) के अनुसार मत्री के निर्णय के विरुद्ध एक स्वतत्र न्याय समिति (Independent Tribunal) के समक्ष अपील करने की स्वतत्रता है। इस न्याय समिति (Tribunal) के दो अग होते है—(१) न्यायिक दल (Legal Panel) जिसकी नियुक्ति लार्ड चासलर करता है। (२) शैक्षिक दल (Educational Panel) जिसकी नियुक्ति लार्ड प्रेसीडेंट आफ द कौसिल (Lord President of the Council) करता है। कोई भी राज्य कर्मचारी अथवा स्थानीय कर्मचारी इनमे से किसी दल का सदस्य नही हो सकता। यह न्याय समिति ७२वी धारा के अनुसार दोनों ओर की गवाहियाँ सुनकर अपना मत निश्चित करती है। यदि यह अनुभव करती है कि स्वतत्र विद्यालय के अधिकारियो के साथ अन्याय हुआ है, तब तो यह शिक्षा मत्री के निर्णय को रद्द कर सकती है। दूसरी ओर यदि अपील गलत सिद्ध होती है तो वह स्कूल को रजिस्टर से हटा सकती है, अथवा यदि अपील आंशिक रूप से ही गलत है तो वह उतने समय के लिए स्कूल को रजिस्ट्रेशन के अधिकार से वंचित कर सकती है जब तक आवश्यक सुधार नही हो जाते। वे उसकी इमारत को भी रद्द कर सकते हैं अथवा उस संस्थापक या शिक्षक को हटा सकते हैं जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। चित्र रूप मे वह इस प्रकार है—

Independent Tribunal

Legal Panel	Educational Panel
(Appointed by the Lord Chancellor)	(Appointed by the Lord President in Council)

Note.—No civil servant or employee of the Local Education Authority is eligible for its membership.

सामान्य व्यवस्थायें

सन् १९४४ के एक्ट की ७६वीं धारा के अनुसार मत्री तथा L.E As दोनो को इस सिद्धान्त का ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ तक बिना किसी अतिरिक्त व्यय के सम्भव हो सके बालकों को उनके अभिभावकों की इच्छानुसार ही उत्तम प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

विविध व्यवस्थायें

(अ) छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य प्रकार की सहायता—सन् १९४४ के एक्ट की धारा ८१ के अनुसार बालको को बिना अपने तथा अपने अभिभावको को कष्ट मे डाले हुए शिक्षा-सम्बन्धी सेवाओ से पूरा लाभ उठाने के लिए मत्री महोदय ऐसे नियम बनायेगे जिनके अनुसार L.E.As को यह अधिकार होगा कि वे काउन्टी स्वेच्छाकृत तथा विशेष विद्यालयो मे पढने वाले छात्रों का खर्च स्वय दे, जहाँ फीस लगती हो वहाँ फीस तथा अन्य खर्च दोनो दे तथा अनिवार्य स्कूल आयु से आगे पढने वाले बालकों को जिनमे अध्यापकीय प्रशिक्षण भी सम्मिलित है विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ (Scholarships, Exhibitions and Lursaries) भी प्रदान करे। ये नियम ही विभिन्न प्रकार की स्थितियो मे पढने वाले शिक्षा के सभी स्तरो के बालको के लिए सहायता की आधार शिला हैं।

(ब) स्थानीय शिक्षाधिकारियों (L.E.As.) को प्रदत्त अन्य अधिकार—इसी एक्ट की धारा ८२ और ८३ के अनुसार एल० ई० एज० शिक्षा मंत्री की स्वीकृति लेकर शिक्षा सम्बन्धी अनुसधान और शोध का स्वय प्रबन्ध कर सकते है अथवा दूसरों को इस शिक्षा मे सहायता पहुँचा सकते है। वे शिक्षा-अधिवेशनो तथा सभाओ का भार भी वहन करते हैं और विश्वविद्यालयो तथा विश्व-विद्यालयीय कालेजों को अपने क्षेत्रों मे कार्य करने के लिए अग्रिम शिक्षा सम्बन्धी अनुदान भी प्रदान करते हैं।

(स) शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्थायें—इसी एक्ट की धारा ६२ के अनुसार शिक्षा मत्री किसी भी एल० ई० ए० को यह आदेश दे सकता है कि वह या तो स्वय टीचर्स ट्रेनिंग कालेज स्थापित करे और उसका संचालन करे या अपने क्षेत्र मे स्थित दूसरे ट्रेनिंग कालेजो की सहायता करे। धारा ८९ मे मंत्री का यह भी कर्त्तव्य है कि वह एक या एक से अधिक ऐसी कमेटियाँ स्थापित करे जो समय-समय पर शिक्षकों के वेतनक्रम पर विचार करती हों। ये समितियाँ शिक्षको तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारियो दोनो का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। जब कभी मत्री का आदेश हो अथवा जब वे आवश्यक समझें, आपस में मिल कर वेतनक्रम (Pay Scales) सम्बन्धी सिफारिशे मंत्री महोदय के पास भेज दें। यदि शिक्षा मंत्री उनकी सिफारिशों को मान लेता है तो उसे अधिकार है कि वह स्थानीय शिक्षाधिकारियो को उसी वेतनक्रम के अनुसार वेतन देने के लिए बाध्य करे।

अर्थ व्यवस्था

(१) सन् १९४४ के एक्ट की १००वी धारा के पहले अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा मत्री केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च को छोडकर एल० ई० एज० द्वारा वहन

किए हुए शिक्षा सम्बन्धी सभी खर्च के लिए अनुदान देता है। स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया जाता है।

(२) इसी एक्ट की धारा १०२ के अनुसार शिक्षा मंत्री उन व्यक्तियों तथा स्वेच्छाकृत संस्थाओं को भी उनकी शैक्षिक सेवाओं तथा शैक्षिक खोज के लिए अनुदान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सन् १९४४ तथा उसके बाद के एक्टों द्वारा उत्पन्न वैधानिक व्यवस्थाओं के लागू करने में जो खर्च होता है उसका आधा व्यय सहायता-प्राप्त (Aided) स्कूलों के मैनेजरों तथा गवर्नरों को मंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है।

(३) शिक्षा मंत्री ऐसे भी भुगतान करता है जिससे कि शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रगण शिक्षा सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें तथा केवल खर्च अथवा फीस की अधिकता से शिक्षा के लाभ से वञ्चित न रह जायें। इसी विभाग के अंतर्गत वह प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों की भी सहायता करता है।

इस प्रकार यह विदित होगा कि सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार प्रचलित शिक्षा-प्रणाली कई प्रकार की साझेदारियों के रूप में प्रचलित है। ये साझेदारियाँ एक ओर मंत्री तथा स्थानीय शिक्षा-अधिकारियों (L E As.) के मध्य हैं दूसरी ओर मंत्री तथा स्वेच्छाकृत संस्थाओं के मध्य और तीसरी ओर स्वयं छात्रों तथा मंत्री महोदय के मध्य है। चित्र द्वारा यह इस प्रकार स्पष्ट होगा—

शिक्षा मंत्री और उसके साझेदार

शिक्षा मंत्री

अनुदान | छात्रवृत्तियाँ

स्थानीय शिक्षाधिकारी | स्वेच्छाकृत संस्थाएँ | छात्रगण

अपवाद केवल एक ही है। वह यूनिवर्सिटियों तथा यूनिवर्सिटी कालेजों को कोई अनुदान नहीं देता। इन संस्थाओं को विश्वविद्यालयीय अनुदान समिति (University Grants Committee) की राय से राज्य कोष से सीधी सहायता मिलती है। उसके मुख्य साझीदार स्थानीय शिक्षा अधिकारी हैं। जो राशि उन्हें दी जाती है वह अनुदान-सूत्र (Grant formula) के अनुसार दी जाती है जो समय-समय पर अनुदान नियमों द्वारा संशोधित होते रहते हैं। सन् १९३८–३९ में शिक्षा मंत्री ने पूरे व्यय का ४९.३६% एल० ई० एज० को दिया था। सन् १९४४ के एक्ट के कार्यान्वित होने पर यह राशि ५४.३६% कर दी गई है। इसके अतिरिक्त साधनहीन एल० ई० एज० को अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। इस समय प्रचलित अनुदान सूत्र में शिक्षा के सभी क्षेत्रों का व्यय सम्मिलित है। इसके आधार पर अनुदान निर्धारण में तीन बातों का विशेष ध्यान रक्खा जाता है—

(१) पढ़ने वाले छात्रों की संख्या—इसमें प्रत्येक छात्र पर एक निश्चित राशि निर्धारित है।

(२) स्थानीय शिक्षाधिकारियों (L.E.A) द्वारा व्यय की हुई राशि—इसका एक निश्चित प्रतिशत मंत्रालय प्रदान करता है।

(३) किसी भी L E.A की आय के अनुसार उसकी व्यय वहन करने की क्षमता। चित्र रूप मे इसे इस प्रकार उपस्थित कर सकते है—

1. Number of pupils being educated (per capitation grant)	—Grant Formula
2. Amount spent by L. E. As. (percentage basis)	
3. Capacity of expenditure as measured by rateable value	

शेष बातो के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था है जिसमे अध्यापको का प्रशिक्षण, स्कूलो की दूध तथा भोजन व्यवस्था, तथा युद्धकालीन निवास-सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है।

केन्द्रीय प्रशासन | ३

केन्द्रीय प्रशासन के अध्ययन को विकास की दृष्टि से हम तीन भागों मे बाँट सकते हैं। समय के ये तीनो विभाजन हमे न केवल इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली के उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्वरूप से परिचित कराते है, वरन् प्रत्येक युग मे तत्कालीन समाज की शिक्षा-सम्बन्धी मनोवृत्तियो एवं प्रतिक्रियाओ का भी परिचय देते हैं। संक्षेप मे ये इस प्रकार है—

(१) सन् १८३३ ई० से लेकर १९०० ई० तक।
(२) सन् १९०० ई० से लेकर १९४४ ई० तक।
(३) सन् १९४४ ई० से लेकर आज तक।

१. सन् १८३३–१९०० ई०—यद्यपि इगलैण्ड मे स्कूलों की परम्परा लगभग १३०० वर्षों से है किन्तु उन पर शासन या नियत्रण करने वाली कोई भी राजकीय संस्था ५० वर्षों से अधिक पुरानी नही है। इंगलैण्ड की शिक्षा के इतिहास मे यदि कोई ऐसी संस्था थी जिसकी छत्रछाया मे शिक्षा ने जन्म लिया और बडी हुई तो वह केवल चर्च थी। केवल गिरजाघरों (Churches) को ही शिक्षा सम्बन्धी लाइ-सेस देने का अधिकार था। शिक्षा के क्षेत्र मे राज्य की ओर से कोई सहायता सन् १८३३ ई० के पूर्व नही मिली। इस वर्ष पार्लियामेट मे पहली बार इस सम्बन्ध मे मतदान किया गया कि २०,००० पौण्ड की एक राशि सम्राट् को व्यक्तिगत चंदो (Private Subscriptions) की सहायता के लिए दी जाए और इस राशि का व्यय विद्यालय-भवनो (School Houses) के निर्माण मे तथा ग्रेट ब्रिटेन के निर्धन श्रेणी के बालकों की शिक्षा के ऊपर किया जाए। इसके व्यय की अंतिम तिथि ३१ मई १८३४ निश्चित की गई। इस राशि के देने मे किसी प्रकार की फीस नहीं ली गई और न कटौती ही की गई। किन्तु इस राशि के वितरण के लिए राज्य का कोई भी केन्द्रीय विभाग न था। यह राशि दो बराबर भागो में बाँट दी गई और दो प्रमुख स्वेच्छाकृत संस्थाओं—(१) नेशनल सोसाइटी (२) ब्रिटिश एण्ड फॉरेन स्कूल सोसाइटी (British and Foreign School Society) को सौप दी गई। किस प्रकार इस धन का व्यय हो, इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई निर्देश न था। सन् १८३९ ई० तक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन के लिए सरकार ने कोई भी संस्था न खोली थी। सन् १८३९ ई० मे पहली वार 'सिलेक्ट कमिटी ऑफ द प्रिवी कौंसिल' (Select Committee of the Privy Council) नामक समिति की स्थापना हुई। इसके निम्नलिखित चार सदस्य थे—(१) लार्ड प्रेसीडेट (२) लार्ड प्रिवी सील (३) होम सेक्रेटरी (४) चांसलर ऑफ एक्सचेकर (Chance-llor of Exchequer)। इनका काम पार्लियामेट द्वारा सार्वजनिक शिक्षा के प्रसार हेतु पास की हुई राशि के वितरण और उपयोग की देखरेख करना था। इस समय तक कमेटी का सम्बन्ध केवल प्रारम्भिक (Elementary) शिक्षा से ही था। प्राइवेट चंदे से चलाए हुए स्कूलों (Endowed Schools) में दी जाने वाली माध्यमिक शिक्षा इनके क्षेत्र से बाहर थी।

केन्द्रीय शासन का दूसरा माध्यम 'साइंस एण्ड आर्ट डिपार्टमेंट' (Science and Art Department) हुआ। यह सन् १८५१ ई० की महान् प्रदर्शनी के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। प्रदर्शना मे इस बात का स्पष्ट सकेत था कि दूसरे देशो की अपेक्षा इगलैण्ड की दस्तकारियो और उद्योग धन्धो का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। अत वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा की अधिकाधिक माँग उपस्थित की गई और उसकी पूर्ति के लिए Science and Art Department की स्थापना की गई। सन् १८५१ ई० से लेकर १८५६ ई० तक यह विभाग बोर्ड ऑफ ट्रेड (Board of Trade) के अतर्गत था। किन्तु सन् १८५६ मे Select Committee of the Privy Council को ही Education Department of the Committee of Council (कौसिल समिति का शिक्षा विभाग) घोषित कर दिया गया। तब साइस एण्ड आर्ट डिपार्टमेंट उससे सम्बन्धित हो गया, यद्यपि उसका अस्तित्व अब भी बिलकुल पृथक् रहा। पहले इसके अतर्गत विज्ञान और कला मे कक्षाये खोली गई किन्तु शताब्दी के अत तक औद्योगिक तथा अन्य सभी ऐसी शिक्षा जो वैज्ञानिक कही जा सकती थी इसकी देख-रेख मे आ गई।

एक तीसरी सस्था जिसके समस्त कार्य एक मे ही केन्द्रित थे (Centralised function) चैरिटी कमीशन (Charity Commission) के नाम से प्रचलित थी। इसकी स्थापना सन् १८५३ मे धर्मार्थ ट्रस्ट को नियत्रित करने के लिए की गई था। सन् १८६४ मे प्राइवेट चदोसे चलाए जाने वाले स्कूलो (Endowed Schools) की जाँच के लिए एक कमीशन बिठाया गया जो Taunton Commission on Endowed Schools के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सन् १८६९ मे सरकार ने Endowed School Act (एनडाउड स्कूल एक्ट) पास कर दिया। इसके फलस्वरूप एनडाउड स्कूल कमीशन (Endowed School Commission) की उत्पत्ति हुई जिसे ग्रामर स्कूलो मे सुचारु व्यवस्था लाने के लिए योजना बनाने का कार्य सौपा गया। सन् १८७४ मे इस समिति के अधिकार चैरिटी कमीशन (Charity Commission) के अधिकारों मे मिला दिए गए। यद्यपि चैरिटी कमिश्नरो का प्रमुख कर्त्तव्य माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित था, किन्तु १०० पौण्ड से अधिक वार्षिक आय वाले एन्डाउड एलीमेन्ट्री स्कूल (Endowed Elementary Schools) भी इसके अतर्गत कर दिए गए।

सन् १८९४ ई० मे सरकार ने एक विषम स्थिति को सुलझाने के लिए ब्राइस कमीशन (Bryce Commission) की स्थापना की। केन्द्रीय शासन मे ऐसे कर्त्तव्यो और अधिकारो की बहुलता थी जो एक दूसरे को आच्छादित करते थे। वैसे तो प्रिवी कौसिल का शिक्षा विभाग (Education Department of the Privy Council) प्राथमिक शिक्षा की देखभाल करता था। किन्तु व्यवहार मे प्राथमिक (Elementary) शब्द की व्यापकता बढ़ गई थी। विद्यालय छोड़ने की आयु के पश्चात् भी बालक वहाँ पढ़ते रहते थे और यह स्वाभाविक था कि उनकी आयु की आवश्यकतानुसार उनकी शिक्षा का यथासम्भव प्रबन्ध किया जाए। अतः शीघ्र ही ये बालक एक विशेष प्रकार के प्राथमिक स्कूलो मे पढ़ने लगे जिनका नाम हायर ग्रेड एलीमेंट्री स्कूल (Higher Grade Elementary School) पड़ गया। वहाँ पर इन्हे उच्च गणित (Advanced Mathematics), आधुनिक भाषाये (Modern languages), तथा प्रकृति विज्ञान (Natural Science) की शिक्षा प्रदान की जाने लगी। इस प्रकार कार्य में माध्यमिक होते हुए भी ये प्राथमिक

(Elementary) स्कूल ही कहलाते थे और इसी नाते शिक्षा विभाग से सहायता प्राप्त करते थे। दूसरी ओर विज्ञान सम्बन्धी विषयो की शिक्षा के कारण ये विज्ञान और कला विभाग (Science and Art Department) से भी अनुदान लेते थे। इस प्रकार चैरिटा कमिश्नरो को दोनो ओर—ग्रामर स्कूल तथा एण्डाउड एलीमेंट्री स्कूल—अपना कर्त्तव्य निभाना पडता था।

इसके साथ ही शिक्षा-विभाग का सम्बन्ध अध्यापक प्रशिक्षण से भी था। और सब के अत मे सन् १८८९ मे टेकनिकल इस्ट्रक्शन एक्ट (Technical Instruction Act) के द्वारा हाल मे ही स्थापित काउटी तथा काउटी बरो कौसिलो (County Borough Councils) को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के लिए अपने-अपने क्षेत्रो मे १ पेस प्रति पौड की दर से टैक्स लगा दे।

ऐसी दशा मे विभिन्न दिशाओ मे शिक्षा के बढते हुए प्रसार को सुगठित और व्यवस्थित करने के लिए एक आधिकारिक सस्था (Authoritative Body) की कमी का अनुभव होना स्वाभाविक था। यह कमी सन् १८९९ ई० मे बोर्ड ऑफ एजूकेशन (Board of Education) की स्थापना से दूर हुई। यह प्रथम केन्द्रीय सस्था थी जिसकी तुलना सन् १९४४ के एक्ट द्वारा स्थापित शिक्षा-मत्रालय से की जा सकती है। शिक्षा के इस विकास को टाइम चार्ट द्वारा सरलता से समझा जा सकता है—

वर्ष	उल्लेखनीय घटना
सन् १८३३ ई०	—२०,००० पौण्ड की प्रथम राज्य सहायता।
सन् १८३९ ई०	—सेलेक्ट कमिटी आफ प्रिवी कौंसिल की स्थापना।
सन् १८५१ ई०	—साइंस एण्ड आर्ट डिपार्टमेन्ट की स्थापना।
सन् १८५३ ई०	—धर्मार्थ ट्रस्ट को नियंत्रित करने के लिए चैरिटी कमीशन की स्थापना।
सन् १८५६ ई०	—सेलेक्ट कमिटी ऑफ प्रिवी कौंसिल का एजूकेशन डिपार्टमेन्ट ऑफ़ कमिटी आफ कौंसिल में परिवर्तन।
सन् १८६४ ई०	—टॉन्टन कमीशन फॉर एन्डाउड स्कूल्स की स्थापना।
सन् १८६९ ई०	—पार्लियामेंट द्वारा एण्डाउड स्कूल एक्ट पास किया गया। एण्डाउड स्कूल कमीशन की उत्पत्ति।
सन् १८७४ ई०	—एण्डाउड स्कूल कमीशन का चैरिटी कमीशन मे मिलना।
सन् १८८९ ई०	—टेकनिकल इंस्ट्रक्शन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया।
सन् १८९४ ई०	—ब्राइस कमीशन की स्थापना।
सन् १८९९ ई०	—ब्राइस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड आफ एजूकेशन के रूप में प्रथम केन्द्रीय शिक्षा-संस्था की स्थापना।

२. सन् १९०० ई०—सन् १९४४ ई०—एक सहज प्रश्न उठता है कि इगलैण्ड मे किसी भी प्रभावशाली केन्द्रीय शिक्षा-सत्ता के स्थापित होने मे इतना समय क्यो लगा ? उत्तर स्पष्ट है। सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सदैव सन्देह और भ्रम की दृष्टि से ही देखा गया।[1] जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) तथा अन्य अनेक राजनीतिक दार्शनिको का तो यह निश्चित मत था कि राज्य और शिक्षा एक दूसरे से नितान्त स्वतंत्र हैं और राज्य को शिक्षा के क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही। यह बात केवल सन् १९०० ई० तक ही सत्य न थी। इन पचास वर्षो मे भी उसमे कोई परिवर्तन नही हुआ। इस शताब्दी का प्रथम एजूकेशन एक्ट सन् १९०२ मे पास हुआ और अंतिम महत्वपूर्ण एक्ट सन् १९४४ ई० का है। अब इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि सन् १९४४ के एक्ट द्वारा केन्द्रीय सत्ता के अधिकार कितने और बढ गए हैं।

बोर्ड ऑफ एजूकेशन तथा शिक्षा-मंत्रालय : एक तुलनात्मक अध्ययन—सन् १८९९ के एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ एजूकेशन नामक केन्द्रीय सत्ता की स्थापना हुई। इसका संगठन और सदस्यता इस प्रकार थी—

सभापति

- लार्ड प्रेसीडेंट ऑफ द प्रिवी कौंसिल (यदि वह सभापति न हुआ तो, अन्यथा अन्य केन्द्रीय पदाधिकारी) (Lord president of the Privy Council)
- पाँच मुख्य सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट (Five main secretaries of state)
    - गृह (Home)
    - विदेशी मसले (Foreign affairs)
    - औपनिवेशिक मसले (Colonial affairs)
    - युद्ध (War)
    - भारत (India)
- फर्स्ट लार्ड ऑफ ट्रेजरी (First Lord of Treasury)
- चासलर ऑफ एक्सचेकर (Chancellor of Exchequer)

एच० एम० एस० ओ० (His Majesty's Stationary Office) द्वारा प्रकाशित 'Education 1900-1950' नामक पुस्तिका के दूसरे पृष्ठ पर यह उल्लिखित है कि अपने पूरे जीवन काल मे बोर्ड की कोई सभा नही हुई। वस्तुतः उसके

---

1. A short History of Educational Ideas, पृ० ३९९ मे Curtis and Boult Wood ने J. S. Mill के On liberty. नामक निबन्ध से निम्नलिखित उद्धरण दिया है—

"A general state education is a mere contrivance for moulding people to be exactly like one another. An education established and controlled by the State should only exist, if it exists at all, as one among many competing experiments.

अधिकारो का उपयोग प्रेसीडेट, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी और सहायक सेवा कर्मचारी ही करते रहे। बोर्ड के पास शिक्षा विभाग, विज्ञान और कला विभाग तथा चैरिटी कमिश्नर्स तीनो के अधिकार थे। सन् १९०२ के एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ एजूकेशन को ही प्रमुख अधिकारी घोषित किया गया। सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व सन् १९१८ तथा सन् १९२१ के एक्टो के लिए यह बोर्ड ही प्रमुख केन्द्रीय अधिकारी समझा गया। इस प्रकार केन्द्रीय सत्ता मे सबसे बडा परिवर्तन बोर्ड ऑफ एजूकेशन के स्थान पर शिक्षा-मत्रालय की स्थापना थी। साधारणत. यह बात नगण्य सी लगती है, पर बात ऐसी नही है। वास्तव मे बोर्ड का प्रेसीडेट वहुधा मत्रिमडल का मदस्य नही होता था और उस पद को लोग किसी ऊँचे पद पर जाने का साधन मात्र समझते थे। सन् १९४४ के एक्ट के पश्चात् सभी शिक्षा मत्री मंत्रिमण्डल के सदस्य होते आए है और यह बात महत्वपूर्ण है कि जब अपनी नियुक्ति बाद मिस फ्लोरेंस हॉर्मबरो को मत्रिमण्डल-पद नही दिया गया, तो इस कार्य की कटु आलोचना हुई। आलोचना के फलस्वरूप यह भूल सुधार ली गई। अत: हम यह कह सकते है कि—

(१) सन् १९४४ के एक्ट का प्रथम भाग शिक्षा के इतिहास मे एक उच्च बिन्दु है क्योंकि सन् १८३३ ई० मे बिना किसी केन्द्रीय सत्ता के जो कार्य आरम्भ किया गया वह अत मे सन् १९४४ के एक्ट द्वारा एक पूर्णतया विकसित और सशक्त मत्रालय के रूप मे सामने आया।

(२) बोर्ड ऑफ एजूकेशन की स्थापना करते समय सरकार ने उसके अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों मे किया था—"बोर्ड का कार्य इंगलैण्ड और वेल्स के शिक्षा-सम्बन्धी बातों की निगरानी था।"[1] सन् १९०२ तथा सन् १९२१ दोनों शिक्षा-अधिनियमो के प्रथम भाग मे बोर्ड की इसी सत्ता को स्वीकार किया गया है। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा मत्री का कर्त्तव्य केवल इगलैण्ड और वेल्स की शिक्षा की देखरेख मात्र न था, वरन् उससे आशा की जाती थी कि वह इगलैण्ड और वेल्स की शिक्षा के स्तर को बढाये और उसकी उन्नति करे। इतना ही नही आवश्यकता पडने पर वह अपने अधीनस्थ शिक्षाधिकारियों (L. E. As.) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समुचित और प्रभावकारी पालन के लिए बाध्य भी कर सकता था। सन् १९४४ के एक्ट के दूसरे भाग इन उत्तरदायित्वो के भार को और भी बढाते हैं। उदाहरण के लिए इस एक्ट की धारा ६८ मे यह उल्लेख है कि यदि शिक्षा मत्री को यह शिकायत मिलती है कि अमुक स्थानीय शिक्षाधिकारी (L. E A.) अथवा स्वेच्छाकृत स्कूल के मैनेजर या गवर्नर अपने कर्त्तव्यो का उचित पालन नही कर रहे तो उसे यह अधिकार है कि उसमे हस्तक्षेप करके शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिए उचित कार्यवाही करे। एक्ट के शब्दों मे—'The Minister may intervene to give such directions as to their performance of their duties as he thinks expedient' स्वाभाविक रूप से केन्द्र मे शक्ति का यह आरोप L. E. As. की ओर से संशय और संदेह की दृष्टि से देखा गया है और यह मंत्रालय की सद्बुद्धि का फल है कि उसने इन विशेष

1. The Board of Education created in 1899 was "charged with the superintendence of matters relating to education in England and Wales."

S. J. Curtis—*Education in Britain Since* 1900.

अधिकारो का कभी इस प्रकार प्रयोग नही किया कि जनता की इन आशकाओं की पुष्टि हो।

(३) प्रजातत्रीय ढग की यह एक विशेषता होती है कि जहाँ एक ओर केन्द्र को अधिक शक्ति और अधिकार प्राप्त होते है वहाँ दूसरी ओर उनका दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ नियंत्रण भी रहते हैं। बोर्ड ऑफ एजूकेशन की स्थापना के साथ-साथ सन् १९०२ ई० मे उसकी सहायता के लिए सम्मतिदात्री समिति (Consultative Committee) की स्थापना भी की गई थी। यह कमेटी केवल उन्ही विषयो पर अपनी सम्मति देने का अधिकार रखती थी जो उससे पूँछे जाये। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा मत्री की सहायता के लिए दो परामर्शदात्री समितियो (Advisory Councils) की स्थापना हुई जिनका कार्य आवश्यक विषयो पर मत्री महोदय को अपनी ओर से सलाह देना भी होगा। एक्ट के शब्दो मे—

'The Advisory Councils have the duty to advise the Minister also upon such matters connected with educational theory and practice as they think fit.'

यह कहा जा सकता है कि यह नियंत्रण पर्याप्त नही है क्योकि मत्री ही इन समितियो के चेयरमैन और सदस्यो को नियुक्त करता है। किन्तु एक्ट के ५वें भाग के अनुसार मत्री महोदय को पार्लियामेट के सामने एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमे परामर्शदात्री समिति की रचना और उसके कार्यो के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण ब्योरा देना पड़ता है।

३ **सन् १९४४ ई० और उसके पश्चात् केन्द्रीय शासन सत्ता का संगठन**—केन्द्रीय शासन सत्ता मे तीन प्रधान तत्व सम्मिलित है—१. राजनीतिक (शिक्षा मत्री तथा उसका ससद सचिव) २ परामर्शदात्री (सलाहकार समितियाँ) ३ राज्य सेवाएँ जिनमे प्रशासकीय तथा निरीक्षण कर्मचारी हैं।

केन्द्रीय सत्ता

राजनीतिक	परामर्शदायक	राज्य सेवाये
शिक्षा मत्री तथा संसद सचिव	केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ	प्रशासकीय तथा निरीक्षण-सम्बन्धी सेवाएँ

(१) **राजनीतिक तत्व**—(Political Element) शिक्षा-मत्री अपने संसद सचिव के साथ अपने काम का बटवारा कर लेता है, किन्तु यह केवल सुविधा की दृष्टि से। जहाँ तक विभागीय उत्तरदायित्व का प्रश्न है, वह पूर्णत शिक्षा मत्री का ही होता है।

(२) **परामर्शदायक तत्व** (Advisory Element)—शिक्षा मत्री को समय-समय पर सलाह देने के लिए दो केन्द्रीय सलाहकार समितिताँ स्थापित की गई हैं—एक इंगलैण्ड के लिए और एक वेल्स के लिए। सन् १९४४ के एक्ट मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मत्री स्वयं ही समिति के चेयरमैन और सदस्यो की नियुक्ति करेगा। साथ ही मत्रालय के किसी पदाधिकारी को ही उसका सचिव

नियुक्त करेगा। प्रत्येक समिति मे ऐसे सदस्य होंगे जिन्हे सार्वजनिक शिक्षा की वैधानिक प्रणाली का सम्यक् अनुभव हो, किन्तु उसमे ऐसे व्यक्तियो का होना भी आवश्यक है जिन्हे वैधानिक शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त देश में प्रचलित अन्य शिक्षा पद्धतियों का पूर्ण ज्ञान हो।

इन समितियो की रचना के सम्बन्ध मे पार्लियामेंट मे वडी बहस हुई। संसद के कुछ सदस्य यह चाहते थे कि इन कौसिलो मे उद्योग-धधों और औद्योगिक शिक्षा का भी सीधा प्रतिनिधित्व हो। हाउस ऑफ लार्ड्स (House of Lords) का कहना था कि सलाहकार समितियो के $\frac{1}{3}$ सदस्य शिक्षामत्री व्यापार-परिषद् (Board of Trade) तथा कृषि मत्री से पूँछ कर नियुक्त करेगा किन्तु सर सैमुएल बटलर ने जो सन् १९४४ के एक्ट के प्रस्तावक और कर्णधार थे इन सब का विरोध कर यह स्पष्ट कर दिया कि सलाहकार समितियो (Advisory Councils) का मुख्य कार्य स्कूलो मे दी जाने वाली शिक्षा तथा शिक्षा-विधियो से सम्बन्धित है अत. वह विशेष शिक्षा के लिए सीधी जिम्मेदार नही है।

७ अप्रैल सन् १९४५ को मत्री महोदय द्वारा एक नया नियम चलाया गया जिसके अनुसार कौसिल का चेयरमैन तीन वर्षो के लिए नियुक्त होने लगा। सदस्यता की अवधि बढ़ाकर ६ वर्ष कर दी गई। शिक्षा मत्री को यह पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी अवधि (term) को बढ़ा सकता है और चेयरमैन या किसी अन्य सदस्य की आवश्यकतानुसार पुनर्नियुक्ति भी कर सकता है। साथ ही यदि कोई सदस्य बिना मत्री की स्वीकृति के लगातार तीन सभाओ में अनुपस्थित रहता है, तो वह अपने आप उस पद से हटा दिया जाता है। समय-समय पर दोनो कौसिलो की ओर से शिक्षा-सम्बन्धी विषयो पर रिपोर्टें निकलती रहती हैं। जैसे इगलैण्ड की सलाहकार समिति (Advisory Council for England) की ओर से 'School and Life' (जून १९४७) तथा 'Out of School' (जून १९४८) और वेल्स की सलाहकार समिति की ओर से The Future of Secondary Education for Wales' (१९४८) तथा 'The County Colleges in Wales (१९५१) प्रकाशित हुईं। इन दो समितियों के अतिरिक्त मत्री महोदय ने स्वेच्छा से दो अतिरिक्त सलाहकार समितियाँ (Additional Advisory Councils) स्थापित की है। वे हैं—१–Council for the Education of Industry and Commerce और २– Training and Supply of Teachers.

(३) **प्रशासकीय तथा निरीक्षण-सम्बन्धी सेवायें**

(अ) **प्रशासकीय सेवायें**—सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व जहाँ एक ओर मंत्रालय के स्थान पर एजूकेशन बोर्ड कार्य कर रहा था, वहाँ उसकी एक विशेषता और थी। साधारणतया वह स्वयं अपने अधिकारी नियुक्त कर लेता था। प्रथम महायुद्ध के बाद यह परम्परा समाप्त हो गई। किन्तु तब तक राष्ट्रीय शिक्षा सेवा (National Educational Service) मे अनेक ख्यातिप्राप्त विद्वान् आ चुके थे। इनमें माइकेल सैडलर, रॉबर्ट मोराट तथा एडमंड होम्स[1] के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आज मत्रालय मे राज्य-कर्मचारियो की ही नियुक्ति होती है। इन राज्य कर्मचारियों (Civil Servants) की परिभाषा इस प्रकार है:—

'Persons employed in civil capacity other than political and judicial officers (*e.g.* paid judges and magistrates) whose

१ देखिए *Education* 1900-1950, P. 2, H. M. S. O.

pay is found wholly and directly out of money voted by parliament ".[१]

अर्थात् राजनीतिक और न्यायिक अधिकारियों को छोड कर राज्य की सेवा मे संलग्न सभी ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि से दिया जाता है इसके अंतर्गत आते हैं। सुविधा की दृष्टि से इन राज्य कर्मचारियो को दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) प्रशासनिक अधिकारी (२) कार्यकारिणी विभाग तथा लेखपाल इत्यादि।

(१) **प्रशासनिक अधिकारी** (Administrative Officers)

ये शिक्षा की नीति से सम्बन्धित प्रश्नों का अध्ययन करते है, नीति सम्बन्धी निर्णयों को तैयार करते है और उनका सही अर्थ लगाकर उन सबको मंत्री महोदय के सामने उपस्थित करते है। इनका प्रमुख अधिकारी स्थायी सचिव (Permanent Secretary) होता है। इसकी सहायता के लिए उप-सचिव, अनुसचिव (Under Secretaries), सहायक सचिव, प्रिंसिपल और सहायक प्रिंसिपल होते है। इनकी भर्ती या तो एक खुली प्रतियोगिता द्वारा होती है जिसमे विश्व-विद्यालय के छात्र भाग लेते है, या दूसरी सेवाओं से पदोन्नति द्वारा आते है। इनके लिए यह प्रतिबन्ध है कि वे कम से कम द्वितीय श्रेणी मे अपनी (ऑनर्स) डिग्री उत्तीर्ण हों और सिविल सर्विस कमीशन द्वारा संचालित लिखित और मौखिक परीक्षा मे भी उत्तीर्ण हों।

(२) **कार्यकारिणी शाखा और लेखपाल** (Executive branch and clerks)—कार्यकारिणी शाखा का काम नीति सम्बन्धी निर्णयों का विशेष दशाओं मे प्रयोग करना है। लेखपाल इत्यादि पत्र तथा विवरण पत्र तैयार करते है, ब्योरे (returns) के ऑकडे इकट्ठे करते है, तथा आर्थिक लेखा, ऑकडो और मॉगों की जॉच करते हैं। सन् १९४७ ई० में प्रस्तुत की गई शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि मंत्रालय के कर्मचारी विभाग मे कितनी वृद्धि हो गई है। सन् १९३९ ई० में संदेश वाहकों को मिलाकर हेड क्वार्टर्स के कर्मचारियों की संख्या ११२२ थी। सन् १९४६ मे यह १४३० और १ जनवरी सन् १९४८ को यह २१३९ हो गई।

सन् १९४४ के एक्ट से कुछ और भी परिवर्तन हुए। ये इस प्रकार हैं —

(१) पहले एजूकेशन बोर्ड मे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की दो अलग-अलग शाखाये थीं। किन्तु अब मंत्रालय मे उसके स्थान पर केवल एक शाखा रह गई है जिसे स्कूल-ब्रांच कहते है।

(२) द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त टेकनिकल ब्राच के स्थान पर अग्रिम-शिक्षा-शाखा (Further Education Branch) की स्थापना हुई है। यह सब प्रकार की प्रौढ शिक्षा, सामाजिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी प्रशिक्षण (Social and Recreational Training) तथा युवक कल्याण की देखरेख करती है।

(३) दूसरी विशिष्ट शाखाये इस प्रकार है —शिक्षक, विशेष सेवाये (Spec-

---

१ देखिए *How the Civil Service Works* by Bosworth Monck, Page 12.

ial Services), स्थापन और संगठन (Establishment and Organisation) तथा अर्थ (Finance) ।

(४) Wales की शिक्षा से सम्बन्धित सभी विभाग अलग हैं।

(५) इन सब शाखाओं का प्रमुख अधिकारी एक उप-सचिव (Deputy-secretary) होता है। प्रत्येक शाखा एक-एक अनुसचिव (Under Secretary) के आधीन रहती है।

(६) स्थापन और संगठन शाखा (Establishment and Organisation) का इचार्ज ही ऑकडा शाखा (Statistical Branch), सूचना तथा सामान्य शाखा (Information and General Branch) और दो बाहरी शाखाओं (External Branches) की देखभाल भी करता है।

(७) न्यायिक सलाहकार (Legal Adviser) न्याय शाखा का अधिकारी होता है।

(८) स्थापत्य और भवन निर्माण शाखा (Architects and Buildings Branch) मुख्य शिल्पकार (Chief Architect) और एक सहायक सचिव के सम्मिलित अधिकार मे रहती है।

चित्र की सहायता से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है।

चित्र—अ

शिक्षा मंत्रालय

संगठन और व्यवस्था

शिक्षा मंत्री

प्रशासनिक अधिकारी वर्ग | कार्यकारिणी और लेखपाल

स्थायी सचिव (Permanent Secretary)

उप-सचिव (Deputy Secretary) → मंत्रालय की आतरिक व्यवस्था का अधिकारी

अनु-सचिव (Under Secretaries) → विभिन्न शाखाओ के अधिकारी।

सहायक सचिव (Assistant Secretaries)

प्रिंसिपल

सहायक प्रिंसिपल

चित्र—ब

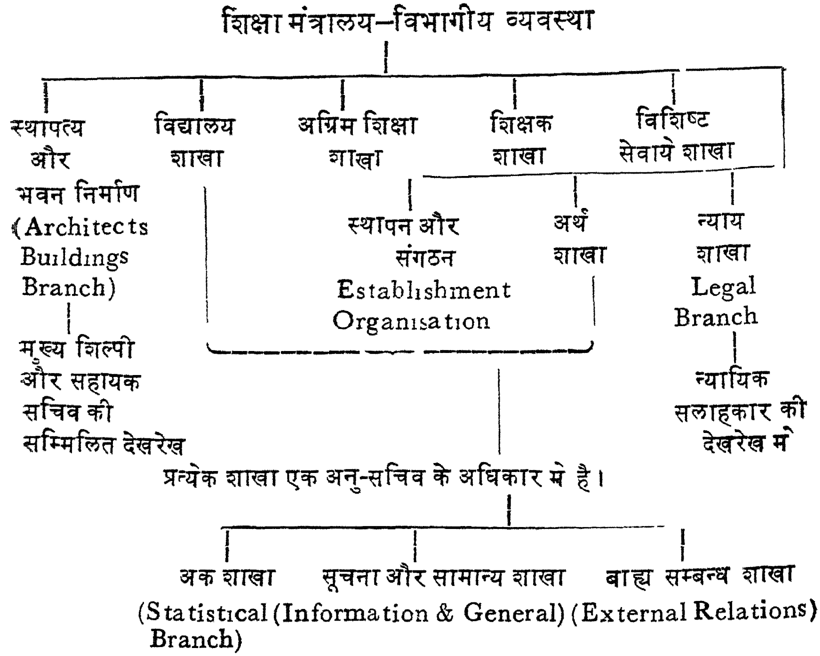

(ब) निरीक्षण सम्बन्धी सेवायें (Inspectorial Services)

विद्यालय निरीक्षण कार्य मे लगे हुए विशिष्ट पदाधिकारी Her Majesty's Inspectors या यदि इंगलैण्ड का शासक सम्राट हुआ तो His Majesty's Inspectors कहलाते है। सक्षेप मे इन्हे एच० एम० आईज० (H M Is) कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले वे पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी न होकर इगलैण्ड के शासक के प्रति ही उत्तरदायी थे और उसे ही अपना विवरण भेजते थे। आज भी वे परम्परा से एच० एम० आईज० ही कहलाते है। उनकी नियुक्ति भी Her/His Majesty द्वारा ही होती है, यद्यपि वे अपनी रिपोर्टों के लिए अब मत्रालय के प्रति उत्तरदायी है। उनसे आशा की जाती है कि वे जो कुछ ज्ञान जाँच द्वारा प्राप्त करें और जो अपने विचार में उचित समझे,[१] वे अपनी रिपोर्ट में अवश्य सम्मिलित करे। उसे बदलने का अधिकार किसी को नही है।

निरीक्षकों का निर्वाचन और नियुक्ति

निरीक्षकों की नियुक्ति चुनाव द्वारा होती है। Her Majesty in Council एक चुनाव बोर्ड बनाती है। सीनियर चीफ इंस्पेक्टर तथा सिविल सर्विस कमीशन

१. H.M.S O द्वारा प्रकाशित Reports on Elementary Schools 1852--1882 के ३०वें पृष्ठ पर Matthew Arnold ने एक निरीक्षक के अधिकार और कर्त्तव्य के सम्बन्ध मे लिखा कि " Inspection exists for the sake of finding out and reporting the truth and for this above all."

का एक प्रतिनिधि इस चुनाव बोर्ड का सदस्य होता है। अधिकांश सभी प्रतियोगी स्नातक होते हैं और यथेष्ट अध्यापकीय अनुभव भी रखते हैं। फिर भी निरीक्षकों की नियुक्ति कभी-कभी अन्य कारणों से भी होती है, जैसे शिक्षा के किसी क्षेत्र मे किसी व्यक्ति का वृहत् ज्ञान, अथवा प्रमुख उद्योग-धन्धो के सम्बन्ध मे व्यापक जानकारी इत्यादि। साधारणत: पर्याप्त अनुभव वाले व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं इसलिए उनकी आयु तीस वर्ष से कम नही होती। अधिकतम आयु सीमा ५० वर्ष ही हो सकती है।

सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व निरीक्षण कार्य

निरीक्षण विभाग का विकास भी प्रशासकीय विभाग की भाँति क्रमशः हुआ है। सन् १९२२ ई० मे इसकी पाँच शाखाये थी—प्रारम्भिक शिक्षा अध्यापक-प्रशिक्षण, औद्योगिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा चिकित्सा। प्रत्येक शाखा का मुख्य अधिकारी एक प्रधान निरीक्षक (Chief Inspector) होता था। इसी प्रकार सभी महिला निरीक्षिकाओ (Women Inspectors) की देखभाल करने का कार्य प्रधान महिला-निरीक्षिका (Chief Woman Inspector) के आधीन था। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यो का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए १७ स्टाफ इंस्पेक्टर थे। इन निरीक्षकों पर विशिष्ट सेवाओं के निरीक्षण का राष्ट्रीय उत्तरदायित्व था। प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षको (H. M. Is for Elementary Education) की सहायता के लिए सहायक निरीक्षक (Assistant Inspectors) होते थे। महिला निरीक्षकों को वे उत्तरदायित्व नही दिए जाते थे जो पुरुष निरीक्षकों को सौपे जाते थे।

सन् १९२२ ई० के पूर्व निरीक्षण व्यवस्था

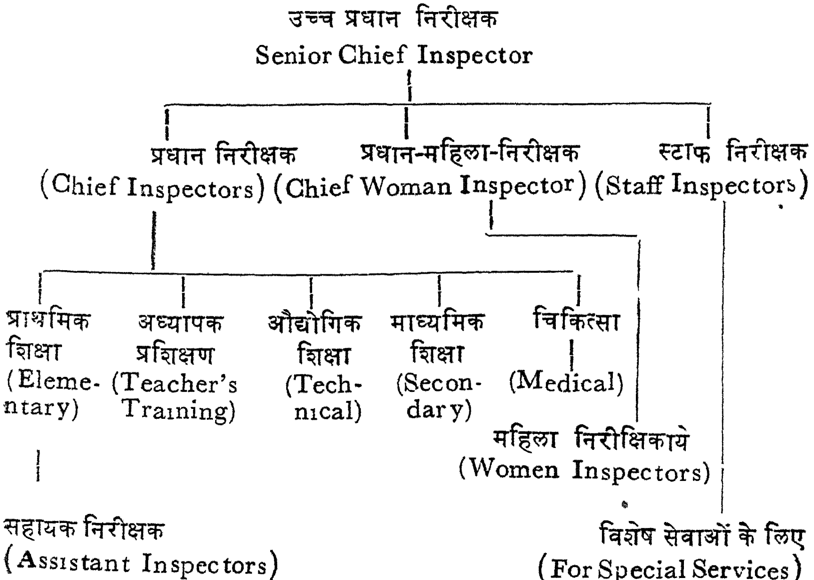

सन् १९२२ ई० के बाद इस दिशा मे कई परिवर्तन हुए। अध्यापक-प्रशिक्षण

की शाखा समाप्त कर दी गई। दूसरी शाखाओं के अधिकारी भी सीनियर चीफ इस्पेक्टर के आधीन हो गए। सन् १९३० ई० में डा० इचहोल्ज (Dr. Eichholz) के अवकाश प्राप्त करने पर चीफ मेडिकल इस्पेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया। निरीक्षण के क्षेत्र में सबसे महान् परिवर्तन सन् १९३० ई० में महिला-निरीक्षकों को पद की वह समानता प्रदान करना था जो पुरुष-निरीक्षकों को प्राप्त थी। किन्तु वेतन में अब भी समानता न थी। सन् १९३३ ई० में प्रारम्भिक और माध्यमिक क्षेत्रों में कुछ महिलायें जिला इस्पेक्टरों के बतौर नियुक्त की गई। सन् १९३८ में प्रधान महिला निरीक्षक (Chief Woman Inspector) का पद समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार सन् १९४४ के एक्ट के समय निरीक्षण व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी—

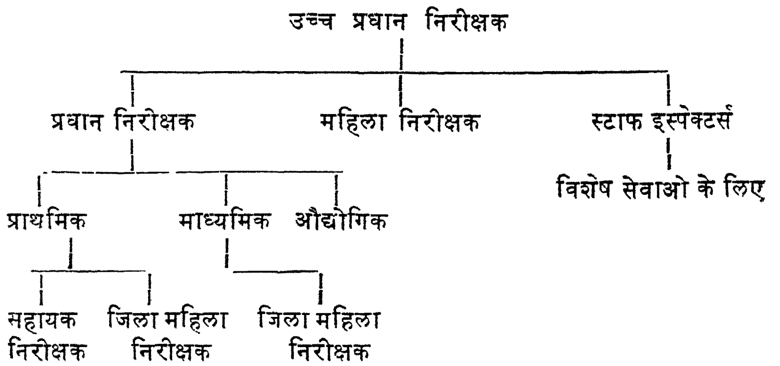

सन् १९४४ का एक्ट और निरीक्षण कार्य

सन् १९४४ में शिक्षा मत्रालय द्वारा एक विभागीय समिति की नियुक्ति की गई जिसका काम यह निश्चित करना था कि नए एक्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में क्या-क्या परिवर्तन किए जायेंगे। उस समय एच० एम० आईज० की सख्या ३०८ थी। शिक्षा के विस्तार को देखते हुए इस सख्या में वृद्धि आवश्यक समझी गई। फलस्वरूप सन् १९५४ में यह सख्या ५३७ हो गई। प्रारम्भिक और माध्यमिक शाखायें समाप्त कर दी गई। नए सगठन में अब सीनियर चीफ इस्पेक्टर के आधीन ६ चीफ इस्पेक्टर होते हैं। पूर्ण देश दस क्षेत्रों (territorial divisions) में बँटा है। पहले इस प्रकार के केवल ९ मण्डल थे। स्टाफ इस्पेक्टरों की सख्या बढ गई है। सहायक इस्पेक्टर का पद समाप्त कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इस्पेक्टर की उपाधि अब व्यापक न होकर सीमित अर्थ में प्रयुक्त होती है। एक्ट के शब्दों में—

"The title District Inspector refers now solely to the particular coordinating and liaison functions which one of a local body of inspectors is designated to perform in connection with administrative and quasi-administrative matters"[1]

---

1. H. M. S. O. द्वारा प्रकाशित *Education in* 1949 Chapter VIII Page 87.

अर्थात् स्थानीय निरीक्षको का जो दल प्रशासकीय और अर्ध प्रशासकीय विषयो म सम्बन्धित कार्यो मे पूर्णत: केवल सहयोगी और मध्यस्थ का कार्य करता है वही जिला इस्पेक्टर के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

सन् १९४८ के एक्ट के अतर्गत निरीक्षण व्यवस्था इस प्रकार है

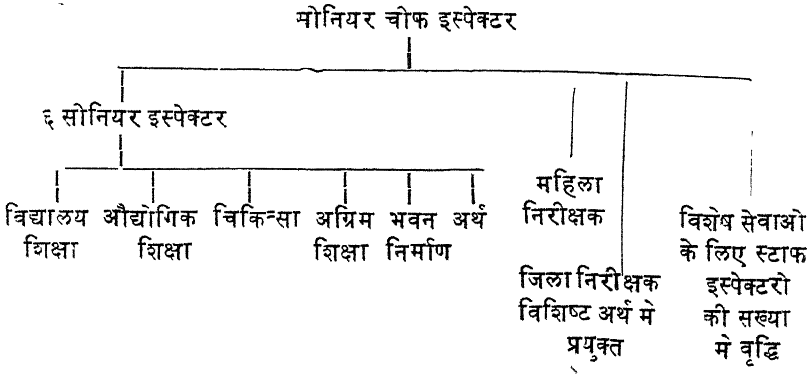

प्रशासन तथा निरीक्षण की विधि और कर्त्तव्य

मत्रालय का अधिकांश कार्य सामान्य विधि से चलता है। किन्तु कुछ कार्य ऐसे होते है जिनके लिए स्थायी सचिव से सलाह ली जाती है और सेक्रेटरी स्वय मत्री महोदय को सूचना देता है। किन्तु जहाँ तक स्थानीय स्थिति का सम्बन्ध है इस सब की पूछ-ताँछ एच० एम० आईज० से ही उनके निज अनुभव के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार आवश्यकता पडने पर L E .As के प्रतिनिधि भी किसी विषय के अध्ययन और छानबीन मे भाग लेने के लिए मंत्रालय बुलाये जाते है। इस प्रकार प्रशासन केवल एक औपचारिक (formal) विधि पर ही निर्भर नही रहता, उसमे मानव-सम्बन्ध पर भी अधिक बल दिया जाता है।

निरीक्षक के कर्त्तव्य (Duties of an H. M I.)

सन् १८३९ ई० मे जब सर्व प्रथम दो H M.Is की नियुक्ति हुई थी, उनके कर्त्तव्य स्पष्ट थे। उनका कार्य केवल दिए हुए धन के उचित व्यय की देखभाल करना था। किन्तु तब की अपेक्षा आज के कार्यो मे बडा अन्तर आ गया है। यह कार्य तो आज भी H.M.Is. ही करते है किन्तु कुछ अन्य कार्य भी उनके पास आ गए है। इनमे प्रमुख निरीक्षण का कार्य है। निरीक्षण दो प्रकार के होते है · पूर्ण निरीक्षण (full inspection) और नियमित निरीक्षण (routine inspection)। पूर्ण निरीक्षण को रिपोर्ट तो शिक्षा मत्री को भेजी जाती है किन्तु नियमित निरीक्षण H M.I समय-समय पर शिक्षा-सस्थाओ की दिन-प्रति-दिन की गति-विधि से सम्बन्धित जानकारी के लिए स्वय किया करता है। ये नियमित निरीक्षण (routine inspections) बहुधा विद्यालय के किसी विशेष उद्देश्य को लेकर भी होते है। किन्तु पूर्ण निरीक्षण मे H.M.I. एकाकी नही होता। उसमे मत्रालय से अनुमोदित निरीक्षको का एक दल (Panel of Inspectors) होता है जिसका

चेयरमैन H. M I स्वय होता है। निरोक्षण द्वारा एकत्रित सूचना व्यवस्थित करके मत्री के पास निरीक्षण विवरण (inspection report) के रूप मे भेज दी जाती है। निरीक्षण के उपरान्त आवश्यक बातो पर वह विद्यालय के मैनेजरो तथा गवर्नरों से मिलकर भी परामर्श करता है। प्रत्येक निरीक्षक के निरीक्षण की अपनी एक विधि होती है और इस सम्बन्ध मे परम्परा या वैधानिक रूप से कोई निश्चित ढाँचा नही होता। एक समय था जब H.M.I. का आगमन शिक्षक मे एक भय भर देता था; किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गई है। आज वह एक हितैषी और मित्र के रूप मे देखा जाता है। मत्री महोदय के शब्दों मे, 'उसका कार्य अपरिहार्य दोषो के स्थान पर सुनिश्चित गुणों की खोज करना है। उससे आशा की जाती है कि विद्यालय निरीक्षण के अपने दीर्घ अनुभव के फलस्वरूप वह सदैव ठोस और रचनात्मक आलोचना ही शिक्षकों और मैनेजरो के समक्ष रक्खे और आवश्यकता पडने पर हर तरह से उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे।[1]

किन्तु निरीक्षक के नाते H. M.I. का यह कर्त्तव्य है कि यदि वह किसी भी सस्था द्वारा जनता के धन का अपव्यय देखे तो उसकी रिपोर्ट शिक्षा मत्री से अवश्य करे।

इन इंस्पेक्टरों को मिशनरी भी कहा गया है। आदर्श रूप में स्कूलो का निरीक्षण करते समय वे शिक्षा के सभी श्रेष्ठ अशो को ग्रहण करते है। साथ ही स्थानान्तरण होने के कारण उन्हे विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षा सम्बन्धी अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार जब वे शिक्षा के सामने अपने सुझाव रखते है, तो वह भी उनकी सलाह न होकर विभिन्न क्षेत्रों का अर्जित अनुभव ही होता है। यह अध्यापक का कार्य है कि वह उन सुझावो पर विचार करे किन्तु उन्हें तभी अपनायें जब वह उस शिक्षा सिद्धान्त या पद्धति में विश्वास करने लगे और अपने व्यक्तित्व को पूर्णतया उसी मे रग दें। एक्ट के शब्दों मे—'The teacher is not to adopt the suggestions of an H.M.I until he has welded it to his educational faith and coloured it with part of his personality.''[2]

निस्पृह सेवा कार्य (missionary work) के अन्य अवसर उस समय प्राप्त होते है जब मत्रालय अथवा स्थानीय शिक्षाधिकारी (L E.A.) अथवा शिक्षा सघों द्वारा विशेष विषयो पर संक्षिप्त प्रशिक्षण (short courses) और सेमिनार (पाठशालायें) आयोजित किए जाते है और H M Is को वार्ताओं और विचार-विमर्श के माध्यम से सक्रिय भाग लेना पडता है। उसमे ये जितने उत्साह का

---

१ H. M.S.O. द्वारा प्रकाशित *Education in* 1949 नामक पुस्तिका के ९४ पृष्ठ पर शिक्षा-मंत्री का कथन इस प्रकार है—

'The Inspector is a visitor looking more for positive merits than for inevitable defects, ready to offer constructive criticism and help on the basis of what he finds going on and out of the experience he has been fortunate enough to gain through his continual contact with schools.'

२ H. M.O.s. द्वारा प्रकाशित *The Report of the Consultative Committee on the Primary School*, Page 104.

प्रदर्शन करते है और जिस रूप मे संयोजको के साथ सहयोग करते है वह उनके निस्पृह सेवा भाव का एक सुन्दर उदाहरण है।

H.M.Is का तीसरा प्रमुख कार्य मत्रालय के लिए आँखों और कानों का कार्य है। दूसरे शब्दो मे लन्दन मे स्थित मत्रालय जो कुछ भी देखता और सुनता है वह इनके माध्यम से। सारे देश मे फैले होने के कारण ये छोटे-छोटे सीमित क्षेत्रो मे काम करते है और अपने क्षेत्र के स्कूलों की गति-विधियों से परिचित होते हैं। वहाँ की L.E.As से इनका निकट सम्बन्ध रहता है। अतः व्यक्तिगत स्कूलों के मैनेजरो, गवर्नरों और L.E.As के अधिकारियों से मैत्री पूर्ण विचार-विमर्श भी होता है। वहाँ के स्थानीय दैनिक पत्रों से सम्पर्क होने के कारण उस क्षेत्र की परम्पराओं और विचारधाराओ का भी ज्ञान होता है। अतः वे अपने क्षेत्र की प्रगति, वहाँ के शिक्षकों के नवीन विचार और नए प्रयोगों की सूचना देते रहते है। इसके लिए उनका कोई निश्चित समय नही होता।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय शासन और स्थानीय शासन दोनों शिक्षा के क्षेत्र मे साझीदार है। उनके मध्य साझेदारी (partnership) की भावना कार्य करती है। यद्यपि मंत्रालय के अपने विशेष उत्तरदायित्व है जिनकी वह उपेक्षा नही करता वरन् उनकी अवहेलना करने पर L E.As. को विवश भी करता है किन्तु इस प्रकार के प्रश्न शायद ही कभी उठते हैं। समझौते का मार्ग व्यक्तिगत सम्पर्क से और भी सरल बन गया है। इस दृष्टि से कार्य प्रणाली का दृष्टिकोण ही बदल गया है। सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व शिक्षा परिषद् (Board of Education) अपने कर्मचारियों को आदेश देती थी (directed) कि वे विभिन्न कार्यो के लिए L E.As को सम्बोधित (address) करे और H M Is द्वारा प्रेषित सूचना को चिन्ता अथवा संतोष से ग्रहण करती थी; पर अब ऐसा नही है। अब अधिकांश समस्याये निरीक्षक (H.M.I.) और L E.As. के मुख्य शिक्षाधिकारी (Chief Education Officer) की पारस्परिक बातचीत से ही तै हो जाती है और मत्रालय का पत्र व्यवहार भी औपचारिक और सरकारी न होकर व्यक्तिगत और गैर-सरकारी ही होता है।

४ | स्थानीय शासन

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि—१९०२ ई० के पूर्व की दशा

जिस प्रकार इस शताब्दी के पूर्व शिक्षा के लिए कोई केन्द्रीय सस्था न थी उसी प्रकार स्थानीय शिक्षा के क्षेत्र मे भी कोई प्रभावशाली सस्था न थी। सन् १८३३ ई० से सरकार आर्थिक सहायता तो दे सकती थी किंतु सभी विद्यालय स्वेच्छाकृत सस्थाओ (Voluntary Bodies) के हाथ मे थे। सन् १८७० ई० तक कोई भी सरकारी सस्था स्थानीय शिक्षा की देखभाल के लिए न थी। सन् १८७० के बाद यद्यपि स्कूल बोर्डो की स्थापना हो चुकी थी, किंतु देश मे अब भी बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इस प्रकार के बोर्ड स्थापित ही न हुए थे। वास्तव मे जिस रूप मे आज स्थानीय शिक्षाप्राधिकारी (Local Education Authorities) विद्यमान है उनका जन्म सन् १९०२ के एक्ट द्वारा ही हुआ और सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व उसकी व्यवस्थाओ (Provisions) मे कोई भी परिवर्तन नही किया गया।

१९०२ का शिक्षा अधिनियम (Education Act of 1902)—सन् १९०२ के एक्ट ने अधिकारो की दृष्टि से दो प्रकार की L.E.As की स्थापना की। एक्ट के द्वितीय भाग के अतर्गत प्रत्येक काउटी बरो (County Borough) की कौसिल अपने क्षेत्र मे हर प्रकार की शिक्षा के लिए उत्तरदायी समझी गई और उसको तत्सम्बन्धी सभी अधिकार दिए गए। किन्तु इसी एक्ट के तृतीय भाग (Part III of the 1902 Act) के अन्तर्गत सब म्युनिसिपल बरो (Municipal Boroughs) और नगर-जिलो (Urban Districs) को केवल प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकार दिए गए। एक्ट के द्वितीय भाग (Part II) के अतर्गत काउन्टी कौसिलो को भी वही अधिकार प्रदान किए गए जो काउन्टी बरो कौसिलो को दिए गए थे केवल उनके अधिकार मे अपने क्षेत्र मे स्थित वे म्युनिसिपल बरो और नगर-जिले (Urban Districts) नही थे जो एक्ट के तृतीय भाग से शासित हो रहे थे। इन क्षेत्रो मे जो तृतीय भाग अधिकारी (Part III Authorities) कहलाते थे प्रारम्भिक शिक्षा को छोड कर शेष शिक्षा तो काउन्टी कौसिले देखती थी, किन्तु प्रारम्भिक शिक्षा उनके हाँथ मे थी। इस प्रकार एक ही क्षेत्र मे प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा दो पृथक्-पृथक् अधिकारियो द्वारा नियत्रित थी। सन् १९०२ के एक्ट की व्यवस्थाओ के अनुसार काउटी और काउटी बरो कौसिले तो द्वितीय भाग के अधिकारी (Part II Authorities) और म्युनिसिपल बरो तथा नगर-जिले (Urban Districts) तृतीय भाग के अधिकारी (Part III Authorities) कहलाए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र मे इस एक्ट के फलस्वरूप दोहरी नियत्रण प्रणाली "(Dual Control System) का जन्म हुआ।

जिन म्युनिसिपैल्टियो की आबादी कम से कम ५०,००० थी वे काउंटी बरो की श्रेणी मे आते थे। किन्तु कैंटरबरी और यॉर्क इसके अपवाद है। उन्हे कम जनसख्या के होते हुए भी ऐतिहासिकता की दृष्टि से विशेष रूप से काउटी बरो का पद दे दिया गया था। सन् १९५४ तक पूरे देश मे ८३ काउटी बरो थे।

तृतीय भाग के अधिकारी (Part III Authorities) कहलाने के लिए एक म्युनिसिपल बरो को जनसख्या कम से कम १०,००० होनी चाहिए और एक नगर-जिला (Urban District) की कम से कम २०,०००[१]। इस सम्बन्ध मे यह बात स्मरणीय है कि तीसरे भाग (Part III) के अधिकारी होते हुए भी कुछ म्युनिसिपल बरो और नगर-जिलों (Urban Districts) ने L.E As. के पद की माँग न की। कुछ को यह पद और अधिकार मिलने पर भी उन्होने उसे त्याग दिया।[२] यह आश्चर्य सा लगता है कि सन् १९०२ के एक्ट द्वारा किसी ऐसे प्रबन्ध का निश्चय हो कि एक ही क्षेत्र मे उच्च शिक्षा एक अधिकारी के पास रहे और प्रारम्भिक शिक्षा दूसरे अधिकारियों के पास। यह स्वाभाविक था कि L.E As की स्थापना का पुराने स्कूल बोर्ड विरोध करते क्योंकि उनके अधिकार छिन गए थे। अत: उन्होने यह तर्क उपस्थित किया कि स्कूल बोर्डो के समाप्त होने से अधिकारियों का सम्पर्क स्थानीय शिक्षा से कम हो जायेगा अत: उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक समझौते के फलस्वरूप Part III Authorities का जन्म हुआ। उस समय मान्यता प्राप्त Part III Authorities की संख्या १६९ थी।

काउंटियों को सरलता से पहचाना जा सकता था। वे छोटे-छोटे प्रान्तों के रूप मे थे। इनकी संख्या ६२ थी। इनमे लन्दन ऐसे घने बसे हुए क्षेत्र भी थे जिनकी जनसंख्या करोडों में थी और रटलैण्ड (Rutland) ऐसे क्षेत्र भी जिनकी जनसख्या सन् १९५२ ई० मे भी केवल २२६१० ही थी।

सन् १९०२ से लेकर सन् १९४४ तक

सन् १९०२ से लेकर १९४४ के काल में इस दोहरी नियंत्रण प्रणाली (Dual Control System) के दोष बहुत ही स्पष्ट दिखाई पडे। एक ऐसी भी स्थिति आई जब प्राथमिक पाठशालाओं मे ही उत्तर प्रारम्भिक शिक्षा (Post Primary Education) का आरम्भ हुआ। उस समय ये दोष समस्यामूलक बन गए।

शिक्षा अधिनियम सन् १९१८ (Education Act 1918) की दूसरी धारा मे L.E.As. को यह भार सौंपा गया कि वे सेंट्रल स्कूल या सेंट्रल तथा स्पेशल कक्षाओं के प्रबन्ध द्वारा बालको की आयु, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में ही प्रयोगात्मक शिक्षा की व्यवस्था करे और उन बालको के लिए जो प्रतिभाशाली है और १४ वर्ष की आयु सीमा के उपरान्त भी पढ़ना चाहते है सार्वजनिक प्रारम्भिक पाठशालाओं (Public Elementary Schools) मे उच्च पाठ्यक्रम (Advanced Courses) की व्यवस्था करे। सन् १९२७ ई० मे सर हेनरी हैडो की अध्यक्षता में बिठाई हुई सम्मतिदात्री समिति

१. १९०१ की जन गणना के अनुसार।

२. वारविक (Warwick) ने अपने अधिकारों का समर्पण Warwickshire को कर दिया था। *Herbartward-Educational System of England and Wales and its Recent History p.* 25.

(consultative committee) ने यह रिपोर्ट की कि सन् १९१८ के एक्ट द्वारा निर्देशित शिक्षा की व्यवस्था एक विभिन्न प्रकार के स्कूल मे ही हो सकती है जिसे उन्होंने मॉडर्न स्कूल की सज्ञा दी। शिक्षा की दृष्टि से ये मॉडर्न स्कूल माध्यमिक स्तर के स्कूल थे किन्तु इनकी व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा के अतर्गत ही हो रही थी। इस प्रकार तृतीय भाग (Part III) के अतर्गत आने वाले किसी भी नगर-जिले (Urban District) मे ग्रामर स्कूल मे प्रदान की जाने वाली माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) का उत्तरदायित्व काउटी एल० ई० एज० पर था पर उसी क्षेत्र मे मॉडर्न स्कूल मे प्रदान की जाने वाली माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व म्युनिसिपल बरो अथवा नगर-जिला (Urban District) की L.E.As पर था। सन् १९४४ के एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि सब प्रकार की माध्यमिक शिक्षा के लिए एक-से अध्यापक, एक-सा आवास-स्थान और विद्यालय भवन, तथा एक-सी प्रशिक्षण सामग्री और सज्जा (equipment) रक्खी जाए। अत: इस एक्ट के द्वारा तृतीय भाग के शिक्षाधिकारियो (Part III Authorities) का अत हो गया और दोहरी नियत्रण प्रणाली की परम्परा भी समाप्त हो गई।

स्थानीय शिक्षाधिकारी (L.E As) और १९४४ का एक्ट

इस एक्ट के अनुसार स्थानीय शिक्षाधिकारी ही काउटी और काउटी बरो की कौसिलो का काम करते है और उनके अतर्गत पाये जाने वाले म्युनिसिपल बरो और नगर जिलो (Urban Districts) के अधिकार अब उन्हीं के पास आ गए है। इस प्रकार अब सारे देश मे L.E.As. की संख्या ३१५ के स्थान पर १४६ ही रह गई है। इन परिषदों (councils) के पास शिक्षा के अतिरिक्त अन्य स्थानीय सेवाये भी रहती है। इन प्रान्तो (counties) या प्रान्तीय नगरों (County Boroughs) की L.E.As. सडके, पार्क, स्वास्थ्य निवास-व्यवस्था इत्यादि का भी प्रबन्ध करती है। इन परिषदो के सदस्य विशिष्ट सभासद (Aldermen) और सभासद (Councillors) कहलाते है। जो सभासद अपनी दीर्घकालीन विशिष्ट सेवाओ के लिए प्रख्यात होते है उनमे से ही विशिष्ट सभासदो (Aldermen) का चुनाव होता है। इसीलिए वे सामान्य चुनाव मे खडे नही होते। सभासदो के एक-तिहाई स्थान प्रति वर्ष खाली होते रहते है और यदि कोई सभासदL.E.A. का सदस्य रहना चाहता है तो उसे पुनः चुनाव लडना पडता है। इस प्रकार क्रम और नियुक्ति द्वारा संतुलन बना रहता है।

सभासदों की सेवाये निःशुल्क होती है। एक समय था जब वे अपना खर्च भी स्वय वहन करते थे किन्तु आगे चलकर यह परम्परा बहुत कुछ समाप्त कर दी गई, क्योंकि व्यय-भार के कारण बहुत से योग्य व्यक्ति सभासद होने में हिचकिचाते थे।

ये प्रांतीय परिषदे (Councils) क्षेत्रफल, पद्धतियो और परम्पराओ की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होती है। हरबर्ट वार्ड (Herbert Ward) ने अपनी पुस्तक Educational System of England and Wales and its Recent History मे इन परिषदो का वर्णन किया है। सन् १९३० मे सिटी कौसिल ऑफ लिवरपूल मे १०० से अधिक सदस्य थे। लन्दन सिटी कौसिल मे भी सदस्यो की सख्या १४५ थी। किन्तु अधिकाश कौंसिलों की सदस्य सख्या इससे कम होती है। अधिकांश कौसिलो का संगठन राजनीतिक दलों के अनुसार होता है और जो राजनीतिक दल

पार्लियामेंट मे पाए जाते हैं उनका प्रतिनिधित्व यहाँ भी रहता है। किन्तु यह आवश्यक नही। बहुधा ऐसा भी होता है कि इन क्षेत्रो को जनता पार्लियामेंट के चुनाव मे किसी एक राजनीतिक दल को अपना मत दे किन्तु वह स्थानीय चुनावों मे दूसरे दलो का समर्थन भी कर सकती है।[1]

इन परिषदों को कार्य-प्रणाली मे कोई भी अन्तर क्यो न हो पर साधारणतया विभिन्न प्रकार की सेवाओ के लिए वे समितियाँ चुन लेती हैं और ये समितियाँ ही अपने-अपने क्षेत्र की पूरी देख-भाल करती है। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सडके, भवन-निर्माण, चिकित्सा इत्यादि के लिए अलग-अलग समितियाँ होती हैं और ये सब परिषद के तत्वावधान मे कार्य करती है।

सन् १९४४ के एक्ट के अंतर्गत L E As के उत्तरदायित्वों में वृद्धि

हम पढ चुके है कि सन् १९४४ के एक्ट के साथ ही साथ केन्द्रीय अधिकार बढ गए। शिक्षा-परिषद् (Board of Education) समाप्त हो गई और उसके साथ ही इगलैण्ड और वेल्स की शिक्षा से सम्बन्धित विषयो की देख-रेख और व्यवस्था भी। परिषद् का स्थान शिक्षा-मत्री ने ले लिया और उसका कार्य इगलैण्ड और वेल्स की शिक्षा की उन्नति निश्चित किया गया। साथ ही साथ उसे यह भी भार सौपा गया कि वह अपने नियत्रण और निर्देशन के अतर्गत शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का प्रभावात्मक सम्पादन स्थानीय शिक्षाधिकारियों (L E As) द्वारा कराए।

किन्तु यह परिवर्तन व्यर्थ ही न था। यह इस बात का द्योतक था कि राष्ट्र मे शिक्षा सेवाओ का प्रसार आवश्यक है। L E As के लिए भी एक्ट मे नए प्रकार के निर्देश हुए है। अभी तक L.E As. को स्वैच्छिक अधिकार (permissive powers) प्राप्त थे जिनका वे स्वेच्छानुसार उपयोग करते थे। किन्तु अब यही अधिकार कर्त्तव्यों मे बदल दिए गए है। L.E.As को अभी तक जो भी अधिकार और कर्त्तव्य सौपे गए थे वे कुछ बन्धनो के साथ थे। किन्तु अब ये बधन हटा लिए गए। पहले पहल नई आवश्यकताये और नए अवसर सामने आए। केन्द्रीय अधिकारों के साथ-साथ L.E.As. को भी नए रूप मे अपने कर्त्तव्य निभाने पडे।

(१) उदाहरण स्वरूप माध्यमिक शिक्षा को लीजिए। सन् १९०२ के शिक्षा अधिनियम (Education Act) की दूसरी धारा (Sec 2) के अंतर्गत L.E.As.

---

१. G. M. Trevelyan द्वारा लिखित *English Social History* के ५७८ पृष्ठ पर London City Council से सम्बन्धित यह वक्तव्य है—

'This forward move in Local Government by London, hitherto so backward, was conducted by the Progressive Party that got the majority on the Council at one election after another. It called itself the Progressive Party—so as not to be completely identified with either the Liberal or the Labour Party; but it had close affinities to both. It existed for Municipal purposes only, and, therefore, people who voted for Conservative at Parliamentary elections could vote Progressive at the County Council Election. The average London voter in the 'nineties was conservative and imperialist in national politics, but wanted democratic social improvement for himself and his city.'

से यह आशा की जाती थी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विचार करें और तत्पश्चात् शिक्षा-परिषद् (Board of Education) से परामर्श करने के उपरान्त प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिक्षा की पूर्ति के लिए अथवा पूर्ति की सहायता के लिए ऐसे कदम उठाये जिन्हे वे उचित समझने है।' इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों (secondary schools) से सम्बन्धित उनके कार्य केवल स्वैच्छिक (Permissive) थे। इस प्रकार के स्कूलो को यदि वे चाहते तो खोल सकते थे या खोलने मे सहायता दे सकते थे। सन् १९२१ ई० के शिक्षा-अधिनियम की धारा ७० के पहले अनुच्छेद (Secton 70 (1) of the Education Act of 1921) मे भी यही बात दुहराई गई। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत यह उनके कर्त्तव्यों मे बदल गई।

(२) इसी प्रकार सन् १९२१ के शिक्षा अधिनियम की २१वी धारा में नर्सरी स्कूल के सम्बन्ध मे यह उल्लेख है कि यदि L.E.As. चाहे तो वे नर्सरी स्कूलों को खोले अथवा उनके खोलने मे सहायता दे। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट की आठवी धारा मे यह स्पष्ट है कि अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए L E.As. इस बात का ध्यान रक्खेगे कि उनके क्षेत्रों मे पाँच वर्ष से कम आयु वाले बालको के लिए नर्सरी स्कलो अथवा नर्सरी कक्षाओ की आवश्यकता है। एक्ट के शब्दो मे —

"In fulfilling their duties the L.E.As shall have regard to the need for securing that provision is made for pupils who have not attained the age of five years by the provision of nursery schools or nursery classes.'

(३) इसी प्रकार सन् १९२१ के एक्ट की ८२वी धारा मे प्रारम्भिक पाठशालाओं (Elementary Schools) मे पढने वाले छात्रों के लिए भोजन सम्बन्धी निर्देश भी बहुत स्पष्ट है। एक्ट के शब्दों मे—

'The L.E.As may take such steps as they think fit for the provision of meals for children in attendance at the elementary schools in their area.' इस प्रकार यह L.E.As. पर ही छोड दिया गया था कि वे इस दिशा मे जो कदम उचित समझे उठाये। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट की ४९वी धारा मे यह कार्य भी L.E.As. के कर्त्तव्यों के अन्तर्गत आ गया है। एक्ट की भाषा मे—

'The Minister is called upon to make regulations which shall impose on L.E.As duty to do so.'

किन्तु कई रूपो मे सन् १९४४ के एक्ट द्वारा L.E.As. को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए—

(१) सन् १९२१ के एक्ट की ८०वी धारा मे स्कूल हेल्थ सर्विस से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्देश है—

'प्रत्येक L.E.A. का यह कर्त्तव्य होगा कि वह स्कूलों मे तथा दूसरे प्रकार की शिक्षा संस्थाओं मे पढने वाले बालको और नवयुवकों की डाक्टरी जाँच नियमित रूप से कराते रहे।'

किन्तु इसी एक्ट की ८१वी धारा मे यह भी दिया है कि जहाँ भी L.E.As. डाक्टरी चिकित्सा की सुविधा दे वहाँ एक निश्चित दर के अनुसार वे प्रत्येक अभि-

भावक से इस चिकित्सा का व्यय भी वसूल कर लें। इन विरोधी निर्देशो के फलस्वरूप L E As अपने इस कार्य मे पर्याप्त स्वतंत्र न थे और कठिनाई का अनुभव करते थे। किन्तु सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अनुसार अब L.E.As को चिकित्सा का यह प्रबन्ध नि शुल्क करना पडता है अत उनके कर्त्तव्य-पालन मे सुविधा आ गई है।

(२) इसी प्रकार भोजन के सम्बन्ध मे यह सुविधा स्पष्ट है। पहले L E.As. को यह मनाही थी कि वे बालको के दोपहर के भोजन के सम्बन्ध मे पूरे भोजन के ऊपर कोई व्यय करे। किन्तु अब शिक्षा मत्री को यह अधिकार है कि वह L E.As. से कभी भी बिना किसी बन्धन के इस पर व्यय करने के लिए कहे।

(३) L.E.As. को सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत सबसे बडी स्वाधीनता यह प्राप्त है कि वे लडको और लडकियो की माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध उनकी आयु, योग्यता और रुचि के अनुसार करते है और माता-पिता के आर्थिक साधनों का इस पर कोई प्रभाव नही पडता।

(४) सन् १९४४ के एक्ट ने L E As. को बहुत से नए क्षेत्रो मे भी क्रियाशील बनाया। एक्ट के द्वारा उन्हे यह सुविधा मिली कि वे अनिवार्य विद्यालय आयु से ऊपर के व्यक्तियो के लिए भी धारा ५३ के अनुसार मनोरजन के साधन प्रदान कर सकते हैं। इस सम्बन्ध मे उन्हे खेल के मैदान, व्यायामशालाये (Gymnasia) और तैरने के तालाब (Swimming baths) इत्यादि स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त है।

(५) इसी प्रकार वे उन बालकों को वस्त्र भी प्रदान कर सकते है जो केवल वेश-भूषा की कमी के कारण शिक्षा से पूरा-पूरा लाभ नही उठा पाते।

(६) उन्हे शिक्षा शिविर, शोधकार्य, वार्षिक और सामयिक सम्मेलनो की भी सुविधा प्राप्त है।

संगठन (Organisation)

प्रत्येक L.E.A. के शैक्षिक कार्य की देख-रेख के लिए शिक्षा समिति होती है। यह शिक्षा समिति (Education Committee) ही L.E.A. की ओर से शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्य सम्पादित करती है।

शिक्षा-समितियों का संविधान—(Constitution of the Education Committee)— शिक्षा समितियो के संविधान की प्रमुख बाते पहले बतलाई जा चुकी हैं। फिर भी उसकी विस्तृत रूपरेखा इस भॉति है:

शिक्षा समिति की स्थापना की योजना L.E.A. द्वारा तैयार की जाती है और मंत्री द्वारा स्वीकृत की जाती है। आकार और सगठन मे इन समितियो मे विभिन्नता पाई जाती है। इनकी साधारण विशेषताये भी एक दूसरे से भिन्न रहती है। उदाहरण के लिए केन्ट (Kent) की शिक्षा समिति मे युद्ध से पहले ४६ सदस्य थे जिनमे १२ सदस्य L.E.A. के निर्वाचित सदस्यों द्वारा विनियुक्त (Co-opted) थे तथा ७ महिलाये थी। ये बारह निर्वाचित सदस्य शिक्षा के विशेष अनुभव तथा स्थानीय अनुभव के आधार पर लिए जाते थे।

साधारणतः सभी शिक्षा समितियों मे सदस्यों की सख्या ३० से ५० तक रहती हैं जिनमें विनियुक्त (Co-opted) सदस्यों की सख्या $\frac{1}{3}$ से $\frac{1}{4}$ तक रहती है। इन सदस्यों में L.E.As. या काउटी कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन

भी होते है। इसका मुख्य कारण यही है कि शिक्षा वहाँ की काउटी कौसिल के कार्यों मे वहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

शताब्दी के प्रारम्भ मे इन शिक्षा समितियो मे विशेषकर ग्रामो मे वहाँ की प्रतिष्ठित और सम्पन्न जनता ही सदस्यता ग्रहण करती थी। यह वर्ग ऐसा था जिसके पास समिति के कर्त्तव्यो को कार्यान्वित करने के लिए समय और साधन दोनों की सुविधा थी। ये सदस्य प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ लगन और ईमानदारी से शिक्षा का कार्य करते थे। आजकल की शिक्षा समितियाँ अधिकाश मे वहाँ के समाज के सभी अगों का मिश्रित प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए, किन्ही भी पाँच सदस्यों के समूह मे, एक राज, एक वकील, एक व्यापारी, एक स्थानीय जमीदार तथा एक रिटायर्ड अध्यापक का होना स्वाभाविक ही है। ये लोग भी आवश्यक समय और धन देकर समितियों की सेवा करते है।

अतिरिक्त सदस्यो की सख्या विभिन्न क्षेत्रों की रचना और वहाँ की सामाजिक आवश्यकताओ पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र मे रोमन कैथोलिक धर्म के मतानुयायी अधिक है, तो वह अपने स्थानो मे एक या एक से अधिक स्थान केवल रोमन कैथोलिक सदस्यो के लिए उपयोग मे ला सकती है। इसी प्रकार शिक्षा सस्थाओ मे भी, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कभी-कभी स्कूल का अध्यापक उसका सदस्य हो जाता है। ये अध्यापक सेवा मे रत और अवकाशप्राप्त दोनो हो सकते है। इसके साथ ही कभी-कभी इन क्षेत्रों मे किसी पब्लिक स्कूल का अवकाशप्राप्त हेड मास्टर अथवा कोई जज या उच्च अधिकारी भी रहता है जो शिक्षा-कार्य के लिए अपना समय तो दे सकता है किन्तु चुनाव मे खडा होना नही चाहता। ऐसे लोगो की सेवाओ से लाभ उठाने के लिए उन्हे निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुन लिया जाता है।

इन विनियुक्त (Co-opted) सदस्यो के सम्बन्ध मे भी कभी-कभी एक भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। लोग उनके पदो और उत्तरदायित्वों को समझने मे गलती करते है। यद्यपि एक बार नियुक्त हो जाने पर वे भी समितियो के उतने ही अनिवार्य और उत्तरदायी सदस्य होते है जितने कि निर्वाचित सदस्य, किन्तु कुछ लोगो की यह धारणा है कि उन्हे निर्वाचित सदस्यो के समान अधिकार न मिलने चाहिए। उनकी राय मे निर्वाचित सदस्यों के समान इन विनियुक्त (Co-opted) सदस्यो की रुचि आर्थिक समस्याओ मे नही हो सकती, क्योकि उन्हे जनता के सामने अपनी सेवाओ का लेखा-जोखा नही देना पडता। किन्तु ऐसी धारणाये कुछ सीमित क्षेत्रों मे ही पायी जाती हैं और निश्चय ही इनके फलस्वरूप विनियुक्त (Co-opted) सदस्यों के साथ न्याय नही हो पाता।

समिति की रचना (Structure of the Education Committee)—सन् १९४४ के एक्ट मे शिक्षा को तीन श्रेणियो मे विभाजित किया गया है—प्राथमिक (Primary), माध्यमिक (Secondary) और अग्रिम (Further)। इनमे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक ही वर्ग मे रक्खी गई है क्योंकि इनका सम्बन्ध पढने वाले छात्रों से है। अग्रिम (Further) शिक्षा इनसे पृथक् समझी गई है; क्योकि इसका सम्बन्ध उन छात्रो से है जो स्कूल छोड चुके हैं। इसी आधार पर शिक्षा मंत्रालय मे इनकी दो शाखाये कर दी गई है—१. विद्यालय शाखा और २. अग्रिम शिक्षा शाखा। L.E.S. की शिक्षा समितियाँ भी अनेक उप-समितियो में विभाजित है।

उदाहरण के लिए वेस्ट राइडिग (West Riding) शिक्षा समिति की दो शाखाये है—१. विद्यालय प्रबन्ध उपसमिति (School Management Sub-Committee) २. अग्रिम शिक्षा उपसमिति(Further Education Sub-Committee) इसी प्रकार कवेन्ट्री(Coventry) L E.A. की शिक्षा समिति की भी दो उपसमितियाँ है। १. विद्यालय प्रशासन उपसमिति (School Government Sub Committee) तथा २. अग्रिम शिक्षा उपसमिति। इसी प्रकार मंत्रालय ने एक्ट की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए और भी शाखाये खोली है। जैसे-विशिष्ट सेवा शाखा (Special Services Branch) । इसके अतर्गत विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा (School Health Service), विद्यालय भोजन और दूध सेवा (School Meals and Milk Service), मानसिक और शारीरिक असुविधा वाले बालको के लिए विशेष विद्यालय (Special Schools for Handicapped Children) तथा बालकों के कल्याण से सम्बन्धित अन्य विषय भी रहते है। इन्ही के अनुरूप शिक्षा-समितियाँ भी अपने कार्यो को अनेक उपसमितियो मे बाँट देती है। प्रमुख उपसमितियाँ इस प्रकार है—विशिष्ट सेवा, सामान्य कार्य (General Purposes), पुस्तकालय स्थिति और इमारत (Sites and Buildings) । चित्र द्वारा इसे यो प्रदर्शित किया जा सकता है—

स्थानीय शिक्षाधिकारी

[L. E. A]

शिक्षा समिति

(Education Committee)

उप-समितियाँ

विद्यालय | अग्रिम शिक्षा | विशिष्ट सेवा | सामान्य कार्य | स्थिति और इमारत | पुस्तकालय

ये स्थायी उपसमितियाँ (Standing Sub-Committees) कहलाती है। ये नियमित रूप से मिलती है। साधारणत. एक महीने मे, कही-कही दो या तीन महीनों मे। कोई-कोई उप-समिति जैसे योजना उप-समिति।(Planning Sub-Committee) केवल आवश्यकता के अवसर पर अपनी सभा करती है। ये उप-समितियाँ शिक्षा समिति की नियमित सभाओ मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

इसके अतिरिक्त विशेष समस्याओं पर ध्यान देने के लिए अधिकांश शिक्षा समितियाँ और उप-समितियाँ विशेष उप-समितियो की नियुक्ति करती है। उदाहरण के लिये यदि स्थिति और इमारत (Sites & Buildings) की स्थायी उपसमिति यह जानना चाहे कि किसी नए स्कूल की स्थापना के लिए उनके क्षेत्र में विभिन्न मौको (Sites) के क्या गुण-दोष है, तो वह एक विशेष उप-समिति (Special Sub-Committee) नियुक्त कर देगी। उसके पाँच या छः सदस्य वहाँ जाकर

सभी दृष्टियों से—जैसे पहुँचने की सुविधा, मार्ग की सुरक्षा, क्षेत्रफल, जल का निकास, प्रकाश और वायु की सुविधा—उस क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और जब स्थिति और भवन समिति की सभा होगी उसमे अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे। कार्य पूरा होने पर ये समितियाँ समाप्त कर दी जाती हैं। भिन्न-भिन्न प्रथाये होते हुए भी सभी शिक्षा-समितियाँ इन उप-समितियों के कार्यों और विचारो का लेखा-जोखा भी रखती है।

सन् १९४४ के एक्ट ने महान परिवर्तन कर दिए है जिनका अनुमान लगाना कठिन है। पर यह निश्चय है कि शिक्षा समितियो का कार्य पहले की अपेक्षा बहुत बढ गया है। जहाँ कही ऐसा होता है शासन मे तटस्थता की प्रवृत्ति आ गई है किन्तु इगलैण्ड के लिए तटस्थता की यह प्रवृत्ति एक ख़तरा ही मानी गई है।

समिति-पदाधिकारी (Committee Officers)—समिति का सबसे बडा अधिकारी उसका चेयरमैन होता है, उसके बाद वाइस चेयरमैन और स्थायी उप-समितियो के चेयरमैन होते है। ये सब अवैतनिक होते है। वैतनिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मुख्य शिक्षाधिकारी (Chief Education Officer) होता है।

चेयरमैन—शिक्षा समिति के सभी सदस्य समिति का अधिकाश कार्य नही करते। वास्तव मे लगभग एक-तिहाई सदस्य ही कार्यभार सँभालते हैं क्योंकि इसके लिए योग्यता, रुचि और समय तीनो की आवश्यकता होती है और साधारणतया सदस्यो मे किसी न किसी का अभाव बना ही रहता है। कोई भी अच्छा चेयरमैन किसी एक सस्था का ही चेयरमैन नही होता। वह एक साथ शिक्षा समिति, अर्थ और नीति समिति (Policy and Finance Committee), स्थायी उप-समिति (Standing Sub-Committee) और प्रांतीय युवक समिति (Country Youth Committee) इत्यादि अनेक समितियो का चेयरमैन हो सकता है। ऐसी दशा मे वह किसी एक समिति में अपना पूरा सहयोग और समय नही दे पाता। किन्तु फिर भी प्रत्येक समिति और उप-समिति उसे अपना अध्यक्ष या सदस्य बनाने के लिए इच्छुक रहती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि ये चेयरमैन प्रतिष्ठित, अनुभवी और विशिष्ट योग्यता के व्यक्ति होते हैं।

मुख्य शिक्षाधिकारी (Chief Education Officer)—पहले मुख्य-शिक्षाधिकारी की नियुक्ति विभिन्न दिशाओं से होती थी। किन्ही-किन्ही दशाओ मे वे सन् १९०२ के पूर्व पाये जाने वाले स्कूल बोर्डो के क्लर्कों मे से थे। इनकी कोई विशेष योग्यता न होती थी फिर भी इनकी सेवाये अनुभव के आधार पर मूल्यवान समझी जाती थी। कुछ मुख्य शिक्षाधिकारी पहले की टेकनिकल इस्ट्रक्शन कमेटी के कर्मचारी होते थे। इनमे ऊँची शिक्षा और विशेष योग्यता वाले व्यक्ति भी थे। एक तीसरी श्रेणी के वे मुख्य शिक्षाधिकारी थे जो शिक्षा समितियो के बनने के बाद उत्पन्न हुए। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों से आने के कारण इन मुख्य शिक्षा अधिकारियों (Chief Education Officers) की योग्यता, रुचि और अनुभव मे वैषम्य था। फिर भी इनमे कुछ बडे प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे सर ग्राहम बैलफूर, सर फिलिप मॉरिस, सर जार्ज गेट्स इत्यादि हो गए है।

सन् १९४४ के एक्ट के बाद शिक्षा-समितियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जिन उम्मीदवारों की इस पद के लिए संस्तुति (recommendation) करे उनकी योग्यता, अनुभव इत्यादि का पूर्ण विवरण मंत्री महोदय के पास भेजें। मंत्री के

अनुमति देने पर ही नियुक्ति सम्भव है। इसका आशय यह है कि कोई भी मुख्य शिक्षाधिकारी बिना आवश्यक योग्यता के नियुक्त नही हो सकता।

उसके कार्य (His functions)—मुख्य शिक्षाधिकारी का कार्य शिक्षा-समिति के सम्मुख निर्णय के लिए प्रश्न रखना, उन निर्णयो का लेखा रखना तथा उन्हे कार्यान्वित करना है। उससे यह भी आशा की जाती है कि वह उचित परामर्श दे। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र मे उसका पूर्व अनुभव भी आवश्यक होता है। फिर भी अभ्यास मे इसका उपयोग अलग-अलग L.E.As मे अलग-अलग ढग से होता है। जिस प्रकार शिक्षा-परिषद् को सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) को वे अधिकार प्राप्त न थे जो शिक्षा मत्रालय की परामर्शदात्री समिति (Advisory Council)को प्राप्त है, इसी प्रकार कही-कही तो मुख्यशिक्षाधिकारी को तब तक सलाह नही देनी पडती जब तक उससे पूछा न जाए और कही-कही उसे इस बात के लिए उत्साहित किया जाता है कि वह शिक्षा के लिए नई-नई बातो का सुझाव समिति के सम्मुख रक्खे। दो महायुद्धो के बीच के समय मे यह प्रवृत्ति इतनी अधिक प्रचलित थी कि सरकारी तौर पर मुख्य शिक्षाधिकारी को कही-कही डाइरेक्टर और कही-कही सेक्रेटरी के पद से सम्बोधित करते थे। सन् १९४४ के पूर्व शिक्षा समिति और मुख्य शिक्षाधिकारी के पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्तिगत योग्यता अनुभव और प्रभाव पर निर्भर थे क्योंकि इनकी नियुक्ति अलग-अलग क्षेत्रो से होती थी। आगे चलकर यहा वहाँ की परम्पराये बन गई। किन्तु आज प्रश्न यह है कि क्या मुख्य शिक्षाधिकारियो के पास बहुत अधिक अथवा बहुत कम अधिकार है। एक बात निश्चित है कि यह विभिन्नता और वैषम्य तो मानव सम्बन्धो पर निर्भर होने के कारण स्वाभाविक है और उसे एकरूपता (Standardise) देने का प्रयत्न निश्चित रूप से असफल होगा।

उसके सहायक—L E As के व्यापक कार्य क्षेत्र को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि किसी भी L.E A. का मुख्य शिक्षाधिकारी बिना पर्याप्त निरीक्षको और परामर्शदाताओ (advisers) की सहायता के कमेटी का काम ठीक ढग से नही कर सकता। उदाहरण के लिए वेस्ट राइडिग काउन्टी मे १ लाख बालक एक दिन मे भोजन (canteen dinner) करते है। लगभग दो लाख छात्र दूध पीते है। लगभग ४०,००० व्यक्ति युवक सघ मे होते है। इस प्रकार एक वर्ष मे लगभग बीस लाख पौण्ड खर्च होता है[1]। यह सब एक मुख्य शिक्षाधिकारी की देख-रेख मे होता है। सन् १९४४ के एक्ट द्वारा शिक्षा का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि मुख्य शिक्षाधिकारी के नीचे काम करने वाले समिति के कर्मचारियो की सख्या दुगनी और तिगुनी हो गई है। इस प्रकार अधिकांश मुख्य शिक्षाधिकारियो के मुख्य सहायक (Chief assistants) होते है जो उप-मुख्य शिक्षाधिकारी (Deputy Chief Education Officer) कहलाते है। इसी प्रकार अलग-अलग उपसमितियो के अलग-अलग प्रधान होते हैं जो सहायक मुख्य शिक्षाधिकारी (Assistant Chief Education Officer) कहलाते है जैसे स्कूल गवर्नमेंट, अग्रिम शिक्षा, नवयुवक सेवा इत्यादि। इसके अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम शिक्षा (Physical Education), सगीत और कला के लिए विशेष सयोजक (Special Organisers) भी होते है।

1 देखिए West Riding : *Ten years of Change*, pp 154 178.

स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों का अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध—दूसरी सस्थाओं से L.E.As. का सम्वन्ध एक विस्तृत विषय है। यहाँ हम केवल क्षेत्रीय कार्यकारिणियों पर विचार करेंगे। यद्यपि बहुत सी L.E.As ऐसा नही करना चाहती थी किन्तु लगभग सभी L E.As ने अब इनकी स्थापना कर दी है। इनके मतानुसार क्षेत्रीय कार्यकारिणियाँ (Divisional Executives) तो सन् १९०२ के Act द्वारा उत्पन्न तृतीय भाग अधिकारियों (Part III Authorities) की भाँति असतुष्ट वर्ग को सतुष्ट करने का एक राजनीतिक उपाय मात्र है। वे बहुत खर्चीली है और अपने अलग कर्मचारीगण रखती हैं। स्कूलो और L.E.As. के बीच वे एक अतिरिक्त बाधा के रूप मे ही दिखाई पड़ती हैं सुविधा के रूप मे नही। दूसरे शब्दो मे उनके द्वारा सम्पादित कार्य उनके न होने से अधिक अच्छे ढंग से हो सकता था। किन्तु यह मत एक बडा अनुदार मत है और अधिकांश जनता इससे सहमत नही।

यह तो निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक L.E.A. का अपने क्षेत्रीय स्कूलों से निकटतम सम्वन्ध आवश्यक है। पर यदि इस घनिष्ट सम्पर्क का कोई दूसरा साधन न हो तो क्षेत्रीय कार्यकारिणियो (Divisional Executives) के बिना कार्य नही चल सकता। वस्तुत प्रधान कार्यालय के कर्मचारियो की सहायता लेकर वे अपने क्षेत्रों मे शिक्षकों को नियुक्ति, स्थानीय क्षेत्रो का नए स्कूलो के लिए निरीक्षण, बच्चों के आने-जाने का प्रबन्ध तथा अन्य अनेक कार्य सुविधापूर्वक करती हैं। इतना ही नही अपने कर्त्तव्य के पालन मे उन्हे दोनो ओर का ध्यान रखना पडता है। एक ओर उन्हे L E.A. की सामान्य शिक्षा की नीति का पालन करना पडता है, तो दूसरी ओर उन्हे स्कूलो के मैनेजरो और गवर्नरो के दृष्टिकोण का भी ध्यान रखना पडता है। उनकी उपयोगिता कहाँ तक है इसका उत्तर तो समय देगा पर उनका यह तर्क न्यायसगत है और जनता को अपील करता है कि L E.As का अपने क्षेत्रों की विभिन्न दशाओ से सम्पर्क बनाए रखने के लिए उनकी बडी आवश्यकता है।

स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारी-संघ (Association of Local Education Authorities)–अधिकांश L.E.As. ने अपने आपको राष्ट्रीय सघ के रूप मे सगठित करना उपयोगी पाया है। इस प्रकार के सघ निम्नलिखित हैं—County Council Association (प्रान्तीय परिषद् सघ), Association of Municipal Corporations (नगर-निगम-सघ), Association of Education Committees (शिक्षा-समिति-सघ) इत्यादि। ये सघ सामान्य नीति के निर्धारण और उसके प्रयोग की रीतियों पर सामूहिक रूप से विचार करते हैं। इतना ही नही ये सामूहिक रूप से एक ओर शिक्षा मत्रालय और दूसरी ओर शिक्षक सघो से मिल कर सम्पूर्ण देश की शिक्षा मे विद्यमान राष्ट्रीय नीति के विभिन्न रूपों पर विचार करते हैं। यद्यपि सन् १९४४ के एक्ट द्वारा इन संघों को कोई विशेष अधिकार प्रदान नही किए गए किन्तु पारस्परिक सहयोग की भावना से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को चलाने मे इनका बहुत बडा हाथ है। इन सघों की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित कुछ बडे रोचक तथ्यों का निरूपण प्रसिद्ध शिक्षा-इतिहासकार डा० डब्ल्यू० पी० एलेकजेन्डर (Dr. W.P. Alexander) ने अपनी पुस्तक Education in England के 'The National System, How it works.' नामक अध्याय मे किया है। देखिए पृष्ठ २४ से २७ तक।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा | ५

(Primary and Secondary Education

सन् १९४४ के एक्ट मे शिक्षा के तीन स्तरो का वर्णन किया गया है—प्राथमिक, माध्यमिक और अग्रिम या आगे की शिक्षा(Further Education)। प्राथमिक शिक्षा ११ वर्ष तक के बालको के लिए, माध्यमिक शिक्षा ११ वर्ष से १७ वर्ष तक के बालको के लिए और अग्रिम शिक्षा अनिवार्य विद्यालय आयु से लेकर १९ वर्ष तक की आयु के वालकों के लिए मानी गई है।

आँकडों की दृष्टि से सन् १९४७, १९४९, १९५१ और १९५३ में प्राइमरी स्कूलो की सख्या क्रमशः १४८४७, १६११३, १७४७०, और १८७६१ थी। इसी प्रकार सेकेडरी या माध्यमिक स्कूल ४५४३, ४६८०, ४८४७ और ४९७६ थे। इस प्रकार दोनो प्रकार के स्कूलों मे प्रगति मालूम पडती है। किन्तु माध्यमिक स्कूलो की और छान बोन से ज्ञात होता है कि यह वृद्धि सेकेंडरी मॉडर्न स्कूलो मे अधिक हुई है। इनको सख्या ३०१९ से बढ़कर ३४२३ हो गई। इस सख्या मे वृद्धि का कारण जहाँ एक ओर जन संख्या का बढ़ना है वहाँ दूसरी ओर सर्व-आयु-विद्यालय(All Age Schools) की सख्या मे कमी भी है। ये विद्यालय सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व शिशु स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक की सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान किया करते थे। इनकी शिक्षा का स्तर सतोषजनक न था। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व माध्यमिक शिक्षा सब के लिए समान रूप से व्यवहार मे सुलभ न होने के कारण इनकी उन्नति होती गई। अंतत. १९४४ के एक्ट द्वारा ये अवैध घोषित कर दिए गए। अतः इनकी संख्या ८७५५ से घट कर ४५८८ ही रह गई। इस प्रकार ये स्कूल घट कर एक ओर प्राइमरी तथा दूसरी ओर सेकेंडरी स्कूलों मे बदल गए जिनमे सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल का विशेष हाथ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व इगलैण्ड मे दो प्रकार के विद्यालय पाए जाते थे—प्रारम्भिक (Elementary) और माध्यमिक (Secondary)। पर ये दोनो शब्द शिक्षा के दो स्तरों के सूचक न होकर दो विभिन्न प्रकार की शिक्षा के सूचक थे। सन् १९२१ के शिक्षा अधिनियम की ४२वी धारा के अनुसार 'एक सार्वजनिक प्रारम्भिक विद्यालय (Public Elementary School) जिसमे पढ़ने वाला बालक कानून के अनुसार पढ़ाई, लिखाई और गणित (Three Rs) मे उत्तम, प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करता है।' यद्यपि कानून की दृष्टि मे एक सार्वजनिक प्रारम्भिक विद्यालय (Public Elementary School) का यही स्थान था पर व्यवहार मे उसका कार्य क्षेत्र कही अधिक था उसका मुख्य उद्देश्य निश्चय ही प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना था किन्तु उसमे ५ वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक की आयु के बालक पढते थे। यह आयु सीमा प्रारम्भिक शिक्षा की अतिम आयु सीमा न होकर अनिवार्य शिक्षा की ही अंतिम आयु थी। कहने का तात्पर्य यह कि एक एलीमेण्ट्री स्कूल मे ११ वर्ष से अधिक आयु वाले वे बालक भी पढ़ते थे जिन्हें पढ़ाई, लिखाई और

गणित (Three Rs) के स्थान पर उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओ को ध्यान मे रख कर अन्य विषय पढाना आवश्यक हो गया था। अत इन्हे माध्यमिक विद्यालयो के विषय पढ़ाये जाते थे।

एक सेकेंडरी स्कूल या माध्यमिक विद्यालय वह स्कूल था जो प्रारम्भिक को छोड कर उच्च प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता था[1]। आज के ढाँचे मे हम उसे ग्रामर स्कूल की श्रेणी मे ले सकते है। इन माध्यमिक स्कूलो मे प्रवेश के दो ढग थे। या तो इनमे वे बालक प्रवेश पाते थे जो ११ वर्ष की आयु होने पर अपनी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति पर Special Place Examination (विशेष स्थान परीक्षा) मे बैठने थे और उसमे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते थे अथवा केवल ऐसे बालक इन स्कूलो मे प्रवेश के अधिकारी थे जिनके माता-पिता वहाँ की आवश्यक फीस दे सकते थे और व्यय का भार उठा सकते थे। कहने का तात्पर्य यह कि सिद्धान्त मे सार्वजनिक होते हुए भी माध्यमिक शिक्षा सब बालको के लिए सुलभ न थी। इन स्कूलो मे कही १६, कही १७ और कही १८ वर्ष तक के बालक पढते थे।

एक प्रारम्भिक विद्यालय इनकी तुलना मे निश्चित रूप से एक निचले स्तर का विद्यालय था। यही कारण था कि सन् १९२६ मे सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) की रिपोर्ट मे एलीमेंट्री स्कूलो मे पढने वाले बडे लडके और लडकियो के लिए एक नए प्रकार के स्कूलो की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। यही स्कूल आगे चलकर सेकेंडरी माडर्न स्कूल कहलाए। यद्यपि वैधानिक रूप मे ये अब भी प्रारम्भिक विद्यालय नियमो (Elementary School Regulations) के अतर्गत थे, कमेटी के सदस्यो की राय मे 'वे' किसी भी प्रकार—न तो स्थान और न सज्जा (equipment) की दृष्टि से—एक सेकेंडरी ग्रामर स्कूल से हीन न समझे जाने चाहिए।'[2]

हैडो रिपोर्ट और उसकी प्रतिक्रिया (Hadow Report and its reactions)—सन् १९१८ के एक्ट द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयो मे ११ वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश की गई और L E.As. से इन्ही एलीमेन्ट्री स्कूलो मे सेंट्रल कक्षाये या सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए कहा गया। सन् १९२४ मे बोर्ड ऑफ एजूकेशन ने इस सिफारिश के औचित्य पर विचार करने तथा सेंट्रल स्कूलो और कक्षाओं की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए सर हेनरी हैडो की अध्यक्षता मे सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) की एक विशेष बैठक बुलाई। इसकी रिपोर्ट सन् १९२६ मे Education of the Adolescent के नाम से प्रकाशित हुई। अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा तो सब के लिए उपलब्ध थी किन्तु माध्यमिक शिक्षा केवल उन बालको के लिए सुलभ थी जो या तो विशेष प्रतिभावान थे अथवा जो आर्थिक साधनो से सम्पन्न थे। सन् १९४४ के एक्ट ने दोनो दिशाओ में—प्राइमरी और सेकेंडरी-शिक्षा की पूर्ति की। फलस्वरूप पुराने एलीमेन्ट्री स्कूल जिनमे प्रारम्भिक होते हुए भी १४ वर्ष तक के बालक पढते थे और जो सर्व-आयु-विद्यालय (All Age Schools) कहलाते थे पर्याप्त सख्या

---

१. देखिए *The Structure of English Education* by Roger Armfelt पृष्ठ ५९।

२ देखिए *Education of Adolescent* पृष्ठ १७८ प्रकाशक H.M.S O. London

मे कम हो गए। फिर भी ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुए है। सन् १९५३ की शिक्षा मत्री की रिपोर्ट के अनुसार २८,७७८ प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों मे ४५८८ स्कूल अब भी All Age Schools है।[१] इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार शिक्षा मे जो नए नाम समाविष्ट हुए है उनमे केवल ऊपरी परिवर्तन नही है। व्यावहारिक शब्दो के मूल अर्थ मे हा परिवर्तन हो गया है। रोजर आर्मफेल्ट (Roger Armfelt) के शब्दों मे—

'The heading to section 7 of the Act. of 1944—'The Three Stages of Education'—may strike us today as simple and logical it actually grew out of something much less logical—something which reflected an entirely different conception of the function of the state in education.'[२] अर्थात् 'सन् १९४४ के एक्ट की सातवी धारा का शार्षक 'शिक्षा के तीन स्तर' आज हमे भले ही सरल और न्याय सगत प्रतीत हो किन्तु उसकी उत्पत्ति और विकास कुछ ऐसी परिस्थितियों मे हुआ है जिन्हे हम बहुत अधिक न्यायोचित नहीं कह सकते। वे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ है जो शिक्षा के प्रति राज्य के कर्त्तव्यो की बिल्कुल दूसरी विचारधारा हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। इसे समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम यह जाने कि किस प्रकार सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व प्रचलित प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा (Elementary and Higher education) प्राथमिक (Primary), माध्यमिक (Secondary) और अग्रिम (Further) शिक्षा द्वारा विस्थापित कर दी गई।

१९वीं शताब्दी शिक्षा

ग्रामर स्कूल वास्तव मे वे स्कूल थे जो १६वी शताब्दी मे विशेष रूप से लैटिन पढाने के लिए खोले गए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार ट्रेवेलियन (Trevelyan) के शब्दो मे—

'Before the Greek and Ciceronian Renaissance reached our island at the end of the fifteenth century, secondary education, from aristocratic Winchester and Eton downwards, was based on the teaching of Latin—Vergil, Ovid, and some Christian authors.'[३]

इससे स्पष्ट है कि यूनानी और रूमी सांस्कृतिक क्रान्ति के इगलैण्ड पहुँचने के पूर्व भी इगलैण्ड मे माध्यमिक शिक्षा का मुख्य आधार लैटिन भाषा ही थी। इसी सम्बन्ध मे उसका और भी कथन है—

'Boys in the grammar schools wrote Latin verse and prose compositions and stood up in the class to translate Latin authors into English-already the universal medium of instruction.'[४] अर्थात् ग्रामर स्कूलों के विद्यार्थी लैटिन कवितायें लिखते, लैटिन निबन्ध लिखते, कक्षा मे खडे होकर लैटिन के लेखकों का अनुवाद अग्रेजी मे करते। कुछ ग्रामर स्कूलो मे फ्रेंच

---

१ *Annual Report of the Minister* 1953 पृष्ठ ७१ प्रकाशक H.M S O London.

२ देखिए *Structure of English education* पृष्ठ ६० Cohen and West.

३ देखिए *English Social History* पृष्ठ ७५ प्रकाशक Longmans.

४ देखिए *English Social History* पृष्ठ ७५ प्रकाशक Longmans.

भाषा भी पढ़ाई जाती थी किन्तु स्कूल के बाहर निश्चित रूप से छात्र लैटिन छोड कर किसी अन्य भाषा का प्रयोग न कर सकता था। सन् १८०५ मे चैन्सरी के न्यायालय (Court of Chancery) मे निर्णय देते हुए लार्ड एल्डन (Lord Eldon) ने डा० जॉन्सन को यह परिभाषा स्वीकार कर ली कि 'ग्रामर स्कूल वह स्कूल है जहाँ व्याकरण को सहायता से विद्वत् भाषाये पढायी जाये।' इनके सम्बन्ध मे दो विशेषताये प्रमुख है—१ इनमे अधिकाश सम्पन्न घरानो के या विशेष प्रतिभा वाले बालक पढते थे। २ वे विश्व-विद्यालय के मुख्य भोजन-द्वार थे। उनके छात्र ही विश्वविद्यालयो मे प्रवेश पाते थे। सन् १८६४ई० मे सरकार की ओर से विद्यालय जाँच कमीशन (School Enquiry Commission) जिसे टान्टन कमीशन (Taunton Commission) भी कहते है—विठाया गया। इस कमीशन का प्रमुख कार्य ऐसी शिक्षा की जॉच-पडताल थी जो न तो इटन (Eton) और हैरो (Harrow) स्कूलो के समान पब्लिक स्कूलो के अतर्गत आती थी और न प्रचलित शिक्षा अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करती थी। इस प्रकार इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य ऐसी शिक्षा की जॉच थी जो ग्रामर स्कूलो मे दी जा रही थी। ये स्कूल केवल कुछ बालको की शिक्षा की पूर्ति करते थे। साथ ही यह भी देखा गया कि अधिकाश स्कूलों मे दी जाने वाली शिक्षा प्रारम्भिक स्कूलो मे दी जाने वाली शिक्षा से वहुत कम भिन्न थी। साथ ही ऐसे वहुत से एलीमेन्टी स्कूल थे जिनमे पर्याप्त मात्रा मे ११ वर्ष से अधिक आयु वाले वालक रोक लिए जाते थे और उन्हे तीन आर (Three Rs) के साथ-साथ इतिहास, भूगोल, प्रारम्भिक विज्ञान इत्यादि विषय भी पढाये जाते थे। दूसरी ओर शिशु-विद्यालयो (Infant Schools) मे एक नितान्त पृथक् पाठ्यक्रम का अनुसरण होता था जिसकी प्रेरणा का स्रोत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen) था। इस प्रकार १९वी शताब्दी के उत्तर मध्य काल का शिक्षा का वातावरण एक बडी अराजकता और कुव्यवस्था का वातावरण था जिसकी दो स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट थी—

(१) इस युग मे पाए जाने वाले ग्रामर स्कूलो का स्तर बहुत कुछ गिर चुका था। अधिकाश ग्रामर स्कूल शिक्षा के उच्च आदर्शो को नही निभाते थे।१

(२) एक बहुत बडी सख्या मे ऐसे प्रारम्भिक विद्यालय (Elementary schools) भी थे जो अपने कर्तव्य का पालन नही कर रहे थे। ५ से ११ वर्ष तक की शिक्षा देने के स्थान पर जिसमे शिशु विद्यालय और प्रारम्भिक शिक्षा दोनो का पाठ्यक्रम सम्मिलित था वे ८ से १४ वर्ष तक के बालको को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। इसमे ८ से ११ वर्ष तक प्रारम्भिक शिक्षा और ११ वर्ष से १४ वर्ष तक के वालकों को माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था।

इस प्रकार जहाँ शिशु विद्यालयों (Infant schools) के अभाव मे इन एलीमेन्ट्री स्कूलो को उचित स्तर के बालक न मिल पाते थे, ये उच्च शिक्षा के लिए बडे विद्यार्थियो की रोक कर उसकी पूर्ति करते थे जब कि उनके बिना इनका

१ देखिए G.M. Trevelyan द्वारा लिखित *English Social Histroy* पृष्ठ ५१९—

'. . . and finally the old endowed Grammar Schools many of which had decayed through the negligence and corruption characteristic of public institutions in the Eigheenth Century.'

काम सरलता से चल सकता था। ऐसी दशा मे शिक्षा के प्राथमिक (Primary) और माध्यमिक स्तरो का स्वप्न बहुत दूर था। चित्र के आधार पर इसे इस प्रकार समझिए—

शिशु विद्यालय (Infant School on Robert Owens Pattern)	प्रारम्भिक विद्यालय (Elementary School)	ग्रामर स्कूल (Grammar School)
५–८ वर्ष	८–११ वर्ष	११–१४ वर्ष

(अ) = ५–८ वर्ष तथा ८–११ वर्ष

(ब) = ८–११ वर्ष तथा ११–१४ वर्ष

प्रारम्भिक शिक्षा का क्षेत्र—कोष्ठ (अ) ५ वर्ष से ११ वर्ष तक।

प्रारम्भिक शिक्षा का व्यावहारिक क्षेत्र—कोष्ठ (ब) ८ वर्ष से १४ वर्ष तक।

सर्व प्रथम ग्लैडस्टन (Gladstone) के प्रधान मंत्रित्व में सन् १८७० ई० मे डब्ल्यू० ई० फॉर्स्टर (W. E Forster) ने शिक्षा अधिनियम द्वारा शिशु-विद्यालयों (Infant Schools) की स्थायी व्यवस्था की। अब वे भी प्रारम्भिक शिक्षा के अतर्गत आने लगे फिर भी ये एलीमेन्ट्री स्कूल कुछ और वर्षो तक उच्च शिक्षा मे अपने प्रयोग करते रहे। अब एलीमेन्ट्री स्कूलों के दो रूप हो गए—(१) जूनियर एलीमेन्ट्री स्कूल जिनमे ५ वर्ष से ११ वर्ष तक के बालक पढाए जाते थे। (२) हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री स्कूल जिनमे ८ वर्ष से १४ वर्ष तक के बालक पढाए जाते थे। ये हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री स्कूल (Higher Grade Elementary School) यद्यपि नाम के लिए एलीमेन्ट्री थे किन्तु वस्तुत इन्हें सन् १९४४ के बाद वाले सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल का अग्रदूत कहा जा सकता है। ये न तो संख्या मे कम थे और न इनके छात्र विश्वविद्यालय मे प्रवेश ही पाते थे। ये सब प्रयोग सन १९०० ई० मे कॉकर्टन जजमेंट (Cockerton Judgment) द्वारा समाप्त कर दिए गए। इसके अनुसार स्थानीय करों द्वारा किसी भी प्रकार की माध्यमिक (उच्च) शिक्षा को सहायता नहीं दी जा सकती थी। G. M. Trevelyan के शब्दों मे—

'In 1900 the Law Courts decided, in the famous Cockerton Judgment, that the rate payer's money could not be spent on any form of secondary or higher education, under the terms of the Act of 1870.'

बीसवीं शताब्दि में शिक्षा:—

सन् १९४४ ई० के पूर्व—सन् १९०२ ई० मे वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव पडी। इसका श्रेय प्रसिद्ध जन सेवक सर रॉबर्ट मोरान्ट (Sir Robert Morant) को है। उसके प्रयत्नो के फलस्वरूप सन् १९०२ ई० मे बैलफूर शिक्षा अधिनियम (Balfour Education Act) पास हुआ।[२] इसके आधार पर सेकेंडरी और

१ देखिए *English Social History* by G.H.Trevelyan (Longmans) पृष्ठ ५८१।

२ देखिये *English Social History* by G.N. Trevelyan (Longmans) पृष्ठ ५८२।

एलीमेन्ट्री दोनों शिक्षाओं को अलग-अलग परिभाषायें कर दी गई। सेकेंडरी शिक्षा का तात्पर्य ग्रामर स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा से हुआ और एलीमेन्ट्री शिक्षा का तात्पर्य था, निश्चित रूप से ११ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा। इस एक्ट के निर्णय का पहला उल्लघन सन् १९१८ के फिशर एक्ट द्वारा हुआ। इस एक्ट की दूसरी धारा में L E As को यह आदेश हुआ कि—'व या तो स्वय सेन्ट्रल स्कूल, अथवा सेन्ट्रल या विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करें या उसकी सुचारु और उपयुक्त व्यवस्था में सहायता दें ताकि (१) पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूलों के पाठ्यक्रम में उचित स्तरों पर बालकों की आयु, योग्यता और आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए प्रायोगिक शिक्षा (Practical instruction) का समावेश हो। (२) पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूलों में १४ वर्ष की आयु के बाद रुकने वाले बालकों तथा अन्य बड़े और प्रतिभाशाली बालकों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सके।

ये ही व्यवस्थायें सन् १९२१ के एजूकेशन एक्ट की २०वीं धारा में भी सम्मिलित कर ली गई और इस प्रकार L E As प्रायोगिक विषयों के पाठ्यक्रम में भी परीक्षण करने लगे। सन् १९२४ में जब सर हेनरी हैडो की अध्यक्षता में सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) से कहा गया कि 'वह ऐसे बालकों की शिक्षा पर विचार करे जो पंद्रह वर्ष की आयु तक माध्यमिक विद्यालयों को छोड़ कर अन्य प्रकार के विद्यालयों में पूरे समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं' तो उसका सीधा तात्पर्य केवल यह था कि यह कमेटी यह पता लगाये कि सन् १९१८ के शिक्षा अधिनियम की दूसरी धारा का पालन किस रूप में हो रहा है। इस कमेटी की रिपोर्ट थी कि इन बालकों की शिक्षा के लिए एक नए प्रकार के स्कूलों की स्थापना की जाए। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। यही स्कूल आगे चल कर मॉडर्न स्कूल कहलाये। किन्तु मॉडर्न स्कूल के मूल रूप को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस रिपोर्ट की यह भी सम्मति थी कि ११ वर्ष के बाद प्राइमरी शिक्षा समाप्त समझी जानी चाहिए। इसके बाद शिक्षा का दूसरा स्तर आरम्भ होना चाहिए जिसे यथा सम्भव अत तक एक पूर्ण इकाई ही मानना चाहिए। इसी के अतर्गत विविध प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था आई। जैसे—

(१) ग्रामर स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा जिसे अभी तक सेकेंडरी या माध्यमिक शिक्षा कहा जाता था।

(२) मॉडर्न स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा।

(३) एलीमेन्ट्री स्कूलों में बड़े लड़के और लड़कियों के लिए अलग से की हुई शिक्षा की व्यवस्था।

सब बालकों को दोनों स्तरों की शिक्षा का अवसर समान रूप से दिया गया।

पर इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यही थी कि देश में पाए जाने वाले जूनियर टेकनीकल स्कूल माध्यमिक शिक्षा से अलग समझे गए। लेकिन बारह वर्षों के उपरान्त सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) का ध्यान इस ओर फिर गया। सर विल स्पेन्स (Sir Will Spens) की अध्यक्षता में यह कमेटी एक बार फिर मिली और उसने अपनी सम्मति इस रूप में प्रकट की—

'We recommend that the three types of secondary schools attended by children over the age of 11, which we have named

Modern Schools, Grammar Schools following the lead of the former committee) and Technical High Schools (a new description) should be administered under a new code of Regulations for Secondary Schools.[1]

इस प्रकार कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि माध्यमिक स्तर पर लाए जाने वाले तीनों प्रकार के स्कूल माध्यमिक स्कूलों के नव-निर्मित विधान और नियमावली द्वारा प्रशासित होने चाहिए। इनमें पहले से चले आने वाले ग्रामर स्कूल, हैडो कमेटी द्वारा संस्तुत (Recommended) मॉडर्न स्कूल तथा विल (Will) कमेटी द्वारा संस्तुत टेकनिकल हाई स्कूल सभी सम्मिलित थे। यह नया दृष्टिकोण अब पूर्णतया विकसित हो गया है और सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत L.E As को सब प्रकार के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था और प्रबन्ध की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है।

१ देखिए *Secondary Education* पृष्ठ ३७७ H.M.S.O. द्वारा प्रकाशित

६ प्राथमिक विद्यालय
(The Primary School)

सन् १९४४ के एक्ट की ११४वी धारा मे जो स्कूल प्राइमरी शिक्षा दे उसे प्राइमरी स्कूल कहा गया है। सन् १९४८ के एक्ट की तीसरी धारा के अनुसार प्राइमरी शिक्षा का अर्थ है ११–१२ वर्ष तक की पूरे समय की शिक्षा। इस शिक्षा को प्रदान करने वाले निम्नलिखित स्कूल हैं—

(१) नर्सरी स्कूल—उन बच्चो के लिए जो पॉच वर्ष से कम आयु के है।

(२) इन्फैन्ट स्कूल या शिशु विद्यालय—पॉच वर्ष से सात वर्ष तक के बालको के लिए।

(३) जूनियर स्कूल—सात वर्ष से बारह वर्ष तक के बालको के लिए।

(४) इन्फैन्ट एण्ड जूनियर स्कूल—पॉच वर्ष से १२ वर्ष तक के बालको के लिए। प्राथमिक शिक्षा के अतर्गत नर्सरी, इन्फैन्ट और जूनियर ये तीन प्रकार के विद्यालय है जो एक ओर बालक के क्रमश विकास के सहायक है, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक परम्पराओ और पाठ्यक्रमो की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भी है।

नर्सरी स्कूल

सन् १९०७ मे शिक्षा परिषद् (Board of Education) ने अपनी सम्मति-दायिनी समिति (Consultative Committee) को यह आज्ञा दी कि वह पॉच वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए स्कूल की आवश्यकताओ पर विचार करे। समिति ने पर्याप्त खोज और विचार विमर्श के उपरान्त यह रिपोर्ट दी कि यद्यपि औद्योगिक जिलो (Industrial Districts) मे ऐसे स्कूलो की आवश्यकता है किन्तु वह इसके विरुद्ध है कि बालको की अनिवार्य विद्यालय आयु मे सर्व साधारण के लिए कुछ कमी कर दी जाए। दूसरे शब्दो मे जनता के अधिकाश बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा आयु पॉच से १२ वर्ष ही मानी जाए।

नर्सरी शिक्षा के इतिहास मे मैकमिलन बहनों का नाम अमर है। वस्तुत: इन्ही के अनवरत परिश्रम और अथक उत्साह के फलस्वरूप इंगलैण्ड मे नर्सरी शिक्षा का आरम्भ हुआ। सन् १९११ ई० मे सर्व प्रथम राशेल (Rachel) और मारगरेट (Margaret) नामक दो मैकमिलन (McMillan) बहनो ने डेप्टफोर्ड (Deptford) मे पहले नर्सरी स्कूल की स्थापना की। इसके पश्चात् सन् १९१८ ई० के एजूकेशन एक्ट मे L.E.As. को इस बात का अधिकार दिया गया कि 'वे दो वर्ष से पाँच वर्ष तक के बालकों के लिए नर्सरी स्कूलों या नर्सरी कक्षाओं की व्यवस्था करें अथवा जनता द्वारा होने वाली ऐसी व्यवस्था की सहायता करें क्योंकि इन बालकों के उचित और स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ऐसे वातावरण मे उनकी उपस्थिति आवश्यक है।'

इससे यह सिद्ध होता है कि मैकमिलन बहनों के प्रयत्नों का फल ही सन् १९१८ के फिशर एक्ट के रूप मे हमारे सामने आया जिसमे नर्सरी शिक्षा के लिए

व्यवस्था की माँग की गई। मारग्रेट मैकमिलन पहले ब्रैडफोर्ड स्कूल बोर्ड (Bradford School Board) की सदस्या भी थी और सर्व प्रथम इसी बोर्ड ने स्कूल मेडिकल सर्विस का सूत्रपात किया। उसके बाद उन्होंने बो (Bow) नामक नगर मे सन् १९०८ ई० मे एक स्कूल अस्पताल (School Clinic) की स्थापना की। तभी उन्होंने नर्सरी स्कूल की आवश्यकता का अनुभव किया। व्यवसाय से डॉक्टर होने के नाते बालको के स्वास्थ्य मे उसकी स्वाभाविक रुचि थी। अत. बीमारी को रोकना उसने इलाज से अच्छा समझा। उसने एक खुली छायादार जगह पसन्द की जिसमे वाटिका, घास का मैदान, झाडियाँ और हरियाली सभी उपलब्ध हो। सबसे अधिक वह विस्तृत मैदान के पक्ष मे थी। उसकी इच्छा थी कि छोटे-छोटे शिशु इनमे खूब खेले कूदे और दौडे। इस दृष्टि से इसने रूसो के इस मत का समर्थन किया कि 'जीवन केवल साँस लेने की क्रिया नही है। जीवित रहने का अर्थ है कार्य करना.... अपने शारीरिक अवयवो, इन्द्रियो, प्रतिभाओ सक्षेप मे अपने प्रत्येक ऐसे भाग का सक्रिय उपयोग जो हमे अपने अस्तित्व का आभास देता है।'[1] किन्तु वह इतने से ही सतुष्ट न थी। वह नर्स और शिक्षिका का भी उपयोग करना चाहती थी। इस प्रकार उसकी दृष्टि मे शिशु के स्वस्थ विकास के लिए तीन बाते आवश्यक थी—(१) प्राकृतिक वातावरण (२) मातृ-स्नेह और उसकी देखभाल अर्थात् वह कार्य जो एक नर्स करती है (३) उसके चारो ओर बिखरे ज्ञान के प्रति उसकी सहज जिज्ञासा की पूर्ति जो एक कुशल शिक्षक द्वारा सम्भव है। इस प्रकार नर्सरी स्कूल के शिक्षको मे इन सभी गुणो का समावेश उसने आवश्यक समझा। इस कार्य मे उसे फ्रोबेल और मॉटेसरी के सिद्धान्तो से सहायता मिली। उसने देखा कि स्वय शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। साथ ही उसने इस मत का भी खण्डन किया कि नर्सरी स्कूल केवल गरीबो के बालको के लिए है। उसका विश्वास था कि उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक है चाहे वे गरीब के बालक हो चाहे धनवान के। आयु के सम्बन्ध मे वह रूसो के मत को पूर्ण समर्थक न थी। रूसो के अनुसार 'The most critical interval of human nature is between the hour of his birth and twelve years of age' किन्तु मैकमिलन बहनो ने मानव प्रकृति की सकटकालीन स्थिति १२ वर्ष तक न मान कर जन्म से पाँच वर्ष तक ही मानी।

यद्यपि सन् १९१८ ई० के एक्ट द्वारा L E As को नर्सरी स्कूल सम्बन्धी अधिकार दे दिए गए थे किन्तु व्यवहार मे उनसे बहुत कम लाभ उठाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इगलैण्ड की जनता इस दिशा मे बहुत उत्साहित न थी। शिक्षा परिषद् (Board of Education) के प्रेसीडेट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सन् १९३८ तक L E As द्वारा केवल ४६ तथा स्वेच्छाकृत संस्थाओ voluntary bodies) द्वारा केवल ५७ नर्सरी स्कूल चलाए गए थे। शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की प्रगति को देखते हुए यह नगण्य सी ही थी। सन् १९३९ ई० मे यह सख्या कुल मिल कर १२० हो गई। फिर द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया और इसकी प्रगति

१देखिए Roussean का *Emile* पृ० १३—

'To live is not merely to breathe. It is to act.... to make use of organs, our senses, our faculties, and of all those parts of ourselves which give us the feeling of our exisetnce.

रुक गई। बल्कि सन् १९४६ ई० मे युद्ध समाप्त होते तक इनकी सख्या केवल ९२ रह गई। फिर भी युद्ध काल मे ऐसी नर्सरी सस्थाओ को आवश्यकता अनुभव की गई जहाँ उन बच्चो का ठीक-ठीक लालन-पालन हो सके जिनके माता-पिता युद्ध सेवाओ मे कार्य कर रहे थे। ये नर्सरी सस्थाये कल्याण विभाग (Welfare Authorities) द्वारा प्रबन्धित थी। १ अप्रैल सन् १९४६ ई० को ये सब L.E As. को दे दी गई। फलस्वरूप १ जनवरी सन् १९४७ ई० को L E As. द्वारा प्रबंधित स्कूलो की सख्या ३५३ और स्वैच्छिक सस्थाओ (Voluntary bodies) द्वारा सचालित नर्सरी स्कूलो की सख्या १७ थी।

किन्तु उन्ही गर्मियो मे L E As अपने भवन-निर्माण कार्यक्रम मे पीछे रह गई। इसलिए सरकार ने एक नीति चलाई कि भवन-निर्माण सम्बन्धी सभी साधनो का उपयोग अनिवार्य-विद्यालय-आयु के बालको की शिक्षा के लिए किया जाए जिनकी सख्या उत्तरोत्तर वृद्धि पर थी। इसके अतिरिक्त इन साधनो का उपयोग युद्ध मे गिरे हुए स्कूलो की इमारतो के सुधारने मे किया जाये और शेष सहायता टेकनिकल शिक्षा के प्रसार के लिए दी जाए। इस प्रकार नर्सरी स्कूलो को मिलने वाली भवन-निर्माण सम्बन्धी सहायता बन्द हो गई। इसका कडा विरोध भी किया गया। फलस्वरूप जनवरी सन् १९४८ ई० तक इनकी सख्या ३९८ हो गई। यद्यपि इसके बाद की लगातार वार्षिक रिपोर्टो मे शिक्षा मत्री ने नर्सरी स्कूलो का कोई उल्लेख नही किया और इससे सम्बन्धित अन्य कोई सामग्री हमे उपलब्ध नही है, दस वर्षो बाद ब्रिटिश सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 'At School in Britain' नामक पत्रिका मे नर्सरी स्कूल के सम्बन्ध मे जो वर्णन मिलता है वह इस प्रकार है—

"दो दृष्टियों से नर्सरी स्कूल नवजात शिशु के रूप मे है। प्रथम इसमे पढने वाले बालक बहुत छोटे होते है। इनकी आयु तीन वर्ष से पाँच वर्ष होती है। दूसरे स्वय नर्सरी स्कूल का जन्म बहुत आधुनिक है। जैसा हम पढ चुके है, नर्सरी स्कूल खोलने का विचार सबसे छोटी आयु के बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओ को ध्यान मे रख कर किया गया। दोनो महायुद्धों के मध्य यह आन्दोलन विशेष रूप से विकसित और विस्तृत हुआ, क्योकि यही समय था जब इन शिशुओ की माताये उनके लालन-पालन के स्थान पर अन्य महत्वपूर्ण कार्यो मे लगी थी। आजकल नर्सरी स्कूल का कार्य एक शैक्षिक कार्य समझा जाने लगा है।

इगलैण्ड के केवल २% बालक ही नर्सरी स्कूलों मे जा पाते है। बडे बालकों के लिए स्कूली इमारतो की आवश्यकताओ ने अधिक नर्सरी स्कूल-भवनो के निर्माण मे बाधा उपस्थित की है। बहुत-सी माताये यह चाहती है कि उनके बालक नर्सरी स्कूलों मे जाये, किन्तु इन स्कूलो मे प्रत्येक बालक के लिए पर्याप्त स्थान नही है। एक नर्सरी स्कूल मे क्या बाते वाञ्छनीय है ? क्या पाँच वर्ष के पूर्व किसी बालक को स्कूल भेजना आवश्यक है ? ये दो प्रश्न बहुधा नर्सरी स्कूलो के सम्बन्ध मे किए जा सकते है।

अब इस बात पर व्यापक रूप से विश्वास होता जा रहा है कि बहुत से बालको के लिए नर्सरी स्कूल घर के वातावरण का एक लाभप्रद पूरक माना जा सकता है। वह बालक के सामाजिक विकास मे सहायता पहुँचाता है क्योंकि पाँच वर्ष के पूर्व ही उसे दूसरे बालकों के साथ की आवश्यकता होती है। नर्सरी स्कूल मे वह

सामाजिक जीवन के आदान-प्रदान से परिचित होता है और उसे सहकारी खेलों का आनन्द और संतोष भी प्राप्त होता है।

नर्सरी स्कूल में भी बौद्धिक विकास की कोंपलें भीगने लगती हैं। अनेक ऐसे स्थल, परिस्थितियाँ और क्रियायें होती हैं जहाँ बौद्धिकता को प्रोत्साहन और उत्तेजना मिलती है। विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलना, रूप, रंग और आकारों की तुलना और उनके आधार पर बालक के निकाले हुए अपने निष्कर्ष, ईंटों, पानी, मिट्टी और बालू इत्यादि से खेलना और इस प्रकार इन सामग्रियों की विशेषताओं और गुणों के सम्बन्ध में जानकारी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्येक बालक को घर में नहीं हो सकती। समवयस्क बालकों के साथ अपने दैनिक सम्बन्ध स्थापित करने में, और इस मूल सामग्री के प्रयोग में बालक को अपने उद्वेगों की मुक्ति का अवसर मिलता है। क्रोध, अंतर्द्वन्द्व, भय, ईर्ष्या इत्यादि अनेक ऐसे उद्वेग हैं, जो अवरुद्ध होने पर बालक के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं। नर्सरी स्कूल में उनके स्वाभाविक प्रकाशन के लिए अनेक अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं।

इस प्रकार एक नर्सरी स्कूल में बालक के लिए अनेक ऐसी वस्तुएँ और अवसर सुलभ हैं जिनकी प्राप्ति घर में संभव नहीं। बालक के शारीरिक विकास में भी उसका पर्याप्त हाथ रहता है। अत्यधिक घने बसे हुए नगरों में विस्तृत मैदान और स्वच्छंदतापूर्वक तथा सुरक्षित रूप में खेलने के लिए खेल के मैदान केवल नर्सरी स्कूलों में ही संभव हैं। इसके अतिरिक्त प्रातः होते ही दूध, दोपहर को गरम-गरम खाना जो संतुलित भी होता है और नाना प्रकार का भी—इसकी अन्य विशेषतायें हैं। यह बड़ी अचम्भे की बात ज्ञात होती है कि जो बालक घरों में दूध और भोजन के समय बड़ी चिल्ल-पों मचाते हैं, वे दूसरे बालकों के साथ मिल कर बड़ी प्रसन्नता-पूर्वक खा-पी लेते हैं। किन्तु अत्यंत छोटे शिशुओं के लिए विकास की दृष्टि से विश्राम की भी बड़ी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि नर्सरी स्कूलों में सभी बच्चे दोपहर के समय कुछ घंटे अवश्य सोते हैं।

इधर कुछ दिनों से एक नई पद्धति चल पड़ी है। इसके अनुसार बच्चे आधे दिन तक नर्सरी स्कूल में रहते हैं, शेष आधे दिन घर में। इसके फलस्वरूप एक ओर जहाँ छोटे-छोटे बालक अपनी माताओं से लम्बे समय तक दूर नहीं रहते, दूसरी ओर दुगनी संख्या में इन बालकों को नर्सरी स्कूल की शिक्षा से लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है।

बहुत से शिशु विद्यालयों में नर्सरी कक्षायें भी खोल दी गयी हैं। पर अधिकांश नर्सरी स्कूल अपना अलग ही अस्तित्व रखते हैं। इनमें से जो अत्यधिक आधुनिक हैं उनमें बड़े सुन्दर और आकर्षक ढंग का फरनीचर, स्नानागार, शौचालय, विश्राम गृह तथा बालकों को सिखाने के लिए आधुनिक शिक्षा सम्बन्धी उपकरण होते हैं।"

इस प्रकार यद्यपि इन दिनों नर्सरी स्कूलों की प्रगति में बाधा आ गई है फिर भी जो लोग इस प्रकार के स्कूलों में विश्वास करते हैं उन्हें यह संतोष होना चाहिए कि नर्सरी स्कूलों की बहुत-सी अच्छाइयों ने शिशु-विद्यालयों (Infant Schools) में बच्चों के स्तर को उठाने और उसे स्वस्थ बनाने में बड़ी सहायता दी है।

इन्फैन्ट (शिशु) और जूनियर स्कूल (Infant and Junior School)

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि—१९वीं शताब्दी के आरम्भ मे बाल शिक्षा माइन्डिग स्कूलों (Minding Schools) या डेम स्कूलो (Dame Schools) के हाथो मे थी। ये स्कूल उन बच्चो की देखरेख करते थे और उन्हे तीन आर (Three Rs) सिखलाते थे जिनके माँ-बाप काम पर चले जाते थे। पर सच्चे अर्थों मे पहली शिशु पाठशाला (Infant School) सन् १८१६ ई० मे रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen) द्वारा न्यू लेनार्क (New Lanark) नामक स्थान मे खोला गया। यह दो वर्ष से छ. वर्ष के बालकों के लिए था। इस स्कूल के पाठ्यक्रम मे जो भी इस आयु के बालकों से समझने की आशा की जा सकती थी, सभी कुछ सम्मिलित था। साथ ही गाना, खेलना और नाच भी सम्मिलित था। इस दृष्टि से वह अति आधुनिक भी कहा जा सकता है। यह बात जानना इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्कूलो की सामान्य शिक्षा पर शिशु-शिक्षा का पर्याप्त प्रभाव पडा है। सन् १८१८ ई० मे इन्ही सिद्धान्तो पर एक दूसरी पाठशाला स्थापित की गई। इसके सचालन के लिए न्यू लेनार्क की शिशु पाठशाला में कार्य करने वाले शिक्षकों मे से एक अनुभवी शिक्षक को बुला लिया गया। इसी समय शिशु शिक्षा के समर्थक एक दूसरे विशेषज्ञ सैमुएल विल्डरस्पिन (Samuel Wilderspin) ने भी रॉबर्ट ओवेन के सिद्धान्तो का खूब प्रचार किया। सन् १८३१ ई० तक देश मे शिशु शिक्षा इतने अच्छे ढग से जम गई थी कि शिक्षको को इस दिशा मे ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष सस्था खोली गई। इसका नाम गृह और औपनिवेशिक सस्था (Home and Colonial Institution) पड़ा। आगे चलकर यही 'होम एण्ड कोलोनियल सोसाइटी' के नाम से प्रख्यात हुई। इसका सस्थापक और मुख्य समर्थक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्तालॉजी के सिद्धान्तो से बहुत अधिक प्रभावित था।[1] इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए शिशु-शिक्षा का महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध था।

जब रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen) न्यू लेनार्क (New Lanark) मे शिशु-शिक्षा के क्षेत्र मे प्रयोग कर रहे थे, दो धार्मिक संस्थाओ ने मॉनीटर प्रणाली (Monitorial System) का सूत्रपात किया। ये सस्थाये (ब्रिटिश एण्ड फॉरेन सोसाइटी) British and Foreign Society तथा National Society थी। इनमे से 'द ब्रिटिश एण्ड फॉरेन स्कूल सोसाइटी' को डिसेटर्स (Dissenters) और ह्विग (Whig) पार्टी का सरक्षण प्राप्त था और 'नेशनल सोसाइटी फॉर द एजूकेशन ऑफ द पूअर' को इगलैण्ड के चर्च का सरक्षण प्राप्त था।[2] मॉनीटर प्रणाली के चलाने वाले दो शिक्षा-सुधारक थे जिनका नाम डा० एण्ड्रयू बेल (Dr. Andrew Bell) और जोजेफ लैंकेस्टर (Joseph Lancaster) था। इनका उद्देश्य बालको को धार्मिक शिक्षा का प्रारम्भिक ज्ञान तथा Three Rs (पढ़ाई, लिखाई और गणित) की शिक्षा देना था। लडकियों के लिए थोडा बहुत सिलाई और कढाई (needle-work) भी था। यहाँ पर कुछ नवीनता न थी, बल्कि इस प्रणाली के उद्देश्य इतने सीमित थे कि लोगो का यह विश्वास था कि बालक केवल दो वर्षों मे ही यह सब ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन विद्यालयों मे प्रवेश की आयु ६ के स्थान पर ८ वर्ष

१देखिए *The Primary School* पृष्ठ ३ प्रकाशक H.M.S.O. Londan.

२ देखिए G. M. Trevelyan कृत *English Social History* पृष्ठ ४८१ (Longmans)

कर दी गई। ये बालक यहाँ १० वर्ष की आयु तक पढते थे। इस प्रकार रावर्ट ओवेन को शिशु-शिक्षा प्रणाली तथा बेल एण्ड लैंकेस्टर (Bell and Lancaster) प्रणाली द्वारा प्रदत्त जूनियर स्तर की शिक्षा का अतर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा।

शिशु और जूनियर शिक्षा (जिसे हम वाल शिक्षा भी कह सकते है) की श्रेष्ठता मे पाया जाने वाला यह अतर सन् १८६२ ई० के सशोधित कानून व्यवस्था (Revised Code of Regulation) द्वारा और भी पुष्ट कर दिया गया। इसका मुख्य आधार 'परीक्षाफल के आधार पर अनुदान' था। यह प्रथा (Payment by Result) के नाम से प्रचलित हुई। सशोधित कानून के अनुसार स्कूलो का अनुदान वहाँ के बालको की उपस्थिति तथा Three Rs मे बालको के परीक्षाफल परा निर्भर हो गया। स्वाभाविक था कि इस दिशा मे अध्यापको को अधिक उत्साह हो। इस सम्वन्ध मे इस व्यवस्था के प्रस्तुतकर्ता रॉवर्ट लो (Robert Lowe) का निम्नलिखत कथन अत्यत महत्वपूर्ण है। उसने पार्लियामेंट मे कहा कि—

"I cannot promise the House that this system will be an economical one, and I cannot promise that it will be an efficient one, but I can promise that it shall either be one or the other. If it is not cheap, it shall be efficient, if not efficient, it shall be cheap."

इस कथन द्वारा उसने स्पष्ट कर दिया कि सशोधित नियमोंद्वारा शिक्षा मे सुधार निश्चित है। या तो शिक्षा आर्थिक दृष्टि से सस्ती होगी, क्योकि यदि परीक्षाफल सतोषजनक न हुए तो स्कूलो को दी जाने वाली आर्थिक सहायता अपने आप कम हो जाएगी, या फिर शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। अधिक आर्थिक सहायता का तात्पर्य होगा अच्छा परीक्षाफल। किन्तु यह प्रणाली ६ वर्ष से कम के बालकों के लिए प्रयुक्त नही की गई। फलस्वरूप जहाँ पर उनके बडे भाई और बहन इस यांत्रिक विचारधारा के शिकार होते रहे, इन छोटे बालको को अपने शिक्षको द्वारा निर्धारित करीक्यूलम के आधार पर अधिक स्वतत्रता के साथ पढने का अवसर मिला। फिर भी यह स्वतंत्रता इस विचार से कुछ न कुछ मीमित तो हो ही गई थी कि पहली कक्षा (Standard I) मे पहुँचते-पहुँचते इन बालको को भी फलानुसार अनुदान (Payment by Result) प्रणाली का शिकार बनना पड़ेगा।

आगामी ३० वर्षो मे Payment by Result प्रणाली का यह भार धीरे-धीरे उठने लगा। सन् १८९७ ई० मे तो यह बिल्कुल ही उठ गया। साथ ही सन् १८७० ई० के एक्ट के अतर्गत शिशु-शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली के अतर्गत आ गई थी। अत: धीरे-धीरे इस शिक्षा प्रणाली का प्रभाव ऊपरी कक्षाओ पर भी पड़ा। सन् १८९३ ई० मे एक सरकारी विज्ञप्ति मे इस बात की बडी निन्दा की गई कि उन पाठशालाओ मे जहाँ बडे विद्यार्थी पढते है, छोटी कक्षाओ मे पढने वाले छात्रो की शिशु शिक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान नही दिया जाता। अत: किडर गार्टन प्रणाली की सिफ़ारिश की गई। इधर सन् १८७४ मे इगलैण्ड मे फ्रोबेल सोसाइटी की स्थापना हो ही चुकी थी अत उसके द्वारा महाद्वीपीय सुधारको (Continental Reformers) के विचार भी वहाँ की शिशु शिक्षा को सचरित कर रहे थे। फिर भी बहुत से प्रारम्भिक विद्यालयो की शिशु कक्षाये बडे विद्यार्थियो की उपस्थिति के कारण समुचित रूप मे विकसित नही हो रही थी।

हमे ज्ञात है कि ये वडे बालक आगे चलकर अलग हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री स्कूलों मे पढाये जाने लगे और यही हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री स्कूल बाद मे आने वाले सेकेंडरी मॉडर्न स्कूलो के अग्रदूत बने। फिर भी प्राइमरी शिक्षा पर विरोधी प्रभाव पडते ही रहे। सन् १९०२ ई० के बाद परीक्षाफल के आधार पर आर्थिक सहायता (Payment by Result) की प्रथा विल्कुल समाप्त हो गई किंतु अब एक दूसरा दवाव सामने आया जिसके कारण इन लोगो को Three Rs को पढाई मे फिर से सलग्न होना पडा। यह छात्रवृत्ति परीक्षा (Scholarship Examination) था जो दिन रात विस्तृत होते हुए सेकेंडरी ग्रामर स्कूल के प्रवेश के लिए आवश्यक था। दूसरी ओर महाद्वीपीय सुधारको (Continental Reformers) के विचारो को मनोविज्ञान द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। इन सुधारको का यह कहना था कि देखने, सोचने और अनुभव करने मे बालक की अपनी विशेषता और विचित्रता होती है। मनोविज्ञान और भी आगे गया। उसने कहा कि न केवल बच्चे वडो से अलग ढग से सोचते समझते हैं, वरन् उनका सोचना, विचारना अनुभव और क्रीडाये आपस मे भी एक दूसरे से नितान्त पृथक होती है। अत शिक्षण वालको की रुचि के अनुसार ही होना चाहिए।

इन विभिन्न विरोधी प्रभावो का सामूहिक प्रभाव इगलैण्ड की प्राथमिक शिक्षा पर क्या हुआ ? इगलैण्ड की सवसे प्रथम शिशु पाठशाला (Infant School) का चिह्न अब भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है। रॉवर्ट ओवेन वहुत-सी बातो मे मौलिक था किन्तु उसका दृष्टिकोण अनेक बातो मे पेस्तालॉजी के शिष्यो से मिलता जुलता था। उसके बाद फ्रॉबेल का प्रभाव पडा और यह कहना गलत नही कि आज इगलैण्ड की शिशु पाठशालाओ मे ही नवीनतम प्रगतिवादी शिक्षा दी जा रही है। किन्तु सम्पूर्ण शिशु-शिक्षा का स्तर अच्छा नही कहा जा सकता। कुछ शिशु कक्षाये या विभाग ऐसे एलीमेन्ट्री स्कूलो से सम्बन्धित है जहाँ बेल और लैंकेस्टर (Bell and Lancaster) द्वारा प्रतिपादित मॉनीटर प्रणाली का पालन होता था। अत. ये दूसरी परम्परा चलाते रहे। पर शिशु-शिक्षा की तद्विचारधाराये प्राथमिक शिक्षा की अंतिम कक्षाओ तक फैल गई ह और गत कुछ वर्षो मे तो इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है। किंतु 'परीक्षाफल के आधार पर आर्थिक सहायता' के उत्तराधिकार को हम यो ही ठुकरा नही सकते। आज भी वहुत कम ऐसे शिक्षक है जो पढ़ाई, लिखाई और गणित (Reading Writing और Arithmetic या Three Rs) की शिक्षा को तिलाञ्जलि दे सके। अत मे एक और भी प्रभाव पडा। राज्य-हस्तक्षेप के पूर्व के दोर्घकाल मे जब उदार शिक्षाविदो ने धन द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा सस्थाये खुलवाई, तो यह निश्चित था कि उनमे केवल वही शिक्षा दी जाएगी जिससे वहाँ के पढे लिखे लोग परिचित थे। साथ ही जो अध्यापक पढ़ाते थे वे भी ग्रामर-स्कूल परम्परा के अतर्गत शिक्षा प्राप्त थे। यही हाल इस्पेक्टरो का था। ऐसी दशा मे इस विचार धारा का प्रभाव भी वहाँ की शिशु शिक्षा पर बना ही रहा। यहाँ तक कि प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाशास्त्री मैथ्यू आर्नल्ड ने यह आशा भी की थी कि एलीमेन्ट्री स्कूलो की ऊँची कक्षाओ के पाठ्यक्रम मे लैटिन भाषा को भी नियमित रूप से सम्मिलित कर लिया जाए[1]। यद्यपि यह कार्यान्वित नही हुआ, फिर भी इस प्रकार की कई एक विचारधाराये एक साथ शिक्षा की इस प्रगति पर अपनी

१ देखिए १८७२ की General Report.

प्रभाव डालती रही। शिशु और बाल शिक्षा पर पड़ने वाले इन प्रभावों को हम चित्र द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं—

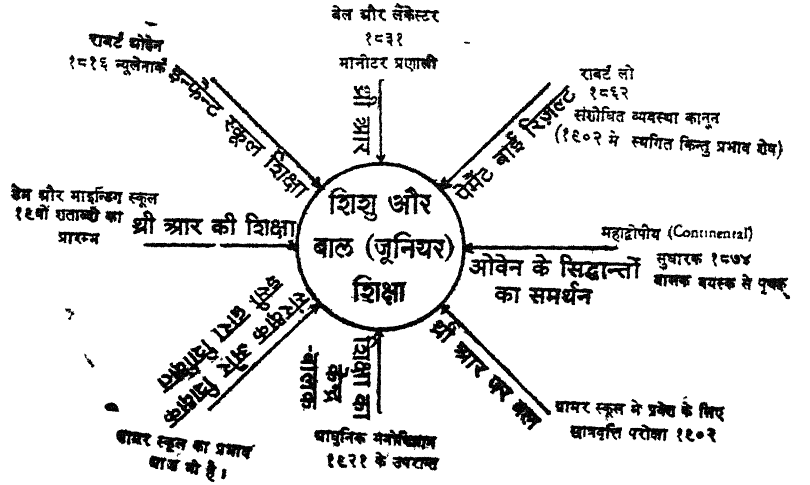

शिशु और बाल विद्यालय : वर्तमान स्थिति :
(Infant and Junior Schools Today)

१. **स्थिति और वातावरण**—सन् १९५३ मे प्रकाशित शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सारे देश मे सम्मिलित शिशु और बाल विद्यालयो (Infant and Junior Schools) की सख्या ९३३६ थी। इनकी तुलना में ५४७५ ऐसे विद्यालय थे जो केवल शिशुओ (Infants) को भरती करते थे। जूनियर और इन्फैन्ट स्कूलो की संख्या मे २१८६ ऐसे थे जिनमे २६ से लेकर ५० विद्यार्थी तक पढते थे। साधारणतः यही एक स्कूल का सामान्य आकार था। लेकिन शिशु पाठशाला (Infant School) का आकार इससे कही अधिक विस्तृत था। उसमे १०१ से लेकर २०० छात्र तक पढते थे। इससे यह स्पष्ट है कि पृथक् शिशु पाठशालाये केवल उन नगरो मे सम्भव हैं—जहाँ पर आबादी घनी है और जहाँ एक अच्छी सख्या और आकार का स्कूल चल सकता है। दूसरी ओर यह कम सम्भव है कि २६ से लेकर ५० छात्रों तक की कोई शिशु-पाठशाला अलग से चलाई जाए जब तक कि वहाँ की स्थानीय परिस्थिति ही विवश न करे। कहने का तात्पर्य यह कि ऐसे स्कूल कम आबादो वाले तथा दूर-दूर फैले हुए ग्रामीण क्षेत्रो मे ही पाए जाते हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इगलैण्ड मे किसी एक प्रकार का प्राइमरी स्कूल नही पाया जाता। वहाँ शिशु पाठशालाये भी हैं, बाल विद्यालय भी हैं, तथा सम्मिलित शिशु और बाल विद्यालय भी हैं। नर्सरी स्कूलो के सम्बन्ध मे पहले ही जिक्र हो चुका है। फिर भी वहाँ सबसे प्रचलित रूप 'लघु ग्राम पाठशाला' (Small Village School) का है। यह एक सम्मिलित प्रकार का स्कूल है।

हैडो रिपोर्ट के अनुसार अपनायी गयी बड़े लडके और लडकियों को सीनियर विद्यालयो (senior schools) मे एक साथ पढ़ाने की नीति शिक्षा मे एक नया

कदम थी। ये सीनियर स्कूल ही आगे चलकर सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल हुए। लेकिन इससे प्राथमिक पाठशालाओं (Primary Schools) को बड़ा धक्का लगा। इन बड़े बालकों को आवश्यकतायें इतनी नई और कहीं-कहीं इतने विशेष प्रकार की थी कि नए स्कूल भवन अधिकतर उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए। छोटे बच्चों को आवश्यकताओं के लिए जो सुधार आवश्यक थे उन्हें रुकना पड़ा। सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) को इस बात का पहले ही भय था। इसकी चेतावनी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहले ही दे दी थी 'प्राइमरी स्कूलो में पढ़ने वाले बड़े बालकों की आवश्यकताओ की पूर्ति का बहाना लेकर ११ वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए घटिया प्रकार के स्थान और आवास की किसी भी प्रवृत्ति का हमे दृढ़ता से दमन करना होगा।' यह बात सन् १९३० ई० की है जब सर हेनरी हैडो ने यह मत Education for the Adolescent नामक पुस्तिका के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। किन्तु १३ वर्षो के उपरान्त सरकार ने अपने श्वेत पत्र एजूकेशनल रिकॉस्ट्रक्शन (Educational Reconstruction) में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि '११ वर्ष से बड़े बालकों की आवश्यकताओ की ओर अधिकाश ध्यान देने के कारण पिछले वर्षो मे छोटे बालको के लिए बहुत कम नए तथा आधुनिकतम आवास की व्यवस्था की गई है।[१]'

पुराने एलीमेन्ट्री स्कूलो को नयी प्राइमरी शिक्षा के अनुकूल बनाने मे देर होने का एक और भी कारण था। अधिकाश पुराने स्कूल नई आवश्यकताओं की दृष्टि से बिल्कुल बेकार थे। प्रसिद्ध शिक्षा लेखक एच० सी० डेन्ट (H C Dent) ने New Order in Education (शिक्षा मे नई व्यवस्था) नामक पुस्तिका मे सन् १९३० ई० मे पाए जाने वाले दो प्रकार के स्कूलो का उल्लेख किया है—स्थापित और अनस्थापित (Provided) और (Non-provided)।[२] इन्हें इमदादी और ग़ैर इमदादी स्कूल भी कह सकते है। यहाँ पर यह भी स्मरण रखना होगा कि ये स्कूल संस्थापको के आधार पर दूसरे नामों से भी सम्बोधित होते थे। L.E.As. के द्वारा स्थापित सारे स्कूल काउन्टी स्कूल या स्थापित स्कूल (Provided Schools) कहलाते थे। इसी प्रकार जो स्कूल धार्मिक संस्थाओ या समृद्ध व्यक्तियों अथवा अन्य संस्थाओ द्वारा स्थापित किए गए थे और जिनका कार्य जनता के चन्दे से चलता था, ये एनडाउड स्कूल (Endowed Schools) कहलाते थे। इनके संचालन में किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं डाला गया था। वरन् स्वत· प्रेरित होने के कारण लोगो ने इनकी स्थापना की थी। अतः ये स्वेच्छाकृत या व्यक्तिगत (Voluntary) स्कूल कहलाए। L.E As द्वारा स्थापित स्कूलो से अंतर दिखलाने के लिए इन्हें अनस्थापित (Non-provided) स्कूल की सज्ञा भी दी गई। दूसरे प्रकार के स्कूलों मे केवल ५ प्रतिशत स्कूल सन् १९०२ ई० के बाद बनाए गए थे तथा लगभग ९२ % स्कूलों की इमारते ४० या ५० वर्ष पुरानी थी। बहुत से इससे भी अधिक पुराने थे। निश्चय ही ये स्कूल भवन छात्रों की बढती हुई नयी आवश्यकताओ की पूर्ति मे असमर्थ थे। रहा काउन्टी स्कूल, सो इनमें भी आधे से कम इस शताब्दी मे बनाए गए थे। इसलिए ११ वर्ष से

१ देखिए *Educational Reconstruction* पृष्ठ १५ H. M S.O. London. (1943)

२ देखिए H. G. Dent कृत *New Order in Education* पृष्ठ २३

कम आयु के छात्रो के लिए स्कूल भवनो मे कमी आना एक स्वाभाविक बात थी। इस विषय पर शिक्षा मत्रालय को सलाहकार समिति (Central Advisory Council for Education) ने सन् १९४७ ई० मे अपनी पहली रिपोर्ट मे पर्याप्त प्रकाश डाला है। समिति के शब्दो मे—

'The gap between a reasonable provision of primary schools and the existing provision is formidable, and at the pre-war rate of development would not have been bridged in a hundred years. Even with the impetus of the Butler Act and the whole-hearted co-operation of the Churches, however fortunate education is about priorities, half a century's unremitting efforts will be required before we can hope to have good primary schools for all "[१]

विषय की गम्भीरता का पता इस कथन से चलता है। भले ही सन् १९४४ के बटलर एजूकेशन एक्ट के द्वारा प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला हो और भले ही राष्ट्र के आर्थिक बजट मे शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती हो, फिर भी समिति की दृष्टि मे कम से कम ५० वर्षों का अनवरत प्रयत्न ही देश के सभी क्षेत्रो के लिए अच्छे प्राइमरी स्कूलो का प्रबन्ध कर सकता है। शिक्षा के प्रति इगलैण्ड के निवासियो की जागरूकता हमारे लिए अनुकरणीय है।

सन् १९४७ ई० के बाद पुनर्निर्माण के रूप मे इन स्कूलो के लिए काफी प्रयास हुआ है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो विद्यालय भवन सन् १९३८ ई० मे ५ वर्ष से लेकर १४ वर्ष तक के बालको की आवश्यकताओ के लिए अनुपयुक्त थे, वे आज ११ वर्ष तक के छात्रों की सीमित सख्या के लिए साधारणतया उपयुक्त समझ लिए गए है। इनमे सर्वाधिक प्रचलित स्कूल 'ग्राम-पाठशाला' या The Village School है। इसमे दो कमरे होते है—एक लम्बा और एक चौकोर। पहले यह बडा कमरा दो कक्षाओ का काम देता था जिनमे प्रमुख अध्यापक बीच मे बैठता और दो छात्राध्यापक दोनो कोनो पर बैठते थे। ये ग्राम पाठशालाये अधिकांश मे एक अध्यापक वाले स्कूल ही है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में दो सौ वर्षो का समय एक बहुत बडा काल है और शिक्षा के क्षेत्र म भी इतने समय मे असाधारण उन्नति हुई है फिर भी इगलैण्ड की ग्राम पाठशाला पर उसका प्रभाव इतना कम और इतना शनै:-शनै: पडा है कि उसे देख कर हमें गोल्डस्मिथ की प्रसिद्ध कविता 'The Deserted Village' के ग्रामाध्यापक[२] की

१ देखिए Report of the Central Advisory Council for Education पृष्ठ ११ H.M. S.O. London. द्वारा प्रकाशित।

२ 'Beside yon struggling fence that skirts the way,
With blossom'd furze unprofitably gay,
There, in his noisy mansion, skilled to rule,
The village master taught his village school;
A man severe he was, and stern to view;
I knew him well and every truant knew;
Well had the boding tremblers learn'd to trace;
The day's disasters in his morning face,
Full well they laugh'd, with counterfieted glee,
At all his jokes, for many a joke had he,
Full well the busy whisper, circling round,

याद आए बिना नही रह सकती। इगलैण्ड के नागरिक प्राइमरी स्कूलो मे तो यह अतर बडा ही स्पष्ट है और प्रगति के लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते है, किन्तु इगलैण्ड के स्कूल अपने भवन, सज्जा और वातावरण मे बहुत कम बदले है। इसका कारण यह भी है कि गाँवो मे आज भी शिक्षा स्वेच्छाकृत धार्मिक सस्थाओ (Voluntary Religious Bodies) के हाथ मे है। G. M. Trevelyan (जी० एम० ट्रेवेलियन) के शब्दो मे—'The National or Church Schools became the most usual mode of popular education in the English village'[1] अब भी इस ग्राम पाठशाला मे दो हो कक्षाये बैठती है किन्तु ये कमरे छोटे होते है और बहुधा इनको एक दोवार या पर्दे (Partition) द्वारा अलग कर दिया जाता है। छोटा कमरा शिशुओ के लिए होता है। यह वर्गाकार होता है। इसमे बैठने पर जगह तो बच जाती है लेकिन बालको के दौडने और खेलने के लिए स्थान नही रहता। इन कमरो को स्टोव द्वारा गर्म रक्खा जाता है। पर यह गर्मी समान रूप से सब स्थानों पर नही पहुँच पाती। जो स्थान स्टोव के निकट होते है वे भली भाँति गर्म हो जाते है। दूर के स्थानो मे गर्मी कम पहुँचती है। वायु और प्रकाश का साधन इन कमरो की खिड़कियाँ है जो गॉथिक[2] शैली मे बनी होती है। बाहर की ओर तारकोल से पुता हुआ स्थान रहता है। यह शारीरिक व्यायाम के काम आता है। इस प्रकार यद्यपि ये स्कूल शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताओ को पूरा तो नही कर पाते, फिर भी इनसे काम चल जाता है।

जहां ग्राम पाठशाला की स्थिति और वातावरण अत्यत साधारण होता है, नगरों मे पाए जाने वाले बडे मॉडर्न जूनियर या इन्फैन्ट स्कूल भवन और सज्जा की दृष्टि से बहुत कुछ अपने आदर्श को प्राप्त कर सके है। सन् १९४३ ई० मे पाए जाने वाले एक मॉडर्न जूनियर स्कूल का वर्णन इस प्रकार है—

'यह स्कूल एक आयताकार क्षेत्र मे स्थित है। कही-कही यह स्कूल वृत्ताकार

Convey'd the dismal tidings when he frown'd,
Yet he was kind, or if severe in aught,
The love he bore to learning was in fault;
The village all declared how much he knew;
'Twas certain he could write, and cypher too;
Lands he could measure. terms and tides presage,
And e'en the story ran that he could gauge,
In arguing too, the parson own'd his skill,
For e'en though vanquish'd he could argue still;
While words of learned length and thund'ring sound,
Amazed the gazing rustics rang'd around,
And still they gaz'd, and still the wonder grew,
That one small head could carry all he knew.'

१ देखिए गोल्डस्मिथ कृत *The Deserted Village* पंक्तियाँ १९३–२१६
२ देखिए G. M. Trevelyan लिखित *English Social History*, पृष्ठ ४८१ प्रकाशक (Longmans)

२ इस शैली में बने हुए गिरजाघर तथा इमारतो की विशेषता उनकी नोकदार मेहराबे है।

भवन म भी स्थित होता है। जिसमे कमरे पहिए की तीलियो की भाँति फैले रहते है। फलस्वरूप वाहरी दोवार केवल खिडकियो की वनी होती है। जिस दिन धूप निकलती है, ये खिडकियाँ पूर्णतया खोल दी जाती है जिससे यह मुक्तवायु-पाठशाला (Open Air School) मे वदल जाती है। कमरो को गर्म रखने का ढग अत्यत उत्तम है। कमरो के तापमान को हम वाहरी तापमान और उपलब्ध प्रकाश और वायु के अनुसार घटा-बढा सकते है। प्रवेश द्वार के समीप ही प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका का कमरा होता है। इसके आसपास विशेष रूप से वनाए हुए स्कूल मेडिकल ऑफिसर तथा दाँतसाज़ (Dentist) के कमरे होते है। स्नानागार और शौचालय मे ऐसी लोहे की छडे रहती है जिनमे से निरन्तर गर्मी निकलती रहती है। इन पर सरलता से कपडे सुखाये जा सकते है। साथ ही गर्म और ठडे पानी के कई नल और पात्र भी होते है। भवन की प्रमुख विशेषता मध्य मे स्थित स्कूल हॉल है। इसमे १५०० से २००० वर्ग फोट तक स्थान रहता है। इस हॉल मे एक मच भी होता है जिसमे वायरलेस सेट लगा रहता है। साथ ही फिल्म दिखलाने की भी व्यवस्था होती है। सभी कक्षाये पूरे आकार (size) की होती है। कुछ कक्षायें जिनमे हाथ का काम होता है बडी होती है। पूरे भवन मे हल्के रगो मे आन्तरिक सजावट होती है। मेज-कुर्सियाँ तथा अन्य सामान विभिन्न आयु के बालको के विकास की दृष्टि से उपयोग मे लाया जाता है।'[1] ग्राम और नगर के विद्यालय भवनो के मानचित्र पृष्ठ ७४ मे देखिये।

(२) **कर्मचारी वर्ग**--विद्यालय चाहे शिशुओ के लिए हो, चाहे बालको के लिए, चाहे सम्मिलित शिशु और बाल-विद्यालय हो, उसका इचार्ज हेड टीचर होता है। वह योग्य भी होता है और प्रशिक्षित भी। इन्फैन्ट स्कूल्स (शिशु शालाये) अधिकाश प्रधानाध्यापिकाओ की देखरेख मे कार्य करती है। जिन इन्फैन्ट और जूनियर स्कूलो मे लडके और लडकियाँ साथ-साथ पढती है वहाँ भी अधिकाश स्त्रियाँ ही प्रधान का कार्य करती है। किन्तु जिन स्कूलो मे शिशु-कक्षाये नहीं होती वहाँ लडकियो के स्कूलो मे स्त्रियाँ और लडको के स्कूलों मे पुरुष ही प्रधानाधिकारी का कार्य करते है। ऐसे जूनियर स्कूलो मे भी जहाँ सह-शिक्षा है प्रधानाधिकारी पुरुष ही होता है।

गाँव के प्राइमरी स्कूलो मे जहाँ पचास से कम छात्र होते है शिक्षक को एक ही कक्षा मे विभिन्न आयु और योग्यता वाले बालक मिलते है। पर एक नगर प्राइमरी स्कूल मे आयु तथा योग्यता के आधार पर एक ही कक्षा के अनेक भाग (सेक्शन्स) बना कर अलग-अलग अध्यापको के चार्ज मे दे दिए जाते है। इस प्रकार जहाँ गाँव की सबसे ऊँची कक्षा मे शिक्षक को १० वर्ष वाले बालक के साथ ८ और ९ वर्ष के तथा अधिक प्रतिभाशाली बालक के साथ साधारण बालक को भी पढाना पडता है, वहाँ नगर मे १० वर्ष की आयु के बालको की भी योग्यतानुसार कई कक्षाये हो सकती है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि गाँव मे प्रत्येक कक्षा मे छात्रो की सख्या कम होती है। जहाँ गाँव मे एक कक्षा मे १६ से २० छात्र तक होते है, वहाँ नगर मे यह सख्या ३६ से ४० तक होती है।

---

१ देखिए R. W. Moore द्वारा सम्पादित *Education To-day and Tomorrow* पृ० ६३, वर्णन लेखक--Roger Armfelt.

बडी कक्षाओं का होना इगलैण्ड की शिक्षा मे सदैव विवाद का विषय रहा है। प्राइमरी कक्षाओं की अधिक से अधिक छात्र सख्या ४० मानी गई है किन्तु

मानचित्र—ग्राम पाठशाला

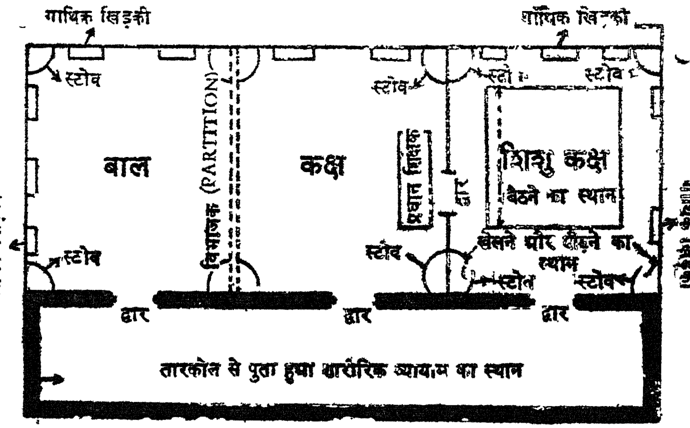

मानचित्र—नगर प्राथमिक शाला

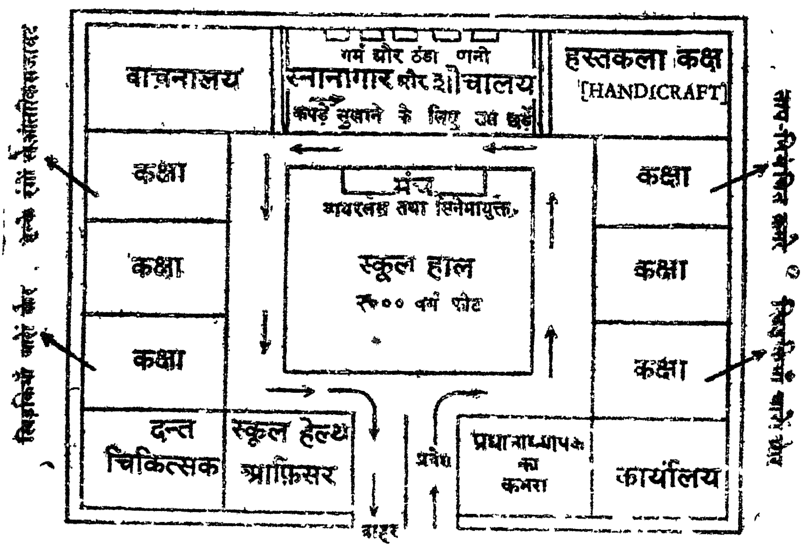

इगलैण्ड मे ३०.९ % स्कूल ऐसे है जहाँ ४० से अधिक छात्र पढते है। ऐसी कक्षाओं मे शिक्षा सुचारु रूप से नही चल सकती। सन् १९४७ मे लगभग २००० ऐसी कक्षाये थी जिनमे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ५० से अधिक थी।

१ देखिए *Education in* 1947, पृष्ठ १८, H.M.S.O. London.

सन् १९५३ ई० तक ऐसी कक्षाओं का प्रतिशत ३४ हो गया है।[1] इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकारी गण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मे असफल रहे। परऐसासोचना अधिकारियो के प्रति एक अन्याय होगा। सन् १९४७ से १९५३ के बीच युद्ध के बाद इगलैण्ड की जन सख्या मे भी अधिकाधिक वृद्धिहुई। इसकी पूर्व सूचना शिक्षा मत्री ने सन् १९४७ मे ही दे दी थी। उनका कथन था कि 'जिस तेजी से इगलैण्ड की जन सख्या मे वृद्धि हो रही है, उससे इसका आभास मिलता है कि आगामी वर्षो मे देश को शिक्षा सेवाओ को एक बडी समस्या का सामना करना पडेगा।' तब यह अनुमान लगाया था कि पाँच और पाँच से अधिक आयु वाले छात्रो की सख्या जनवरी सन् १९५२ ई० तक ५,०३४,२७५ से लेकर ५,७३२,००० हो जायगी। किन्तु वास्तव मे यह बढ़कर ५,९९२,४७६ हो गई। इस प्रकार छात्रों की सख्या मे लगभग १० लाख की वृद्धि हुई। किन्तु इस बीच ५० से अधिक छात्रों वाली कक्षाओं की संख्या घटकर १३३० रह गई है क्योकि इन कक्षाओं मे पढ़ने वाले बालक अब सेकेंडरी स्कूलों मे पहुँच गए है।

आज के विद्यालय[2]

शिशु विद्यालय (Infant School)

नर्सरी स्कूलों में उपस्थिति ऐच्छिक है किन्तु ज्योंही बालक पाँच वर्ष का होता है, प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करना उसके लिए अनिवार्य है। संभवत. एक नर्सरी स्कूल से आने पर बालक केवल खेल के संसार को ही सब कुछ समझता है। किन्तु पाँच वर्ष की आयु मे उसे शिशु-विद्यालय मे दो वर्ष व्यतीत करने पडते हैं। यहीं पर उसमे आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ वह पहली बार पढना, लिखना और गिनती गिनना सीखता है। इन्ही दो वर्षो मे भावी शिक्षा की नीव पड़ती है।

समय के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षण विधियों मे भी परिवर्तन होता जाता है। बहुत समय पहले की बात नही है जब पाँच वर्ष के शिशुओं से यह आशा की जाती थी कि वे पर्याप्त लम्बे समय तक चुपचाप बैठे और प्रौढ़ों की भाँति बहुत से तथ्यो की लम्बी-लम्बी सूचियाँ रट डाले। किन्तु मनोवैज्ञानिक उन्नति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह दृष्टिकोण गलत है और शिशु खेल-खेल मे जल्दी सीखता है तथा उसका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। मौंटेसरी और फ्रोबेल ऐसे शिक्षा-शास्त्रियों ने स्वतत्रता और प्रसन्नता की विचारधारा को बालको की शिक्षा के क्षेत्र मे नए रूप मे रक्खा। उनके मानवतावादी विचारों के प्रयोग मे शिक्षा विधियों मे एक क्रान्ति आ गई है।

शिशु विद्यालय की एक उत्साही प्रधानाध्यापिका ने इसका वर्णन इस रूप मे किया है—

'गत बीस वर्षो मे मैंने शिशु विद्यालय मे एक नयी क्रान्ति के दर्शन किए है। सचमुच मेरा यह विश्वास है कि छोटे-छोटे बालक कठोर अनुशासन और बन्धन से मुक्ति पा गए है। आज उनका विकास खेल, क्रियाशीलता और स्वतत्रता

---

१ देखिए *Education in* 1953, पृष्ठ १०, H.M.S.O. London.

२ देखिए *In School at Britain*, पृष्ठ ६–१०, British Information Service, London.

के वातावरण मे होता है। मेरे स्कूल मे ही देखिए। आप क्या देखते है ? सुन्दर वेश-भूषा मे बालक खेल रहे हैं। कक्षा के एक कोने मे वे बडा शोर मचा रहे हैं। क्या आप जानते है कि वे क्या कर रहे हैं ? वे एक ऐसे नाटक का अभिनय कर रहे हैं जिसकी रचना उन्होंने स्वय को है। अपनी शिक्षिका की देख-रेख मे वे लिखना और मौखिक प्रकाशन सीख रहे है। और इस सब मे उन्हे बड़ा आनन्द आ रहा है।

'दूसरे कमरे मे छ: वर्ष की आयु के कुछ लड़के और लडकियाँ दूकान का खेल खेल रही हैं। किन्तु इस खेल द्वारा वे वास्तव मे सख्याओ, बॉटों और नापो, सिक्को तथा मात्रा के सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि उन्हे इसका आभास नहीं है, पर वास्तव में वे गणित सीख रहे है। यही तो वह विषय है जिसे हम पहले जोड-बाकी कह कर पुकारते थे।

'एक दूसरी कक्षा मे बच्चे मॉडल बना रहे है, चित्र खीच रहे हैं, पौधे उत्पन्न कर रहे हैं, मछलियाँ पाल रहे है। इस प्रकार वे सदा यह सीख रहे है कि दी हुई सामग्री और औजारो का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है।

'इनमे से कुछ स्कूल हॉल मे लगे हुए जिमनास्टिक्स के उपकरण पर शोर मचाते हुए दिखाई पड़ेगे, अथवा सगीत के कमरे मे गाते और नाचते हुए मिलेगे। विद्यालय मे जीवन है और वह उसी प्रकार गतिमय है जैसे कि स्वय बालक।.... किन्तु जो अध्यापिकाये शिशु-शिक्षा मे विशेष दक्षता प्राप्त करती हैं वे चुपचाप बालकों को इन क्रियाओ का निरीक्षण भी करती है और यथास्थान आवश्यक निर्देश भी देती है।'

इस प्रकार शिशु विद्यालय विकास और सीखने का सर्वोत्तम स्थान है। दो वर्षों की सीमित अवधि मे छोटे-छोटे शिशु असाधारण बौद्धिक प्रगति कर लेते हैं। वे अब पढ़ सकते है, लिख सकते है, गिनती गिन सकते हैं। वे विद्यालय के पुस्तकालय का भी उपयोग कर सकते हैं यदि पुस्तकालय मे उनकी रुचि से सम्बन्धी सामग्री प्रचुर मात्रा मे हो। उनके पास वे मूल यत्र या साधन है जिनकी सहायता से वे अपने चारो ओर बिखरे हुए विश्व मे सहज प्रवेश पा सकते है।

लघु विद्यालय (Junior Schools)

एक औसत बालक लघु विद्यालय मे उतना ही समय व्यतीत करता है, जितना कि माध्यमिक स्कूल मे। लघु विद्यालय मे व्यतीत होने वाला सात से ग्यारह वर्ष तक का समय बालक के जीवन मे अत्यत महत्वपूर्ण है। इन दिनों बालक का विकास बडी शीघ्रता से होता है चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो अथवा भावात्मक हो। अभी वह अपने अग सचालन पर नियंत्रण करना सीखता है, अपने चारों ओर फैले हुए ससार को समझने का प्रयत्न करता है और अपनी भावनाओ और व्यवहार पर भी नियत्रण रखने का प्रयत्न करता है। इन दिनो उसमे कोई अन्तरावरोध (inhibition) नही होता और वह किसी भी कलात्मक माध्यम से प्रयोग करने और नई-नई वस्तुओं के सृजन मे तत्पर रहता है। यदि उससे कहा जाए तो वह एक चित्र रग देगा, एक कविता लिख देगा, अभिनय करेगा, गायेगा, नाचेगा, मॉडेल बनायेगा, किसी नाटक का मूक अभिनय कर देगा अथवा एक कहानी सुना देगा। ऐसी क्रियाओ द्वारा ही वह सबसे उत्तम ढग से ज्ञानार्जन करता है।

निरर्थक गा गा कर पहाड़े रटने का युग अब बीत गया। इतिहास आज केवल तिथियों, राजाओ और रानियों तथा युद्धो की एक लम्बी सूची मात्र नही है। भूगोल केवल अतरोप, खाडियाँ, पहाड, सागर, महाद्वीप और राजधानियो तक ही सीमित नही है। आज श्याम पट्ट से कापी पर सुन्दर-सुन्दर अक्षरो मे नकल करने को अग्रेजी नही कहते।

अग्रेजी एक सीखे जाने वाले विषय से कहीं अधिक है। वह बालक का अभिन्न अग है। जब वे दुधमुँहे बच्चे होते है, बालक घर मे बोलना सीखते है। प्रात-काल जब से वे जागते है, सोते समय तक वे बोलते ही रहते हैं। जितने समय भी वे जागते हैं वे अग्रेजो का प्रयोग करते हैं—बोलने वाली अग्रेजी और अपने शब्दो, शब्द-समूहों और मुहावरो के कोष मे वृद्धि करते रहते है। शिक्षाशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अग्रेजो लिखने के स्थान पर बोलने की भाषा अधिक है और इसीलिए बालक की शिक्षा मे अग्रेजी की इस मौखिक शक्ति का प्रयोग अधिकाधिक किया गया है।

यदि आप जूनियर स्कूल की किसी कक्षा मे उस समय पहुँच जायें जब अग्रेजी का पाठ हो रहा है तो आप देखेगे कि या तो बालक समूहो मे पढ रहे है या मिलकर बोलना (Choral speaking) सीख रहे है, या कहानी कह रहे है या अभिनय कर रहे है, या चुपचाप किसी कविता और निबन्ध के लिखने मे मग्न है। अनुभवी शिक्षक यह जानता है कि बालको के लिए अग्रेजी सीखने का सर्वोत्तम और रुचिकर ढग उन्हे अपनी भावनाओं और अनुभवो के प्रकाशन के लिए बोलने और लिखने की स्वतत्रता प्रदान करना है। दूसरे शब्दो मे उनको स्वयं-सृजन के अवसर प्रदान करना है।

शब्द-भेदो (Part of speech) और औपचारिक व्याकरण के लम्बे-लम्बे अभ्यास न केवल बनावटी होते है बल्कि समय का अपव्यय भी है। उनके द्वारा मातृ भाषा मे रुचि उत्पन्न होने के स्थान पर बालक के मन मे एक घृणा और अरुचि उत्पन्न होने की सभावना अधिक रहती है। इसका यह तात्पर्य नही कि बालक मातृ भाषा के व्याकरण और विन्यास (structure) के विषय मे कुछ भी नहीं सीखते। सीखते वे अवश्य हैं किन्तु अपनी त्रुटियो द्वारा जो कि उनके अध्यापक उनके कार्य काल मे बतलाते रहते हैं। अग्रेजी भाषा मे वे जो कुछ भी रचनात्मक ढग से करते हैं उससे ही अपने आप व्याकरण और भाषा सिद्धान्तों का ज्ञान उन्हे प्राप्त होता है।

जो कुछ भाषा के ससार के विषय मे सत्य है, वह संख्या के संसार पर भी उसी भाँति लागू है। सात वर्ष के अधिकाश बालक भलीभाँति गिन सकते है। वे एक दूकान पर जा सकते है, कई वस्तुएँ खरीद सकते है, और यह भी जान सकते है कि उन्हे ठीक सख्या मे पैसे वापस मिले या नही। वे गणना सम्बन्धी खेल खेल सकते हैं, और अवसर प्रदान किये जाने पर वस्तुओ का वजन और उनकी नाप भी कर सकते है। वे गणना सम्बन्धी खेलो मे बडी रुचि लेते हैं। किन्तु इसमे ठोस वस्तुओ की गणना ही उपयोगी है, पेसिल से कापी पर गिनती लिखना उन्हे नीरस और निरर्थक प्रतीत होता है। जूनियर स्कूलो मे आजकल प्रैक्टिकल अर्थ-मेटिक के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है। कक्षा का एक कोना दूकान के लिए नियत कर दिया जाता है। यहाँ पर बालक जाकर क्रय-विक्रय करते है। नाप-तौल के छोटे-छोटे यंत्र भी वहाँ लगे रहते हैं। इस प्रकार जीवन के वास्तविक अनुभवो से वह गणित सीखता है। उसका सीखना साभिप्राय होता है।

१९वी शताब्दी मे लोगों का विचार था कि बालको की शिक्षा केवल लिखने-पढ़ने और गणित तक सोमित रहनी चाहिए। किन्तु सौभाग्य से आज का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है। हम यह सीख चुके है कि ७ से ११ वर्ष तक का बालक दूसरे क्षेत्रो मे भी अन्वेषण कार्य के लिए उत्सुक है, और इस प्रकार ससार के विषय मे वह अपने सोमित ज्ञान मे वृद्धि करना चाहता है। इतिहास और भूगोल आज उसके जीवन मे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते है। इस स्तर पर बहुत से शिक्षक बच्चो को अपने देश के इतिहास से परिचित कराते है। इस व्यापक विश्व मे समय और स्थान की यात्रा पर निकलने के पूर्व वे अपने देश की सास्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराये जाते है। किन्तु इस समय इतिहास कहानियो के रूप मे उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता है और उसे बालक बहुत पसन्द करते है। वे ऐतिहासिक घटनाओं का अभिनय भी करना चाहते है। प्राचीन ब्रिटन अथवा रोमन सिपाही बनने मे उन्हे बड़ा आनन्द आता है। वे बहुत ही शीघ्र ऐतिहासिक चरित्रो से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते है। यहाँ पर हमे यह भी ज्ञात होता है कि एक विषय और दूसरे विषय के मध्य कोई दोवार नहीं खिची है। ये ऐतिहासिक घटनाये अग्रेजी मे लिखवाई जाती है, वे पढ़ी जाती है, उनका अभिनय किया जाता है। सरल वेष-भूषाये भी तैयार की जाती है और ऐतिहासिक नाटकों को विश्वसनीय बनाने के लिए एक-दो सरल से दृश्य भी तैयार किये जाते है। इस प्रकार हम इस एक कार्य द्वारा इतिहास, अग्रेजी, सिलाई, हस्तकला तथा चित्र कला इत्यादि अनेक विषयो की शिक्षा देते है।

जूनियर स्कूलों मे भूगोल के पाठ 'अन्य देशों के बालक' (Children in Other Lands) नामक पाठ श्रृखला के अतर्गत आरम्भ किए जाते है। इंगलैण्ड के बालक इस विषय मे बहुत रुचि रखते है कि दूसरे देशो के बालक किस प्रकार रहते है। वे एक एस्किमो या अरब या भारतीय बालक की आदतो और उसकी दिनचर्या से अत्यत आकर्षित होते है। यहाँ भी बालक क्रिया द्वारा सीखते है। यह पता लगाने के लिए कि एस्किमो का घर कैसा होता है, वे इगलू (Igloo) बनाते है। अथवा अरब की खानाबदोश जाति के विषय मे पढ़ते समय वे अरबी खेमे का एक मॉडल तैयार करते है।

इस प्रकार अग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल मे बालक 'क्रिया द्वारा सीखना' (Learning by doing) के सिद्धान्त को ही अपनाते है। वे निरन्तर रचनात्मक और गतिशील रहते है।

शिक्षा के क्षेत्र मे बालक को प्रदान की हुई यह नवीन स्वाधीनता शिक्षक से बहुत कुछ आशा रखती है। पुरानी आरोपित अनुशासन प्रणाली से बालक को पढाना सरल था किन्तु इस नई प्रणाली से पढ़ाने मे शिक्षक को परिश्रम करना पडता है। साथ ही बहुत से जूनियर स्कूल आज भी पुरानी इमारतो मे स्थित है। इससे भी समुचित शिक्षा के सम्पादन मे बाधा आती है। कभी-कभी कक्षाये बहुत बडी होती है, और कमरे बहुत छोटे। किन्तु वहाँ दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। सन् १९४५ के बाद बने हुए स्कूलो की इमारतो मे प्रत्येक तीन मे से एक बालक शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये नए जूनियर स्कूल छोटे बालकों को ध्यान मे रख कर बनाये गये है। उनमे स्थान और प्रकाश दोनो पर्याप्त मात्रा मे है और उनकी डिजाइने शिक्षा के क्षेत्र मे पाई जाने वाली स्वतत्रता की प्रतीक है।

ऐसे स्कूलो मे यह भी सभव है कि बालको के शारीरिक-व्यायाम-शिक्षण पर उचित ध्यान दिया जाए। प्रत्येक दिन कुछ निश्चित समय के लिए सब बालक खुली हवा मे खेलते है। अग-नियत्रण के लिए विशेष प्रकार के जिमनैस्टिक उपकरणो का प्रबन्ध है। जब बालक शिशु विद्यालय से जूनियर स्कूल मे आता है उसकी चाल-ढाल और अग सचालन मे एक भद्दापन रहता है। किन्तु दस वर्ष के होते-होते वे चतुराई और शक्ति के साथ चल-फिर सकते है और ऐसे खेल भी खेलते है जिनमे कई अगो के सम्मिलित सचालन की आवश्यकता पडती है। इस प्रकार जूनियर स्कूल मे स्वस्थ तन और मन दानो का समान विकास होता है।

बालकों की बौद्धिक और शारीरिक दोनो आवश्यकताओ की पूर्ति सावधानी से की जाती है और सामान्यत वे विद्यालय के समाज मे बडी प्रसन्नतापूर्वक पलते हैं, उनके पारस्परिक और अध्यापको के भावात्मक सम्वन्ध भी बहुत अच्छे रहते है। इस प्रकार उनके विश्व का हर प्रकार से विस्तार होता है।

राज्य के प्रत्येक विद्यालय मे केवल एक ही ऐसा विषय है जिसे समय-विभाग-चक्र मे सम्मिलित करना वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है। वह है धार्मिक शिक्षा। ओल्ड टेस्टामेट और ईसामसीह की कहानियो के द्वारा बालको को ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है और उनमे सद्-असद् के ज्ञान का अकुर उत्पन्न किया जाता है। पश्चिमी यूरोप मे रहते हुए जिसका इतिहास ईसाई धर्म का ही इतिहास है, बाइबिल तथा ईसामसीह के जीवन का ज्ञान तो बालक की स्वाभाविक पैतृक सम्पत्ति मानी जाती है और वह उनकी सास्कृतिक पृष्ठभूमि का एक आवश्यक अग है फिर भी धार्मिक शिक्षा किसी बालक के लिए अनिवार्य नही है। यदि कोई माता-पिता इस शिक्षा के ग्रहण मे आपत्ति करते है, तो वे अपने बालक को उससे हटा सकते है। सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत वहाँ के नागरिको को प्राप्त यह एक अधिकार है जो धार्मिक स्वतत्रता और सहनशीलता के सिद्धान्त को स्वीकार करता है।

जूनियर स्कूलों मे चार वर्ष पढने के उपरान्त बालक न केवल शारीरिक दृष्टि से बडे हो जाते है। उनमे अधिक आत्म विश्वास भी उत्पन्न होता है। वे उस ससार मे जिसे वे अब कुछ-कुछ समझने लगे है अधिक सरलता से चल-फिर और घूम सकते है, इन वर्षो मे उनकी पर्याप्त बौद्धिक उन्नति भी हुई है। ससार के प्रति उनकी जागरूकता मे वृद्धि हुई है। उनके पास अब आवश्यक मात्रा मे आधारभूत ज्ञान है और उसकी सहायता से वे सेकेंडरी स्कूल करीक्यूलम के विभिन्न विषयो मे पाए जाने वाले अधिक कठिन सैद्धान्तिक विचारों (academic concepts) को समझने की क्षमता रखते है। वे इस समय जूनियर स्कूल के भलीभाँति परिचित और सीमित संसार को छोड कर माध्यमिक स्कूल के जटिल ससार मे प्रवेश करने जा रहे है। वे किशोरावस्था की देहरी पर खडे है और साथ ही शिक्षा की यात्रा मे भी यह उनका नया महत्वपूर्ण कदम है।

११ वर्ष की आयु मे जूनियर स्कूल के सभी बालको का वर्गीकरण हो जाता है। यह वर्गीकरण (grading) कक्षा मे किए हुए उनके कार्यो की श्रेष्ठता पर तथा बुद्धि परीक्षाओ के फलस्वरूप होता है। इसी वर्गीकरण को ११+ कहते है। इस सूचना के आधार पर वे उस माध्यमिक विद्यालय मे भेजे जाते है जो उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये स्कूल साधारणत ग्रामर, मॉडर्न या टेक्निकल होते है।

७ माध्यमिक विद्यालय (Secondary School)

त्रिविभागीयवाद (Tripartitism)

जब हैडो कमेटी ने सन् १९२६ ई० मे यह सिफारिश की कि 'शिक्षा का माध्यमिक स्तर जहाँ तक सम्भव हो एक इकाई ही माना जाये जिसके अतर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षा का समावेश हो' उस समय इगलैण्ड मे तीन प्रकार के स्कूल पाए जाते थे (१) ग्रामर स्कूल जो सन् १९४४ ई० के वाद पाए जाने वाले सेकेंडरी स्कूल का एकमात्र रूप थे। (२) मॉडर्न स्कूल—जिसके अतर्गत चुनने योग्य (selective) और न चुनने योग्य (non-selective) दोनो प्रकार के सेन्ट्रल स्कूल सम्मिलित थे। (३) जूनियर टेकनिकल स्कूल जो सन् १९३६ मे बैठने वाली Sir Will Spins (सरविल स्पिन्स) की कमेटी के द्वारा टेकनिकल हाई स्कूल मे वदल दिए गए। सन् १९४३ ई० मे Committee of the Secondary Schools Examination Council १ (माध्यमिक विद्यालय परीक्षा-परिषद् की समिति) ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी। इस प्रकार सन् १९४४ के एक्ट के पहले ही इंगलैण्ड की माध्यमिक शिक्षा मे त्रिविभागीय प्रणाली (Tripartite System) का प्रवेश हो चुका था।

यद्यपि सन् १९४४ के एक्ट मे इसका कोई स्पष्ट उल्लेख न था किन्तु यह प्रथा नयी माध्यमिक प्रणाली से इतना मेल खाती थी कि लोग साधारणतया इसे भी एक्ट द्वारा अनुमोदित समझने लगे। पर वास्तव मे बात ऐसी न थी। एक्ट ने तो स्थानीय शिक्षाधिकारियो (Local Education Authorities) को केवल यह आदेश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त सख्या मे समुचित स्कूलों की व्यवस्था करे। आगे चलकर एक्ट ने यह भी बताया कि ये स्कूल समुचित और पर्याप्त तभी समझे जायेगे जब सभी छात्रो को उनकी आयु, योग्यता, रुचि और आवश्यकताओ के अनुरूप शिक्षा के अवसर मिल सके। किन्तु पूरे एक्ट में सेकेंडरी स्कूल के लिए कही भी ग्रामर, मॉडर्न तथा टेकनिकल शब्दो का प्रयोग नही किया गया है।

यद्यपि यह सच है कि १९४४ के एक्ट ने त्रिविभागीयवाद के लिए कोई स्वीकृति नही दी फिर भी इस विभाजन को लोग अधिकाश मे स्वीकार करते रहे; क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पद्धति के विकसित रूप से यह अत्यत मेल खाती थी। उदाहरण के लिए, ग्रामर स्कूल के अस्तित्व में कोई सदेह न था। इंगलैण्ड की परम्परा का सच्चा प्रतिनिधित्व इसी के द्वारा होता था और स्वयं इसका जीवन १००० वर्ष से भी अधिक का हो चुका था। सन् १९२१ के शिक्षा अधिनियम की २०वी धारा के अतर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए बहुत से L.E.As ने जिन सीनियर या सेंट्रल स्कूलों की स्थापना की उनके सच्चे उत्तराधिकारी के रूप मे हमे सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल ही मिले। इसी प्रकार सेकेंडरी टेकनिकल स्कूल पुराने जूनियर टेक-

---

१ The Norwood Committee.

निकल स्कूल का ही एक रूप था जिसमे आयु की सीमा और पाठ्यक्रम मे विस्तार कर दिया गया था। स्वय शिक्षा-मन्त्रालय ने सन् १९४७ मे The New Secondary Education नामक सरकारी विज्ञप्ति में इसी दृष्टिकोण की घोषणा की। यही नही माध्यमिक स्कूलो के तीनो प्रचलित प्रकारो और मनोवैज्ञानिक आधार पर किए हुए छात्रो के तीन प्रकार के वर्गीकरण मे अत्यत समानता प्राप्त हुई। उनके अनुसार अनुभव द्वारा यह ज्ञात हुआ कि—(१) बालक यथार्थ वस्तुओ के सम्पर्क से अत्यत सरलता से सीखते हैं और यदि उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवो के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तो वह उनके लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा। ऐसे बालको के लिए मॉडर्न स्कूल मे प्रदान की जाने वाली शिक्षा सबसे अनुकूल थी। (२) अधिक जटिल और सूक्ष्म भावो को ग्रहण करने की क्षमता रखने वाले बालको के लिए ग्रामर स्कूल मे प्रदान की जाने वाली शिक्षा सबसे अधिक लाभप्रद थी। तथा (३) जिन बालको ने कम आयु मे ही यह निश्चित कर लिया था कि गणित और विज्ञान मे विशेष रुचि होने के कारण वे औद्योगिक या कृषि के व्यवसाय को आगे चलकर अपनायेगे, उनके लिए टेकनिकल स्कूल की शिक्षा थी।

शिक्षा के ये तीनो मनोवैज्ञानिक आधार तत्कालीन प्रचलित माध्यमिक शिक्षा पद्धति से इतना मेल खा गए कि जनता के मन मे यदि इन स्कूलो के प्रति सरकारी समर्थन का सदेह उत्पन्न हुआ तो आश्चर्य की बात न थी। यही कारण था कि सन् १९४७ ई० मे मत्रालय की सरकारी विज्ञप्ति के बाद त्रिविभागीयवाद (Tripartitism) की बडी कटु आलोचना हुई। इस आलोचना और प्रत्यालोचना का अध्ययन न केवल रुचिकर है, वरन् वह इस बात का भी सकेत देता है कि अपने बालको के भविष्य की हित-चिन्तना मे इगलैण्ड के निवासी कितने जागरूक है।

त्रिविभागीयवाद की आलोचना—(Criticism of Tripartitism) त्रिविभागीयवाद के विरोधियो ने निम्नलिखित तर्क सामने रखे है—

(१) तीन प्रकार के स्कूलो के अनुकूल बालको का तीन श्रेणियो मे विभाजन मनोविज्ञान से समर्थन नही पाता। यह तो केवल प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से किया गया है तथा इसके द्वारा स्कूलो को बालको के अनुकूल न बनाकर बालको को स्कूलों के अनुकूल बनाने का अन्यायपूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

(२) अभिभावको का यह अनुभव है कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रामर और मॉडर्न के मध्य कोई समानता नही है—न तो सामाजिक दृष्टि मे और न व्यावसायिक अवसरो की दृष्टि से। ग्रामर स्कूलो के साथ पुरानी परम्परा और विश्वविद्यालयो की ख्याति लगी है, मॉडर्न स्कूलो के साथ नही। ग्रामर स्कूल जीवन के उदार व्यवसायो के लिए एक मुक्तद्वार है।

(३) ग्रामर और मॉडर्न स्कूलो मे पाया जाने वाला अन्तर इतना अधिक स्पष्ट है, और ग्रामर स्कूलो के लिए बालकों के मन मे इतनी उत्सुकता रहती है कि उनमे प्रवेश पाने के लिए वे अत्यधिक परिश्रम करते है और बहुधा अपना स्वास्थ्य खो बैठते है।

(४) ११ वर्ष की आयु मे बालको की बुद्धि इतनी अपरिपक्व होती है कि वे अपने हित का कोई ठीक चुनाव नही कर सकते।

इन आलोचनाओ के निवारण के लिए शिक्षाविदो की ऐसी भी राय है कि इस प्रकार के सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाए जो सब प्रकार के लडके और लड़कियो को भरती करता है और विद्यालय के अतर्गत ही उनका वर्गीकरण कर लेता है। इस प्रकार त्रिविभागीयवाद (Tripartitism) के विरुद्ध समावेशक या बहुग्राही विद्यालय (Comprehensive or Multilateral School) का विचार समर्थित किया गया। यह विवाद अभी चल ही रहा है और अब एक राजनीतिक विषय बन गया है। इतना विषय कहा जा सकता है कि ग्रामर स्कूल के समर्थको ने समावेशक विद्यालय का बड़ा कड़ा विरोध किया है। यही कारण है कि पर्याप्त समर्थन प्राप्त होने पर भी बहुत कम बहुग्राही विद्यालय (Multilateral Schools) स्थापित हो गये है। सन् १९५२ मे प्रकाशित शिक्षा मत्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जब कि त्रिविभाजन पद्धति के अनुकूल ४८४५ स्कूल ग्रामर, मॉडर्न तथा टेकनिकल प्रकार के थे, वहुग्राही (comprehensive) स्कूलो की सख्या केवल ६९ थी।

सेकेन्डरी ग्रामर स्कूल

(अ) **नामकरण** (Nomenclature)—सर्वप्रथम ग्रामर स्कूल की स्थापना लगभग सन् ५९७ या ५९८ ई० मे कैंटरबरी मे हुई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय पादरियो को लैटिन भाषा की शिक्षा देना था जिससे वे गिरजाघरो मे प्रार्थना सभाये सचालित कर सके। साथ ही उच्च घरानो के अमीर-उमरा भी यह शिक्षा प्राप्त करते थे जिससे कि वे ईसाई धर्म के सिद्धान्तो को समझ सके। कुछ समय बाद यॉर्क, विनचेस्टर, वॉरसेस्टर, लिचफील्ड और हरफोर्ड मे अन्य ग्रामर स्कूल शीघ्र ही खोले गये।[1] इस प्रकार 'ग्रामर' शब्द द्वारा सदैव एक प्राचीन परम्परा का अनुमान होता रहा है। गत वर्षो मे, विशेषकर सन् १९४४ के ठीक पहले कुछ स्कूलो ने ऐतिहासिक दृष्टि से नए होते हुए भी 'ग्रामर' नाम धारण करने का प्रयत्न किया। ये वास्तव मे सन् १९०२ के शिक्षा अधिनियम द्वारा दिए हुए अधिकार के अतर्गत L E.As द्वारा स्थापित नए माध्यमिक विद्यालय थे। निस्सन्देह ये स्कूल कुछ ऐसे वास्तविक ग्रामर स्कूलो की तुलना मे खोले गये थे जिन्हे एल० ई० एज० (L E.As) से आर्थिक सहायता मिलती थी पर जो फिर भी काफी सीमा तक स्वतंत्र थे। साथ ही साथ कुछ दूसरे प्रसिद्ध ग्रामर स्कूल जो अपने को पब्लिक स्कूलो की श्रेणी मे रखना चाहते थे, दूसरा मार्ग ग्रहण कर रहे थे और उन्होने अपने को 'ग्रामर स्कूल' कहना बन्द कर दिया था। आज 'ग्रामर' शब्द किसी प्राचीन काल से चले आने वाले स्कूल का प्रतीक नही है, यद्यपि ऐसे प्राचीन स्कूल देश मे अब भी वर्तमान है। आज कल 'ग्रामर' शब्द से माध्यमिक शिक्षा के अतर्गत एक प्रणाली से ही तात्पर्य है। सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) ने ऐसे स्कूलो का उल्लेख किया है जो 'आजकल अधिकतर साहित्यिक और वैज्ञानिक करीक्यूलम का अनुसरण करते है।' उसने ऐसे स्कूलो को ही 'ग्रामर स्कूल' के नाम से सम्बोधित करने की सिफारिश की है। सन् १९४४ का एक्ट पास होने के बाद इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी स्कूलो को 'ग्रामर स्कूल' कहने लगे।

---

१ देखिए *The History cf Education in Great Biritain* लेखक S. J. Curtis, पृष्ठ ६. प्रकाशक—University Tutorial Press

पर एक बात निश्चित है कि चाहे आज का ग्रामर स्कूल अपने पीछे एक गौरवशाली प्राचीन इतिहास न रखता हो, फिर भी उसमे दी जाने वाली शिक्षा का करीक्यूलम अब भी उन्ही विषयो से सम्बन्धित है जो कई सौ वर्षो से ग्रामर स्कूलो मे पढाए जाते रहे हैं।

(आ) संख्या--L E.As द्वारा सचालित और व्यवस्थित ग्रामर स्कूलो की सख्या इगलैण्ड और वेल्स मे लगभग १२५० है। इनकी तुलना मे ३५०० से अधिक मॉडर्न स्कूल और ३०० के लगभग टेकनिकल स्कूल आते हैं। सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल की तुलना मे सेकेंडरी ग्रामर स्कूल कुछ सीमित किन्तु अधिक योग्य बालको की शिक्षा का प्रबन्ध करता है। सेकेन्डरी टेकनिकल स्कूल से तुलना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर ग्रामर स्कूल एक बड़ी पुरानी परम्परा से सम्बन्धित है, टेकनिकल स्कूल बिल्कुल ही नए हैं। उनका कोई पुराना इतिहास नही है। इन ग्रामर स्कूलो के अतर्गत एक विशिष्ट प्रकार के ग्रामर स्कूलो का भी वर्ग है, जो डाइरेक्ट ग्रान्ट (Direct Grant) स्कूलो के नाम से पुकारे जाते हैं। ये L E A. के आधीन नही होते। इन स्कूलो को शिक्षा मत्रालय से सीधी सहायता प्राप्त नही होती। अपनी इस सुविधा के बदले मे इन स्कूलो को सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलो में कम से कम दो वर्ष पढ़े हुए बालको को एक निश्चित सख्या मे प्रवेश देना पड़ता है। यह सीमा प्राइमरी स्कूल की अंतिम कक्षा मे पढ़ने वाले छात्रो की २५% होती है। ये स्कूल पढ़ने वाले छात्रों मे से कम से कम ५०% छात्रो से फीस ले सकते हैं। फिर भी घर पर रह कर पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक मत्रालय द्वारा स्वीकृत आय-क्रम के अनुसार आधी या पूरी फीस माफी का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। मत्रालय ऐसे स्कूलो को प्रतिछात्र के आधार पर (capitation grant) सहायता देता है। डाइरेक्ट ग्रान्ट ग्रामर स्कूलो की सख्या लगभग १६० है।

(इ) स्थिति और इमारत (Premises)---ग्रामर स्कूल जिन इमारतो मे लगते है, वे विभिन्न प्रकार की और विभिन्न युगो की है। शताब्दी के आरम्भ मे L.E.As विशेष रूप से अपने नए अधिकारो के प्रयोग मे शीघ्रतापूर्वक संलग्न थे। कभी-कभी वे इसी उद्देश्य से बनायी हुई नई इमारतो मे माध्यमिक विद्यालय खोल देते थे। कभी-कभी वे प्राइवेट बड़े-बड़े भवनो को खरीद लेते थे और उन्ही मे आवश्यकतानुसार यथासम्भव परिवर्तन कर लेते थे। इनमे से अधिकाश स्कूलो में छात्रों की सख्या आशातीत रूप मे बढ़ गई थी। जो भवन विशेषकर इसी उद्देश्य से बनाए गए थे, उनमे तो विस्तार की सम्भावना थी, किन्तु जो प्राइवेट इमारते इस कार्य के लिए खरीदी गई थी उनमे इसकी कम सम्भावना थी। फलस्वरूप ऐसी दशाओं मे नए भवन वनवाने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त जिन पुराने ग्रामर स्कूलो की L E.As. पहले केवल सहायता मात्र करते थे, वे अब उनके पूरे नियन्त्रण मे आने लगे। इन पुराने ग्रामर स्कूलो की इमारते अब काम न देती थी। अत इनके स्थान पर नयी इमारतों की आवश्यकता थी। प्रथम महायुद्ध के काल में और उसके पश्चात् भी अति आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकडी की झोपड़ियाँ डाल लेते थे। फिर भी यह कहना सत्य है कि L.E.As को अपने ग्रामर स्कूलों पर सदैव अभिमान रहा है और प्राथमिक विद्यालयो की अपेक्षा उनकी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देती रही हैं।

(ई) कर्मचारीगण---ग्रामर स्कूल चाहे वे किसी युग के क्यो न हो, एक

ऐसी परम्परा को साथ लेकर चलते है जो उन्हे सीधे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करती है। उनका उद्देश्य अपने प्रतिभाशाली छात्रो को विश्वविद्यालय भेजना है और अपने अध्यापकों का चुनाव भी वे इन विश्वविद्यालयो मे से पढ़ कर निकलने वाले स्नातकों से करते हैं। इनका लगभग ३⁄४ अध्यापक वर्ग स्नातक (Ggraduate होता है और लगभग ४⁄५ भाग एक वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा (Professional Training) प्राप्त होता है। आँकडो से यह ज्ञात होता है कि वेल्स मे इगलैण्ड की अपेक्षा स्नातको (Graduates) की सख्या अधिक है। उनमे भी प्रशिक्षण (Training) प्राप्त व्यक्तियो मे स्त्रियाँ पुरुषो से कही अधिक है[१] । यह बात निस्सन्देह है कि ग्रामर स्कूलो मे बडी ऊँची योग्यता वाले अध्यापक और अध्यापिकाये भी रहते है किन्तु अभाग्यवश यह भी सच है कि स्वय ग्रामर स्कूलो मे बैठी दृढ धारणा के अनुसार वहाँ का वेतन क्रम ऐसा है जिससे कि अच्छे और प्रतिभाशाली छात्र शिक्षण-व्यवसाय की ओर आकर्षित नही होते। चाहे निम्न-वेतन-क्रम (Low Pay Scale) इसका मुख्य कारण हो या न हो यह बात तो यथार्थ जान पडती है कि पहले की अपेक्षा अब विश्वविद्यालयो के प्रशिक्षण विभाग मे प्रवेश लेने वाले प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रो की सख्या कम होती जा रही है।

आकार की दृष्टि से ग्रामर स्कूल मे, दूसरे माध्यमिक विद्यालयो की ही भाँति कक्षाओं मे निर्धारित छात्र सख्या ३० है। किन्तु व्यवहार मे गत वर्षों मे एक बहुत बडी सख्या मे कक्षाये इस सीमा को पार कर गयी है। इस प्रकार ग्रामर स्कूल मे पाई जाने वाली कक्षाओ का आकार (Size) ३०–३५ है और १८,५०० कक्षाओं की गणना मे ७००० से लेकर ७५०० तक ऐसी कक्षाये होंगी जो अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक छात्र प्रविष्ट करती हैं।

इस बढती हुई सख्या को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए गए है और यदि अधिकारियों ने इसे रोकने का विशेष प्रयत्न न किया होता तो यह सख्या इससे कही अधिक होती। पर इस सम्बन्ध मे अधिकतम प्रवेश सीमा से बडी कक्षाओं के लिए छात्रों की बढ़ती हुई सख्या उतनी उत्तरदायी नही है जितनी कि ग्रामर स्कूल मे अध्यापन के लिए उपयुक्त शिक्षको की कमी। इधर यह भी नही कहा जा सकता कि ग्रामर स्कूल मे शिक्षकों की कमी है। पर दो विशेष कारण है जिससे शिक्षकों की यह कमी अनुभव की जा रही है। प्रथम तो १४ के स्थान पर १५ वर्ष की आयु मे बालक का विद्यालय छोडना और दूसरे महायुद्ध के बाद एकाएक पैदाइश मे बढती। पहले कारण के विषय मे यह जान लेना चाहिए कि १ली अप्रैल १९४७ को १४ के स्थान पर अनिवार्य विद्यालय आयु १५ कर दी गई। फलस्वरूप सन् १९४८ ई० तक माध्यमिक विद्यालयों मे इस आयु तक के २३९,७९९ छात्र और प्रविष्ट हुए। इनमे से अधिकांश सेकेंडरी मॉडर्न स्कूलो मे थे। दूसरे वर्ष इस सख्या मे ९०,२२७ की और वृद्धि हुई। जहाँ तक जन सख्या का प्रश्न है शिक्षा मत्री ने अपनी सन् १९४८ की वार्षिक रिपोर्ट मे यह बतलाया कि उस वर्ष तक पाँच वर्ष की आयु के बालको मे ६५,९६२ बालकों की वृद्धि हो गई है। यह बढने वाली जन संख्या का प्रथम लक्षण था। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों मे पढने वाले छात्रों की संख्या मे सन् १९४८ से सन् १९५३ तक के अन्दर १०-

---

१ देखिए Annual Reports of the Ministry to the Parliament, 1953 के आँकड़े।

लाख बालको की वृद्धि हुई। इस वृद्धि की सभावना से प्रशिक्षित अध्यापकों को सख्या जो सन् १९५० मे २०९,१०० थी सन् १९५३ मे बढ़ कर २२७,६०० हो गई। पर यह किसी दशा मे पर्याप्त न थी। जैसी कि आशा की जाती थी इस बढती हुई जन-वृद्धि का पहला प्रभाव शिशु और बाल विद्यालयों (Infant and Junior Schools) पर पडा। किन्तु आगे चल कर इसका प्रभाव मुख्य रूप से माध्यमिक विद्यालयों पर पडा। फिर भी अन्य माध्यमिक विद्यालयो की अपेक्षा ग्रामर स्कूल इस दृष्टि से अच्छे थे, क्योकि इनमे प्रवेश पाने वाले छात्रो की सख्या अन्य प्रकार के माध्यमिक स्कूलो की अपेक्षा कम थी। सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और गणित को छोड कर साधारणतया ग्रामर स्कूलो मे दूसरे प्रकार के योग्य और प्रशिक्षत अध्यापको की कमी नही है। किन्तु इन विषयो मे महिला शिक्षिकाओ की कमी बहुत अधिक है तथा भविष्य मे इसकी और भी अधिक सभावना है।

(उ) **पाठ्यक्रम** (Curriculum)—ग्रामर स्कूलो का परम्परागत उद्देश्य छात्रो को उदार शिक्षा देना रहा है। फिर भी इतिहास के इस दीर्घ काल मे उदार शिक्षा का अर्थ बदल चुका है।[1] सभ्यता के प्रारम्भिक चरणो मे प्रख्यात शिक्षा दार्शनिक अरस्तू (Aristotle) ने कहा था कि—'There is a distinction between liberal and illiberal pursuits, and it is manifest that only such knowledge as does not make the learner mechanical (vulgar) should form part of education.' अर्थात् उदार और अनुदार उद्यमों मे एक अन्तर है और यह स्पष्ट है कि केवल वह ज्ञान जो विद्यार्थी को यांत्रिक या सामान्य नही बना देता शिक्षा के अतर्गत आना चाहिए। आगे चलकर एक अन्य विचार को पुष्टि मिली जिसके अनुसार सात उदार कलाओ (Liberal arts) को मान्यता दी गई। इन सात विद्याओ या कलाओ मे व्याकरण, रीतिशास्त्र और तर्क शास्त्र (Grammar, Rhetoric and Logic) ग्रामर स्कूलो का क्षेत्र निर्धारित करते थे। व्यावहारिक दृष्टि से १६वी शताब्दी के ग्रामर स्कूलो का पाठ्यक्रम लैटिन साहित्य और लैटिन व्याकरण के विशेष अध्ययन तक ही सीमित रह गया। कभी-कभी ग्रीक भाषा को भी सम्मिलित कर लिया जाता था। इस प्रकार १९वी शताब्दी के मध्य तक केवल यही शिक्षा ग्रामर स्कूलो मे दी जाती रही। लैटिन भाषा और साहित्य का प्रभाव केवल ग्रामर स्कूलों तक ही सीमित न था बल्कि उसकी महत्ता जीवन के सभी क्षेत्रों मे स्वीकार की जाती थी। पद्रहवी शताब्दी के ग्रामर स्कूलो का उल्लेख करते हुए G M Trevelyan लिखते हैं—

'Familiarity with Latin such as the Grammar Schools set out to supply, was indeed essential in those days to any professional career. It was not merely the priest who needed it; it was required also by the diplomat, the lawyer, the civil servant, the physician, the merchant's accountant, the town clerk in many of the documents connected with their daily work.'[2]

---

१ देखिए Appendix II Secondary Education in the Report of the Consultative Committee on Secondary Education, 1938, H.M. S.O London

२ देखिए G M Trevelyan द्वारा लिखित *English Social History* पृष्ठ ७५.

इस प्रकार १९वी शताब्दी के मध्य तक केवल यही शिक्षा ग्रामर स्कूलो मे प्रदान की जा रही थी। १९वी शताब्दी के मध्य मे सवसे पहले मैथ्यू आॅर्नल्ड (Mathew Arnold) ने सवसे पहले इसे एक परिभाषा दी। आॅर्नल्ड के अनुसार इस पाठ्यक्रम मे मातृभाषा, लैटिन भाषा तथा अन्य आधुनिक भाषाओ का प्रारम्भिक ज्ञान, इतिहास, गणित और रेखा गणित, भूगोल तथा प्रकृति विज्ञान का सामान्य ज्ञान सम्मिलित किया गया। यह सब आधुनिक ग्रामर स्कूल पाठ्यक्रम का आधा स्वरूप था। सन् १९०४ ई० मे प्रथम 'रेगूलेशन्स फॉर सेकंडरी स्कूल्स' द्वारा यह पाठ्यक्रम ओर एक कदम आगे वढाया गया। इसके अनुसार इसमे निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए गए—अग्रेजी भाषा और साहित्य, भूगोल और इतिहास, अग्रेजी के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य भाषा प्राय फ्रेन्च, गणित और विज्ञान (सिद्धान्त और प्रयोगात्मक) तथा ड्राइग। लडकियों के लिए प्रयोगात्मक गृह विज्ञान (Practical Hous-wifery) भी था। इसके अतिरिक्त लडके और लडकियो के लिए शारीरिक श्रम ओर व्यायाम (Manual Work and Physical Exercises) भी सम्मिलित था। फिर भी यह कभी न सोचना चाहिए कि ग्रामर स्कूलों का पाठ्यक्रम विषयो की सूची देकर परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव मे जिन बालको को इस शिक्षा के योग्य समझा जाता है उनका सर्वांगीण विकास ही इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सन् १९३८ ई० मे प्रकाशित स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) के शब्दो मे—'The Grammar school should provide for the pre-adolescent and adolescent years a life which answers to their special needs and brings out their special values.'[१]

अर्थात् ग्रामर स्कूल का कर्त्तव्य है कि वह पूर्व-किशोर और किशोरावस्था के बालको के लिए एक ऐसे जीवन की व्यवस्था करे जो इस काल की विशेष आवश्यकताओ की पूर्त्ति भी करे और विशेष मूल्यो एव प्रतिभाओ को उभारे।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामर स्कूल विद्यालय के अंदर और बाहर सभी जगह कार्य करते है। स्कूल सभाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, अभिनय और नाटक, प्राकृतिक इतिहास (Natural History), फोटोग्राफी, तथा अन्य अनेक साधनों द्वारा यह शिक्षा होती रहती है। इसी प्रकार खेल-कूद प्रतियोगिताये भी होती है। सामूहिक रूप से संगीत सभाये, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि होते है। इस शिक्षा का सवसे विशिष्ट गुण है सीमित सख्या वाले प्रतिभाशाली लडके और लडकियों को उच्च प्रकार की शिक्षा देकर उन्हें जीवन के उच्च अवसरो के लिए तयार करना तथा अपनी अतिम कक्षा मे वहुत लगकर विशेष तैयारी द्वारा विश्वविद्यालयो तथा अन्य उच्च शिक्षा वाली सस्थाओं मे प्रवेश पाने के लिए अपने छात्रों को तैयार करना।

पहले पाँच वर्षो तक ग्रामर स्कूल का छात्र लगभग आठ विषयो का अध्ययन करता है और इस अवधि की समाप्ति पर वह इन विषयो मे जनरलसार्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन (साधारण स्तर)—(General Certificate of Education Ordinary Level) की परीक्षा मे बैठता है। इसके पश्चात् यदि वह चाहे तो स्कूल छोड कर कोई भी नौकरी या धन्धा कर सकता है, या फिर उसी

१ देखिए Secondary Education, the Report of the Consultative Committee 1938, पृष्ठ १४९ H M. S. O. London.

स्कूल मे दो वर्ष और पढकर उसके पश्चात् छठवी कक्षा (Sixth Form) की परीक्षा मे वैठता है। [1] इस कक्षा मे मुख्यतया वह या तो आर्ट्स के विषयों पर ध्यान केन्द्रित करता है, या विज्ञान सम्वन्धी विषयों पर। कला सम्वन्धी विषयो (Arts subjects) मे फ्रेंच, इगलिश, इतिहास और विज्ञान सम्बन्धी विषयों मे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के सचयन (combinations) वहुत अधिक लोकप्रिय है।

ग्रामर स्कूल की अतिम कक्षा (Sixth Form) मे पढने वाले छात्रो को कडे बौद्धिक अनुशासन मे रक्खा जाता है, क्योंकि ये ही वालक है जो उच्च स्तर का जनरल सार्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन (General Certificate of Education Advanced Level) की परीक्षा पास कर या तो विश्वविद्यालयो और ट्रेनिंग कालेजो मे जायेगे, या फिर उच्च टेकनालॉजिकल कोर्सो के लिए अध्ययन करेगे। ये ही वालक है जो इगलैण्ड की उच्च प्रशासनीय नौकरियो मे जायेगे. अथवा व्यापार और उद्योग मे उच्च पदो पर सुशोभित होगे और समाज के वौद्धिक नेता वनेगे।

सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल (माध्यमिक आधुनिक विद्यालय)

(अ) **नामकरण**---माध्यमिक आधुनिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की वह विशिष्ट प्रणाली है जो ११ वर्ष की आयु से बड़े अधिकाश लडकों और लडकियों को प्रदान की जा रही है। अत इसका इतिहास प्रारम्भिक स्कूलो (Elementary Schools) के इतिहास के साथ सम्वद्ध है। हम देख चुके है कि किस प्रकार १९वी शताब्दी मे हायर ग्रेड एलीमेन्ट्री स्कूलो मे माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी। आगे चल कर सन् १९१८ ई० मे शिक्षा अधिनियम द्वारा L. E As को आज्ञा दी गयी कि वे केन्द्रीय विद्यालय (Central Schools) खोलकर आयु मे वडे तथा अधिक प्रतिभाशाली बालकों और बालिकाओ के लिए प्रयोगात्मक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे। सन् १९२६ ई० मे सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) ने इन सेन्ट्रल स्कूलों मे होने वाले काम का व्योरा लिया। फिर भी कुछ L.E.As ने एलीमेन्ट्री स्कूलो से पृथक् बिना चुनाव वाले स्कूलों का रूप देने के लिए इन्हे सीनियर एलीमेन्ट्री स्कूलों की संज्ञा दी अर्थात् ऐसे स्कूल जहाँ पर प्रवेश पाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों की भाँति चुनाव न होता था। किन्तु जैसा हम पढ़ चुके है कि कमेटी ने इन दोनों प्रकार के नामों को रद्द कर दिया और उसके स्थान पर मॉडर्न (Modern) शब्द का उपयोग किया। तभी से सेकेंडरी स्कूल का यह प्रकार 'मॉडर्न स्कूल' के नाम से पुकारा जाने लगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज का माध्यमिक आधुनिक विद्यालय पहले के केन्द्रीय, ज्येष्ठ और उच्चतर विद्यालयो (Central, Senior and Higther Grade Elementary Schools) का ही वशज है। यह स्कूल एक विशेष उद्देश्य को लेकर चला है जो इस देश की शिक्षा के इतिहास मे बिल्कुल नवीन है। इसका उद्देश्य, जनसाधारण के वालको के लिए, प्राचीन काल मे दी जाने वाली अल्पसख्यक बालकों को माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष किन्तु उससे भिन्न माध्यमिक शिक्षा का प्रवन्ध

१ इन स्कूलों की छठवी कक्षा (Sixth Form) का तात्पर्य भारतीय स्कूलों की ११वी कक्षा से है। इसके अनुरूप ही हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी की व्यावस्था है जिसका अतिम वर्ष sixth form कहा जाएगा।

करना है। इसके द्वारा छात्रों की उन विशिष्ट आवश्यकताओ की भी पूर्ति होती है जो किशोर और पूर्व-किशोरावस्था के बालकों के लिए स्वभावजन्य है। इस दृष्टि-कोण से माध्यमिक विद्यालय (Secondary Modern School) इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली का सबसे रुचिकर तथा प्राचीन परम्पराओ को चुनौती देने वाला विषय है।

(आ) संख्या—जनवरी सन् १९५३ मे ३४२३ सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल थे। इनमे पढने वाले छात्रो की सख्या ११, ३५, ६६९ थी। तुलनात्मक रूप में उन्ही दिनो ११८४ ग्रामर स्कूल पाए जाते थे। इनमे ५,१२,६१३ विद्यार्थी पढते थे। इस प्रकार मॉडर्न स्कूल और ग्रामर स्कूलो की सख्या मे १ . ३ का सम्बन्ध था। टेकनिकल स्कूलो के साथ इनका सम्बन्ध १ . १० का है, अर्थात् प्रत्येक एक टेकनिकल स्कूल के लिए १० आधुनिक विद्यालय पाए जाते है। कितने सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल और खोले जायेंगे, कहा नही जा सकता। पर यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि जनवरी सन् १९५३ मे सर्वायु विद्यालयों (All Age Schools) की संख्या ७ लाख से अधिक थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि २० लाख छात्रो के लिए इन स्कूलो की व्यवस्था और करनी पडेगी।

(इ) स्थिति और इमारत (Premises)—यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार सेकेंडरी मॉडर्न स्कूलो की उत्पत्ति प्राथमिक विद्यालयो से हुई है। जहाँ तक ये विद्यालय सन् १९४४ के बाद बने हुए स्थानो और भवनो मे स्थापित हुए है, वहाँ तक ये शिक्षा मत्री द्वारा निर्देशित भवन-निर्माण स्तर के आदर्शो को पूरा करते है। किन्तु ऐसे स्कूलो की सख्या बहुत कम है। सम्भवतः पूरे स्कूलो की सख्या का $\frac{1}{10}$ ही होगी। जहाँ तक उन सेकेंडरी मॉडर्न स्कूलो का सम्बन्ध है जो एलीमेन्ट्री स्कूलो से रूपान्तरित हुए है, उनमे से कुछ थोडे से ऐसे है जो यद्यपि वर्तमान विद्यालय-निर्माण-स्तर से तो पीछे है और सम्भवत महायुद्ध के पूर्व बने हुए सेकेंडरी स्कूलो के भवनो के स्तर से भी पीछे हो, किन्तु फिर भी वे उस उत्साह को प्रदर्शित करते है जिसके साथ कि कुछ L E As ने हैडो रिपोर्ट के अनुसार अपने सीनियर एलीमेंट्री स्कूल स्थापित करना आरम्भ किए थे। उनकी इमारते किसी भी दशा मे एलीमेन्ट्री स्कूलो की इमारते नही कहला सकती विशेषकर उस अर्थ मे जो उन अधिकाश ऐलीमेंट्री स्कूलो पर लागू होता है जिनका निर्माण हैडो रिपोर्ट के सरकारी नीति के रूप मे प्रयुक्त होने के पहले हुआ था। शेष मे से अधि-काश ऐसी इमारतो मे स्थापित थे जो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक आव-श्यकताओ को ध्यान मे रख कर खोले गये थे। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयो की आवश्यकताओं से तात्पर्य उन आवश्यकताओ से है जिनका अनुभव इस रूप मे आज से ५०—६० वर्ष पूर्व हुआ था। इसका यह अर्थ नही कि तब से ये इमारते कभी सुधारी ही नही गई। ज्यो-ज्यो नई आवश्यकताओ का अनुभव हुआ है, यथा सामर्थ्य इन भवनो मे परिवर्तन भी किए गए है। यहाँ तक कि समय-समय पर उनका पुन-र्निर्माण भी हुआ है। इस प्रकार इमारतो की दृष्टि से तीन प्रकार के सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल इगलैण्ड मे पाए जाते है—

(१) जो स्कूल सन् १९४४ के बाद बने हुए भवनो मे स्थापित है।

(२) जो हैडो कमेटी की रिपोर्ट के उपरान्त सीनियर एलीमेन्ट्री स्कूलों मे परिवर्तित हुए और जिनकी इमारते सन् १९३० के बाद बडे बालको की आव-श्यकताओ को ध्यान मे रख कर बनाई गई।

(३) जो प्राथमिक विद्यालयो की पुरानी इमारतो मे ही स्थित है किन्तु जिनमे समय-समय पर परिवर्तन कराया जाता रहा है।

यद्यपि मॉडर्न स्कूलो का यह चित्र कुछ रुचिकर नही कहा जा सकता, फिर भी इसकी दो प्रमुख आशाये है। सन् १९४८ के बाद नये विद्यालय भवनो मे बडी तेजी से ये स्कूल खुलते जा रहे है, साथ ही नई इमारतो की डिजाइने न केवल कार्य की दृष्टि से वरन् सौदर्य की दृष्टि से भी पहले की अपेक्षा बहुत प्रगतिशील कही जा सकती है। नयी इमारतो के बनने की प्रगति का पता शिक्षा मत्री द्वारा प्रस्तुत की हुई प्रतिवर्ष की रिपोर्टो से लगता है। प्राइमरी और सेकेडरी दोनो को मिला कर सन् १९४८ से लेकर सन् १९५३ तक प्रति वर्ष बनने वाली इमारतो की सख्या इस प्रकार है--५५, १६५, ३०९, ४४४, ६७५ और ७३९ है। यह कहने की बात नही कि इन इमारतो मे सेकेडरी मॉडर्न स्कूलो को अपना उचित भाग मिलता ही रहता है। सन् १९४८ के अत मे शिक्षा मत्री ने विभाग के अतर्गत एक विकास दल (Development Group) की स्थापना की जिसका कार्य नयी इमारतो की डिजाइनो मे उन्नति करना है। इसीलिए जो बहुत ही हाल की बनी हुई इमारते है, वह पहले की बनी हुई इमारतो की अपेक्षा अच्छी और सुन्दर है। इस दल ने स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E.As) से मिल कर उसके अनुरूप (Prototype) इमारतो के प्रयोग किए। इस कार्य मे उन्होने तीन सिद्धान्तो के अनुसार कार्य किया--

(१) प्रत्येक स्कूल की डिजाइन उसकी व्यक्तिगत समस्या है।

(२) बहुत अश तक वह पहले पूर्वनिर्मित (Pre-fabricated) सामग्री की बनायी जावेगी।

(३) आगे चल कर ये ही अच्छे ढग की और स्थायी इमारतो के रूप मे ढाल दी जायेगी।

इस प्रयोग का फल यह हुआ कि वस्तुओ के बढते हुए दामो के समय मे भी नई इमारतो का व्यय वास्तव मे घट गया।

नए मॉडर्न स्कूलों मे दिए हुए स्थान की सुविधा स्थानीय दशाओ और परिस्थितियो के अनुसार बदलती रहती है। एक साधारण मॉडर्न स्कूल की स्थिति कम से कम ऐसी अवश्य होगी कि उसमे एक विस्तृत बाग, खेल के मैदान, एक सभा-भवन और कभी-कभी एक भोजनालय, जिमनेशियम तथा प्रयोगशालाये, हस्तकला कक्ष (Craftroom) और कक्षाये हो।

(ई) कर्मचारीगण--प्राथमिक पाठशालाओ मे बहुत कम अनुपात मे स्नातक शिक्षक रक्खे जाते थे। बल्कि उनका उद्देश्य था कि उनके सभी अध्यापक प्रशिक्षण डिप्लोमा जरूर प्राप्त हो। फलस्वरूप सेकेडरी मॉडर्न स्कूल मे अब कही जाकर विश्वविद्यालयो से नियमित रूप से स्नातक शिक्षक मिल रहे है। इस समय मॉडर्न स्कूलो मे पढाने वाले शिक्षको का १५% विश्व-विद्यालयो से आता है। बहुत ही कम शिक्षक प्रशिक्षण-रहित होते है।

निश्चित संख्या से अधिक छात्रों वाले कक्षाओ की समस्या मॉडर्न स्कूलो मे ग्रामर स्कूलो से भी कठिन है। सन् १९५१ मे, जो इस दृष्टिकोण से सबसे खराब वर्ष कहा जा सकता है, लगभग ८९४१ कक्षाये ऐसी थी जिनमे ३१ से ३५

तक छात्र थे, ८८९३ ऐसी थी जिनमे ३६–४० तक छात्र थे, २९१६ ऐसी थी जिनमे ४६–५० तक छात्र थे। ये सब मिलकर कुल कक्षाओ को ६०% थी। स्कूल छोडने की आयु बढाने का पहला प्रभाव मॉडर्न स्कूलो पर ही पडा। एक दो सालो मे बढती हुई जनसख्या का प्रभाव भी इस पर सबसे अधिक पडेगा। फिर भी यह आशा की जाती है कि शिक्षकों की सख्या मे शीघ्रता से होने वाली वृद्धि के कारण, कक्षाये अपने उचित आकार की हो जायेगी और यह समस्या एक विषम रूप धारण न करेगी।

(उ) **पाठ्यक्रम** (Curriculum)—सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल माध्यमिक शिक्षा की आयु के अधिकाश छात्रो और छात्राओ के लिए खोला गया है। जैसा कि मत्री महोदय ने कहा है 'ये छात्र और छात्राये यथार्थ से सम्पर्क स्थापित कर बहुत सरलता से अपना ज्ञान बढाते है, और उन्हे उस पाठ्यक्रम से सर्वाधिक लाभ होता है, जो इनके दैनिक अनुभव पर आधारित हो।' इन थोडे से साधारण कथनो को छोड कर मॉडर्न स्कूलो के पास ग्रामर स्कूलो की भाँति कोई गौरवशाली परम्परा नही है। ये केवल एलीमेन्ट्री स्कूलो की ही सताने है। फलस्वरूप प्रत्येक मॉडर्न स्कूल अपने दूसरे साथी मॉडर्न स्कूल से अलग अस्तित्व रखता है। फिर भी बहुत से निरीक्षको का कहना है कि विकास की कुछ दिशा इन स्कूलो मे भी निर्धारित होने लगी है।

जब इनके अग्रदूत सीनियर एलीमेंट्री स्कूल सबसे पहले सयोजित किए गए थे, इनमे से कुछ स्कूल विस्तृत उद्यानो, हस्तकला कक्षाओ और विज्ञान की कक्षाओ के प्रयोगात्मक रूप से प्रदत्त अवसरो के होते हुए भी केवल एलीमेन्ट्री ही बने रहे। दूसरे एलीमेन्ट्री स्कूल ग्रामर स्कूलों का अनुकरण करने लगे। इसके अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी के भी स्कूल हुए। ये पूर्वकथित दोनो प्रभावो से अपने को तटस्थ रखने लगे। उनसे यह कह दिया गया था कि वे पुराने एलीमेन्ट्री स्कूलो के बन्धन से मुक्त है, अत वे रूढिगत पद्धतियो के स्थान पर कोई दूसरी नई पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किए गए। ये स्कूल प्रायोजनाओ (Projects) और रुचि केन्द्रों (Centres of Interest) के रूप मे शिक्षा को सोचने लगे। निश्चय ही इन पद्धतियो के लिए आने वाला उत्साह अपनी सीमा पार कर गया। पठन, लेखन और गणित (Three Rs) की कोई महत्ता न रह गयी। 'शैक्षणिक' (Academic) शब्द का प्रयोग प्रशसा के स्थान पर व्यंग और निन्दा वाची हो गया। शीघ्र ही आगे चल कर इस बात पर सदेह किया जाने लगा कि जिन मनोवैज्ञानिक मतभेदो के आधार पर लडके और लडकियो के लिए अलग-अलग स्कूलो की व्यवस्था की गई है, वे सही भी है या नही। क्या सचमुच ग्रामर स्कूल मे प्रवेश पाने वाला लडका या लडकी उस लडके या लडकी से भिन्न है जो उसमे प्रवेश पाने मे असफल रहा और यदि यह अंतर बहुत कम है, तो क्या यह न्याय-संगत होगा कि इन बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ग्रामर स्कूलों के पाठ्यक्रम से बिलकुल ही पृथक् रक्खा जाये। साथ ही यदि एक टेकनिकल स्कूल मे व्यावसायिक दृष्टि से शिक्षा दी जा सकती है, तो क्या मॉडर्न स्कूल मे इसकी व्यवस्था नही हो सकती। और भी बहुत सी समस्याये सामने आईं। उदाहरण के लिए (१) उन अभिभावकों के लिए, जो अभी तक अपने बालकों को केवल ग्रामर स्कूलों मे भेजने के ही अभ्यस्त थे इन मॉडर्न स्कूलों को पर्याप्त रूप से आकर्षित बनाया जाए।

(२) साथ ही साथ ग्रामर स्कूलों मे पढने वाले छात्रों को व्यवसाय की जो श्रेष्ट सुविधाये मिलती है, उनके बदले मे इन स्कूलो मे कुछ ऐसी सुविधाये और आकर्षण उपस्थित किए जाये जो ग्रामर स्कूलो मे न मिलते हों।

ग्रामर स्कूल की तुलना मे इन असुविधाओं पर विजय पाने के लिए कुछ मॉडर्न स्कूलो ने अपने बालको और बालिकाओ को उचित स्तर पर 'शिक्षा का सामान्य प्रमाणपत्र' (General Certificate of Education) नामक परीक्षा मे बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। यह परीक्षा साधारणत. ग्रामर-स्कूल परीक्षा ही मानी जाती रही है। साथ ही अपने पाठ्यक्रम मे ये स्कूल एक विदेशी भाषा साधारणत फ्रेन्च भी सम्मिलित कर लेते है। दूसरी ओर वे बालको की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियो को भी उन व्यवसायो की ओर जागृत करते है जिनमे आगे चलकर वे प्रवेश पाना चाहते है। इसका यह तात्पर्य नही कि अब योजनाये (projects) बिल्कुल ही समाप्त कर दिए गए है। पर अब वे पाठ्यक्रम पर हावी न होकर शिक्षा की सहायता ही करते है।

सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल का पाठ्यक्रम ग्रामर स्कूल के पाठ्यक्रम से दो रूपो मे पृथक् है। सर्वप्रथम तो विषय कम शास्त्रीय है (उदाहरण के लिए लैटिन नही पढाई जाती) और दूसरे पाठन विधियाँ कम अस्पष्ट और किताबी है, और उनका झुकाव बहुत कुछ यथार्थ की ओर है।

एक सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल मे सभी बालको को सामान्य रूप से तीन वर्ष तक एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढना पडता है। उदाहरण के लिए : अग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, धार्मिक शिक्षा, सगीत, शारीरिक व्यायाम, शिक्षा. और खेल-कूद, लकडी या धातु का काम, और लडकियों के लिए सिलाई और घर गृहस्थी का काम। साथ ही बहुधा फ्रेन्च या कोई अन्य भाषा भी पढाते है।

स्कूल मे भरती होने पर बालको का बहुधा वर्गीकरण कर दिया जाता है। एक सामान्य मॉडल स्कूल मे तीन प्रकार के आयु-वर्ग (age group) होते है। प्रत्येक वर्ष के आयु वर्ग (age group) मे ९० से लेकर १०० बालक तक होते है। 'A फॉर्म' मे वे बालक होते है जो शास्त्रीय अध्ययन (academic studies) की ओर अधिक झुकाव रखते है। 'B फॉर्म' औसत दर्जे के बालको के लिए होता है तथा 'C फॉर्म' मे कम प्रतिभा वाले बालक होते है। इन्ही मे एक छोटा-सा समुदाय पिछडे हुए बालकों का भी होता है। इनमे से प्रत्येक वर्ग या धारा अपनी गति से तीन वर्ष तक अपने कोर्स का अनुसरण करेगी। यदि बालक के अध्ययन की प्रगति मे कोई विशेष परिवर्तन दिखलाई पडता है तो उसे एक धारा से हटा कर दूसरी धारा मे—एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे बदल सकते है। इसमे कोई अडचन इस लिए और नही पड़ती कि सम्पूर्ण आयु-वर्ग (age group) एक कक्षा से दूसरी कक्षा मे जाता है।

ऐसे स्कूल मे साधारणतया विभिन्न छात्रो की बुद्धि और योग्यता मे पर्याप्त अंतर पाया जाता है। A फार्म के अच्छे लडके इतना अच्छा काम करते है जो शास्त्रीय और सैद्धान्तिक दृष्टि से बहुधा उतना ही अच्छा होता है जितना कि ग्रामर स्कूल के बालकों का। ऐसे बालको को चौथी और पाँचवी कक्षा (भारत की नवी और दसवी कक्षा) मे भी शास्त्रीय अध्ययन की आज्ञा मिल जाती है। वे उसी पाठ्यक्रम का अनुसरण करते है जो ग्रामर स्कूल के छात्र करते है और अत मे ग्रामर स्कूल

के छात्रो के साथ 'जनरल सार्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन' की परीक्षा मे बैठते है।

तीन वर्ष के बाद मॉडर्न स्कूल के अधिकांश छात्रो को अपनी रुचि के विषय मे विशेष योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें औद्योगिक और व्यापारिक दोनो प्रकार के कोर्सो को व्यवस्था है। जो बालक औद्योगिक विषय पसन्द करते है वे अपने चौथे और यदि रुके तो अपने पॉचवो वर्ष की शिक्षा मे टेकनिकल ड्राइग, मेटलवर्क तथा विज्ञान की ओर ध्यान अधिक देते है। वे प्रति सप्ताह एक या डेढ़ दिन प्रायोगिक काम करते है, उदाहरण के लिए इजीनियरिंग को वर्कशाप (कारखाने) मे वे तरह-तरह की मशीनो का प्रयोग सीखते है। साथ ही साथ वे अपनो अग्रेजो, गणित, इतिहास भूगोल, सगीत या कला का अध्ययन करते ही रहते है।

वे लोग, जिनमे लडकियाँ अधिक है और जो एक व्यापारिक पाठ्यक्रम (Commercial Course) चुनते है, अपना कुछ समय तो कॉमर्स के कमरे मे व्यतीत करते है जहाँ वे शार्टहैन्ड, टाइपराइटिंग और बुक कीपिग सीखते है शेष समय बडे-बडे फर्मो और दफ्तरो की कार्यप्रणाली के अध्ययन मे व्यतीत करते है जहाँ उन्हे वास्तविक कार्य का भी अनुभव होता है। प्रत्येक कॉमर्स रूम मे लगभग ३० टाइप राइटर रहते है, एक डुप्लीकेटर, फाइलिंग कैबिनेट्स इत्यादि होते है जिससे कि लडकियाँ स्कूल छोड़ने के पहले दफ्तरो की कार्यप्रणाली से परिचित हो जाये। टेकनिकल ग्रुप के बालको के समान ही ये विद्यार्थी सामान्य विषयो का अध्ययन भी करते रहते है।

मॉडर्न स्कूलो मे एक ओर शास्त्रीय (academic) और दूसरी ओर टेकनिकल पाठ्यक्रमो को व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जो बालक ११+ की आयु पर इनमे से किसो ओर अपनो रुचि या झुकाव प्रदर्शित करे, उन्हे बिना किसी अडचन के ऐसी शिक्षा सुलभ बनायी जा सके, ताकि व्यर्थ उनका समय बरवाद न जाए और मॉडर्न स्कूल छोडने के बाद वे उपयुक्त अग्रिम शिक्षा के पाठ्यक्रमो को चुन सके।

इन स्कूलो मे 'मन्द बुद्धि और पिछडे हुए' बालको की शिक्षा के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक रक्खा जाता है। ये बालक अपना अधिकाश समय हाथ के कामो मे व्यतीत करते है और अपनी मौखिक और लिखित भाषा को धीरे-धीरे सुधारते है।

मॉडर्न स्कूलो के वहुत से वालक वाहरी परीक्षाओ मे भी बैठते है। इसके कारण पाठ्यक्रम चयन मे अपेक्षाकृत अधिक स्वतत्रता रहती है। साथ ही शिक्षक को भी अन्वेषण और प्रयोग को पर्याप्त सुविधा और अवसर रहते है। उदाहरण के लिए भूगोल और इतिहास मे मॉडर्न स्कूल मे बहुत कुछ प्रायोगिक कार्य हुआ है। इन दोनों विषयों को मिला कर एक कर दिया गया है और उसे सामाजिक विषय (Social Studies) की सज्ञा दे दी गयी है। इनका मुख्य आधार किसी स्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक विकास है। बालकों को अपने ही गाँव, काउन्टी या नगर के सम्बन्ध में यह ज्ञान कराया जाता है कि किस प्रकार नगर की भौगोलिक स्थिति और जलवायु ने वहा के लोगों के जीवन और उद्योग-धन्धो पर अपना प्रभाव डाला है और किस प्रकार विभिन्न ऐतिहासिक कालो में वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। इस प्रकार बालक

अपने ही विकास के सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त करता है और 'परम्परा' शब्द के वास्तविक अर्थ को समझते है।

सामाजिक विषयो मे किया जाने वाला इस प्रकार का कार्य विचारो के व्यावहारिक प्रयोग के लिए बडा क्षेत्र प्रस्तुत करता है। अनेक प्रकार के मॉडल बन सकते है जैसे—माध्यमिक युग का एक ईसाई मठ (a christian monastary of medieval times) एक सामन्तकालीन जागीर (a feudal manor) एलिजाबेथ के समय का एक नगर, औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution)) के समय की एक फैक्टरी, एक रेडियो टेलिस्कोप इत्यादि। इस प्रकार की प्रायोजनाये (Projects) अनेक दूसरे विषयो का सानुबन्ध भी करती है जैसे लकडी का काम, धातु का काम, चित्र कला इत्यादि और इन्ही अध्ययनो के सम्बन्ध मे स्थानीय टाउन हाल, या टाउन कौसिल दिखाने के लिए बालकों की टोलियाँ भी ले जायी जा सकती है। वे स्थानीय कारखाने, चित्रो की गैलरियाँ, अजायबघर और स्थापत्य तथा ऐतिहासिक महत्व की इमारतो को भी देखने जाते है। इन साधनो के द्वारा इतिहास और भूगोल उनके लिए जीवित विषय बन जाते है। बालक उन्हे साभिप्राय सीखते है—क्रिया द्वारा सीखते है। इस प्रकार विद्यालय केवल नीरस शिक्षण का स्थान मात्र नही है, वह मानवो का एक समुदाय है, जो मिलकर रहना सीख रहे है।

एक सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल मे दूसरे स्कूलो की भाँति प्रातःकालीन प्रार्थना (Morning Assembly) होती है जिसमे स्कूल हाल में सभी बालको और शिक्षको का सम्मिलित होना महत्वपूर्ण है। पहले पद्रह मिनटो तक पूरा स्कूल एक स्थान पर एकत्रित होता है। इस समय पूर्ण शान्ति होती है। लोग श्रद्धा से नत होते है और इस समय सर्व-धर्म-मान्य एक प्रार्थना होती है। बाइबिल से कुछ पक्तियाँ पढी जाती है, एक भजन गाया जाता है और हेड मास्टर कर्त्तव्य और उत्साह के कुछ शब्द अपने शिक्षको ओर छात्रो से कहता है। ईश्वर की प्रार्थना (Lord's Prayer) पूरे उपस्थित समुदाय द्वारा कही जाती है। कुछ समय तक जब तक कि पूरा स्कूल तितर-बितर नही हो जाता पूर्ण शान्ति रहती है। इस प्रकार प्रातकालीन प्रार्थना सारे दिन के लिए एक प्रेरणा देती है।

सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल का विकास सन् १९४४ से बहुत अधिक हुआ है। किन्तु अब भी अनेक समस्याये उनके सामने है, जिनकी चुनौती उन्हे स्वीकार करनी है। उदाहरण के लिए कक्षाये बहुत बडी है और शिक्षक कम है। बहुत से स्कूल बहुत पुराने है और स्थान का भी बडा अभाव है। फिर भी यह आशा की जाती है कि अनिवार्य विद्यालय आयु शीघ्र ही १५ से १६ वर्ष कर दी जायगी। यदि ऐसा हुआ तो इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली पर बहुत अधिक भार पड जायेगा—क्योंकि इस समय ७०% बालक १५ वर्ष के बाद पढना छोड कर कोई न कोई अन्य धन्धा या कोर्स चुनने लगते हैं।

सेकेंडरी टेकनिकल स्कूल—(माध्यमिक औद्योगिक विद्यालय)

सन् १९०० के बाद विशेष कर लन्दन मे कुछ ऐसे विद्यालयो की स्थापना हुई जो दिवसीय व्यापारिक विद्यालय (Day Trade Schools) कहलाते थे। इनमे से प्रथम स्कूल 'ट्रेड स्कूल फॉर फरनीचर एण्ड कैबिनेट मेकिग' (Trade School for Furniture and Cabinet-making) था। यह सन् १९०१ मे शोरडिच टेकनिकल इंस्टीट्यूट मे खोला गया था। इस प्रकार के औद्योगिक विद्यालय उन बालको

ओर वालिकाओ को दृष्टि मे रख कर खोले गए थे जो अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर चुके थे और अपने को एक दक्ष कारीगर के रूप मे स्थापित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की शिक्षा को आवश्यक समझते थे। आरम्भ मे इन स्कूलो को बोर्ड आफ एजूकेशन से कोई सहायता न मिलती थी। किन्तु सन् १९०५ के बाद उनको औद्योगिक सस्थाओ से सम्बद्ध दिवसीय कक्षाओ के रूप मे सहायता मिलने लगी। सन् १९१३ मे शिक्षा परिषद् (Board of Education) ने यह निश्चय किया कि प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से उन्हे विशिष्ट प्रकार के नियमो (Special Set of Regulations) द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाये। अब वे अधिकाश मे जूनियर टेकनिकल स्कूल कहलाने लगे और अनुदानो मे वृद्धि के कारण अधिक उत्साह से कार्य करने लगे। सन् १९३७ मे जब उनकी ओर स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) का ध्यान आकर्षित हुआ तब वे पाँच विशिष्ट भागो मे विभाजित थे—

(१) वे स्कूल जो कुछ निश्चित उद्योगो अथवा उद्योग समूहो के लिए छात्रो को तैयार करते थे, किन्तु इन उद्योगों के अतर्गत किसी विशेष नौकरी के लिए शिक्षा न देते थे। ये जूनियर टेकनिकल स्कूल कहलाते थे।

(२) वे स्कूल जो लडकों और लडकियो को विशेष प्रकार की नौकरियो के लिए तैयार करते थे, ये भी साधारणतया जूनियर टेकनिकल स्कूल ही कहलाते थे। पर कभी-कभी प्रचलित भाषा मे इन्हे ट्रेड स्कूल्स (Trade Schools) भी कहते थे।

(३) ऐसे स्कूल जो लडकियो को गृहशास्त्र और गृह प्रबन्ध की शिक्षा देते थे। ये दूसरे की अपेक्षा पहले प्रकार के स्कूलो से अधिक मिलते जुलते थे। इन्हे जूनियर हाउसविफेरी स्कूल (Junior Housewifery Schools) कहते थे।

(४) वे स्कूल जो लडके लडकियो को व्यापारिक दिशा मे जाने के लिए तैयार करते थे। जैसे बुककीपर्स, कैशियर्स, जेनरल क्लर्क्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स इत्यादि। ये साधारणत जूनियर कमर्शियल स्कूल्स (Junior Commercial Schools) कहलाते थे।

(५) वे स्कूल जो चित्रकला, ड्राइंग तथा व्यापारिक कला (Commercial Art) मे शिक्षा प्रदान करते थे। ये स्कूल आर्ट स्कूलो से सम्बद्ध थे और जूनियर आर्ट स्कूल (Junior Art Schools) कहलाते थे।

चित्र के द्वारा इन्हे इस प्रकार समझ सकते है—

माध्यमिक औद्योगिक स्कूल
(Secondary Technical School)

- जूनियर टेकनिकल स्कूल
- ट्रेड स्कूल
- जूनियर हाउस विफेरी स्कूल
- जूनियर कमर्शियल स्कूल
- जूनियर आर्ट स्कूल

साधारणतया यह सत्य ही था कि ये व्यवसाय विद्यालय (Trade Schools) लड़को और लड़कियों के लिए १३ वर्ष से १५ वर्ष की आयु के बीच दो वर्ष का

प्रशिक्षण देते थे। इनके पाठ्यक्रमो मे लगभग आधा पाठ्यक्रम तो उन व्यवसायो की शिक्षा से सम्बन्धित होता था जिनसे कि उन स्कूलो का सीधा सम्बन्ध था। दूसरा ओर जूनियर टेकनिकल स्कूल उन शिष्यो के लिए एक शिक्षा की नीव और पृष्ठ-भूमि तैयार कर रहे थे जिनका मुख्य उद्देश्य १६ वर्ष की आयु मे स्कूल छोडने पर उद्योगधन्धो मे प्रविष्ट होना था। इसीलिए इन स्कूलो का पाठ्यक्रम ट्रेड स्कूलो के पाठ्यक्रमो की अपेक्षा कही अधिक विस्तृत था। इस स्तर पर जूनियर टेक-निकल स्कूलो के तुलनात्मक महत्व का कुछ अनुमान आपको इसी से लग सकता है कि सन् १९३७ मे इगलैण्ड और वेल्स मे जूनियर टेकनिकल स्कूलो की सख्या २२० थी। इनके साथ ४१ जूनियर आर्ट स्कूल भी थे। इन्ही दिनो सरकारी सहा-यता प्राप्त ग्रामर स्कूलो की सख्या १३९३ था। कहने का तात्पर्य यह कि टेकनिकल और ग्रामर स्कूलो का सम्बन्ध १ : ६ का था।

स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) माध्यमिक स्तर पर टेकनिकल और आर्ट की शिक्षा के उचित स्तर के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील थी। उन्होने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि सन् १९०२ के बाद माध्यमिक शिक्षा पर ग्रामर स्कूल का छाप १९वी शताब्दी के अत मे प्रवाहित शिक्षा की विचारधारा के प्रति-कूल था। विशेषकर सन् १८९५ ई० मे बैठने वाला 'रॉयल कमीशन ऑन सेकेडरी एजूकेशन' (Royal Commission on Secondary Education), जिसे उसके चेयरमैन सर जेम्स ब्राइस (Sir James Bryce) के कारण 'ब्राइस कमीशन' भी कहते है, निश्चित ही इन प्रकार की विचारधारा के विरुद्ध था। स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) चाहती थी कि माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक शिक्षा सब प्रकार से ग्रामर स्कूल शिक्षा के समकक्ष ही समझी जाए और उसे वही मान्यता प्रदान की जाए। इसलिए उन्होने टेकनिकल हाई स्कूलो (Technical High Schools) की स्थापना की सिफारिश की। ये साधारणत उन बालको और बालि-काओ के लिए थे जो ११ से १६ वर्ष की आयु के थे। उन्हे आशा थी कि प्रवेश की आयु घटाने से इस नयी प्रकार की शिक्षा को माध्यमिक स्तर के सुयोग्य छात्र और छात्राओ की प्राप्ति मे कठिनाई न पडेगी। उनका प्रस्ताव था कि टेकनिकल हाई स्कूल वास्तव मे किसी टेकनिकल कालेज के अतर्गत एक विशिष्ट विभाग के रूप मे होना चाहिए। ये कहने को एक प्रिंसिपल के नीचे होगे पर इन्हे पर्याप्त रूप से व्यक्तिगत स्वतत्रता होगी। यह आशा नही की जाती थी कि युद्ध के आने के साथ ही स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) की सिफारिशो पर तत्काल कार्य-वाही की जाएगी। फिर भी सन् १९४३ मे सरकार ने अपने श्वेत पत्र 'शिक्षा का पुनर्गठन' (Education Reconstruction) मे त्रिविभागीयवाद (Tripar-titism) के सिद्धान्त को माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप टेकनिकल स्कूलो को वही स्तर प्रदान कर दिया गया जो ग्रामर या मॉडर्न स्कूलो को प्राप्त था।

किन्तु देखने से यह ज्ञात होता है कि सन् १९४४ के एक्ट ने माध्यमिक शिक्षा मे इस प्रकार के तीन विभाजनो का कोई उल्लेख नही किया है। केवल उनका 'पर्याप्त' (sufficient) होना ही आवश्यक समझा है। फिर भी शिक्षा मत्रालय ने अपनी नयी पत्रिका 'द न्यू सेकेडरी एजूकेशन' (The New Seondary Education) मे सन् १९४७ मे यह सुझाव दिया था कि त्रिविभागीय विभाजन

(Tripartite Division) मे ही सरकारी नीति का विश्वास निहित है। तब से माध्यमिक औद्योगिक शिक्षा की उन्नति से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट दिखाई पडने लगे है। कुछ लोगो को इस बात पर सन्देह है कि पृथक् सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल हों। मत्री महोदय द्वारा क्रमश. प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टो से यह बात सरलता से प्रकट होती है। सन् १९४९ तक उसने तीनों प्रकार के स्कूलो के ऑकडे दिए है। इससे सयोगवश माध्यमिक स्कूलों की सख्या मे वृद्धि दिखाई पडती है, किन्तु सेकेंडरी टेकनिकल स्कूलों की सख्या मे कमी होने लगती है। सन् १९४९ के बाद माध्यमिक विद्यालयों के नए सम्मिलित रूप सामने आते है। जैसे—औद्योगिक तथा आधुनिक (Technical cum Modern), औद्योगिक तथा ग्रामर (Technical Grammar), समावेशक या बहुग्राही (Comprehensive or Multilateral) स्कूल जिनमे टेकनिकल तथा अन्य प्रकार की माध्यमिक शिक्षा-के सम्मिलित रूप विद्यमान है। सन् १९४७ ई० मे ४५४३ सेकेंडरी स्कूलो मे ३१७ टेकनिकल स्कूल थे। सन् १९५३ ई० यह संख्या घट कर २९२ रह गई जब कि माध्यमिक स्कूलो की सख्या बढकर ४९७६ हो गई थी। आगामी वर्षो मे मिश्रित विद्यालयो के रूप मे १५ स्कूल मॉडर्न तथा टेकनिकल, १० स्कूल ग्रामर तथा टेकनिकल, और १३ समावेशक या बहुग्राही (Comprehensive or Mult lateral) थे। औद्योगिक क्षेत्रों मे अब भी टेकनिकल स्कूलो के पक्ष मे एक बहुत बडा जनमत है। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के स्कूलों की उन्नति के विकास मे हिचकिचाहट का अनुभव भी हो रहा है।

साथ ही माध्यमिक स्कूलों मे भरती होने वाली आयु के सम्बन्ध मे भी विभिन्न मत प्रकट किए गए है। स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) ने यह स्पष्ट मत दिया था कि 'टेकनिकल हाई स्कूलो के लिए बालक ११ + की आयु मे भरती किए जाये और वे भी 'सामान्य निर्वाचन परीक्षा' (General Selection Examination) द्वारा जो आजकल ग्रामर स्कूलों के लिए बालको का चुनाव करती है।'[१] मत्रालय ने भी अपनी नयी पत्रिका संख्या (९) (Pamphlet No.9)—'द न्यू सेकेंडरी एजुकेशन' मे यही मत प्रकट किया है।[२] किन्तु आलोचकों ने इस सम्बन्ध मे यह तर्क उपस्थित किया है कि इतनी छोटी आयु मे सतोषजनक चुनाव करना बालकों के लिए असम्भव है। इस सम्बन्ध मे उन्होंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ट (Cyril Burt) का सहारा लिया है। सिरिल बर्ट (Cyril Burt) ने 'ब्रिटिश जॉर्नल ऑफ एजूकेशनल साइकालॉजी' (British Journal of Educational Psychology) मे लिखा है कि—

'At the age of eleven the wide difference in innate general intelligence can be estimated with reasonable accuracy by means of standardised tests But special aptitudes and interests, especially those of a practical, technical or mechanical character cannot be assessed very accurately at this age except in a comparatively small proportion of cases.[३]

---

१ देखिए *Spens Committee Report* H M. S. O. London.

२ देखिए *The New Secondary Education* H.M.S O. London

३ देखिए *British Journal of Educational Psychology*, Vol XVII, Part II, June 1947.

अर्थात् ११ वर्ष की आयु मे प्रमाणित परीक्षणों द्वारा बालकों की जन्मजात सामान्य बुद्धि के व्यापक अन्तर का अनुमान तो लगाया जा सकता है, किन्तु बालको की विशिष्ट क्षमताओं और रुचियों—विशेषकर प्रायोगिक, औद्योगिक और यान्त्रिक प्रकार की क्षमताओ और रुचियों का सही-सही मूल्यांकन ११ वर्ष की आयु मे बहुत कम दशाओ मे सभव है।

दूसरे मनोवैज्ञानिको का मत इसके विषय मे प्रकट किया गया है। बात चाहे कुछ भी हो। चाहे इस आयु मे सही चुनाव सम्भव हो या न हो, यह ज्ञात होता है कि मत्रालय की आशाएँ साधारणतया अपूर्ण ही रह गयी हैं। लोगो का कहना है कि 'चुनाव उचित होना चाहिए, और वही आवश्यक है। पर यह चुनाव धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नही।' अर्थात् इस चुनाव मे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाना चाहिये कि अमुक छात्र अमुक प्रकार के स्कूलो के हो लिए निश्चित रूप से योग्य है, यह नही कि यह बालक इस प्रकार के स्कूलो के अयोग्य है। फिर भी सम्भावना यही है कि जहाँ पर टेकनिकल और ग्रामर स्कूलो के बीच छात्रो का चुनाव करना पडता है, प्रतिभाशाली छात्र अधिकतर ग्रामर स्कूलो मे ही जाते हैं, भले ही यह एक ऐसा परिणाम हो 'जो शिक्षा-मत्री के अनुसार सन् १९४४ के एक्ट के उद्देश्य के विरुद्ध है।'[१]

तीसरे स्थान अवकाश के सम्बन्ध मे भी विभिन्नता और मतभेद है। स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) ने रिपोर्ट दी थी कि रहने और पढ़ने के लिए स्थान के सम्बन्ध मे हमे कोई सन्देह नही। जहाँ तक सम्भव हो टेकनिकल हाई स्कूलो को टेकनिकल कालेजो और इस्टीट्यूट की इमारतो मे स्थान प्रदान किया जाए।[२] इससे न केवल यह सम्भव होगा कि कालेजो की प्रयोगशालाओ और उनके बहु-मूल्य औजारों, और मशीनो की सुविधा इन विद्यार्थियो को होगी, बल्कि कालेज का सामान्य वातावरण भी जहाँ युवक और प्रौढ सभी शिक्षार्थी होंगे, इन बालको के लिए एक स्फूर्ति और प्रेरणा का विषय बनेगा। यही दृष्टिकोण बहुत से जूनियर टेकनिकल स्कूलों के अधिकाश हेडमास्टरो का भी था। किन्तु मत्रालय ने इसकी अपेक्षा टेकनिकल हाई स्कूलो को नए भवन-निर्माण-नियमो के अनुसार बनी हुई नई इमारतो मे ही स्थापित करना उचित समझा और उसमे ही इनकी उन्नति और विकास की सम्भावना देखी। पर इस मतभेद से कोई यथार्थ परिणाम नही निकला क्योकि जहाँ मंत्रालय यह आशा करता था कि L.E.As अपने टेकनिकल स्कूलों के लिए भी उसी उत्साह और लगन से भवन बनायेगी और उन्हे पुनर्स्थापित करेगी जिस लगन से कि वे ग्रामर और मॉडर्न स्कूलो के पुनर्स्थापन मे संलग्न थीं; वहाँ मिलने वाले आँकडों से ज्ञात होता है कि उनकी आशाओ पर पानी फिर गया है। साधारणतया इन स्कूलो को जिस स्थिति मे थे, उसी मे छोडा गया है। कहीं-कही पर टेकनिकल कालेजो मे जहाँ पहले से ही स्थानाभाव है, ये एक किनारे पडे हुए हैं। फिर भी इन असु-विधाओं के होते हुए ऐसे बहुत से सेकेंडरी टेकनिकल स्कूल हैं, जो काफी प्रशसनीय कार्य कर रहे हैं और यह कहना कि कठिनाइयो के कारण उन्होने अपना काम रोक दिया है, उनके प्रयत्नो का एक अनुचित पुरस्कार होगा।

---

१ देखिए *The New Secondary Education*, पृष्ठ ५४, H M S O. London.

२ देखिए *Secondary Education* पृष्ठ २७७, H.M. S. O. London.

यहाँ पर जूनियर टेकनिकल स्कूलो के कर्मचारीगण और पाठ्यक्रम के सम्बन्ध मे भी कुछ कह देना अनुचित न होगा। जिस प्रकार कि स्पेन्स कमेटी (Spens Committee) ने टेकनिकल हाई स्कूलो के टेकनिकल कालेजो से सम्बन्धित और उन्ही के भवनो मे स्थित होने के लाभो मे वहाँ की सामग्री और सज्जा के उपयोग की सुविधा बतलायी थी, वहाँ दूसरी ओर वहाँ के कर्मचारियो और शिक्षको के उपयोग का लाभ भी। अर्थात् टेकनिकल स्कूल के अधिकारी कालेज के अनुभवी अध्यापकों को भी अल्प समय के लिए अपने यहाँ रख सकते थे। किन्तु मत्रालय सभी दशाओं मे स्कूलो को पृथक् ही रखना चाहते थे। फिर भी इस दृष्टिकोण का तात्पर्य यह न था कि स्कूलो को कुशल कारीगरो और औद्योगिक अनुभवो वाले कुशल अध्यापकों के ससर्ग का लाभ न दिया जाए। ऐसे अध्यापकों का प्रबन्ध तो L.E.A. करता ही थी। सेकेडरी टेकनिकल स्कूलो के आधे से अधिक शिक्षक स्नातक (Graduate) होते हैं। जहाँ तक कि शिक्षक-छात्र अनुपात का सम्बन्ध है, मत्रालय ने वही सुझाव रक्खा जो मॉडर्न और ग्रामर स्कूलो के लिए था। व्यवहार मे टेकनिकल स्कूलों ने अपने छात्रो की सख्या को कक्षाओं मे बढ़ने नही दिया है, और यहाँ ग्रामर तथा मॉडर्न स्कूलो की अपेक्षा प्रति कक्षा मे कम छात्र रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि विद्यालयों मे छात्रों की सख्या ही कम रहती है। साधारणत: प्रत्येक टेकनिकल स्कूल मे आँकडो के अनुसार ३० से अधिक छात्र किसी भी कक्षा मे नही होते।

जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, मत्रालय ने विभिन्नता और रुचि-वैचित्र्य पर बल देते हुए दो महत्वपूर्ण परामर्श दिए हैं—

(१) व्यावसायिक विषयो (Vocational Subjects) पर दिया गया १६ वर्ष तक का कुल समय किसी भी प्रकार उस समय से अधिक न होना चाहिए जो इन विषयों पर उन दो वर्षों मे दिया जाता था जब ये जूनियर टेकनिकल स्कूल थे।

(२) पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर पर ऐसे विषय सम्मिलित न किए जाने चाहिए जिनके लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनो की दृष्टि से पर्याप्त समय और लाभ की सुविधा और आशा न हो।

बहु-समावेशक विद्यालय (The Comprehensive School)

ब्रिटिश शिक्षा के मंच पर एक नयी उद्भावना बहुसमावेशक विद्यालय (Comprehensive School) की है। माध्यमिक विद्यालयो मे जाने वाले छात्रो मे प्रत्येक १०० मे से दो छात्र इन स्कूलो मे पढ़ते है।

कुछ लोग यह अनुभव करते है कि ११ वर्ष की आयु मे बालको को अलग-अलग स्कूलो के लिए समूहों मे बाँटना ठीक नही। कुछ अभिभावक इसमे अपनी असफलता समझते हे यदि उनके बालकों का चुनाव ग्रामर स्कूलो के लिए नही होता। और चुनाव मे कुछ त्रुटियाँ तो स्वाभाविक है। कुछ बालक जो संभवत: एक मॉडर्न स्कूल मे रह कर अधिक उन्नति करते, ग्रामर स्कूल मे भेज दिए गए और ठीक इसके विपरीत कुछ ग्रामर स्कूलो के योग्य बालक मॉडर्न स्कूल मे चले गये।

कुछ लोगों की राय है कि सामाजिक एकता की दृष्टि से यह अधिक अच्छा हो यदि उस क्षेत्र के सभी बालक एक ही विद्यालय मे पढ़ने जाये।

एक ही विद्यालय मे ग्रामर, मॉडर्न और टेकनिकल प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना साधारण काम नहीं। इसके लिए बडी भारी इमारत, बडी सज्जा तथा सख्या में अधिक शिक्षक चाहिए। एक नए बहु समावेशक विद्यालय मे—जिसमे तीनों प्रकार की शिक्षाओं का समावेश होता है—१००० से लेकर २५०० छात्र तक पढ़ते है। ऐसे विद्यालय से लाभ भी हैं और हानियाँ भी।

एक बडे समावेशक विद्यालय (Comprehensive School) मे लगभग १०० शिक्षक होते हैं। इनमे से बहुत से शिक्षक विशेषज्ञ होते है, अतः इस स्कूल मे छात्रों को ऐच्छिक विषयों के चुनाव मे पुराने स्कूलो की अपेक्षा अधिक सुविधा रहती है। इन पुराने स्कूलो मे साधारणत. ५०० छात्र पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बहुत कम ग्रामर स्कूल ऐसे होंगे जो इतनी अधिक भाषाओं के शिक्षण की सुविधा प्रदान कर सके जो इन नए स्कूलो मे पढाई जाती है। इनमे लैटिन, ग्रीक, फ़्रेन्च, जर्मन, स्पैनिश, इटैलियन और रूसी भाषा प्रमुख हैं। इस प्रकार विज्ञान की सभी शाखायें पढ़ाई जाती है। कुछ बडे-बड़े बहु-समावेशक स्कूलों मे ये विषय सरलता से उपलब्ध हैं। इन स्कूलों मे विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक पाठ्यक्रमो की भी सुविधा है और उसी स्कूल मे यह अधिक सरल और सुविधाजनक है कि वे एक प्रकार के पाठ्यक्रम के स्थान पर दूसरा पाठ्यक्रम ले सके और पढ सके। इस प्रकार के परिवर्तन से न तो बालक को ही हानि होती है और न उस स्कूल की। विशेषकर जिन बालकों का विकास अधिक आयु मे होता है उनके लिए ये स्कूल विशेष रूप से सुविधाजनक हैं। प्रत्येक सत्र के अंत मे प्रत्येक बालक के प्रत्येक विषय की प्रगति का अकन किया जाता है। इस प्रकार बहु-समावेशक विद्यालय के संदर्भ मे एक बालक को अधिक लचीले पाठ्यक्रमों की सुलभता रहती है।

ऐसे स्कूल मे एक ओर ऐसे छात्र भी हैं जो विश्व विद्यालय मे प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं और पैमाने के दूसरे सिरे पर वे मंद बुद्धि और पिछड़े हुए बालक भी हैं जिन्हे सिखाने के लिए विशेष ढंगों और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। बौद्धिकता की इन दो सीमाओं के अंतर्गत बुद्धि और प्रतिभा की बडी विविधता मिलती है। बहु-समावेशक विद्यालयों के समर्थकों की यह आस्था है कि इस प्रकार वे प्रत्येक बालक को सीखने की सर्वाधिक सुविधा प्रदान करते है।

किन्तु बहु-समावेशक विद्यालय के विरुद्ध सबसे बडी आलोचना उसके विस्तार और आकार (Size) की है। कई सौ बालकों का एक विद्यालय एक छोटी, घनिष्ठ और ठोस इकाई है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति चाहे शिक्षक हो अथवा छात्र, एक दूसरे को अच्छी तरह जानता और समझता है। छात्रों और अध्यापकों के मध्य एक व्यक्तिगत सम्बन्ध है जो शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वस्तु समझी जाती है। ऐसे वातावरण मे बालकों मे विश्वास की भावना अधिक होती है। एक छोटा स्कूल एक सुखी परिवार के समान है। एक बहु समावेशक विद्यालय मे यह बहुमूल्य घनिष्ठता समाप्त हो जाती है। एक विशाल भवन मे जहाँ हजारों ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो एक दूसरे को न तो जानते हैं और न जान सकते है, बालक का व्यक्तिगत अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।

ऐसे स्कूलों के विरुद्ध सुनाई पडने वाली अन्य आलोचनाओ मे एक आलोचना

यह भी है कि एक ऐसे विशाल विद्यालय मे जहाँ बुद्धि और प्रतिभा के अनेक स्तर मिलते हैं, प्रतिभाशाली बालकों को अनावश्यक रूप से बहुमत की धीमी प्रगति के साथ चलना पड़ता है। साथ ही जो विद्यार्थी वहाँ सबसे अधिक दिनो पढते हैं उनमे शास्त्रीय अध्ययन वाले छात्र प्रमुख हैं। वे सभी उत्तरदायित्वपूर्ण कर्त्तव्यो को अपने ऊपर ले लेते हैं और इस प्रकार वे दूसरे छात्र जो किसी मॉडर्न स्कूल मे पढ कर अपने अन्दर नेतृत्व की भावना का विकास कर पाते, यहाँ आकर उससे वञ्चित रह जाते हैं।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जब बालक ११ वर्ष की आयु मे इन स्कूलों मे प्रविष्ट होते हैं तभी उनका वर्गीकरण (Grading) कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के आयु वर्ग मे ४०० छात्र होते हैं और यह प्रवेश १३ कक्षाओं वाला (Thirteen form entry) होता है। इनमे से ३ कक्षाएँ (three forms) तो शास्त्रीय पाठ्यक्रम का अनुसरण करती हैं जो बिल्कुल ग्रामर स्कूल के समान होता है। शेष दस तीन वर्षो तक अपेक्षाकृत सामान्य पाठ्यक्रम का अनुसरण करती हैं, और तत्पश्चात् चौथे पाँचवे और छठे वर्षो मे टेकनिकल, कमर्शियल या दूसरे पाठ्यक्रम सीखती हैं।

पूरा विद्यालय विभिन्न गृहो (Houses) मे बँटा रहता है। प्रत्येक गृह एक सदन अध्यापक (House Master) की देखरेख मे होता है। इसके अतिरिक्त एक 'ईयर मास्टर' (Year Mester) और एक कक्षाध्यापक (Form Master अध्यापक होता है। इस प्रकार बालकों को अपनी कठिनाइयाँ कहने की सुविधा भी प्राप्त है।

चुनाव परीक्षा (The Selection Examination)

माध्यमिक स्कूलों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया जा चुका है। पिछले वर्षों मे इन स्कूलों के लिए भरती होने वाले बालकों के चुनाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। डेन्ट महोदय ने तो अपनी पुस्तक 'Growth in English Education' मे यहाँ तक कहा है कि सन् १९४४ से १९५२ तक के अन्तरिम काल मे जितना परीक्षण और अनुसन्धान माध्यमिक शिक्षा के लिए बालकों के चुनाव मे किया गया है, उतना शिक्षा सम्बन्धी किसी भी समस्या के विषय मे नही।

सन् १९४४ के पहले प्रारम्भिक पाठशालाओं मे पढ़ने वाले बालकों और बालिकाओं मे से ग्रामर स्कूलों तथा कुछ दशाओं मे टेकनिकल स्कूलो के लिए छात्रों का चुनाव करना ही मुख्य समस्या थी। यह आशा की जाती थी कि सब के लिए माध्यमिक शिक्षा सुलभ हो जाने के बाद, यद्यपि चुनाव तो फिर भी आवश्यक होगा किन्तु अभिभावक उसके लिए इतने छिद्रान्वेषी न होंगे। पर व्यवहार मे यह बात नितान्त दूसरे रूप मे सामने आयी। सरकारी सलाहकार भले ही मॉडर्न स्कूल को ग्रामर स्कूल के समकक्ष रक्खें और वहाँ की शिक्षा को समान रूप से मान्यता दे, किन्तु अभिभावकगण इसे मानने के लिए तैयार न थे। उनका निश्चित मत इसके ठीक विपरीत था। साथ ही जहाँ सन् १९४४ के एक्ट के पहले ग्रामर स्कूलो मे प्रवेश पाने के लिए छात्रों का चुनाव परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था, वहाँ ऐसे बालक जो इस परीक्षा मे उत्तीर्ण न भी हों, फीस देकर इन स्कूलों मे पढने का लाभ उठा सकते थे। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट के बाद तो प्रत्येक स्तर की

शिक्षा नि शुल्क हो गयी। अतः अब यह माधन भी वद हो गया। ऐसी स्थिति मे माता-पिता के लिए अव इसके, अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था कि वे अपने बालको को विशेष शिक्षा को सुविधा दिलाये या उसका स्वय प्रवन्ध करे और इस प्रकार उन्हें चुनाव परोक्षा उत्तीर्ण करने के योग्य बनाये। स्वभावत वे इसमे दत्तचित्त हो गए।

युद्ध के पूर्व भी L.E.As. इस चुनाव परीक्षा के आधुनिकतम रूप को विकसित करने में तत्पर थी। उनका उद्देश्य वास्तव में जन्मजात प्रतिभाशाली छात्रो का चुनाव था न कि उन बालकों का जिन्हे अपने दूसरे साथियो की अपेक्षा श्रेष्ठ शिक्षा की सुविधाये प्राप्त हुई है। इस उद्देश्य को लेकर परीक्षक अपने प्रश्न पत्र अग्रेजी और गणित मे बनाते थे और शेष कमी वुद्धि परीक्षा द्वारा पूरी करते थे। कभी-कभी बच्चो से अंग्रेजी प्रबन्ध (English Composition) भी लिखवाया जाता था। उस समय बुद्धि परोक्षाओ मे आज की अपेक्षा विश्वास अधिक था। इस प्रकार पहले L.E.As इस बात की सम्भावनाओ को स्वीकार न करती थी कि विशिष्ट शिक्षा किसी भी प्रकार उनकी चुनाव-विधि को बेकार सिद्ध कर सकती है। यद्यपि वह बालकों की विषय-दक्षता (attainments) पर तो प्रभाव डाल सकती है किन्तु इन चुनाव परीक्षाओ का उद्देश्य बालको की उपलब्धि (attainment) की परीक्षा न थी। सन् १९५२ ई० मे प्रोफेसर वरनॉन (Prof Vernon) ने अपने अध्ययन द्वारा इस सम्वन्ध मे एक महत्वपूर्ण तथ्य की खोज की। उन्होने १ फरवरी सन् १९५२ के Times Educational Supplement (टॉइम्स एजुकेशनल सप्लीमेट) मे इस बात पर बल दिया कि विशेष शिक्षण के वाद सामान्य छात्र की बुद्धि-लब्धि (Intelligence Quotient) मे १४ अशो की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि प्रतिभाशाली छात्रो मे १८ अश (18 Points) तथा मद बुद्धि बालको मे ९ अशो तक होती है। इस वक्तव्य के वाद ऐसा प्रतीत हुआ कि L.E.As इन परोक्षणो का प्रयोग ही वद कर देगी। पर ऐसा न हुआ। यद्यपि आज वुद्धि परीक्षा की भी सीमाये समझी जाने लगी है, फिर भी सब मिलाकर, मिश्रित जाँचो मे बुद्धि-परीक्षाये ही एक ऐसे उत्तम और निष्पक्ष निर्णयात्मक उपाय समझे गए है जिनसे किसी प्रकार का सही चुनाव किया जा सकता है। कुछ L.E.As ने इस परिस्थिति का सामना करने के लिए वास्तविक परीक्षा के पूर्व ही बालकों की अभ्यास परीक्षाएँ (Practical Tests) ले लेने की व्यवस्था की है, जिससे विशेष शिक्षा (Coaching) का उनपर कोई प्रभाव न पडे।

सन् १९५१ मे मत्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे L.E.As की रिपोर्टो के आधार पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। लगभग सभी क्षेत्रो मे उचित आयु के सभी बालक जो व्यवस्थित विद्यालयो (Maintained Schools) मे पढते है परीक्षित होते है और स्वतत्र विद्यालयों (Independent Schools) मे पढने वाले छात्रो को भी इससे लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाता है। साधारणत वालक ११ वर्ष की आयु मे प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल मे आ जाता है। कही-कही १० वर्ष की आयु मे भी यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाता है और इसी प्रकार जो वालक ११ वर्ष की आयु मे इस परीक्षा मे नही बैठ पाते उन्हे १२ वर्ष की आयु मे भी बैठने की आज्ञा प्रदान कर दी जाती है। बहुधा अधिकाश L.E.As एक ही परीक्षा-क्रम (Series of Tests) का प्रवन्ध करती है। इनमे अधिकतर इगलिश,

गणित, तथा बुद्धि परीक्षाये ही सम्मिलित होती है। कही-कही अग्रेजी प्रबन्ध (English Composition) भी सम्मिलित कर लेते है। जो बच्चे बिल्कुल चुनाव सीमा पर होते है, उनमे प्राइमरी स्कूलो के अध्यापको की सिफारिशो के आधार पर चुनाव होता है। अधिकांश L.E.As बच्चों को साक्षात्कार (Interview) का भी प्रबन्ध करती है। साधारणत: हम L.E.As के प्रयत्नो की सच्चाई और ईमानदारी पर कभी सदेह नही कर सकते क्योकि वे जितना सभव हो सकता है निष्पक्ष परीक्षा का प्रबन्ध करती है।[1]

---

[1] देखिये परिशिष्ट ४

स्वेच्छाकृत विद्यालय

(Voluntary Schools)

८

इंगलैण्ड की अनिवार्य शिक्षा के अध्ययन से यह बात स्पष्ट ज्ञात होती है कि स्कूलो का स्थापन, उसकी व्यवस्था और प्रबन्ध तथा शिक्षको की नियुक्ति और निष्कामन, इगलैण्ड मे पाई जाने वाली दो प्रकार के विद्यालय प्रणाली से कठिन हो जाती है---काउन्टी स्कूल तथा स्वेच्छाकृत स्कूल। स्वेच्छाकृत (Voluntarv) स्कूलो मे भी पुन: विभाजन होता है और वे नियत्रित (Controlled), विशेष समझोते वाले (Special Agreement) तथा सहायता प्राप्त (Aided) स्कूलो के रूप मे हमारे सामने आते है। उदाहरण के लिए किसी भी नए काउन्टी स्कूल की स्थापना का पूरा खर्च एल० इ० एज० (L.E.As) को ही उठाना पडता है। यदि मोटे रूप मे हम इसको परिभाषा दे तो हम कह सकते है कि एक स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूल वह स्कूल है जिसे L E A. के स्थान पर अन्य कोई भी सस्था अपनी स्वेच्छा से स्थापित करती है। फिर भी कुछ ऐसी दशाये है जिनमे स्वेच्छाकृत नियत्रित स्कूल (Voluntary Controlled Schools) के स्थापन और व्यवस्था का खर्च भी स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारियो (L.E.As.) को उठाना पडता है। साधारणतया किसी भी काउन्टी प्राइमरी स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति की रचना L E.A. की इच्छानुसार ही होती है। किन्तु यदि वह स्कूल स्वेच्छाकृत सहायता प्राप्त (Voluntarv Aided) या विशेष समझौते वाला स्कूल होता है, तो प्रबन्ध-समिति मे सस्थापक-प्रबन्धको (Foundation Managers) का भी एक अनपात होता है। यदि वह स्वेच्छाकृत नियत्रित (Voluntary Controlled) स्कूल है तो उसमे भी सस्थापक प्रबन्धको (Foundation Managers) का होना आवश्यक है, किन्तु उनका प्रतिनिधित्व एक दूसरे अनुपात मे होता है। कुछ निश्चित दशाय होती है जिनमे कि स्वेच्छाकृत स्कूलो के मैनेजर शिक्षको की नियुक्ति कर सकते है और उन्हे निकाल भी सकते है। किन्तु उन्हे L.E As की स्वीकृति की आवश्यकता पडती है। कुछ दूसरी दशाये होती है जिनमे L E.As शिक्षको की नियुक्ति कर सकते है और उन्हे निकाल सकते है, पर यहाँ पर उन्हे सस्थापक प्रबन्धको (Foundation Managers) की इच्छा का ध्यान रखना पडता है। ये सब व्यवस्थाये और अपवाद स्पष्ट रूप से धार्मिक शिक्षा की विषम व्यवस्था से सम्बन्धित है। इगलैण्ड की शिक्षा का सम्पूर्ण ढाँचा ही धार्मिक शिक्षा की आधार शिला पर स्थित है। किन्ही-किन्ही स्कूलो मे किसी भी विशेष धर्म से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान नही की जा सकती। किन्ही दूसरे प्रकार के स्कूलो मे यह शिक्षा सप्ताह मे केवल दो दिन ही दी जा सकती है और तीसरे प्रकार के स्कूलों मे यह प्रतिदिन प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार धार्मिक शिक्षा के ये विभिन्न प्रकार उसकी व्यवस्था विभिन्न विरोधी दृष्टिकोणो के मध्य एक समझौते की सूचक है। वास्तव मे गत शताब्दी मे जो दृष्टिकोणों का मतभेद आरम्भ हुआ था, यह समझौता उन्ही मतभेदो का आधुनिक हल है। इस सघर्ष मे शिक्षा प्रणाली को उसके उत्पन्न होने के पूर्व ही

(Clause) का सूत्रपात किया जो उन्ही के नाम से Temple Clause (टेम्पिल धारा) कहलाता है। इसके अनुसार 'कोई भी धार्मिक प्रश्नोत्तरी या नियम सहिता जिसका सम्बन्ध किसी भी मत या सम्प्रदाय से है स्कूलो मे न पढ़ाई जायेगी।' एक्ट की भाषा मे—

'No religious catechism or religious formulary which is distinctive of any particular denomination shall be taught in the school.'

स्कूल बोर्ड यदि चाहते तो धार्मिक शिक्षा को बिल्कुल ही समाप्त कर सकते थे। अधिकाश मे सभी स्कूल बोर्ड लन्दन स्कूल बोर्ड का अनुसरण करने लगे। उनकी व्यवस्था थी कि बाइबिल पढ़ाई जायेगी और उसके इस प्रकार के अर्थ समझाये जायेगे जो बालको की योग्यता के अनुकूल हो। पर इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि किसी भी स्कूल मे इस बात का प्रयत्न न हो कि बालक किसी विशेष धर्म के प्रति आकर्षित किए जाये। सरकार ने इस बात को यह कह कर और भी स्पष्ट कर दिया कि साम्प्रदायिक (Denominational) विद्यालयो को पहले से अधिक राज्य अनुदान भले ही मिल जाए उन्हे स्थानीय करो से कोई सहायता न दी जा सकेगी। इस प्रसग मे १८७० ई० के एक्ट की सबसे बडी महत्ता यही थी कि उसके अनुसार स्वेच्छाकृत विद्यालयो (Voluntary Schools) के समकक्ष बोर्ड स्कूलों की स्थापना की जाने लगी। इन स्कूलो के लिए जो दशाये निश्चित की गई उनमे यह स्पष्ट था कि स्थानीय करो का लेशमात्र भी विशेष धर्म शिक्षा के लिए प्रयुक्त नही हो सकता।

सन् १८७० ई० के एक्ट ने विद्यालय भवन अनुदान (School Building grant) को समाप्त कर दिया और अब स्कूलो की देखरेख और निर्वाह के लिए सरकारी कोष से सहायता मिलने लगी। तत्कालीन मंत्री डब्ल्यू० ई० फॉर्स्टर (W.E. Forster) ने इस व्यय का अनुमान अधिक से अधिक प्रति व्यक्ति ३० शिलिंग लगाया था। सन् १८७१ से १८८० ई० के मध्यान्तर मे यह १ पौंड ५ शि० ९ पे० से बढ़कर १ पौ० १४ शि० १० पे० हो गया था। सन् १८७६ ई० मे बोर्ड स्कूलो मे यह व्यय प्रति बालक २ पौ० १ शि० ११ पे० था। स्वेच्छाकृत स्कूलो मे अनुदान की कमी चदो से पूरी की जाती थी और बोर्ड स्कूलो मे यह स्थानीय करो से। द्विशासन प्रणाली (Dual System) के दोष स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे अगर गिरजाघरो के चन्दे दूने भी हो जाते तो भी वे बढ़ते हुए खर्च को पूरा न कर सकते थे। १९वी शताब्दी के समाप्त होते-होते यह व्यय प्रति बालक २ पौ० ६ शि० से लेकर ३ पौ० तक था। स्कूल बोर्ड न केवल अधिक खर्च करते थे, बल्कि उनके पास धन भी अधिक था। इससे स्पष्ट है कि स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूलो को बडी असमान दशाओं मे बोर्ड स्कूलो का सामना करना पड रहा था।

सन् १९०२–१९४४—सन् १९०२ के साथ-साथ इस संतुलन को नया रूप दिया गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि सन् १९०२ के एक्ट के फलस्वरूप दो प्रकार के शिक्षा-प्राधिकारियों की उत्पत्ति हुई। एक ओर काउटी और काउटी-बरो की, दूसरीओर म्युनिसिपल बरो और नगर जिलो की। किसी भी योजना मे जहाँ दो विभिन्न प्रकार की L.E As को एक ही क्षेत्र मे अलग-अलग शिक्षा पर अधिकार दिए गए, जो दोष और हानियाँ उपस्थित थी, वे स्पष्ट थी। इसे समझाने के लिए

राजनीतिक उद्देश्य छोडकर और कोई चारा न था। इस प्रकार की व्यवस्था ने स्कूल-बोर्डो के पूर्व सदम्यों को सतुष्ट कर दिया और वे पहले से कही कठिन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार के प्रस्तावो का एक उदाहरण स्वेच्छाकृत स्कूलो के लिए स्थानोय-कर-कोष से सहायता की व्यवस्था थी। भविष्य मे सभी पब्लिक ऐलीमेन्ट्री स्कूलो की व्यवस्था और निर्वाह का भार L.E.As (स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो) पर पड़ा। इसके विपरोत गिरजाघरो तथा अन्य धार्मिक सस्थाओं का कार्य केवल विद्यालय भवनो को स्थापित करना था। यह विधेयक आगे चलकर कानून के रूप मे परिवर्तित हो गया किन्तु इस पर आपत्तियाँ की गई और वहुत सी आपत्तियो के बाद हो कोई समझौता हो सका। पर इसके साथ ही माय स्थानीय कर न देने का आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ और बहुत से भिन्न मतावलम्बियो (Non-Conformists) ने अपनी सम्पत्ति बन्धक रख दी या अभिहरित (distrained) करा ली। अत: सरकार को यह भी आवश्यकता अनुभव हुई कि वह एक दूसरा एक्ट पास करे। इस एक्ट का नाम एजूकेशन (लोकल अथॉरिटीज डिफॉल्ट) एक्ट रक्खा गया। इसका एकमात्र उद्देश्य यह देखना था कि स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी स्वेच्छाकृत सस्थाओ (Voluntary Bodies) के प्रति अपने कर्त्तव्यों का सही-सही पालन कर रहे है अथवा नही। इस बात का निरतर भय और आशका वनी रही कि इस एक्ट का बडा विरोध होगा और ज्यो ही विरोधी दल सत्तारूढ होगा सन् १९०२ का अधिनियम विखण्डित कर दिया जायेगा, किन्तु ऐसा न हुआ और यह समझौता किसी प्रकार सन् १९४४ ई० तक चलता रहा।

सभवत· सन् १९०२ ई० मे जो समझौता हुआ, व्यावहारिक रूप से वही सर्वोत्तम था। किन्तु उसे सतोषजनक नही कह सकते। स्वेच्छाकृत स्कूलो के मैनेजर अपने स्कूल की इमारते बिना कुछ बदले मे लिए हुए स्थानीय शिक्षा-प्राधिकारियो (L.E As) के हवाले कर देते और सामान्य टूट-फूट की मरम्मत को छोडकर शेष मरम्मत का पूरा भार अपने ऊपर रखते। बदले मे उन्हे अपने शिक्षको को रखने और निकालने का अधिकार था। किन्तु शिक्षा प्राधिकारियो (L E.As) को शैक्षिक आधार पर आपत्ति करने का अधिकार था और यदि वे यह अनुभव करती कि अमुक शिक्षक के रखने अथवा निकालने मे अन्याय हो रहा है, तथा इस कार्य से स्कूल की शिक्षा पर धक्का लगेगा, तो वे आपत्ति कर सकती थी। प्रबन्धकारिणी समितियों मे इन स्कूलो के मैनेजर एक विशेष अनुपात मे नियुक्त किए जाते थे, अर्थात् सदस्यो की कुल सख्या मे दो-तिहाई सदस्य मूल प्रबन्धक (Foundation Managers) होते थे। शेष एक-तिहाई सदस्य स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो या लघु स्थानीय प्राधिकारियो (Minor Local Authority) के होते थे। किन्तु इस समझौते की सबसे वडी दुर्बलता विद्यालय भवनो से सम्बन्धित थी। हम जानते हैं कि सर्व प्रथम स्वैच्छिक सस्थाओं (Voluntary Bodies) ने ही स्कूलों की स्थापना की थी। अत उनकी इमारतें स्कूल बोर्डो द्वारा खोले हुए स्कूलो से अधिक पुरानी थीं। साथ ही मैनेजरों के पास विद्यालय परिषदो (School Boards) के समान अपने स्कूलो को अत्यत आधुनिक ढग से रखने के लिए आर्थिक साधन भी अच्छे न थे। सन् १९०२ ई० मे जब कि प्रारम्भिक विद्यालयों (Elementary Schools) मे से तीन-चौथाई विद्यालय स्वेच्छाकृत थे और केवल एक-चौथाई ही काउन्टी या कौसिल स्कूल थे, अधिकांश प्रारम्भिक विद्यालयों की इमारतें दोषपूर्ण थीं। समय के साथ-साथ हम काउन्टी स्कूलो की सख्या मे वृद्धि और

स्वेच्छाकृत विद्यालयों की सख्या मे कमी का अनुभव करते है जो इस बात की पुष्टि करती है कि स्वेच्छाकृत विद्यालय शिक्षा के आधुनिक आदर्शों को पूरा करने मे भवन-निर्माण की दृष्टि से कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। साधारणतया स्वेच्छाकृत (Voluntary) विद्यालयों के मूल प्रवन्धक यह स्वीकार करते हुए कि उनके स्कूलों को इमारतो मे सुधार की आवश्यकता है और उनके लिए मरम्मत तथा अन्य आवश्यक परिवर्तनो के लिए धन नहीं है, अपने स्कूलो को काउन्टी स्कूलों मे परिवर्तित करने के लिए तैयार हो जाते थे और इस प्रकार यथावसर स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (Local Education Authorities) उन्हे अपने हाथ मे ले लेते थे। किन्तु जहाँ बहुत से मूल प्रबन्धकों ने यह मार्ग अपनाया, इन्ही परिस्थितियों मे होते हुए भी दूसरो ने ऐसा नही किया। फलस्वरूप उनके स्कूलो की इमारतो मे ये दोष जैसे के तैसे विद्यमान रहे। शिक्षा-परिषद् (Board of Education) के पास इसका केवल एक ही इलाज था। वह यह कि वह इन स्कूलो को योग्य (Efficient) मानने से इनकार कर दे और इन्हे अवैध घोषित कर दे। किन्तु वे इस अधिकार का प्रयोग करने मे हिचकते थे, क्योंकि इसका फल केवल यही न होता कि उन्हे ऐसे स्कूलों के दोष ठीक करने पड़ते थे बल्कि बहुत सी जगहो पर तो उन्हे इन स्कूलो के स्थान पर बिल्कुल ही नए स्कूल खोलने पडते। अतः बार-बार दी हुई चेतावनियों के पश्चात् भी ये स्कूल यथावत् चलते रहे। यह समस्या एक सार्वजनिक दोष के रूप मे फैली हुई थी। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि सन् १९२४ ई० मे जब शिक्षा परिषद् (Board of Education) ने विद्यालय भवन सम्बन्धी अपनी काली सूची (Black List)[१] निकाली तो ७५३ स्कूलो मे ५४१ स्कूल केवल स्वैच्छिक (Voluntary) या अप्रस्तुत (Non-Provided) स्कूल थे। इससे कल्पना की जा सकती है कि यह स्थिति किसी भी प्रकार स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों और मूल प्रबन्धको के मध्य सद्भावना और समन्वय की स्थिति नहीं कही जा सकती क्योंकि प्राधिकारीगण (L.E.As) ऐसे स्कूलो की आलोचना करने के लिए विवश थे और उधर प्रबन्धकगण भी उस आलोचना से बचने का कोई मार्ग न ढूंढ पाते थे।

सन् १९१८ ई० के शिक्षा अधिनियम ने इस सामान्य कठिनाई को और भी बढा दिया और यही प्रभाव सन् १९२६ मे प्रकाशित होने वाली हैडो कमेटी रिपोर्ट (Report of the Consultative Committee on the Education of the Adolescent) का भी पडा। पहले के द्वारा एल० ई० एज (L E.As) का यह कर्तव्य था कि वह एलीमेन्ट्री स्कूलों मे पढ़ने वाले छात्रो और छात्राओ के लिए प्रायोगिक और उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करे और दूसरी ने यह सिफारिश की कि यह कार्य सेन्ट्रल या सीनियर एलीमेन्ट्री स्कूलो मे किया जाए। इन्ही स्कूलों को उसने मॉडर्न या आधुनिक स्कूल की सज्ञा दी। सन् १९२८ मे शिक्षा-परिषद् (Board of Education) ने इन संस्तुतियों के सार को अपने मे मिला लिया और तब से हैडो पुनर्गठनसमिति (Hadow Reorganisation Committee) सरकारी नीति का एक अग बन गई। इस नीति का उद्देश्य था ११ वर्ष से अधिक

---

१ देखिए G.A.N. Lowndes द्वारा लिखित *Silent Social Revolution*, पृ० ३०, प्रकाशक O. U. P.। इसके पूर्व दो काली सूचियाँ क्रमशः १८९३ और १९०८ मे निकल चुकी थी।

आयु के बालको को भोगोलिक दृष्टि से किसी सुविधाजनक स्थान पर एकत्रित करना और किसी वर्तमान इमारत को ही सीनियर या सेंट्रल स्कूल के रूप में परिवर्तित कर प्रयोग करने लगना अथवा यदि सभव हो तो इसके लिए नयी इमारत तैयार करा लेना। ऐसा बहुत ही कम सभव था कि किसी भी चर्च स्कूल का भवन अपने मूल रूप में सीनियर बालको की शिक्षा के योग्य हो। साथ ही इन स्कूलों के प्रबन्धक उनका पुनर्निर्माण भी न कर सकते थे। उनके स्थान पर नई इमारतो का तो प्रश्न ही न उठता था। अत. उनके सामने एक बहुत बडा प्रश्न उपस्थित था कि यदि वे अपने स्कूलो मे पढ़ने वाले ११ वर्ष से अधिक आयु के बालको के लिए अधिक ऊँची शिक्षा का प्रबन्ध नही कर सकते थे तो क्या वे उन्हे किसी एल० ई० ए० (L.E.A.) के द्वारा चलाए हुए सीनियर स्कूल मे भेजने के लिए तैयार थे? इसका तात्पर्य था उन बालको का शिक्षा को विशिष्ट प्रणाली मे परिवर्तन। जो बालक अभी विशेष धर्म की शिक्षा के वातावरण मे पले थे उन्हे अब सामान्य धर्म को शिक्षा के उदार वातावरण मे जाना पडा। इसके लिए ये प्रबन्ध समितियाँ तैयार न हुईं। उन्हे आपत्ति करने का अधिकार था और उन्होंने यह आपत्ति की भी। फल यह हुआ कि पुनर्गठन को यह नीति सफलतापूर्वक सम्पादित न की जा सकी। फिर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ गिरजाघरों ने अपने बालको की शिक्षा के हित को ध्यान मे रखते हुए यथेष्ट त्याग किया और उनके लिए उच्च प्रायोगिक शिक्षा सुलभ बनाई।

सन् १९३६ ई० के एक्ट द्वारा इस कठिनाई को हल करने का एक प्रयत्न और किया गया। इसके द्वारा एल० ई० एज० (L.E As) को यह अधिकार दिया गया कि वे स्वेच्छाकृत प्रबन्धको को सीनियर छात्रो के निमित्त बनवाई जाने वाली किसी भी इमारत के व्यय का ७५% तक दे। इसके बदले मे मैनेजरों को अपने शिक्षको की नियुक्ति का अधिकार त्यागने के लिए सहमत होना पडना था। यद्यपि इन स्कूलो मे सुरक्षित अध्यापको (Reserved Teachers) की नियुक्ति द्वारा विशिष्ट धर्म की शिक्षा दी जा सकती थी, फिर भी यदि छात्रो के अभिभावक माँग करते तो उनके बालको के लिए सर्व-सम्मत पाठ्यक्रम (Agreed Syllabus) के अनुसार सामान्य धर्म (Undenominational) की शिक्षा का प्रबन्ध भी उन्हे करना पडता था। सब मिला कर स्वेच्छाकृत स्कूलों के प्रबन्धको ने ५१९ प्रस्ताव इन शर्तो से लाभ उठाने के लिए रक्खे, किन्तु युद्ध के आरम्भ होने से उनमे से केवल ३७ कार्यान्वित हो सके। सन् १९४४ के एक्ट ने सन् १९३६ ई० के एक्ट को स्थानच्युत कर दिया किन्तु उसने सन् १९४६ ई० के एक्ट मे स्वेच्छाकृत स्कूलों के मैनेजरो और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E.As) के बीच हुए समझौते को मान्यता दी और ऐसे सब स्कूल विशेष समझौते वाले स्कूल (Special Agreement Schools) कहलाये।

वर्तमान स्थिति—सन् १९४४ के एक्ट के फलस्वरूप कुछ निश्चितदशाओं मे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (L.E.As) को यह प्राधिकार दे दिया गया है कि वे स्वेच्छाकृत विद्यालयों (Voluntary Schools) की इमारतों को काउन्टी स्कूलों की इमारतों के ही समान मंत्रालय द्वारा निर्धारित भवन निर्माण-स्तर तक लाने में जो भी व्यय करना पडेगा, करेंगे। इन निश्चित दशाओ का तात्पर्य है इन स्कूलो पर L E As का नियंत्रण। ऐसे सभी स्कूल एल० ई० ए०ज (L.E As) के नियंत्रण

मे होंगे, और स्वेच्छाकृत नियन्त्रित विद्यालय (Voluntary Controlled Schools) के नाम से पुकारे जायेंगे। इस प्रकार इस समय इगलैण्ड मे तीन प्रकार के स्वेच्छाकृत विद्यालय पाए जाते है। एक तो वे स्वेच्छाकृत विद्यालय जो बहुत पहले से चले आ रहे है तथा जिन्होंने स्कूल बोर्डो, सन् १९०२ के एक्ट तथा अन्य एक्टों द्वारा काउन्टी स्कूलो को दी हुई सुविधाओ का डट कर सामना किया, भले ही आर्थिक साधनो के अभाव मे वे काउन्टी स्कूलों की समता न कर सके हो, किन्तु जिन्होने अपना अस्तित्व स्वतत्र रखना ही श्रेयस्कर समझा। ऐसे स्कूल अपनी इमारतो मे होने वाले वार्षिक सुधार तथा अन्य व्यय का आधा भाग स्वय वहन करते थे। ये स्कूल एल० ई० एज० (L.E.As) से सहायता प्राप्त स्कूल (Aided Schools) कहलाये। इन स्कूलों को अध्यापको की नियुक्ति और निकालने का स्वयं अधिकार था। दूसरे सन् १९३६ के एक्ट के अतर्गत प्रबन्धको तथा एल० ई० एज० (L.E.As) के मध्य हुए विशेष समझौते के फलस्वरूप विशेष समझौते वाले स्कूल (Special Agreement Schools) कहलाये। तीसरे सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत स्वेच्छाकृत नियन्त्रित विद्यालय (Voluntary Controlled Schools) के नाम से पुकारे गए।

सहायता प्राप्त (Aided) तथा विशेष समझौते वाले (Special Agreement) स्कूलों मे भी प्रबन्धको को स्थानीय शिक्षा प्रतिनिधियो (L.E As) की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पडता है। किन्तु इस दशा मे जो भी भवन सम्बन्धी व्यय होता है उसे प्रबन्धकगण ही वहन करते है। यह आवश्यक है कि उस व्यय राशि का आधा धन मत्री महोदय उनको अनुदान के रूप मे दे देते है। यह स्पष्ट है कि इस निर्णय से देश की शिक्षा को समग्र रूप से लाभ हुआ है। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्वेच्छाकृत विद्यालय अपने आर्थिक भार से बहुत कुछ मुक्त हो गये है। इसके बदले मे उन्हे अपनी बहुत सी सुविधाओ का त्याग भी करना पडता है। एक सौदा तै हो गया है और उस समझौते की प्रकृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम दोनों दलो को होने वाले लाभो को ध्यान मे रक्खे। साम्प्रदायिक विद्यालय (Denominational Schools) विशिष्ट धर्म शिक्षा को बहुत महत्व देते है। अपने स्कूल का अलग अस्तित्व रखने का उनका अब अन्य कोई कारण नही हो सकता, क्योकि सामान्य धर्म शिक्षा तो अब अनिवार्य रूप से प्रत्येक काउन्टी स्कूल मे दी जाने लगी है। दूसरी ओर अब भी इस दृष्टिकोण के समर्थक देश मे विद्यमान है कि विशिष्ट धर्म की शिक्षा जनता के स्थानीय करों के द्वारा न दी जाए। फलस्वरूप जिस सीमा तक विद्यालय प्रबन्धको ने स्थानीय करो की यह सहायता एल० ई० एज० से प्राप्त की है, उस सीमा तक उनके स्कूलो की विशिष्ट-धार्मिक महत्व कम हो गया है और वे धर्म-निरपेक्ष काउन्टी स्कूलो की समता मे आ गए है। इस सम्बन्ध मे नियंत्रित विद्यालय (Controlled School) ने सबसे अधिक त्याग किया है, तथा विशेष समझौते वाले (Special Agreement) और सहायता प्राप्त (Aided) स्कूलों की हानि अपेक्षाकृत कम हुई है। इसका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमे यह देखना होगा कि इंगलैण्ड के स्कूलो मे धार्मिक शिक्षा अब किस ढंग से प्रदान की जाती है ?

धार्मिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप—सन् १९४४ के एक्ट की २५वी धारा के अनुसार प्रत्येक काउन्टी या स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूल का कार्य एक साम-

हिक उपासना से आरम्भ होता है और उन्हे अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध करना पडता है। यह भी सच है कि सन् १९४४ के पहले भी स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L.E As.) अपने स्कूलो मे यह कार्यक्रम चलाते थे। फलस्वरूप स्वेच्छा कृत विद्यालयो के प्रबन्धको का यह भय सर्वथा उचित था कि यदि उन्होने अपने बालको के लिए विशिष्ट धर्म की शिक्षा का प्रवन्ध न किया तो फलस्वरूप वे धार्मिक शिक्षा से ही, चाहे वह किसी प्रकार की क्यो न हो, वञ्चित हो जायेगे। इतिहास इसका साक्षी है कि धार्मिक रुचि के प्रतिनिधियो ने इस विषय पर सदैव बल दिया और इसलिए यह पारस्परिक समझौते का एक अनिवार्य अग वन गया।

इसके अतिरिक्त काउन्टी स्कूलो के सम्वन्ध मे भी जो व्यवस्थाये पुराने एक्टो मे उपस्थित थी वे सब सन् १९४४ के एक्ट मे भी दोहराई गई है। उदाहरण के लिए 'किसी भी काउन्टी या स्वेच्छाकृत स्कूल मे पढनेवाले छात्र को इस बात के लिए विवश न किया जाएगा कि वह किसी धार्मिक पूजा के स्थान या रविवारीय विद्यालय (Sunday School) मे उपस्थित रहे, या न रहे।'[१] यदि वह चाहे तो उपस्थित रह सकता है और यदि उसके अभिभावक आपत्ति करे, तो वह उससे मुक्त भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि उसके माता-पिता आपत्ति करते है तो 'वह विद्यालय के अन्दर भी धार्मिक शिक्षा या उपासना से मुक्त हो सकता है'।[२] किन्तु इसके लिए उसे अधिकारियो को इस बात मे सतुष्ट करना पडेगा कि वह किसी अन्य स्थान पर अपने धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह उद्धरण सन् १८७० के एक्ट के काउपर-टेम्पल-परिच्छेद (Cwoper Temple Clause) का है। इस परिच्छेद मे यह भी कहा गया है कि 'किसी भी काउन्टी स्कूल मे होने वाली सामूहिक प्रार्थना किसी विशेष धर्म से सम्वन्धित न होगी और न उसमे ऐसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन और व्याख्याये होगी जो किसी विशेष धर्म की ओर संकेत करे। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट मे ऐसे भी परिच्छेद सम्मिलित है। जो नए है। उदाहरण के लिए—

'Children withdrawn wholly or partly from attendance at religious worship..... or religious instruction in the school.... or from attendance at both, may, provided certain conditions are observed, be allowed to receive religious instruction of the kind desired by the parent elsewhere.'

अर्थात् यदि अभिभावक चाहता है तो उसका छात्र कुछ निश्चित दशाओ मे विद्यालय मे प्रदान की जाने वाली धार्मिक शिक्षा और सामूहिक प्रार्थना से तटस्थ होकर किसी दूसरे स्थान पर जहाँ उसकी शिक्षा का प्रबन्ध हो शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

साथ ही १९४४ के एक्ट द्वारा प्रदान की हुई यह सुविधा भी नई है कि यदि कोई काउन्टी सेकेंडरी स्कूल ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पर पढ़ने वाले छात्र किसी दूसरे स्थान पर दी जाने वाली अपने सम्प्रदाय विशेष की शिक्षा से

---

१ देखिए Cowper Temple Clause of 1870 Act.

२ देखिए Roger Armfelt द्वारा लिखित '*Structure of English Education.*' पृष्ठ १००

लाभ नही उठा सकते और ये सामान्य-धर्म की शिक्षा भी नही प्राप्त करना चाहते, तो उस सेकेंडरी स्कूल मे ही उसके सम्प्रदाय या धर्म की विशिष्ट शिक्षा का प्रबन्ध छात्र के लिए किया जावेगा यदि इस प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यय अधिकारियो पर नही पडता और बालक के अभिभावक उसे उठाने को तैयार हैं। इस प्रकार सन् १९४४ के एक्ट की इन व्यवस्थाओ द्वारा काउपर-टेम्पल-परिच्छेद' (Cowper-Temple Clause) तथा अन्त.करण खण्ड (Conscience Clause) का ध्यान रखते हुए विधान को विभिन्न धर्मो की विशिष्ट शिक्षा के अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

स्वेच्छाकृत नियंत्रित स्कूलो (Voluntary Controlled Schools) के प्रबन्धक (Managers and Governors) अपने स्कूलो की व्यवस्था के लिए होने वाले व्यय के लिए तनिक भी उत्तरदायी नही है। साथ ही उन्होंने अपने स्कूलो की इमारतें सबसे पहले स्थापित कर स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (L.E As) के हवाले कर दी है। ऐसी दशा मे वे इन स्कूलो मे दी जाने वाली अपने-अपने विशिष्ट धर्म की शिक्षा के कुछ अधिकारों से वञ्चित हो गये है। किन्तु बहुत से अधिकार अब भी उनके पास हैं। वे सप्ताह में दो दिन अपने न्यास-पत्र (Trustdeed) के अनुसार धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं। विशेष समझौते वाले तथा सहायता प्राप्त विद्यालयो के प्रबन्धकगण विद्यालय के खेल के मैदान तथा आतरिक परिवर्तनो को छोड कर शेष इमारत के परिवर्तन या मरम्मत के लिए व्यय का आधा भाग सरकारी अनुदान के रूप मे प्राप्त करते है। शेष आधा भाग वे स्वय वहन करते हैं और मत्रालय द्वारा निर्धारित भवन-निर्माण-स्तर तक अपने स्कूलो की इमारतो को लाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी दशा मे अन्त.करण खण्ड (Conscience Clause) का ध्यान रखते हुए वे अपने विशिष्ट धर्म की शिक्षा और उपासना प्रदान कर सकते हैं। साथ ही सन् १९४४ के एक्ट मे इस बात की भी व्यवस्था है कि यदि इन स्कूलों मे पढने वाले बालको के माता-पिता चाहते हैं कि उनके बालक एल० ई० एज़० द्वारा प्रचारित सर्वसम्मत-पाठ्यक्रम (Agreed Syllabus) के अनुसार धार्मिक शिक्षा प्राप्त करे, और उन्हे सामान्य रूप से ऐसे स्कूलों मे पहुँचने की सुविधा प्राप्त नही हो पाती जहाँ यह शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो कुछ विशेष दशाओ मे इन विशेष समझौते वाले तथा सहायता प्राप्त स्कूलो की इमारतो के अन्दर ही उन छात्रों के लिए ऐसी सुविधा का प्रबन्ध किया जाता है।

जो सिद्धान्त धार्मिक शिक्षा के लिए लागू हैं, स्वेच्छाकृत विद्यालयों की विभिन्न श्रेणियों की व्यवस्था, निर्वाह, प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिए भी वही लागू है। पिछले अनुच्छेदो मे यह उल्लेख किया गया है कि कुछ निश्चित दशाओ मे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L.E.As) स्वय एक नियंत्रित विद्यालय (Controlled School) स्थापित कर सकते हैं। यह इस प्रकार है। जब कोई एल० ई० ए० किसी स्वेच्छाकृत विद्यालय (Voluntary School) को विस्तृत करने की समस्या का अध्ययन करती है, तो बहुत सम्भव है कि वह इस विस्तार को इतना व्यापक पाए कि परिणामस्वरूप उस पर किया हुआ व्यय एक नए विद्यालय के खोलने मे होने वाले व्यय के बराबर हो। ऐसी दशा मे यह पद्धति अपनायी जावेगी। पहले तो यही निश्चित किया जावेगा कि क्या एक ऐसे स्कूल का पुनर्निर्माण एक नए स्कूल के खोलने के बराबर होगा ? यह बात शिक्षा मत्री द्वारा सन् १९४४ के एक्ट की

६७वी धारा के चौथे अनुच्छेद के अनुसार निश्चित की जाती है। यदि मत्री महोदय का निर्णय एक नया स्कूल खोलने के पक्ष मे होता है, तो सन् १९४४ के एक्ट की १३वी धारा के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार इस निर्णय की सूचना सरकारी विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है। इस सम्बन्ध मे यदि जनता के किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह मत्री महोदय के पास अपनी आपत्ति भेज सकता है। एक निश्चित समय के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जाता है। इस पर होने वाला व्यय सन् १९४६ ई० के शिक्षा अधिनियम की धारा (१) के अतर्गत होता है। अपना निर्णय लेते समय मत्री महोदय को इस बात की पूरी जाँच पडताल कर लेनी चाहिए,और सतुष्ट हो जाना चाहिए कि इस प्रकार का विस्तार उन छात्रो के लिए स्थान की सुविधा की दृष्टि से सब प्रकार से आवश्यक है, जिन्हे किसी भी दूसरे स्वेच्छाकृत विद्यालय (Voluntarv School) मे यह सुविधा निश्चित हो मिल जाती यदि वह स्कूल बन्द न कर दिया गया होता, अथवा यदि उसमे प्रवेश के प्रतिबन्ध न होते। एक्ट के शब्दो मे—

'The Minister would have to be satisfied that the enlargement was wholly or mainly required for the purpose of providing accomodation for pupils for whom accomodation would have been provided in some other voluntary school if that other school had not been discontinued or had not otherwise ceased to be available for the purpose.'

यदि यह विस्तार एक नया स्कूल खोलने के समान व्ययसाध्य नही समझा जाता तो उसकी गणना मरम्मत या परिवर्तन मे होती है और सुधार तथा परिवर्तन सम्बन्धी यह व्यय एल० ई० ए० के ऊपर सन् १९४४ के एक्ट की १५वी धारा के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार पडता है। ये सब व्यवस्थाये भी उसी सामान्य सिद्धान्त के अनुकूल है जिसके अतर्गत एक नियंत्रित विद्यालय जहाँ अपने निर्वाह के ऊपर होने वाले किसी भी व्यय के लिए उत्तरदायी नही होता, वहाँ वह अपनी विशिष्ट धर्म की शिक्षा का महत्व भी बहुत कुछ खो देता है और उसे एल० ई० ए० के हाँथों मे सौप देता है।

प्रबन्धकारिणी समितियों (Managing and Governing Bodies) की रचना और संगठन का प्रबन्ध दोनो बातों पर ध्यान रखकर किया जाता है—अर्थात् पहले से चली आने वाली परम्परा तथा सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत प्रदत्त नयी दशाये। उदाहरण के लिए सन् १९२१ ई०के शिक्षा अधिनियम की ३०वी धारा मे यह उल्लेख है कि एक काउन्टी एलीमेन्ट्री स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति मे साधारणतया छ: से अधिक सदस्य न होंगे जिसमे ४ सदस्य स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E.As) के होगे और दो सदस्य लघु स्थनीय-शासन प्राधिकारी (Minor Local Authority) के होंगे। इनमे नगर-परिषद्, नगर-जिला परिषद् या पल्ली-परिषद् (Borough Council, Urban District Council or Parish Council) होती है। स्वेच्छाकृत विद्यालयों मे भी प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सख्या और अनुपात वही होगा। किन्तु इस बार चार सदस्य मूल प्रबन्धकों(Foundation Managers) मे से होंगे और शेष दो एल० ई० ए० अथवा एल० ई० ए० और लघु-स्थानीय-शासन दोनो के। यदि प्रबन्धकारिणी समितियों मे सदस्यों की सख्या बढ भी जाती है तो भी अनुपात यही रहता है। यह बात विचारणीय है कि

एक स्वेच्छाकृत नियंत्रित विद्यालय (Voluntary Controlled School) सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार पुराने प्राइमरी स्कूल की उस विधि का ही पालन करते हैं जो पुराने एक्टो के अतर्गत काउन्टी के लिए बनायी गयी थी। दूसरी ओर स्वेच्छाकृत सदस्यता प्राप्त तथा विशेष समझौते वाले (Voluntary Aided and Special Agreement) स्कूल पहले के अप्रस्तुत स्कूलो (Non-provided Schools) की रूपरेखा का ही निर्वाह करते हैं। एक काउन्टी सेकेंडरी स्कूल की प्रशासन-समिति एल० ई० ए० की इच्छानुसार चुनी जाती है। शेष व्यवस्थाये गवर्नरो के लिए भी वही हैं जो मैनेजरो के लिए हैं।

अध्यापकों की नियुक्ति और निकालने का प्रश्न भी अतीत से आने वाली परम्परा से सम्बद्ध है। यहाँ भी नियंत्रित विद्यालय (Controlled School) की स्थिति काउन्टी तथा दूसरे प्रकार के स्वेच्छाकृत (Voluntary) स्कूलों के मध्य की स्थिति है। सन् १९२१ ई० के शिक्षा अधिनियम के अनुसार एल० ई० ए० को काउन्टी स्कूलों (जो कौंसिल स्कूल भी कहलाते थे) मे अध्यापको के रखने और निकालने का पूरा अधिकार था। आज भी सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत एल० ई० ए० का यह अधिकार यथावत बना हुआ है। स्वेच्छाकृत स्कूलों मे अध्यापक प्रबन्धकों द्वारा रक्खे जाते थे। प्रबन्धकगण (Foundation Managers) एल० ई० एज० से स्वीकृति प्राप्त कर उन्हे रखते थे, और वह स्वीकृति केवल शिक्षा सम्बन्धी कारणो को छोडकर सामान्यत: मिल ही जाती थी। इस प्रकार वे एल० ई० एज० से स्वीकृति लेकर निकाल भी सकते थे। पर इसके लिए प्रधान रूप से कोई धार्मिक कारण ही होना चाहिए। आज भी स्वेच्छाकृत सहायता प्राप्त (Voluntary Aided) स्कूलो मे इसी परम्परा का पालन होता है। इस दृष्टि से नियंत्रित विद्यालय (Controlled Schools) बहुत कुछ काउन्टी स्कूलो के अधिक निकट हैं। उनके यहाँ अध्यापकों की नियुक्ति एल० ई० एज० द्वारा होती है और एल० ई० एज० ही उनके रखने या निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। फिर भी यदि शिक्षक सुरक्षित श्रेणी के होते है और न्यास-पत्र (trust deed) के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने के लिए योग्यतानुसार रक्खे जाते है तो उनकी नियुक्ति के विषय मे मैनेजरो की स्वीकृति आवश्यक होती है। यह स्वीकृति धार्मिक आधारो पर दी जाती है और रोकी भी जाती है। एल० ई० एज० को धार्मिक कारणो से किसी सुरक्षित अध्यापक को भी निकालने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सन् १९३६ के एक्ट के विशेष समझौते के अनुसार सन् १९४४ ई० मे एक वर्ग विशेष समझौते वाले स्वेच्छाकृत स्कूलों का भी मिलता है। इनमे भी सुरक्षित अध्यापकों की व्यवस्था है और शिक्षकों की नियुक्ति और निकालने की दृष्टि से ये भी नियंत्रित विद्यालयों की श्रेणी मे आते हैं।

संख्या—इस प्रकार आपके सामने द्विशासन प्रणाली का एक विवरण रक्खा गया है। विशेषकर यह दिखलाने की भी चेष्टा की गई है कि किस प्रकार गिरजाघरो और एल० ई० एज० के उत्तरदायित्वों मे यह परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब कि सख्या मे और अधिकारो मे केवल स्वैच्छिक सस्थाओं (voluntary bodies) का ही बोलबाला था। फिर धीरे-धीरे उनकी सत्ता घटने लगी। अब स्पष्ट रूप से एल० ई० एज० के पास ही अधिकतर अधिकार है।

इस शताब्दी के आरम्भ मे लगभग तीन चौथाई प्रारम्भिक विद्यालय स्वेच्छा-

कृत (Voluntaiy) थे। सन् १९३८ मे जब कि स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (A.L.Es.) द्वारा चलाए हुए स्कूलो की सख्या १०,५६३ थो, स्वैच्छिक सस्थाओ के स्कूलो की सख्या १०,५३३ थी। युद्ध के समय से प्रारम्भिक (Elementaiy) वर्ग ही समाप्त हो गया। अतः युद्ध के पूर्व प्राप्त स्कूलो की सख्या की तुलना म अब कोई सख्या रक्खी नही जा सकती। अब तो प्राइमरी स्कूलो की शिक्षा पूर्ण-शिक्षा प्रणाली की पहली सोढ़ी (First stage) कही जा सकती है। फिर भो प्राइमरी और सेकेंडरो स्कूलो के लड़के इसका कुछ अनुमान देते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि अब बागडोर स्थानोय शिक्षा प्राधिकारियो के हाथ मे है। सन् १९४७ मे १६,५२० काउन्टी स्कूल थे और ११,६२५ स्वेच्छाकृत विद्यालय (Volun-taryS chools) थे। सन् १९४७ के बाद स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो की सत्ता और भी अधिक स्पष्ट और दृढ़ प्रतीत होती है। सन् १९५१ई० मे ये काउन्टी स्कूल वढ़कर १६,८४६ हो गए, जब कि स्वेच्छाकृत विद्यालय घट कर ११,१०७ ही रह गये सन् १९५३ मे भी यही हाल था। जहाँ काउन्टी स्कूलो की सख्या १७,४३२ थी वहाँ स्वेच्छाकृत विद्यालय (Voluntary School) कुल मिला कर १०,८९३ थे। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि द्विशासन प्रणाली मे किस प्रकार स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E.As.) की प्रभुता दिन प्रति दिन अधिक होती जाती है।

अग्रिम शिक्षा
(Further Education)

९

सामान्य परिचय

सन् १९४४ के एक्ट की ४१वी धारा के अनुसार अग्रिम शिक्षा के सम्बन्ध मे प्रत्येक स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L.E.As.) से सम्बन्धित निम्नलिखित सामान्य कर्त्तव्य दिए गए है—

'अपने-अपने क्षेत्रो के लिए अग्रिम शिक्षा सम्बन्धी समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करना अर्थात्—

(अ) अनिवार्य शिक्षा आयु से बड़े व्यक्तियो के लिए पूर्णकालीन अथवा अल्पकालीन (Full Time or Part Time) शिक्षा की व्यवस्था।

(आ) अनिवार्य विद्यालय आयु से बडे व्यक्तियों के लिए अवकाश के क्षणों का उपयोग। इस अवकाश काल के लिए ऐसे सास्कृतिक प्रशिक्षण तथा मनोरंजक क्रियाओ का आयोजन किया जाये जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस सम्बन्ध मे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था केवल उन लोगो के लिए की जाये जो सचमुच उसके पात्र है और इन सुविधाओ से लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं।

इस प्रकार अग्रिम शिक्षा द्वारा एक व्यापक क्षेत्र की कमी को पूरा किया जा रहा है। यह क्षेत्र अपने मे इतना व्यापक और विविध है कि इसकी सम्भावनाओं का अनुमान केवल उन विषयो से लग सकता है जो जीवन के विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हुए भी इसके अतर्गत आते हैं। इन विषयो को साधारणतः हम निम्नलिखित वर्गों मे बॉट सकते है :

(१) औद्योगिक, व्यापारिक और कला की शिक्षा।
(२) नवयुवको और प्रौढ़ों के लिए अव्यावसायिक शिक्षा।
(३) काउन्टी कालेज।
(४) युवक सेवा (Youth Service)।

सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व अग्रिम शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो के लिए स्वेच्छा और अधिकार की बात थी। वे चाहते तो इसका प्रबन्ध करते अथवा न करते। किन्तु पूर्व युद्ध काल मे दो आवश्यकताये बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आयी :

(१) औद्योगिक (Technical), व्यापारिक (Commercial) और कला (art) के क्षेत्र मे व्यावसायिक शिक्षा का विकास।

(२) नवयुवकों और प्रौढ़ो के लिए सांस्कृतिक एवं मनोरजनपूर्ण सुविधाओं का अधिक व्यापक और सुलभ होना।

सन् १९४४ का एक्ट इन आवश्यकताओं की पूर्ति दो रूपो मे करता है।—

(१) जिन बालको ने १८ वर्ष के पूर्व विद्यालय की शिक्षा समाप्त कर दी है उनके लिए एक निश्चित आयु-सीमा तक आशिक उपस्थिति (part-time Attendance) अनिवार्य कर दी जाए।

(२) शिक्षा मत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L E A.) का यह कर्त्तव्य होगा कि वह व्यावसायिक (Vocational), सास्कृतिक (Cultural) और मनोरंजन सम्बन्धी (Recreative) सुविधायें देने के लिए अपने-अपने क्षेत्रो मे योजनाये बनाये और स्वीकृति मिलने पर उन्हे कार्यान्वित करे। एक्ट की एक विशेष शर्त यह है कि इन योजनाओं के बनाने और सचालन मे ये प्राधिकारी (L E.As) अपने पडोसी प्राधिकारियो (L E As) तथा विश्वविद्यालयों और उसी प्रकार की उन दूसरी सस्थाओ से परामर्श कर लेगे और उनके सहयोग से कार्य करेगे जो इस कार्य मे पहले से ही सलग्न है।

१. औद्योगिक, व्यापारिक और कला की शिक्षा

इस शीर्षक के अतर्गत जो व्यवस्थाये की गई है, वे बहुत ही भिन्न और व्यापक प्रवृत्ति की है। उनका उद्देश्य भी उतनी ही विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा की माँग की पूर्ति करना है। इस सम्बन्ध मे तीन तथ्यो का उल्लेख यहाँ आवश्यक है:

(१) किसी भी श्रेणी के छात्रो के लिए उपस्थिति अनिवार्य नही है।

(२) इस प्रकार की शिक्षा, केवल कुछ अपवादो को छोड कर, स्थानीय शिक्षा-प्राधिकारियो (L E.As) द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसके विभिन्न रूप औद्योगिक, व्यापारिक और कला महाविद्यालय है। ये कालेज या तो अपने मे पूर्ण होते है या एक ही इमारत मे सम्मिलित रूप मे पाये जाते है, अथवा सध्याकालीन सस्थानो (Evening Institutes) के रूप मे काम करते है।

(३) इनका अधिकाश कार्य आशिक (Part-time) आधार पर होता है, जो साधारणत संध्याकालीन पाठ्यक्रमों (Evening Courses) के रूप मे चलाया जाता है।

किन्तु युद्ध के समय मे किन्ही-किन्ही क्षेत्रों मे इस दिशा मे नियमित विस्तार हुआ है। अधिकाश मिल-मालिको, तथा प्रवन्धकों ने अपने यहा काम करने वाले नवयुवको को कार्य के घण्टो से केवल इसलिए मुक्त कर दिया है कि वे इन टेकनिकल कालेजो तथा ऐसी अन्य सस्थाओ मे उपस्थित होकर लाभ उठाये। सन् १९३७–३८ ई० में इस प्रकार काम से छुट्टी पाये हुए नवयुवको की सख्या ४१,५०० थी। सन् १९४५ ई० मे यही सख्या बढकर ६६,००० से ऊपर हो गयी। ऐसे प्रबन्ध उन प्रशिक्षण योजनाओ के अतर्गत होते है, जिनमे शिल्प-शिक्षार्थी (apprentice) के रूप मे अर्जित किया हुआ अपने व्यवसाय का अनुभव इन कालेजो मे प्रदत्त औद्योगिक शिक्षा से सानुबन्धित कर दिया जाता है। किन्ही-किन्ही दशाओं मे १६ वर्ष से कम आयु के बालकों को सामान्य शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी छुट्टी मिल जाती है। दोनों दशाओं मे इन अल्प-कालीन या आशिक (Part-time) छात्रों को अपने-अपने अधिकारियों से पूरा वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से

स्वामियों और अधिकारियों ने तो व्यक्तिगत (Private) व्यावसायिक और सामान्य स्कूल खोल रक्खे हैं, जहाँ पर उनके कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाती है।

यह व्यावसायिक शिक्षा मुख्यत आंशिक अध्ययन के रूप में दी जाने के कारण ऐसे कर्मचारियों को अपने-अपने विभागों में पूरे समय का काम भी अपेक्षाकृत कम दिया जाता है। जब कि बड़े-बड़े कालेज औद्योगिक तथा व्यापारिक ढंग के पर्याप्त विभिन्न प्रकारों के विषयों की शिक्षा देते हैं, अधिकांश मालिक इस प्रकार १८ या १९ वर्ष में कालेज छोड़ने वाले नवयुवकों में से कम ही लोगों को अपने यहाँ नौकरी देते हैं। साधारणतया यह अनुभव किया गया है कि या तो वे १६ वर्ष के बाद ही नवयुवकों को काम पर रखना पसन्द करते हैं या फिर वे यूनिवर्सिटियों से निकले हुए स्नातकों को काम पर लगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन कालेजों में पूरे समय की शिक्षा के लिए भी पर्याप्त अवसर है। इसकी सम्भावना है कि आगे चलकर कुछ मिश्रित पाठ्यक्रम (Sandwich Courses) भी चलाये जायें। इनके अंतर्गत कुछ निश्चित समय के लिए नवयुवक काम से छुट्टी पाकर इन्हें पूरा करेंगे और तब काम पर जायेंगे। ये अल्प-कालीन पाठ्यक्रम (Short-term Courses) होंगे और सेवा काल के साथ बारी-बारी से आयोजित किए जायेंगे। इस समय जो छात्र इन विद्यालयों में पूर्ण कालीन पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं वे अधिकांश वही हैं जो नेशनल सार्टिफिकेट अथवा लन्दन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री के समान ही नेशनल डिप्लोमा के लिए तैयारी करते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में छात्रों के टेकनिकल कालेज दो वर्गों में आते हैं :—

(१) मिस्तरियों का प्रशिक्षण (Training of Technicians)

(२) कारीगरों का प्रशिक्षण (Training of Craftsmen)

आजकल नेशनल सार्टिफिकेट कोर्सेज के अंतर्गत टेकनिशियनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे पाठ्य विषय अल्प-कालीन (Part-time) होते हैं। इनका संचालन टेकनिकल कालेजों के घनिष्ठ सहयोग से व्यावसायिक संस्थायें, जैसे The Institution of Mechanical Engineers, तथा शिक्षा-मंत्रालय दोनों करते हैं। इस योजना की विशेषता यह है कि टेकनिकल कालेजों द्वारा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जाता है और शिक्षा-मंत्रालय तथा व्यावसायिक संस्थायें दोनों संयुक्त रूप में उसको स्वीकृति देती हैं। इसके पश्चात् कालेज के द्वारा एक अंतिम परीक्षा ली जाती है और परीक्षाफल भी वही घोषित करता है, किन्तु संस्थाओं द्वारा नियुक्त मूल्यांकन समिति (Assessors' Committee) द्वारा जाँच होने के पश्चात् ही परीक्षाफल घोषित किया जाता है। इस परीक्षा के फलस्वरूप तथा प्रशिक्षण काल में छात्र की प्रगति-पत्रिका (Record of Progress) के आधार पर मंत्रालय तथा व्यावसायिक संस्थान (Professional Institution) द्वारा उसे प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। साधारण प्रमाणपत्र के लिए प्रशिक्षण काल तीन वर्ष का होता है जिसमें अधिकांश १६ से १९ वर्ष तक के बालक भरती होते हैं। प्रति वर्ष लगभग २०० घंटे की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उच्च और विशेष प्रमाण पत्र के लिए इसके उपरान्त दो वर्ष का प्रशिक्षण और आवश्यक है। इसके अंतर्गत आजकल निम्नलिखित विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही है—

मेकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग केमिस्ट्री, जहाजी

स्थापत्य (Naval Architecture), टेक्सटाइल्स, कॉमर्स, सिविल इंजीनियरिंग, और प्रोडक्शन इजीनियरिंग।

इनमे अतिम दो प्रकार के प्रशिक्षण उच्च प्रमाणपत्र (Higher Certificate) के निमित्त है। प्रथम तीन प्रकार के प्रशिक्षणो के लिए राष्ट्रीय प्रमाणपत्र योजना (National Diploma Scheme) भी है। इसके अंतर्गत सन् १९४५ ई० मे ३६४६ प्रशिक्षार्थियो को सामान्य तथा १२६१ प्रशिक्षार्थियो को उच्च प्रमाणपत्र (Higher National Certificates) प्रदान किए गए। ये सब प्रशिक्षार्थी आंशिक (Part-time) छात्र ही थे।

टेकनिकल कालेजों के कार्य के इस पहलू पर जिसे हम 'मिस्तरियो का प्रशिक्षण' (Training of Technicians) कहते है यह तात्पर्य नही कि इन कालेजो का व्यावसायिक कार्यो से कोई सम्बन्ध ही नही है। इन विद्यालयो मे पढने वाले छात्र पर्याप्त सख्या मे 'इस्टीट्यूट ऑफ बैकर्स' तथा 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स' ऐसी सस्थाओ द्वारा सचालित परीक्षाओं मे सम्मिलित होते है तथा बहुत-सी ऐसी व्यावसायिक सस्थाये है जो राष्ट्रीय प्रमाणपत्र (National Certificate) प्राप्त युवकों को कुछ विशेष दशाओं मे अपनी परीक्षाओ से मुक्ति दे देते है। बहुत से अन्य रूपो मे ये औद्योगिक कालेज स्नातकोत्तर (Post graduate) प्रकार की उच्च शिक्षा प्रदान करने मे लगे रहते है।

इतना ही नही ये टेकनिकल कालेज तथा बडे-बडे केन्द्रो मे औद्योगिक सस्थानों की शाखाये पर्याप्त सख्या मे विविध प्रकार के कारीगरी के पाठ्यक्रमो का भी प्रबन्ध करती है। इनका प्रशिक्षण 'सिटी एण्ड गिल्ड्स ऑफ लन्दन इस्टीट्यूट' (City and Guilds of London Institute) द्वारा सचालित परीक्षाओ मे सम्मिलित होने के लिए होता है। उपर्युक्त सस्था कुशल कारीगरो की व्यवस्था और उन्नति मे बडा व्यापक और सक्रिय प्रभाव रखती है। इस सम्बन्ध मे 'यूनियन ऑफ लकाशायर (Union of Lancashire) तथा चेशायर इस्टीट्यूट्स (Cheshire Institutes) के समान ही अन्य क्षेत्रीय सस्थाये अपनी परीक्षाये आयोजित करती है।

टेकनिकल कालेजों के व्यापारिक विभाग (Commercial Departments) व्यापारिक विषयो मे व्यावसायिक (Vocational) प्रशिक्षण प्रदान करते है। कही-कही यह शिक्षा स्वतत्र व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा की व्यापक रूपरेखा को पूरा करने का काम आर्ट कॉलेज तथा आर्ट स्कूल करते है। ये कालेज वस्त्र-व्यवसाय (Textiles), मिट्टी का काम (Pottery) तथा शीशे (Glass) के उद्योगो मे जहाँ डिजाइन का बडा महत्व है, असाधारण सहयोग प्रदान करते है। आर्ट स्कूलो मे दी जाने वाली शिक्षा टेकनिकल कालेजो मे दी जाने वाली शिक्षा की अपेक्षा अधिक वैयक्तिक रहती है और इसके लिए राष्ट्रीय प्रमाणपत्र (National Certificate) के अनुरूप कोई परीक्षा नही होती। शिक्षा मत्रालय स्वयं ही ऐसी परीक्षाये सचालित करता है जो समय-समय पर परिवर्धित होती रहती है और जिनका उद्देश्य औद्योगिक और व्यापारिक कला (Industrial and Commercial Art) की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना है।

यह सब उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा है। यह विदेशों मे पाई जाने वाली बड़े पैमाने पर दी जाने वाली पूरे समय की शिक्षा के समान

तडक-भड़क वाली और प्रभावोत्पादक नही है, किन्तु इसका निकट सम्पर्क व्यक्तिगत उद्योग-धन्धो तथा छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान मे रख कर शीघ्रता से बदलने वाली देश की औद्योगिक दशाओ से रक्खा गया है। इन सम्बन्धों और उनकी प्रतिक्रियाओ को अधिक सचेष्ट बनाने के लिए सलाहकार समितियो (Advisory Committees) की स्थापना की जाती है। ये समितियाँ टेकनिकल कालेजों के विभिन्न विभागो से निकट सम्पर्क रखती हैं। इस सम्बन्ध को और भी अधिक घनिष्ठ तथा निकटतम बनाने के लिए इन अल्प-कालीन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए बहुधा ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो अपने-अपने क्षेत्रो मे महत्वपूर्ण पदों का भार सँभालते है और शिक्षा द्वारा इन शिक्षार्थियो को अपना अनुभव और ज्ञान प्रदान करते है।

२. अव्यावसायिक प्रौढ़ शिक्षा

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे राज्य ने स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L E.As) के रूप मे उन स्वैच्छिक (Voluntary) सस्थाओ से जो इस दिशा में अग्रणी थे, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को ले लिया है। यह बात यथार्थ मे ठीक ही है। किन्तु प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध मे यह बात पूर्णतया सत्य नही है। इस दिशा मे सरकार ने स्वैच्छिक संस्थाओं (Voluntary Bodies) को छोटे-छोटे अनुदान देना छोड़कर, अन्य प्रकार की सहायता कम ही दी है।

इस दिशा मे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्व प्रथम अपने क्षेत्र के बाहरी लोगो के लिए भाषणो तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमो की व्यवस्था की। सन् १८७३ ई० मे बहुत ही सामान्य रूप मे विश्व-विद्यालय-प्रसार आन्दोलन (University Extension Movement) का आरम्भ किया गया। शनै-शनै इसने सम्पूर्ण राष्ट्र के आन्दोलन का रूप ले लिया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध मे अपने भाग का उत्तरदायित्व निभाता है। साथ ही उसे कर्मचारी शैक्षिक सघ (Workers Educational Association) नामक प्रसिद्ध आदोलन से पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। अथवा यों कहिए कि कर्मचारी शैक्षिक सघ (L.E.As) तथा विश्वविद्यालय प्रसार सेवाये पारस्परिक सहयोग से प्रौढ शिक्षा के कार्य का सम्पादन कर रही है। डब्ल्यू० ई० एज० का उद्देश्य किसी सकीर्ण प्रकार की औद्योगिक शिक्षा का प्रदान करना नही है, वरन् उसका उद्देश्य इगलैण्ड के निवासियो को अधिक से अधिक उदार और ऊँचा बनाना है। यह सघ चाहता है कि उद्योग-धन्धो मे लगे हुए स्त्री और पुरुष इतिहास, कला तथा साहित्य से भली-भाँति परिचित हो और यह परिचय भी स्थानीय अथवा राष्ट्रीय मात्र न होकर अतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। कर्मचारी शैक्षिक सघ को विश्व विद्यालयों के रूप मे उत्साही एव अनुकूल मित्र प्राप्त हुए और उन्होने मिलकर सशिक्षकीय (ट्यूटोरियल) कक्षाओं का आयोजन किया। ये कक्षाये लगातार तीन वर्ष तक सप्ताह मे एक दिन के हिसाब से कम से कम एक वर्ष मे २४ सप्ताह लगती हैं। इतने समय मे वे अपने प्रौढ छात्रों और छात्राओ को यूनिवर्सिटी ऑनर्स डिग्री के स्तर की शिक्षा प्रदान करती हैं। इनमे पढ़ने वाले छात्रों को लिखित निबन्धों द्वारा और सामयिक विचार-विनिमय द्वारा अपना सक्रिय सहयोग देना पडता है। विश्वविद्यालय के प्रवक्तागण इन कक्षाओं का सचालन विशुद्ध ज्ञानार्जन की दृष्टि से ही करते है।

इसके अतिरिक्त दूसरे कम प्रगतिशील पाठ्यक्रमो का भी आयोजन होता है। ये एक वर्ष के भी होते हैं, किन्तु 'ज्ञान-ज्ञान के लिए है' यही उद्दश्य इनके भी समक्ष रहता है। इस प्रकार के सभी पठ्यक्रमो के लिए शिक्षा मत्रालय और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी दोनो ही अनुदान देते है। किन्तु इन सस्थाओ पर यूनिवर्सिटो ट्यूटर्स तथा डब्ल्यू० ई० एज० के सदस्यो द्वारा सयुक्त रूप मे निर्मित समितियो का ही नियत्रण रहता है। यह प्रसन्नता की बात है कि अनेको आधुनिक विश्वविद्यालय जैसे लन्दन, मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल तथा शेफील्ड सशिक्षणीय कक्षाओं (Tutorial Classes) के आयोजन एव सचालन मे देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों से आगे है।

प्रोढ शिक्षा के क्षेत्र मे कर्मचारी शैक्षिक सघ (Workers Educational Association) ही एकमात्र सस्था नही है। अनेक दूसरी सस्थाये भी है जैसे, इस्टोट्यूट ऑफ एडल्ट एजूकेशन (Institute of Adult Education) एजूकेशनल सेटलमेन्ट्स एसोसियेशन (The Educational Settlements Association), द वीमेन्स इन्स्टीट्यूट्स (The Womens' Institutes), द रूरल कम्यूनिटी कौंसिल्स (The Rural Community Councils) और द नेशनल एडल्ट स्कूल यूनियन (The National Adult School Union) इत्यादि। इन सब समितियो के आदर्श भले ही इतने ऊँचे न हो जैसे कि यू० ई० एस० University Extension Services) तथा डब्ल्यू० ई० एज० (Workers Educational Associations) के है, फिर भी वे अपने क्षेत्र मे अति उत्तम कार्य कर रही है। इसी प्रकार ब्रिटिश ड्रामा लीग (British Drama League) द्वारा भी सच्ची शिक्षा का कार्य हो रहा है। उसकी अध्यक्षता मे कला प्रेमी नाट्य समितियाँ (Amateur Dramat c Societies) प्रतियोगितायें आयोजित करती है तथा समय-समय पर परामर्श और पुरस्कार भी देती है।

इस क्षेत्र मे लन्दन काउन्टो कौंसिल भी अपने साहित्यिक सस्थानो (Literary Institutes) के माध्यम से प्रोढ शिक्षा का कार्य कर रही है। ये सस्थाये लगभग ३० वर्षो से सुन्दर ढग से चल रही है और इनका उद्देश्य है ऐसे व्यक्तियो के लिए जो अपने अवकाश का समय उपयोग करना चाहते है, सुरुचिपूर्ण सामग्री और सुविधा प्रदान करना, ताकि साधारण व्यवसायों मे लगे रहने पर भी उनकी मानसिक और सास्कृतिक रुचि परिष्कृत हो। इनकी फीस बहुत ही कम होती है और इनमे समाज के सभी वर्गो के लोग भाग लेते है। लन्दन मे भी ऐसे बहुत से स्वैच्छिक महाविद्यालय (Voluntary Colleges) है जिनका उद्देश्य अवकाश के समय का सुन्दर उपयोग है। ये अपने पाठ्यक्रमो को सामाजिक विषयो के अध्ययन से समन्वित करते है। इन सब मे प्रसिद्ध वर्किंग मेन्स कॉलेज (Working Men's College) है।

ग्राम महाविद्यालय आन्दोलन (Village College Movement)—कैम्ब्रिज शायर मे कुछ वर्षो पूर्व ग्राम महाविद्यालय आन्दोलन भी आरम्भ हुआ है। इसके सामने बड़ा उज्ज्वल भविष्य है। जिस विचारधारा ने ग्राम महाविद्यालय की स्थापना को सफलीभूत बनाया वह कुछ इस प्रकार है:—

'यदि ग्रामीण क्षेत्र पूर्णरूपेण नगरों और नागरिक प्रभाव से दबना नही चाहता और अपने अलग अस्तित्व को कायम रखना चाहता है तो एक नयी इकाई 'ग्रामीण-क्षेत्र' (Rural Region) के नाम से निश्चित स्थापित होनी चाहिए।

कोई भी एक गाँव आज शिक्षा और मनोरंजन के वे सब साधन प्रदान नहीं कर सकता लोग जिनकी माँग करते हैं अथवा आज के युग में जिनकी आशा करते हैं। किन्तु एक बड़े गाँव को केन्द्र मानकर आसपास कई गाँवों का एक समूह निश्चय ही इसकी व्यवस्था कर सकता है। अतः इस बड़े गाँव में एक सामुदायिक केन्द्र (Commnity Centre) होना चाहिए और इसे ही ग्राम महाविद्यालय (The Village College) के नाम से पुकारना चाहिए। अपने आदर्श रूप में इस केन्द्र के अंतर्गत एक माध्यमिक आधुनिक विद्यालय (Secondary Modern School) होगा जिसमें पढ़ने वाले छात्र क्षेत्र के सभी सदस्य-ग्रामों से आयेंगे। एक नर्सरी स्कूल होगा और मुख्य गाँव के बालकों के लिए एक प्राइमरी स्कूल होगा तथा माता और छोटे शिशुओं (Dabies) के लिए एक चिकित्सालय भी होता है। इस भवन में एक सभा-भवन (Assembly Hall) भी होता है। जिसका उपयोग सिनेमा अथवा थियेटर दोनों के लिए हो सकता है। एक कैन्टीन होता है तथा हस्तकला और गृह विज्ञान के कमरे अलग होते हैं। इमारत के ये भाग दिन में बालकों द्वारा प्रयुक्त होते हैं और प्रौढ़ों द्वारा सायंकाल के समय। कालेज में एक सार्वजनिक पुस्तकालय जिमनेशियम और एक तैरने का तालाब (swimming pool) भी होता है। इसके अतिरिक्त इस भवन का एक भाग प्रौढ़ों के लिए सुरक्षित रहता है। इसमें प्रौढ़ों की शिक्षा और मनोरंजन के लिए कमरे होते हैं तथा स्थानीय परिषद् (Local Council) या दूसरी स्वेच्छाकृत संस्थाओं के लिए कमरे होते हैं। इस सब के साथ-साथ भवन सुन्दर और भव्य भी होता है तथा उसके चारों ओर बगीचे और क्रीड़ा उद्यान भी होते हैं।

कैम्ब्रिजशायर शिक्षा-समिति ने सर्व प्रथम इस योजना को स्वीकृति दी और इस प्रकार सन् १९३० ई० में सर्वप्रथम ग्राम-महाविद्यालय (Village College) खोला गया। इसके बाद तीन और इस प्रकार के कालेज खोले गए। तत्पश्चात् द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया और इस दिशा का विकास रुक गया। यद्यपि व्यवहार में वे सभी विशेषतायें एक ग्राम महाविद्यालय में जुटायीं नहीं जा सकीं जो सिद्धान्त में सम्भव प्रतीत होती थीं, किन्तु फिर भी लक्ष्य पूर्ति के सभी आवश्यक साधन वहाँ थे। प्रत्येक कालेज में एक वार्डन (छात्राभिरक्षक) और एक प्रौढ़ शिक्षक (Adult Tutor) होता है, जो वहाँ पूरे समय काम करता है और जिसे एल० ई० ए० की शिक्षा-समिति द्वारा वेतन दिया जाता है। किन्तु लगभग क्रीड़ा और मनोरंजन की सारी योजनाएँ तथा शिक्षा सम्बन्धी बहुत-सी क्रियाएँ सदस्यों द्वारा स्वयं चलायी जाती हैं। इन सदस्यों की एक छात्र परिषद् (Student Council) भी होती है और यह परिषद् ही इन सब कामों का प्रबन्ध और देख-रेख करती है। इसके सदस्य फीस और चन्दे के रूप में धन देते हैं यद्यपि ये नाम मात्र को ही होते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक कार्यों के लिए स्वेच्छाकृत सहायता भी दी जाती है। जैसे—छात्र परिषद् द्वारा कालेज कैन्टीन व्यापारिक दृष्टि से चलाया जाता है। यह सहकारिता के आधार पर चलाया जाता है। आस पास के गाँवों के सदस्यों को लाने और ले जाने के लिए छात्र परिषद् द्वारा एक बस-सर्विस की भी व्यवस्था की जाती है। पर बहुत से सदस्य साइकिल पर आना पसन्द करते हैं।

आवास महाविद्यालय (Residential College)—अभी तक हम लोग अल्पकालीन (Part-time) शिक्षा के विषय में बात कर रहे थे। इनसे

हमारा तात्पर्य सायकाल लगने वाली उन कक्षाओं से था जो ऐसे विद्यार्थियो के लिए आयोजित को जाती है जिन्हे अपने जीवकोपार्जन के लिए दिन मे कही न कही कार्य करना पडता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी कक्षायें ही प्रौढ शिक्षा की आधार शिलायें है। किन्तु इससे यह भी स्पष्ट है कि इसमे एक आवास महाविद्यालय (Residential College) के लिए भी पर्याप्त अवकाश और अवसर है। यहाँ स्त्री और पुरुष पूरे वर्ष, और एक वर्ष मे कई महीने लगातार पढने के लिए आ सकते है और रह सकते है। आजकल इगलैण्ड मे ऐसे थोड़े से ही कालेज है। आक्सफोर्ड का रस्किन कालेज इन सब मे प्रसिद्ध और प्राचीन है। यह आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कालेज नही है बल्कि जीविकोपार्जन मे लगे हुए व्यक्तियो की शिक्षा के लिए एक पृथक् आवास-महाविद्यालय (Residential College) है। अभी तक इस प्रकार के लगभग दस कालेज इगलैण्ड मे कार्य कर रहे है किन्तु अब इनकी सख्या बढ रही है। कुछ ही दिनो पूर्व मार्क्विस आफ लोथियन (Marquis of Lothian) ने अपना सुन्दर आवास जिसे न्यू वैटिल एबी कहते है और जो स्कॉटलैण्ड मे है कर्मचारी-आवास-महाविद्यालय (Residential College for Workmen) के लिए दे दिया है। ऐसी आशा की जाती है कि बहुत से अन्य समृद्ध व्यक्तियों के प्राचीन ग्रामीण आवास (Country Houses) इस कार्य के लिए उपलब्ध हो सकेगे।

इधर कुछ दिनों से लोकमहाविद्यालय (Peoples' Colleges) का आदर्श भी बड़ा लोकप्रिय होता जा रहा है। जनता ने डेनमार्क और स्वीडेन मे प्रचलित पीपुल्स हाई स्कूलो (Peoples High Schools) मे पर्याप्त रुचि दिखलाई है। इस सम्बन्ध मे ऑक्सफोर्ड के एक महाविद्यालय के आचार्य सर रिचर्ड लिविग्स्टन (Sir Richard Livingstone) ने अपनी पुस्तक 'The Future in Education' (शिक्षा का भविष्य) मे लिखा है—

'हमारे विद्यालय मे पढ़ने वाले छात्रो की आयु कितनी ही बढा दी जाए और विद्यालयो मे कितना ही सुधार हो जाए, प्रौढ शिक्षा फिर भी शिक्षा के अन्य क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण रहेगी ?'[१] यह स्पष्ट है कि इगलैण्ड मे आज प्रौढ शिक्षा के विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक हो रहा है। सन् १९४४ के बटलर एक्ट ने एल० ई० एज० को इस सम्बन्ध मे पूर्ण अधिकार दे दिए है कि वे प्रौढ़ शिक्षा को पूर्ण सहायता दे और उसे सभी रूपो मे उत्साहित करे जिसमे मनोरजन तथा सामाजिक और शारीरिक शिक्षा की सुविधाये भी सम्मिलित है। डब्ल्यू० ई० डी० स्टीफेन्स (W.E.D. Stephens) के शब्दो मे—

"If these powers are used to the full—and it is the duty of every citizen who values education to see that they are, then eve may see in the near future village colleges like those of Cambridgeshire spread all over the country, together with a system of Residential Colleges worthy of a democratic Britain."

---

१ देखिए—Future in Education by Sir Richard Livingstone अंतिम अध्याय 'No matter how much our school age is raised and the schools improved, Adult Education will remain the most important field of all.'

अर्थात् यदि इन समस्त साधनो और शक्तियों का समुचित और पूर्ण उपयोग किया जाए—और शिक्षा को महत्व देने वाले प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसा करे—तो निकट भविष्य मे ब्रिटेन की प्रजातंत्रीय प्रणाली के अनुरूप हो हम सारे देश मे कैम्ब्रिजशायर के ग्राम-महाविद्यालयो के समान ही अन्य ग्रामोण महाविद्यालय तथा अनेक आवास महाविद्यालय फूलते और फलते हुए देखेंगे।[1]

(३) काउन्टी कॉलेज

सन् १९४४ के बटलर एक्ट के शब्दों मे ऐसे कॉलेजो का उद्देश्य है 'To provide such further education, including physical, practical and vocational training as will enable young people to develop their various aptitudes and capacities and will prepare them for the responsibilities of citizenship.' दूसरे शब्दो मे इन कालेजो का उद्देश्य ऐसी अग्रिम शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसमे शारीरिक, प्रायोगिक तथा व्यावसायिक सभी प्रकार का प्रशिक्षण सम्मिलित है जिससे कि नवयुवक अपनी विभिन्न प्रतिभाओं और क्षमताओं का समुचित विकास कर सके और अपने आप को नागरिकता के उत्तरदायित्वो के योग्य बना सकें।

सन् १९४४ के इस एक्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे नवयुवक और नवयुवतियाँ जो स्कूल छोड चुके है किंतु जो १८ वर्ष की आयु से कम हैं इन काउन्टी कालेजो में पढेगे। ये एक वर्ष मे लगातार ४४ सप्ताहो तक प्रति सप्ताह एक दिन अथवा दो आधे दिनो के हिसाब से इन विद्यालयो मे उपस्थित होगे। ग्रामीण जिलो मे जहाँ आवागमन की सुविधायें इस कार्य के सम्पादन में बाधा पहुँचाती हैं आवास महाविद्यालयो की स्थापना हुई है। इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। इनमे नवयुवक और नवयुवतियाँ आकर रहेगी और लगातार आठ सप्ताह तक शिक्षा ग्रहण करेगी।

अधिकांश लोगो का मत है कि सप्ताह मे एक वार की शिक्षा बहुत कम है और इससे कोई ठोस लाभ नही हो सकता। किन्तु इतनी सीमित व्यवस्था के लिए भी भवन तथा शिक्षको का प्रबन्ध कठिनाई से ही होता है, अत इस समय बड़े पैमाने पर इसका आरम्भ उचित नही समझा गया।

इन विद्यालयों मे दी जाने वाली शिक्षा मे छात्र जीवन के सभी पहलुओं का सन्निवेश है। साधारणतः इस शिक्षा के निम्निलिखित उद्देश्य हैं—

(१) इन कालेजों मे पढ़ने वाले छात्रो को नियमित व्यायाम, मनोरजन, हस्तकला तथा अन्य शिल्पो मे क्षमता प्रदान करने के अवसर सामने रखना और सुविधायें देना।

(२) इनमे पढने वाले छात्रों के ज्ञान का वर्धन और बुद्धि का विकास करना जिससे कि वे किसी एक कार्य पर एकाग्रता से जुटने का अभ्यास डाल सकें तथा अन्त तक उसे व्यवस्थित और सुचारु रूप से निभा सके।

1. देखिए *'English Education'* लेखक W. E. D. Stephens (Every mans Library) Chapter on Adult Education.

(३) जिन विषयो मे इन छात्रो की रुचि है उनके सम्बन्ध मे अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवकाश के समय का उपयोग करना और इस प्रकार नए-नए क्षेत्रों मे अनुसन्धान की प्रवृत्ति को जाग्रत करना।

(४) सगीत, कला, नाटक, साहित्य तथा वैज्ञानिक आविष्कारो के अध्ययन और उपभोग से उनकी कल्पना-शक्ति का विकास का अवसर प्रदान करना।

(५) साथ ही अपने छात्र और छात्राओं मे एक सही दृष्टिकोण उत्पन्न करना ताकि वे समझे कि एक स्वस्थ समाज मे परिवार के उत्तरदायित्व क्या है और उनका क्या महत्व ह ?

(६) उन्हे अपने देश तथा विश्व मे होने वाली सभी प्रकार की जाग्रति और परिवर्तनो से परिचित कराना और उसकी शिक्षा देना।

(७) अत मे एक प्रजातत्रीय समाज मे अच्छे नागरिक के नाते उनमे नतृत्व और सहयोग एव सेवा को भावना जाग्रत करना ताकि वे मानव समाज की कमियों को दूर कर उसे और उन्नत बना सके।

(८) और सबके अत मे, इन कालेजो का उद्देश्य इन नवयुवक और नव-युवतियो के चरित्रो का निर्माण करना है जिससे कि वे जीवन के प्रति एक स्वतत्र किन्तु सतुलित दृष्टिकोण रख सके और समाज के अन्य सदस्यो के साथ व्यवहार मे आदर, सहनशीलता, नम्रता सहानुभूति तथा सद्भावना का प्रदर्शन कर सके।

इन कालेजों मे लडके और लडकियाँ दोनो ही पढ़ेगे किन्तु इस बात का पूर्ण ध्यान रक्खा जाएगा कि उनकी अलग-अलग आवश्यकताओ की भी पूर्ति हो। कालेज के महिला-विभाग मे गृह-निर्माण (Home-Making) पर एक विशेष शिक्षण-योजना तैयार को जायेगी जिसमे सभी अनुभवी शिक्षको के सुझाव सम्मिलित होगे। इसमे उन्हे यह भी शिक्षा दी जाएगी कि वे कैसे अपने को स्वस्थ रक्खे, सुन्दर वस्त्र पहने तथा सुन्दर लगे। इसका सूत्र है—

Keep well, dress well and look well,

शिक्षा की दिशा मे इस प्रकार के कालेज एक नवीन प्रयोग है। इसके सामने बडी कठिनाइयाँ है किन्तु इनके भविष्य मे बडी सम्भावनाये भी निहित है। इगलैण्ड के शिक्षा मत्रालय द्वारा प्रकाशित 'Youth's Opportunity' नामक पत्रिका मे इनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

'The educational traditions of this country, individuality' craftsmanship, scholarliness and freedom from rigid codes, will meet and influence each other in a way that has never before been possible. They will provide an opportunity for the young people of this country to make better use of their powers and to give better service to humanity; to learn, in short, the real relationship between rights and obligations and work and happiness,'[1]

४. युवक सेवा (The Youth Service)

इगलैण्ड मे युद्ध काल मे नवयुवको की शारीरिक और सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था और संचालन की सुविधाओं मे पर्याप्त विस्तार हुआ है। सन् १९३९ ई० का अत होते-होते सरकार ने शिक्षा-परिषद् पर यह विशेष उत्तरदायित्व डाला

१ देखिए—'*Youth's Opportunity*' page 16 H. M. S. O. London.

कि वह देश के उन युवकों की आवश्यकताओ और रुचियों की देखरेख करे जिन्होंने विद्यालय शिक्षा समाप्त कर कही जीविकोपार्जन का कार्य आरम्भ कर दिया है। साथ ही उसने बोर्ड के लिए ऐसी अर्थ व्यवस्था भी की जिसमे वह इस कार्य मे सलग्न स्वेच्छाकृत (Voluntary) संस्थाओ को अनुदान दे सके। तब से मत्री महोदय को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय युवक समिति (National Youth Committee), जो आगे चल कर युवक सलाहकार समिति (Youth Advisory Council) के रूप मे सामने आई, तथा वेल्श युवक समिति (Welsh Youth Committee) की स्थापना हुई। जिन सस्थाओं के आधार पर युवक सेवाओं की नीव डाली गई वे राष्ट्रीय स्वेच्छाकृत सस्थाये (National Voluntary Bodies) थी। उनमे से मुख्य थी—ब्रिगेड्स, स्काउट्स, गाइड्स, क्लब तथा गिरजाघरों से सम्बन्धित अन्य सस्थाये। किन्तु आज स्थिति कुछ दूसरी है। आज युवक सेवा सामान्य शिक्षा सेवा का एक अंग है। यह १४ वर्ष से लेकर २० वर्ष तक की आयु के उन नवयुवको के अवकाश की क्रियाओ मे सम्बन्धित है जो अब विद्यालय मे पूरे समय शिक्षा ग्रहण नही कर रहे।

प्रशासन—(Administration)—शिक्षा प्रणाली के दूसरे अगो के ही समान युवक सेवा का केन्द्रीय निर्देशन भी मत्रालय के हाथ मे रहता है। इसी प्रकार स्थानीय निर्देशन स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L. E As) के हाथ मे रहता है। इन स्थानीय सस्थाओ ने युवक समिति की स्थापना की है जो इसका कार्य करती है। एल० ई० एज० का कार्य अपने क्षेत्रों मे उसका सूत्रपात करना है, बशर्ते कि शेष स्थानीय ऐजेसियाँ इन युवक सघो (Youth Clubs) को अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत करने मे सहायता दे। लगभग सभी एल० ई० एज० अपने क्षेत्रो मे युवक-सेवा-सयोजकों (Youth-Service Organisers) की नियुक्ति करती है।

अनुदान (Grants)—नवयुवक सेवा दलो को दो साधनों से अनुदान प्राप्त होता है। एल० ई० एज० को यह अधिकार है कि वह नवयुवकों के लिए सुविधाये प्रदान करे अथवा नकद सहायता द्वारा स्वेच्छाकृत संस्थाओं को उनके कार्यो के विकास मे सहायता दे, अथवा उन्हें स्थान, सज्जा (Equipment) तथा अनुभवी प्रशिक्षक देकर उनके काम मे हाथ बटावे। शिक्षा मत्रालय दोनो रूपों में उनकी सहायता करता है। वह इन स्वेच्छाकृत सस्थाओं (Voluntary Organisations) को सीधी सहायता भी देता है जिससे वे नवयुवक सेवाओ की सब प्रकार की व्यवस्था और उसका सचालन करे। इसके अतर्गत नेताओं, प्रशिक्षकों तथा छात्रावास अध्यक्षों का भुगतान होता है तथा भवन और उसकी सज्जा (Equipment) का किराया होता है। वह राष्ट्रीय स्वेच्छाकृत सगठनों के मुख्य कार्यालय को भी सहायता देता है और वहाँ से संगठन तथा प्रशासन सम्बन्धी खर्च भी किए जाते हैं। एल० ई० एज० का सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानीय व्यक्तिगत सस्थाये, स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो की नवयुवक समितियों के माध्यम से ही मत्रालय को अनुदान सम्बन्धी प्रार्थनापत्र भेजती हैं।

नागरिकता और सेवा के लिए प्रशिक्षण—प्रारम्भ से ही युवक सेवा का उद्देश्य केवल मनोरजन सम्बन्धी सुविधाये प्रदान करना तथा वरन् नवयुवको को स्वयंशासन पद्धति (self-government) तथा नागरिकता की शिक्षा देना भी था। इस प्रकार शिक्षा के व्यापक अर्थ मे उसे प्रगतिशील शिक्षा का एक साधन बनाना

था। इसका विशेष अनुभव सन् १९४१ ई० के अन्त मे विशेष रूप से किया गया क्योंकि इसी वर्ष १६ से १८ वर्ष को आयु वाले बालक-बालिकाओं का पजीकरण (registration) किया गया। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त इन नवयुवको और नवयुवतियो को एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया जिसमे यह निश्चय किया जा सके कि उनमे से प्रत्येक के लिए कौन-कौन से कार्य-कलाप सर्वाधिक हितकारी हैं। इस विषय मे एल० ई० एज० द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो का एक सक्षिप्त विवरण सन् १९४३ मे 'यूथ रजिस्ट्रेशन इन १९४२' (Youth Registration in 1942) के नाम से प्रकाशित हुआ।

पूर्व-युवक-सेवा-सस्थाये (Pre-Service Organisations)—सन् १९३९ ई० मे होने वाली घटनाओं ने १६ वर्ष से पूर्व के छात्रो के लिए पूर्व-युवक-सेवा सस्थाओ को नवयुवक सेवाओ के निकट सम्पर्क मे ला दिया है। इनमे सी कैडेट्स (Sea Cadets), आरमो कैडेट फोर्स (Army Cadet Force), और एयर ट्रेनिग कोर (Air Training Corps) प्रमुख थी। युद्ध ने जवानो की भर्ती के लिए एक व्यापक क्षेत्र खोल दिया। भर्ती का सख्या मे होने वाली वृद्धि ने सेवा विभागो तथा स्थानीय नवयुवक सस्थाओ को घनिष्ठ सूत्र मे बाँध दिया। दूसरी ओर शिक्षा-मत्रालय तथा एल० ई० एज० भी एक दूसरे के अधिक निकट आ गए। जवानो के पूर्व-सेवा-विभागो के समान लडकियो के लिए सेवा-सस्थाओं का अभाव था। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'नेशनल एसोसियेशन ऑफ ट्रेनिग कोर फॉर गर्ल्स' की स्थापना की गई। यह सस्था लडकियो के लिए पूर्व-सेवा-प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करती है तथा उसकी व्यवस्था भी करती है। इसकी सदस्य सख्या १ लाख से ऊपर है।

विकास—यह सब होते हुए भी युवक सेवा-आन्दोलन को युद्ध-कालीन उत्पत्ति समझना भूल होगी यद्यपि यह सत्य है कि उसका वर्तमान रूप स्थिर होने मे युद्ध की परिस्थितियो का बहुत बडा हाथ है। बिना किसी दबाव के युवक सेवा सभी नवयुवको के लिए समान रूप से अवकाश के समय के लिए सुविधाये प्रदान करती है। यह सेवा-व्यवस्था आगे चलकर काउटी कालेजो मे प्रदान की जाने वाली अल्प कालीन सतत शिक्षा की सहयोगी शिक्षा के रूप मे और भी लोकप्रिय और व्यापक होगी। सन् १९४३ मे युवक सलाहकार समिति (Youth Advisory Council) ने 'यूथ सर्विस आफ्टर द वार' (Youth Service After the War) नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

स्वतंत्र विद्यालय
(Independent Schools) | १०

सन् १९४४ के एक्ट की धारा ११४ के अनुसार स्वतन्त्र विद्यालय की परिभाषा इस प्रकार की गयी है—

'..... any school at which full-time education is provided for five or more pupils of compulsory school age (whether or not such education is also provided for pupils over that age), not being a school maintained by a local education authority or a school in respect of which grants are made by the Minister to the proprietor of that school'

अर्थात् कोई स्कूल जिसमे अनिवार्य स्कूल आयु के पाँच या पाँच से अधिक छात्रो को पूरे समय शिक्षा प्रदान की जाती हो और जो न तो स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो द्वारा व्यवस्थित हो और न जिसके मालिक को शिक्षा मत्री की ओर से कोई धनराशि अनुदान के रूप मे मिलती हो।

'प्रोप्राइटर' शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो उस स्कूल के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है। इस श्रेणी के अतर्गत दोनों प्रकार के स्कूल आते हैं—प्राइवेट और पब्लिक। ये दोनों शब्द भी अपनी व्याख्या चाहते हैं।

जहाँ तक लोगो का मत है पब्लिक स्कूल की कोई सतोषजनक परिभाषा सम्भव नही है। किन्तु यदि हम ईटन (Eton), विनचेस्टर (Winchester), हैरो (Harrow) और रगबी (Rugby) के नाम ले, या कुछ और ऐसे स्कूलो का स्मरण करे जो अपने को इस कोटि मे रखने की महत्वाकाक्षा रखते है तो हमे पब्लिक स्कूल की एक निश्चित और स्पष्ट रूपरेखा मिल सकती है। साथ ही यदि हमने अपने मनो मे पब्लिक और उनसे लगे हुए 'प्रिपेरेटरी' स्कूलो (Preparatory Schools) का उचित अर्थ समझ लिया है तो हम यह कह सकते है कि प्राइवेट स्कूल वे सब स्कूल है जो न 'प्रिपेरेटरी' है न पब्लिक तथा सन् १९४४ के एक्ट मे दी हुई परिभाषा के अनुसार पूर्ण रूप से स्वतत्र हैं। स्वतंत्र विद्यालयो मे वे स्कूल भी सम्मिलित है जो सरकारी निरीक्षण को अच्छा समझते है, विशेषकर इसलिए कि उनके स्कूल श्रेष्ठ (Efficient) समझे जाये, और इनमे वे भी स्कूल सम्मिलित है जो निरीक्षण से बचना चाहते है। अत यह कोई आश्चर्य की बात नही कि इस श्रेणी के अतर्गत इगलैण्ड के अच्छे से अच्छे स्कूल भी आते है और खराब से खराब भी।

सन् १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग (Part III) विशेषकर इस स्वतत्रता के दुरुपयोग को कम करने के लिए ही रचा गया है। उदाहरण के लिए एक्ट की ७१वी धारा मे उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर एक स्वतत्र विद्यालय को आपत्तिजनक कहा जा सकता है। इनमे से कुछ इस प्रकार हैं—(१) उस विद्यालय का भवन शिक्षा की दृष्टि से अयोग्य है। (२) वहाँ की शिक्षा अनुचित या असतोषजनक है। (३) उसका स्वामी या उसमे कार्य करने वाले शिक्षक

सभ्रान्त और सदाचारी व्यक्ति नही है। इसके बाद वाली धारा मे वह विधि वर्णित है जिसके अनुसार किसी स्वतत्र विद्यालय के सम्बन्ध मे की हुई शिकायत पर विचार किया जा सकता है और यदि शिकायत सच हुई तो उस पर आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है। इस सब का उद्देश्य किसी भी स्कूल को स्वतत्र-विद्यालय-पजिका (Register of Independent Schools) की सूची मे सम्मिलित करना है। एक अच्छा स्कूल तो कुछ सुविधाओ के साथ ही आरम्भ होता है। आगे चल कर कुछ भी हो और दूसरे स्कूलो की भाँति बाद मे उसके विरुद्ध भी शिकायते होने लगे किन्तु आरम्भ मे तो वह ७०वी धारा के दूसरे अनुच्छेद से, जिसमे इसकी व्यवस्था की गयी है, लाभान्वित होगा ही। इसके अनुसार यदि शिक्षा मत्री महोदय के पास किसी भी स्वतत्र विद्यालय अथवा कक्षा के सम्बन्ध मे पूरी सूचना उपलब्ध है, तो उस विद्यालय का स्कूलों की रजिस्टर्ड सूची मे होना आवश्यक भी नही। वह उसे रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर सकता है और मुक्त होते हुए भी वह स्कूल रजिस्टर्ड ही समझा जायेगा। इस बात की आलोचना की जा सकती है कि इस धारा से मत्री महोदय को विभिन्न प्रकार के विद्यालयो के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार करने का प्रोत्साहन मिलता है। किन्तु इसके द्वारा बहुधा श्रेष्ठ स्कूल भी बुरो की श्रेणी मे सम्मिलित होने से बच जाता है। यह सभी की समझ मे आता है और जनता का धन अनावश्यक निरीक्षण मे व्यय नही होता।

पहले अध्याय मे यह बात कही जा चुकी है कि सन् १९४४ के एक्ट के पार्ट थ्री (Part III) की व्यवस्थाये बहुत अच्छी होते हुए भी अभी कार्यान्वित नही हुई है। अभी कौसिल की आज्ञा की राह देखी जा रही है। यह मिलने पर ही यह निश्चित रूप से सूचित किया जा सकेगा कि वे किस तिथि से लागू होगी। मत्री के कथनानुसार सन् १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग सभवत १९५७ मे कार्यान्वित होगा। प्रश्न उठता है कि इस बीच मे स्वतत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए और स्कूलों की उससे रक्षा करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए है ? इसके उत्तर के लिए हमे फिर सन् १९२१ ई० के शिक्षा अधिनियम की ओर लौटना होगा। इस एक्ट के अनुसार एक एल० ई० ए० अपने क्षेत्र के स्वतत्र विद्यालय से यह पूछ सकती है कि क्या तुम्हारा निरीक्षण किया जाए ? यदि वह निरीक्षण के लिए स्वीकृति दे देता था, तो उसकी दक्षता और कमियो का निर्णय किया जा सकता था किन्तु यदि उसने निरीक्षण कराने से इनकार कर दिया तो सिवा इसके कोई चारा न था कि ऐसे स्कूल मे पढने वाले छात्र के अभिभावक को इस अधिकार से वञ्चित कर दिया जाये कि उसका बालक उचित स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि इस प्रकार छात्र इन स्कूलो मे पढना वन्द कर देगे। किन्तु व्यवहार मे एल० ई० एज० इस बात के लिए उत्साहित प्रतीत नही हुई कि वह ऐसे स्कूलों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करे जिनपर निम्नस्तर और अयोग्य शिक्षा का सदेह था। आज भी शिक्षा अधिनियम के अतर्गत मंत्री को कोई ऐसा सीधा अधिकार नही है कि वह किसी स्वतत्र विद्यालय को बन्द कर सके और जब तक सन् १९४४ के एक्ट का तीसरा भाग लागू नही होता ऐसा कोई अधिकार इन्हे मिल भी नहीं सकता। पर यदि मत्री चाहता है कि उस स्कूलका निरीक्षण किया जावे तो वह सन् १९४४ के एक्ट के चौथे भाग (Part IV) की ७७वीं धारा के अन्तर्गत स्वतंत्र विद्यालयों से निरीक्षण न कराने का अधिकार छीन सकता है और उन्हें इस प्रकार निरीक्षण के लिए बाध्य कर सकता है। इस

प्रकार उठाए हुए प्रश्न का उत्तर यही है कि "स्वतत्रता के दुरुपयोग के उदाहरण पहले भी होते रहे हैं और यह आशका अब भी है कि आज भी ऐसा हो रहा है।" फिर भी गत वर्षों मे मत्री महोदय मन् १९४४ के एक्ट के तृतीय भाग को कार्यान्वित करने की तैयारी करते रहे हैं और इसके लिए एक्ट के चतुर्थ भाग की ७७वी (२) धारा के अतर्गत उन स्वतत्र विद्यालयो का निरीक्षण भी कराते रहे हैं जो स्वतंत्र-विद्यालय-पजिका (Register of Independent Schools) की सूची मे नही होते। ऐसे निरीक्षण मार्च मन् १९४९ से आरम्भ हो गए थे। वर्ष के अत तक १२०९ स्कूलों के निरीक्षण किए गए। सन् १९५३ ई० तक निरीक्षित स्कूलो की सख्या ३८०० तक बढ चुकी थी जिनमे १३२२ स्कूलो को दक्षता प्रमाणपत्र (Efficiency Certificate) दिया गया।[१]

यद्यपि मत्रालय से इस बात का आश्वासन मिल चुका है कि सन् १९४४ के एक्ट को भली भाँति लागू करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जा रहा है फिर भी आलोचकों ने इस बात पर टीका-टिप्पणी की है कि एक्ट के सभी भागो को लागू करने मे देर क्यो की जा रही है ? सन् १९४९ ई० मे मत्री ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा था कि जब तक देश की भवन और अध्यापकों की उपलब्धि सम्बन्धी स्थिति सुधर नही गयी, यह ठीक न होगा कि कोई स्कूल किसी निश्चित अवधि के भीतर अपने शिक्षकों और भवनो मे सुधार करने की शर्त पूरा करने पर ही रजिस्ट्रेशन का अधिकारी हो सके। अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि सरकार पहले उसी दोष को मिटाने मे पूर्णतया समर्थ हो, तभी उसे ऐसा करने का अधिकार होगा। किन्तु वर्तमान स्थिति मे सरकार के लिए यह असम्भव-सा ही लगता है, यद्यपि इस दिशा मे पूर्ण प्रयत्न हो रहा है।

व्यक्तिगत विद्यालय (Private Schools)

इंगलैण्ड मे कितने प्राइवेट स्कूल हैं इसका अनुमान लगाना कठिन है। सन् १९४९ ई० मे मत्रालय ने एल० ई० एज० की सहायता से यह सूचना प्राप्त की थी कि इंगलैण्ड और वेल्स मे कुल मिलाकर ४००० ऐसे स्कूल है जिनका पहले निरीक्षण नही हुआ।यह और भी अधिक मनोरजक बात है कि इनमे से चौथाई से अधिक स्कूल केन्ट, लन्दन, मिडिलसेक्स और सरे की चार काउन्टियो मे ही हैं। यह आशा की जाती थी कि सब के लिए माध्यमिक शिक्षा सुलभ हो जाने के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलो की माँग घटने लगेगी, किन्तु फिर भी यह सोचने के पर्याप्त कारण हैं कि घटने के स्थान पर यह दिन प्रति दिन बढ़ती ही गयी। वे अभिभावक जो अपने बालकों के लिए ग्रामर स्कूल शिक्षा की ओर ही देखने के अभ्यस्त थे, अपने बालकों को सेकेंडरी मार्डन स्कूलों मे न भेजना चाहते थे, विशेषकर उस स्थिति मे जब ग्रामर स्कूल की शिक्षा के द्वार उनके लिए बन्द हो गए थे। इन प्राइवेट स्कूलों ने उस समस्या का एक नया हल ढूँढ़ निकाला। फिर भी यह सोचना न्यायसगत ही होगा कि सेकेंडरी मार्डर्न स्कूल की लोकप्रियता के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलो की माँग मे कमी होगी।

इसी प्रकार इन प्राइवेट स्कूलो के शिक्षास्तर के सम्बन्ध मे भी कहना कठिन है। कुछ ने तो निस्सदेह स्वतत्र रहना इसलिए चुना है कि वह उस स्वत-

---

१ देखिए *Education in* 1953 पृष्ठ १४, H. M. S.O., London.
२ देखिए *Education in* 1949 पृष्ठ २० H M S O, London.

त्रता का अच्छा से अच्छा उपयोग कर सके। इस श्रेणी मे वे स्कूल आते है जो विचारशील शिक्षको की देखरेख मे है और जो शिक्षा मे नवोन विचारो का परीक्षण करना चाहते हैं। इस प्रकार के उदाहरण इगलैण्ड के प्रगतिशोल विद्यालय (Progressive Schools) है। दूसरे विद्यालय इसलिए स्वतत्र है और उनका शिक्षा-स्तर इतना नीचा है कि उनके पास सिवाय इसके अन्य कोई चारा नही है। उनके रहने से किसो हानि कि सभावना तो नही है, कितु व्यवहार मे उनसे किसो लाभ की आशा भी नही की जा सकती। इस प्रकार के उदाहरण बहुत ही इने-गिने है जहाँ किसी स्कूल के उद्देश्यो को सदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। यही ऐसे उदाहरण है जो प्रकट होने पर जनता मे चिन्ता और क्षोभ उत्पन्न करते है और मत्री पर नया दबाव डालते है कि वह शीघ्र से शीघ्र सन् १९४४ के एक्ट को पूर्ण रूप से शिक्षा के हर क्षेत्र मे लागू करे।

पब्लिक स्कूल

एक पब्लिक स्कूल वह स्कूल है जो साधारणतया बहुत बडा प्राचीन, छात्रावासयुक्त तथा निश्चय ही व्ययसाध्य होता है। साथ ही साथ वह स्वतत्र भी माना जाता है। फिर भी इनमे से कोई एक गुण अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए विनचेस्टर और ईटन के पब्लिक स्कूलो की स्थापना क्रमश चौदहवी और पद्रहवी शताब्दी मे हुई, किन्तु उनमे से लगभग एक-तिहाई ऐसे है जिनकी स्थापना पिछली शताब्दी मे हुई है। कुछ तो इसी शताब्दी मे स्थापित किए गए है। इसी प्रकार रगबी और हैरो बोर्डिंग स्कूल है। किन्तु सेट पॉल्स और मर्चेन्ट टेलर्स बोर्डिंग स्कूल नही है। इनमे से अधिकाश बडे खर्चीले स्कूल है, किन्तु इसके अपवाद भी है। अपनी पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए क्राइस्ट्स हॉस्पिटल अब भी अपने छात्रो के एक निश्चित भाग को नि शुल्क शिक्षा प्रदान करता है। जहाँ तक स्वतंत्रता का सम्बन्ध है शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष श्री बटलर ने पब्लिक स्कूलो की स्थिति का ब्योरा जानने के लिए एक कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी सन् १९४२ ई० मे लॉर्ड फ्लेमिग की चेयरमैनशिप मे बैठी और इसका नाम फ्लेमिग कमेटी पडा। पब्लिक स्कूलो की परिभाषा करते हुए इस कमेटी ने कहा—'पब्लिक स्कूल वे स्कूल है जो गवर्निंग बॉडीज एसोसियेशन (Governing Bodies Association) या हेडमास्टर्स कान्फ्रेस (Head Masters' Conference) की सदस्यता ग्रहण करते है।' इस प्रकार उसने उन बहुत से स्कूलो को पब्लिक स्कूलों का नाम दिया जो सरकार से अनुदान पाते थे और उनको भी, जो किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त न करते थे। इसके प्रकाश मे यह सरलता से समझा जा सकता है कि पब्लिक स्कूल की परिभाषा करना क्यों कठिन है? फिर भी इनमे से बहुत से गुणो का एक साथ पाया जाना पब्लिक स्कूलो के विषय मे कुछ निर्देशन कर सकता है। ये गुण है—आयु, बोर्डिंग स्कूलों की विशेषता, अधिक खर्च और स्वतत्रता। यद्यपि यह सच है कि कुछ स्कूल जो हेड-मास्टर्स कान्फ्रेस और गवर्निंग बॉडीज एसोसियेशन (Governing Bodies Association) के सदस्य है, साधारणतया पब्लिक स्कूल नही समझे जाते, किन्तु साथ ही शायद थोड़े से ही ऐसे पब्लिक स्कूल हों जो इन-सम्मितियो मे से किसी न किसी के सदस्य न हो। अत मे यह भी विचारणीय है कि यद्यपि हेड-मास्टर्स कान्फ्रेस की सदस्यता के निश्चित नियम कभी तै नही हुए, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि उसके स्थापन के बाद के इन दस वर्षो के समय मे नए स्कूलों

की सदस्यता सम्बन्धी प्रार्थनापत्रो पर विचार करते समय इस बात का पता लगाना भी और बातो के साथ आवश्यक समझा गया है कि इन स्कूलो से निकले हुए कितने पूर्व-स्नातक (Under-graduates) विश्वविद्यालयो मे शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—पब्लिक स्कूलो की उत्पत्ति मध्यकालीन ग्रामर स्कूलो से होती है। अत उनका इतिहास शनै-शनै बहुतो मे से निकल कर कुछ थोडे से वडे और प्रसिद्ध होने वाले स्कूलो का इतिहास है।

इन विशिष्ट पब्लिक स्कूलो मे पहला स्कूल सन् १३८२ ई० मे विलियम ऑफ विकहम (William of Wykeham) ने स्थापित किया था। यह विनचेस्टर मे स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य विनचेस्टर नगर के गरीब किन्तु प्रतिभाशाली क्लर्कों के लिए एक निरन्तर चलने वाले विद्यालय की स्थापना थी जिसमे कि विलियम ऑफ विकहम (William of Wykeham) द्वारा स्थापित इससे भी महान सस्था न्यू कालेज ऑफ आक्सफोर्ड के लिए उचित सख्या मे योग्य छात्र मिल सके। साथ ही साथ वहाँ के नियमो मे ऐसी भी व्यवस्था थी कि उस विद्यालय के हितैषी अमीर-उमराओ के बच्चे भी बिना किसी शुल्क के पढ़ सकते थे। पर इनकी सख्या दस तक ही सीमित थी। ये दस छात्र भी उन सत्तर छात्रो के साथ पढते थे जिन्हें स्थापन समिति (Foundation Committee) की ओर से शिक्षा दी जा रही थी। छात्रो को ग्रामर मे प्रशिक्षित करना ही इस स्कूल का उद्देश्य था। सन् १४४० ई० मे सम्राट् हेनरी चतुर्थ ने ईटन (Eton) मे इन्हा उद्देश्यो को लेकर एक पब्लिक स्कूल की स्थापना की। अपनी स्थापना के समय ये विद्यालय अपवाद रूप थे क्योंकि इस समय इनमे पढ़ने वाले अधिकाश छात्र दिवसीय छात्र (Day Scholars) थे। १६वी और १७वी शताब्दी मे ग्रामर स्कूलो की सख्या मे बड़ा विस्तार हुआ जिनमे वेस्ट मिनिस्टर (१५६०), सेंट पॉल्स (१५१२), मर्चेंट टेलर्स (१५६१), क्राइस्ट्स हॉस्पिटल (१५५३) तथा चार्टर हाउस (१६११) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किन्तु इस काल मे प्रचलित अधिकाश ग्रामर स्कूलों मे और उन थोडे से विशिष्ट स्कूलो मे जो आगे चलकर पब्लिक स्कूल कहलाए अतर करना कठिन ही प्रतीत होता है। किन्तु विशालता की दृष्टि से विनचेस्टर (Winchester), ईटन (Eton), और वेस्ट मिनिस्टर (West Minister) अपवाद थे।[1]

१७वी और १८वी शताब्दी मे ग्रामर स्कूलो की स्थिति और सम्पन्नता मे आश्चर्यजनक विभिन्नता थी। यह बहुधा हेडमास्टरो की प्रसिद्धि और योग्यता पर निर्भर होती थी। उदाहरण के लिए श्रयूजबरी (Shrewsbery) पब्लिक स्कूल जो सन् १५८१ ई० मे इगलैण्ड का सबसे अच्छा पब्लिक स्कूल माना जाता था सन् १७९८ ई० तक आते-आते केवल दो छात्रो का स्कूल रह गया। रेप्टन (Repton) मे जो सन् १६६४ ई० मे एक सम्पन्न विद्यालय था और जहाँ अपेक्षाकृत सभ्य घरानों के अधिक बालक पढ़ते थे सन् १६८१ ई० मे केवल २८ छात्रों का स्कूल रह गया और सन् १७०५ ई० मे उसमे केवल थोड़े से लीचड लडके रह गये। दूसरी ओर पॉकिंगटन (Pockington) मे जो यार्क शायर का एक ग्रामर स्कूल था सन्

१ देखिए *The Public Schools—Report of the Committee on Public Schools* 1942 पृष्ठ ९—H. M. S. O. London.

१६५० से १६५२ के बोच इगलैण्ड के प्रसिद्ध घरानों के १०० से अधिक छात्र पढते थे। फिर भो पहला स्थानीय ग्रामर स्कूल जो ईटन (Eton) और वेस्टमिनिस्टर (WestMinister) की समता मे आया हैरो (Harrow) का था। इसकी स्थापना सन् १५७१ ई० मे हुई थी किन्तु इसकी प्रसिद्धि सन् १७१३ ई० मे बहुत हुई। इसी वर्ष ड्यूक ऑफ चैडॉस (Duke of Chandos) इस स्कूल के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार रगबी (Rugby) की प्रसिद्धि टाम्स जेम्स (Toms James) नामक एक अनुभवी और ख्यातिप्राप्त हेड मास्टर की नियुक्ति के कारण हुई।

पब्लिक स्कूलों के इतिहास मे १९वी शताब्दी का समय एक सक्रान्ति काल है। एक ओर तो उसके प्रारम्भिक वर्षो मे पब्लिक स्कूलो की किसी भी अन्य समय से अधिक आलोचना हुई, किन्तु शताब्दी के बीतते-बीतते जनता की दृष्टि मे उनसे अच्छा कोई स्कूल न था। साथ ही इसी शताब्दी मे पब्लिक स्कूल केवल एक स्थानीय ग्रामर स्कूल के रूप मे न रहा, वरन् उसने एक विशिष्ट रूप ग्रहण कर लिया। ये आलोचनाये विशेष रूप से तोन प्रकार की थी—(१) परम्परागत पाठ्यक्रम (Traditional Curriculum) (२) छात्रावासियो की रहने की पिछडी हुई दशा (३) बालकों में अनुशासनहीनता (Indisciplined Life of the Boys)। इस सम्बन्ध मे अनेक हेड मास्टरों ने सुधार किए जिनमे टॉमस आर्नल्ड (Thomas Arnold) का नाम उल्लेखनीय है। वे सन् १८२८ से लेकर १८४२ ई० तक रगबी पब्लिक स्कूल के हेड मास्टर रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण शासन काल पब्लिक स्कूलो को उपर्युक्त दोषों से मुक्त कराने मे लगाया। आर्नल्ड क्लासिक्स के महत्व को समझता था और उसमे विश्वास करता था। किन्तु उसने इन विषयों को एक नया रूप दिया। इनके माध्यम से वह इतिहास, साहित्य, दर्शन, भूगोल, नोति शास्त्र, और राजनीति पढाता था। उसके पाठ्यक्रम मे फ्रेन्च, जर्मन, गणित (अर्थमेटिक, रेखागणित और बीजगणित), अंग्रेजी तथा वर्तमान योरोपीय इतिहास की शिक्षा सम्मिलित थी।[1] सन् १७९८ से लेकर १८३६ तक श्रूचूजबरी (Shrewsbery) के हेड मास्टर सैमुएल बटलर (Samuel Butlar) ने पाठ्क्रम मे सुधार आरम्भ किया था किन्तु आर्नल्ड ने उसे और भी आगे बढाया। आर्नल्ड पहला हेड मास्टर था जो अलग-अलग सदनों (Houses) की महत्ता को स्वीकार करता था और इसलिए उसने दूसरे पब्लिक स्कूलों की भाँति रगबी (Rugby) को भी कई सदनों (Houses) मे बॉट दिया था। जैसे ही अवसर आया उसने प्रत्येक हाउस को स्वतत्र रूप से एक-एक गृहस्वामी या सदनाध्यक्ष (Housemaster) की देखरेख मे रख दिया। इस प्रकार छात्रों के रहने के लिए एक और सभ्य मार्ग निकल आया। आर्नल्ड का सबसे अधिक स्मरण उसके चारित्रिक सुधारों के कारण होगा। उसने सबसे अधिक बल धार्मिक शिक्षा के आधार पर आचरण और चरित्र-निर्माण पर दिया। यद्यपि इस शताब्दी मे दूसरे भी प्रसिद्ध हेड मास्टर हुए किन्तु जितनी दूरंदेशी और सूक्ष्म बुद्धि से उसने यह भविष्यवाणी की कि 'वह पूरे इंगलैण्ड के पब्लिक स्कूलो की शिक्षा का स्वरूप ही बदल देगा' ऐसा कोई न कर सका।

पब्लिक स्कूलों पर डा० आर्नल्ड के व्यापक प्रभाव के विषय में 'इंगलिश

---

१ देखिए *Secondary Education* पृ० २२ H. M. S. O. London.

सोशल हिस्ट्री' नामक पुस्तक के लेखक जी० एम० ट्रेवेलियन (G. M. Trevelyan) ने लिखा है—

"This development was partly due to chance in the advent of a single man The great educational reformer of the thirties was Dr. Thomas Arnold, Head Master of Rugby. His emphasis on religion and the Chapel Services, his monitorial system and his largely successful attempt to suppress bullying, drinking and proffigacy and the worst indiscipline of the old bear-garden type of public school, set an example that proved infectious The old establishments were reformed and others were started in eager competition. 'Organised games', which Arnold himself had by no means over-emphasized grew up automatically, dominating and further popularising Public School life, and spreading in due course to Oxford and Cambridge."

अर्थात् 'पब्लिक स्कूलों की यह प्रगति कुछ तो सयोगवश थी और कुछ प्रसिद्ध शिक्षाविद् रगबी के हेड मास्टर डा० आर्नल्ड के अमर प्रभाव के कारण। डा० आर्नल्ड ने धर्म पर, नियमित गिरजा घर की प्रार्थनाओं पर और मानीटर प्रणाली पर विशेष बल दिया और पब्लिक स्कूलों मे प्रचलित मारपीट, मदिरा पान और दुराचरण और मदिरालय सदृश पब्लिक स्कूलों के कल्पनातीत अनुशासनहीन कृत्यों को दबाने में वह अत्यधिक सफल हुआ। फलस्वरूप पुराने पब्लिक स्कूलों में तो सुधार हुआ और प्रतिस्पर्धा में अन्य अच्छे पब्लिक स्कूल खोले गए। अपने आप सगठित खेल कूदों की उत्पत्ति और विकास हुआ जिससे पब्लिक स्कूल के छात्र जीवन की लोकप्रियता और भी बढी और शनै शनै उनकी परम्पराये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तक फैल गयी।[1]

टॉमस आर्नल्ड की प्रसिद्धि ने जनता में और शिक्षाविदों मे जिस आत्म-विश्वास को जन्म दिया उसके फलस्वरूप कई और नए पब्लिक स्कूल स्थापित किए गए। आरम्भ मे उनमे कुछ तो प्रोप्राइटरी स्कूलों (Proprietary schools) के रूप में चालू किए गए थे और आगे चलकर जब उनकी सफलता लगभग निश्चित सी हो गयी वे धार्मिक सस्थाओं मे परिवर्तित हो गए। प्रसिद्ध नए स्कूलों मे चेल्टन-हैम (Cheltenham) (1841), मार्लबरो (Marlborough) (1843), वेलिंगटन (Wellington) (1853) और क्लिफटन (Clifton), मैलवर्न (Malvern) और हेलीबरी (Haileybury) सन् १८६२ मे स्थापित हुए। इसी प्रकार वुडार्ड फाउन्डेशन (Woodard Foundation) स्कीम के अतर्गत स्थापित पब्लिक स्कूलों का उल्लेख भी आवश्यक है। ये स्कूल इगलैण्ड के चर्च (Church of England) के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा प्रदान करते थे। किन्तु एक बडा पब्लिक स्कूल किसे कहते है, यह अब भी एक अनिश्चित विषय था। जब सन् १८२० मे धर्मार्थ (Endowed) विद्यालयों को वश मे करने के लिए पार्लियामेट मे एक बिल उपस्थित किया गया तब यह निश्चय किया गया कि कुछ विद्यालयों को बिल के

---

१ देखिए. G. M. Trevelyan द्वारा लिखित *English Social History*. Longmans. पृ० ५१९–२०

कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाए। ये स्कूल थे विनचेस्टर, ईटन, वेस्टमिनिस्टर, रगबी, हैरो और चार्टर हाउस। इन्ही स्कूलो को विल के प्रस्तावकों ने 'वडे पब्लिक स्कूलों' को मान्यता दी। सन् १८६१ ई० मे ईटन, विनचेस्टर, वेस्ट मिनिस्टर, चार्टरहाउस, सेंट पाल्स, मर्चेंट टेलर्स, हैरो, रगबी, और श्र्यूजबरी पब्लिक स्कूलो को आय और प्रवन्ध की जॉच पड़ताल के लिए क्लैरेन्डन कमीशन (Clarendon Commission) की नियुक्ति हुई। उनकी रिपोर्ट के वाद ही सन् १८६८ ई० मे पब्लिक स्कूल एक्ट पास हुआ। सन् १८६९ ई० मे धमर्थि विद्यालय अधिनियम (Endowed Schools Act) पास हुआ जिसका सम्वन्ध ऊपर दिए हुए नौ स्कूलो को छोड कर शेष प्राचीन ग्रामर स्कूलों की आय और व्यवस्था से था। ऐसा अनुमान करना कि क्लैरेन्डन कमीशन (Clarendon Commission) द्वारा जिन नौ स्कूलो को जॉच-पड़ताल की गई वे ही पब्लिक स्कूल है और विशेष सुविधाओ के अधिकारी है, दूसरे प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रामर स्कूलो को सहन नही हुआ। क्योकि वे प्रसिद्ध होते हुए भी पब्लिक स्कूलो की सुविधाओ से वञ्चित रक्खे गए थे। जब कि ऑक्स-फोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयो मे से प्रत्येक मे वेस्टमिनिस्टर, सेंटपॉल, तथा चार्टर हाउस पब्लिक स्कूलो मे से प्रत्येक के भेजे हुए २५ विद्यार्थियो से कम शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, रेप्टन (Repton) ग्रामर स्कूल से आए हुए छात्रो की सख्या३० और अपिघम (Uppingham) ग्रामर स्कूल के छात्रो की सख्या ३५ से अधिक थी। अतः इस सम्वन्ध मे एडवर्ड थ्रिग (Edward Thring) द्वारा जो सन् १८५३–८७ तक अपिंघम स्कूल के हेड मास्टर थे आपत्ति की गयी। सन् १८६९ ई० मे उन्होने एक सभा वुलाई जिसके फलस्वरूप हेड मास्टर्स कान्फ्रेन्स (Head Masters Conference) का जन्म हुआ। इस कान्फ्रेन्स मे रेप्टन (Repton), शरबोर्न (Sherborne), टोनब्रिज (Tonbridge), लिवरपूल कालेज (Leverpool College), बरी सेंट एडमड्स (Bury St. Edmunds), रिचमाड (Richmond), ब्रोम्सग्रोव, (Bromsgrove), ओकहैम (Oakham), किग्स स्कूल, (कैंटबरी), फेल्स्टेड (Felsted), लैन्सिग (Lancing), नॉरविच (Norwich) और अपिंघम (Uppingham) के हेड मास्टरो ने भाग लिया।

सन् १८७० के बाद का समय पब्लिक स्कूलो के लिए बडी समृद्धि का समय रहा है। यही समय योग्य हेड मास्टरो का भी था। थ्रिग (Edward Thring) के ही समान हैरो मे वटलर, चार्टर हाउस मे हेग ब्राउन (Hague Brown), ईटन मे वार्र (Warre) इत्यादि प्रसिद्ध हेड मास्टर हुए। थोडे ही दिनों पहले आउडल (Oundle) पब्लिक स्कूल मे सैंडरसन (Sanderson) ने रचनालय तथा विज्ञान शिक्षण की नई प्रकार की प्रणालियॉ चला कर उसे प्रसिद्ध कर दिया था। किन्तु इस शताब्दी के आरम्भ मे सामाजिक समानता की विचार धारा के साथ-साथ पब्लिक स्कूलों की कटु आलोचना फिर सुनाई पडने लगी। यह कहा जाता था कि पब्लिक स्कूलों से निकले हुए छात्र एक विशिष्ट वर्ग के समझे जाते थे और उन्हे जीवन मे प्रवेश की सुविधायें भी सुलभ की जाती थी। पर यह सब और भी दुर्भाग्य की वस्तु इसलिए थी क्योंकि उनको दी जाने वाली शिक्षा उन्हे उदार बनाने की अपेक्षा और भी अधिक संकुचित प्रवृत्ति वाला तथा मानव-सहानुभूति से हीन बनाती थी।

प्रथम महायुद्ध ने प्रारम्भ में नवयुवकों के लिए जो आशाये उपस्थित की

और अत मे उससे भी अधिक जितनी निराशा का सामना उन्हे करना पडा उससे इस विचारधारा को और भी वल मिला कि इस खाई को पाटने के लिए जो समाज के एक अग को एक प्रकार और दूसरे अग को दूसरे प्रकार की शिक्षा का अवसर देती हे, निश्चय ही कुछ प्रयत्न किए जाने चाहिए। इन दिनो पब्लिक स्कूलो मे छात्रो की कमी नही थी। उनमे मे कुछ तो अपने विद्यालयो को विस्तृत करते चले जा रहे थे और नए स्कूलो की स्थापना हो रही थी। किन्तु वे समय की आवश्यकताओ के प्रति उदासीन नही थे। एक नए पब्लिक स्कूल रेडकूम्ब (Rendcomb) ने नयी नीति का अनुसरण किया। वह प्रिपेरेटरी तथा एलीमेन्ट्री (Preparatory and E ementary) स्कूलो से समान सख्या मे छात्र भरती करता था। कुछ दूसरे ऐसे स्कूल भी थे जो स्थानीय ग्राम विद्यालयो से छात्रो की भरती करते थे। फ्लेमिग कमेटा ने इस सम्बन्ध मे अपना मत देते हुए कहा—"आजकल पब्लिक स्कूल अधिक रूढिवादी नही है, उनका करीक्यूलम भी लचीला है, उसमे छात्रो की व्यापक रुचि का ध्यान रक्खा जाता हे और वर्तमान युद्ध के प्रभाव ने पुरानी परम्पराओ को तोडने और नयी क्रियाओ के सचालन मे पर्याप्त सहायता दी है।"[1]

इस प्रकार पब्लिक स्कूलो और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था मे सामञ्जस्य के अभाव ने ही सन् १९४२ मे फ्लेमिग कमेटी (Fleming Committee) की नियुक्ति आवश्यक समझी। अतः इस स्थल पर फ्लेमिग कमेटी पर विस्तारपूर्वक विचार करना अनुपयुक्त न होगा।

The Fleming Committee

फ्लेमिग कमेटी (Fleming Committee) की नियुक्ति करते समय श्री बटलर ने पार्लियामेन्ट मे निम्नलिखित वक्तव्य दिया था—

"The main function of the Fleming Committee will be 'to consider means whereby the Association between Public Schools (by which term is meant Schools which are in membership of the Governing Bodies Association or Head Masters' Conference) and the general educational system of the country could be developed and extended ; also to consider how far any measures recommended in the case of Boys Public Schools could be applied to comparable schools for girls'."

अर्थात् फ्लेमिग कमेटी का मुख्य कार्य ऐसे साधनो पर विचार करना है जिनके द्वारा पब्लिक स्कूलो (जिसका तात्पर्य उन स्कूलों से है जो गवर्निंग बॉडीज एसोसियेशन या हेड मास्टर्स कान्फ्रेन्स के सदस्य है) और देश की सामान्य शिक्षा प्रणाली के मध्य एक सम्पर्क स्थापित किया जा सके और उसे विकसित तथा विस्तृत किया जा सके। साथ ही इस बात पर भी विचार करना है कि लडकों के पब्लिक स्कूलो के लिए की हुई सिफारिशे कहाँ तक लडकियों के स्कूलों के लिए भी लागू की जा सकती है।'

जहाँ तक पब्लिक स्कूलों के समाज से पृथक् एक सीमित वातावरण मे रहने

---

१ देखिए *Flemming Committee Report,* पृष्ठ ३०, H M. S.O. London

की आलोचना की गयी, आलोचकों ने अपने सामने पब्लिक स्कूलों से सम्बन्धित प्रचलित धारणा को ही रक्खा। वे क्लैरेंडन कमीशन (Clarendon Commission) द्वारा उल्लिखित उन नौ पब्लिक स्कूलों के सकुचित क्षेत्र से बाहर देखते थे। १९वीं तथा २०वीं शताब्दी के नए पब्लिक स्कूल भी उनके सामने थे जो अल्प-काल मे ही अपेक्षाकृत पर्याप्त उन्नति कर चुके थे। किन्तु सामाजिक चेतना को उत्ते-जित करने वाले स्कूलों मे वे स्कूल तनिक भी न थे जो चाहे किसी भी रूप में क्यो न हो सरकार से सहायता प्राप्त करते थे। जिन पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में यह आलोचना की गयी वे जनता की दृष्टि मे सकुचित वृत्तिवाले पब्लिक स्कूल ही थे। यह एक प्रधान कारण है जो इन पब्लिक स्कूलों को श्री बटलर द्वारा परिभाषित बहुत से पब्लिक स्कूलों से पृथक् करता है। फिर भी बटलर द्वारा की हुई परिभाषा एक ऐतिहासिक समर्थन और व्यावहारिक उद्देश्य तो रखती ही है।

सीधी सहायता प्राप्त स्कूल (Direct Grant Schools)

सन् १८६९ ई० के पहले, जब कि 'एनडाउड स्कूल्स एक्ट' (Endowed Schools Act) पास हुआ था सरकार माध्यमिक शिक्षा मे कोई भाग नही लेती थी। इस तिथि के बाद उन्होंने विज्ञान और कला विभाग (Science and Art Department) के माध्यम से धर्मार्थ विद्यालयों (Endowed Schools) के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित किया। इस विभाग द्वारा उन्हे यह अधिकार मिल गया कि वे उन तमाम स्कूलों को ग्रान्ट दे जो अपने यहाँ किसी भी प्रकार की कला या विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सन् १८८९ और १८९१ का टेकनिकल इन्स्ट्रक्शन एक्ट है जिसने काउन्टो, काउन्टी बरो और नगर-स्वास्थ्य अधिकारियों (Urban Sanitary Authorities) को यह अधिकार दे दिया कि वे प्रति व्यक्ति एक पेनी के हिसाब से टैक्स लगाये और इसके द्वारा इग-लैण्ड और वेल्स में टेकनिकल और शारीरिक शिक्षा का प्रसार करे। इस प्रकार प्राप्त धनराशि को और भी बढ़ाने के लिए सन् १८९० ई० मे स्थानीय कर अधिनियम (Local Taxation Act) जिसे 'कस्टम और एक्साइज एक्ट' भी कहते है बनाया गया और इसके द्वारा प्राप्त राशि को भी कौसिलो के हवाले कर दिया गया। सन् १८९४ ई० मे २९ काउन्टी तथा १४ काउन्टी बरो कौसिले थी जो माध्यमिक स्कूलों को ग्रान्ट देती थी। सन् १९०२ के एक्ट के पास होने के बाद स्थानीय शिक्षा-प्राधिकारियों (L.E.As) ने माध्यमिक शिक्षा के बढाने का कार्य तीन रूपों मे प्रारम्भ किया—

(१) स्वय स्कूल स्थापित और प्रबन्धित करके।

(२) जो स्कूल उनके द्वारा स्थापित नही किए गए थे उन्हे सहायता दे कर।

(३) माध्यमिक स्कूलों मे पढने वाले छात्रों की फीस देकर चाहे वे स्कूल उनसे सहायता प्राप्त करते हों या न करते हो।

सन् १९०४ ई० मे शिक्षा परिषद् (Board of Education) ने माध्यमिक स्कूलों को प्रति छात्र के अनुसार सहायता (Capitation Grant) देना प्रारम्भ कर दिया। अतः इस समय ऐसे स्कूल भी थे जो दोनों साधनों से सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर रहे थे। जब सन् १९१९ ई० मे शिक्षा परिषद् ने स्थानीय शिक्षा प्राधि-कारियों (L.E.As) को प्रतिशत व्यय के हिसाब से (Percentage Basis) अनु-दान देना आरम्भ किया, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्कूलों को सीधे सहायता देना

ओर उनके खर्च के लिए एल० ई० एज० को भी सहायता देना न्यायसगत नहीं। अत जिन स्कूलों को एल० ई० एज० सहायता देते थे उनको यह चुनने की स्वतन्त्रता दी गई कि व भविष्य मे एल० ई० एज० से सहायता लेना पसन्द करेंगे या सीधे शिक्षा परिषद् से। इस प्रकार इन दिनों तीन प्रकार के माध्यमिक स्कूल थे—

(१) स्वय स्थापित और प्रबन्धित, (२) सहायता प्राप्त, (३) सीधी सहायता प्राप्त (Direct Grant Schools)।

हेडमास्टर्स कान्फ्रेंस (Head Masters' Conference)

हेड मास्टर्स कान्फ्रेंस की उत्पत्ति के विषय मे पहले बतलाया जा चुका है। इसकी सदस्यता की निश्चित शर्तें कभी भी तै नहीं हुई। फिर भी सन् १९३७ में इसकी सहायता के लिए नए नियम बनाये गए। तभी यह निश्चय हुआ कि जब कभी सदस्यता के लिए किसी नए प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाए निम्नलिखित बातों पर ध्यान अवश्य दिया जाए—

(१) उस स्कूल मे कितने छात्र पढते है ?

(२) उस स्कूल से निकले हुए कितने पूर्व-स्नातक (Undergraduates) विश्वविद्यालयों मे पढते हैं।

(३) उनकी प्रशासन-समिति का सविधान क्या है ?

यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सतोषजनक होते थे तो स्वतत्र विद्यालयों, सीधी-सहायता प्राप्त विद्यालयों (Direct Grant Schools) और सहायता प्राप्त (Aided) विद्यालयों के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिए जाते थे बशर्ते कि कान्फ्रेंस विद्यालय और उसके हेडमास्टर से सम्बन्धित स्वतत्रता से सतुष्ट हो। किन्तु उसके नियम कुछ सीमित सख्या मे ऐसे स्कूलों के हेडमास्टरों को भी सदस्यता मे सम्मिलित कर लेते थे जो उनकी शर्तों को पूरा नहीं करते थे बशर्ते कि वह स्कूल और उसका हेडमास्टर एक प्रतिष्ठित वर्ग से सम्बन्धित हो। इस प्रकार कुछ यह तै हो गया है कि यद्यपि हेडमास्टर्स कान्फ्रेंस की सदस्यता का अर्थ है सदस्य विद्यालय का एक पब्लिक स्कूल होना, फिर भी इसके सदस्यों मे पर्याप्त सख्या ऐसे स्कूलों की भी होती है जो इस स्तर के नहीं होते। जिस समय फ्लेमिंग कमेटी (Fleming Committee) जाँच के लिए बैठी, इसकी सदस्यता मे ८३ स्वतत्र विद्यालय, और ९९ सीधी-सहायता प्राप्त विद्यालय (Direct Grant Schools) सहायता प्राप्त (aided) और व्यवस्थित (Maintained) स्कूल थे।

प्रबन्ध समिति संघ (Governsng Bodies Association)

इस सघ की स्थापना सन् १९४० ई० मे हुई। इसके सदस्य साधारणतया लडकों के स्कूलों की प्रबन्ध समितियाँ थी या उन स्कूलों की प्रबन्ध समितियाँ थी जहाँ सहशिक्षा प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त सघ समय-समय पर निश्चित होने वाली शर्तों के अनुसार दूसरे स्कूलों की प्रबन्ध-समितियों को भी सदस्य बना लेती थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे—

(१) पब्लिक स्कूलों की नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर विचार-विमर्श।

(२) विभिन्न प्रबन्ध समितियों मे पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देना।

(३) समाज के सामान्य शिक्षा हितो को ध्यान मे रख कर ऐसे स्कूलो से उनका सम्बन्ध स्थापित करना।

(४) ऊपर दी हुई समस्याओ पर सघ के विचार प्रकट करना ओर यथा सम्भव उचित समय पर उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहना।

जिस समय फ्लेमिग कमेटी पब्लिक स्कूलो पर विचार कर रही थी, इसकी सदस्यता मे ८१ स्वतत्र विद्यालय, ५९ सीधी सहायता प्राप्त और ७ दूसर प्रकार के स्कूल थे।

श्री बटलर द्वारा दी हुई पब्लिक स्कूल की परिभाषा की व्यावहारिक उपयोगिता का उल्लेख किया जा चुका है। जहाँ तक पब्लिक स्कूलो पर तटस्थता का आरोप है कि वे अपने आपको सामाजिक सम्पर्क से तटस्थ रह कर ऊँची श्रेणी का समझते है, यह अच्छा होगा कि हम अपने विचार-विमर्श को केवल प्रचलित अर्थ वाले पब्लिक स्कूलो तक ही सीमित रक्खे। जहाँ तक सरकारी विद्यालयो और इन स्कूलों के बीच पडी हुई खाई को पाटने का प्रश्न है सीधी सहायता प्राप्त (Direct Grant) तथा सहायता-प्राप्त (Aided) स्कूल ही इस दिशा मे आशा दिला सकते है।

जो आलोचक यह शिकायत करते है कि पब्लिक स्कूल ही सामाजिक विभाजन के कारण है, वे शायद यह कभी नही सोचते कि पब्लिक स्कूल उस विभाजन के कारण न होकर केवल उसके फलस्वरूप भी हो सकते है। इसगे स्वस्थ आलोचना तो यह होगी कि यद्यपि पब्लिक स्कूलो ने समाज मे वर्ग भेद उत्पन्न नही किया फिर भी उस वर्ग भेद को बनाए रखने के लिए बहुत अशो तक उत्तरदायी है। निश्चय ही पब्लिक स्कूलो के इतिहास और उनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन बिना इस प्रकार की सदिग्ध धारणा के असम्भव-सा ही है। टॉन्टन कमीशन ने सन् १८६८ मे इस पर रिपोर्ट देते हुए कहा था—"जो बालक शिक्षको की आय मे वृद्धि कर सकते है, वे निश्चय ही समाज के उच्च वर्ग से आने वाले बालक होने चाहिए। किन्तु वे ऐसे स्कूल के प्रति कभी भी आकर्षित नही हो सकते जहाँ पर उन्हे ऐसे सामान्य वर्गो से आने वाले बालको के साथ उठना बैठना पडे जो राष्ट्रीय (Elementary) स्कूलों मे पडा करते है।' टॉन्टन कमीशन (Taunton Commission) के सदस्यो ने ऐसे बालकों का उल्लेख किया है जो ग्रामर स्कूलों मे ऐसे कमरे मे पढाए जाते थे जो अपारदर्शी शीशे की दीवार द्वारा नि शुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले बालको से अलग कर दिया जाता था। इतना ही नही, इनमे भी दो ऐसे वर्ग पढते थे, जो एक दूसरे से सीने तक ऊँची दीवार से अलग कर दिए जाते थे। आर्मफेल्ट (Armelt) के कथनानुसार :—

"The Commissioners tell of boys being taught in a room divided form the free boys by a glazed partition, and even of two sets of boys separated by a partition breast high"

१९वी शताब्दी मे कुछ स्कूल स्पष्ट रूप से यह कहते थे कि वे केवल सम्भ्रान्त कुलों के बालको के ही लिए है। इतना ही नही, बल्कि १७वी शताब्दी के आरम्भ मे वेस्टमिनिस्टर का हेडमास्टर बुसबी (Busby) इस बात पर गर्व करता था कि

१ देखिए *Taunton Commission's Report* H. M. S. O. London.

इंगलैण्ड की 'बेन्च आफ बिशप्स' (Bench ef Bishops) में से १३ छात्र उसके स्कूल में पढ़ते थे।[१] सन् १९३९ में कर्मचारी शैक्षिक संघ (Workers Educational Association) की रिपोर्ट में, जो उन्होंने फ्लेमिंग कमेटी को दी, अभिमान भले हो न हो पर इस प्रकार की ध्वनि निश्चित रूप से प्रगट होती है कि ८३० बिशपों, डीनों (Deans), जजों तथा मजिस्ट्रेटों, होम सिविल सर्वेंट्स और इंडियन सिविल सर्वेंट्स, गवर्नर ऑफ डोमीनियन्स, डाइरेक्टर ऑफ बैंक्स और रेलवेज में से ६३६ अर्थात् ७६% पब्लिक स्कूलों के ही पढ़े हुए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि यह तो पब्लिक स्कूलों की उत्तम शिक्षा की प्रशंसा मात्र है। यदि ऐसा है तो श्री वॉलफ़ेन्डन के इस कथन का वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या पब्लिक स्कूल में प्रवेश पाने के लिए अच्छा आर्थिक स्तर होना आवश्यक है?[२]

फ्लेमिंग कमेटी बड़े पैमाने पर पब्लिक स्कूल खोलने के लिए तत्पर थी। वह शायद ऐसा न करती यदि उसके विचारों में इन स्कूलों से विशेष लाभ न पहुँचता होता। पब्लिक स्कूल शिक्षा की विशेषताओं का कई बार वर्णन हो चुका है अतः यहाँ पर केवल उनका उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा। यह कहा जाता है कि इन स्कूलों में स्वतंत्रता और चरित्र-निर्माण के गुणों का विकास होता है। देश-भक्ति और साहस की भावना उत्पन्न होती है। सामाजिकता तथा अन्य गुणों का प्रादुर्भाव होता है। इसके समर्थकों का कहना है कि ये सब गुण धार्मिक शिक्षा, हाउसिंग सिस्टम, प्रिफेक्ट प्रणाली तथा खेल की प्रतियोगिताओं से सीखते हैं। व्यक्तिगत रूप से आलोचकगण यह निश्चय कर सकते हैं कि कहाँ तक इन अधिकारों का समर्थन किया जा सकता है किन्तु निश्चित रूप से एक गुण अवश्य है जो कि सन् १९४४ की नयी माँगों के साथ-साथ विचाराधीन है। सन् १९४४ के एक्ट की धारा ८ (२) (द) के अनुसार स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (L.E.As) को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाओं का प्रबन्ध करे चाहे वे बोर्डिंग स्कूलों में हो चाहे कहीं और—विशेषकर ऐसे छात्रों के लिए जिनको कि माता-पिता तथा अधिकारीगण इसके योग्य समझते हैं। अधिकांश पब्लिक स्कूल बोर्डिंग स्कूल हैं, किन्तु पब्लिक स्कूलों में उन छात्रों के लिए जिन्हें कि एल० ई० एज़० तथा अभिभावक ऐसी शिक्षा के योग्य समझते हैं किस प्रकार छात्रावास की सुविधा दी जा सकती है, यह प्रश्न विचारणीय है।

फ्लेमिंग कमेटी ने इसका एक उत्तर प्रस्तुत किया वह भी राज्य के उन स्कूलों के अनुभव पर जो किसी समय बिल्कुल स्वतंत्र थे किन्तु बाद में जिन्होंने सार्वजनिक कोष से सहायता स्वीकार कर ली थी। उन्होंने दो विभिन्न वर्गों के विद्यालयों के अनुकूल विद्यालय-संघ की दो-दो योजनाएँ (Schemes) उपस्थित कीं—योजना—(अ) और योजना—(ब)।

योजना अ (Scheme A)—यह योजना उन सीधी-सहायता-प्राप्त स्कूलों पर लागू थी जिन्हें अपनी सूची में सम्मिलित करने के लिए मंत्रालय तैयार

---

२ देखिए *Fleming Committee Report* p. 12 **H. M. S. O. London.**

३ देखिए **J. W. Wolfenden** द्वारा लिखित *The Public Schools To-day.* पृष्ठ १८— यूनिवर्सिटी आफ लंदन प्रेस।

था। किसी भी स्कूल को सूची (List) मे सम्मिलित करने या न करने के सम्बन्ध मे मत्रालय निम्नलिखित बातो पर ध्यान देकर कोई निश्चय करता था —

(१) स्कूल की आर्थिक स्थिति।

(२) उसमे पढने वाले छात्र किस क्षेत्र से आये है तथा उस क्षेत्र की विशेषताये।

(३) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलो के छात्रो के लिए स्कूल द्वारा प्रदत्त सुविधा और उस सुविधा का महत्व।

(४) स्कूल के सम्बन्ध मे एल० ई० ए० की राय।

इनके आधार पर जो स्कूल ६०वी सूची (list 60) के लिए स्वीकार कर लिए जाते थे, वहाँ ट्यूशन फीस या तो समाप्त कर दी जाती थी या सरकार द्वारा निर्धारित-आय-क्रम (Approved Income Scale) के अनुसार घटा दी जाती थी जो आवश्यकतानुसार पूरी भी माफ हो जाती थी। भोजन सम्बन्धी व्यय (Boarding Charges) भी इसी प्रकार आमदनी के अनुसार ही निर्धारित (Graded) रहता था जो विशेष परिस्थितियो मे नि शुल्क भी हो जाता था। इसी प्रकार L E. A. को दिवसीय या छात्रावासीय (Day Scholars or Boarders) दोनो प्रकार के छात्रो के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार था। इन छात्रो के लिए L E. A सीधी स्वय उत्तरदायी थी। इनकी निश्चित सख्या उस स्कूल के गवर्नरो तथा एल० ई० एज़० द्वारा स्वयं निश्चित कर दी जाती थी। एल० ई० एज० इन सुरक्षित जगहो के भरने मे छात्रो के चुनाव मे भी गवर्नरो की सहायता करती थी। ऐसे छात्रो की पूरी फीस एल० ई० एज० द्वारा स्वय दी जाती थी। L.E.As इन बालको के अभिभावको से कुछ न लेती थी। जहाँ तक भोजन शुल्क (Boarding Fees) का सम्बन्ध था, वह भी L.E.As (एल० ई० एज०) प्रदान करती थी किन्तु तत्सम्बन्धी व्यय अभिभावकों से उनकी आय के अनुसार लिया जाता था। इन स्कूलो के प्रबन्धको मे से कम से कम एक-तिहाई मनोनीत होते थे। किन्तु यदि मत्रालय भी (ब) योजना के अतर्गत जिसका उल्लेख आगे किया है इन स्कूलो मे छात्र भेजती थी तो ⅓ प्रबन्धको मे कुछ एल० ई० एज द्वारा और कुछ मत्रालय द्वारा नियुक्त होते थे। यह ध्यान रखने की बात है कि यह स्कीम उन स्कूलो से सम्बन्धित है जो सन् १९४४ के एजूकेशन एक्ट मे दी हुई परिभाषा के अनुसार स्वतत्र नही है।

योजना ब (Sheme B)—ब योजना सर्व साधारण अर्थ मे प्रचलित पब्लिक स्कूलो के लिए है। यह केवल उन स्कूलो के निमित्त है जो मुख्यतया पूर्ण रूप से बोर्डिंग स्कूल है। इस योजना का कार्य एल० ई० एज० द्वारा उन छात्रो को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो कम से कम दो वर्ष तक अनुदान-प्राप्त प्राइमरी स्कूलों मे शिक्षा प्राप्त कर चुके है। इन छात्रवृत्तियो द्वारा ट्यूशन फीस, बोर्डिंग फीस तथा ऐसे अन्य व्ययो का भुगतान किया जाता है जिन्हे छात्रो के अभिभावको की आय-क्रम के अनुसार उचित ठहराया जाता है। कही-कही पर इनके द्वारा छात्रो को आवश्यकतानुसार इन व्ययो से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। इस योजना मे भाग लेने वाले स्कूलो को सर्व प्रथम अपनी वार्षिक भरती मे से २५% स्थान एल० ई० एज० द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालयो मे से आए हुए छात्रो को प्रदान करने पडते है। फिर भी यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद यह अनुपात

फिर से तै किया जायेगा और यह निश्चय इस बात को ध्यान मे रख कर होगा कि इन स्कूलो मे भी समता के सिद्धान्त का क्रमश अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है या नही अर्थात् आर्थिक साधनो के अभाव के कारण हो कोई भी छात्र इन स्कूलो मे प्रदान की जाने वाली शिक्षा से यदि उसमे अन्य योग्यताएँ है वञ्चित न रहे छात्र वृत्तियो के इस चुनाव के लिए छात्रो के अभिभावको को एल० ई० एज० के माध्यम से शिक्षा-मत्रालय का प्रार्थनापत्र भेजना पडता है। ये अभिभावक स्वीकृत सूची मे दिए हुए किसी भी स्कूल मे अपने बालक को पढाने के लिए छात्रवृत्ति माँग सकते है। इस प्रकार यदि ये स्कूल स्वीकृत सूची (Approved List) मे है और उन्होने इस साझेदारी मे भाग लेना स्वीकार कर लिया है तो उसे इगलैण्ड के किसी भी नगर मे रहने वाले छात्र अपने स्कूल मे भर्ती करने के लिए सहमत होना पडेगा, यदि वह आवश्यक योग्यता रखता हो। उदाहरण के लिए यदि डॉरसेट (Dorset) नगर का कोई अभिभावक अपने छात्र को ईटन (Eton), विनचेस्टर (Winchester) या हैरो (Harrow) मे से क्रमानुसार किसी भी स्कूल मे भर्ती कराने का अधिकार रखता है। ये छात्र तब मण्डलीय साक्षात्कार परिषदो (Regional Interviewing Boards) द्वारा परीक्षित किए जाते है जो अपनी संस्तुतियाँ केन्द्रीय सलाहकार समितियो (Central Advisory Councils) के पास भेज देती है। यह समिति तब अपना अंतिम प्रस्ताव मत्रालय के समक्ष रखती है और यह सुझाव भी देती है कि मत्री किस प्रकार इन छात्रो का वितरण विभिन्न स्कूलो मे करे। इस सम्बन्ध मे एक विशेष कठिनाई का अनुभव भी हुआ है। जहाँ पर लडके और लडकियाँ साधारणतया अपनी प्राइमरी शिक्षा ११ वर्ष की आयु मे समाप्त कर लेते है पब्लिक स्कूलो मे प्रवेश की सामान्य आयु १३ वर्ष है। योजना ब (Scheme B) मे इस सम्बन्ध मे यह सुझाव दिया गया कि इन छात्रो को इन दो वर्षो के लिए पब्लिक स्कूलो की लघु कक्षाओ (Junior classes) मे भेज दिया जाए। जिन पब्लिक स्कूलो मे ये लघु कक्षाये (Preparatory Classes) नही है, वहाँ प्रवेश चाहने वाले छात्रो को किसी प्रारम्भिक विद्यालय (Preparatory Classes) मे भरती कर दिया जाए बशर्ते कि वह प्रारम्भिक विद्यालय (Preparatory School) शिक्षा की दृष्टि से उत्तम है और किसी व्यावसायिक दृष्टि से नही चलाया गया है। योजना ब (Scheme B) मे भाग लेने वाले पब्लिक स्कूलों की प्रबन्ध समितियो मे मत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते है किन्तु इनकी अधिकाधिक सख्या कुल सदस्यों की एक तिहाई होती है। यदि कोई पब्लिक स्कूल किसी स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L E A) से यह समझौता कर लेता है कि वह वहाँ के छात्रो के लिए कुछ जगहे सुरक्षित रक्खेगा तो इन मनोनीत सदस्यो में कुछ सदस्य एल० ई० ए० के भी होते है।

योजना ब (Scheme B) एक महत्वपूर्ण योजना थी अतः यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। इस योजना का सामान्य परिणाम तो यह हुआ कि केवल कुछ पब्लिक स्कूल ही फ्लेमिंग कमेटी (Fleming Committee) की सिफारिशो को पूर्णतया अपनाने का निश्चय कर सके। सन् १९४७ से लेकर १९५१ तक की शिक्षा मत्री की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सम्भवतः इस दिशा मे बहुत कम प्रगति हुई। इससे यह भी ज्ञात होता है कि सन् १९४७ तक शिक्षा मत्री ने फ्लेमिग कमेटी के सुझाव के

अनुसार इस योजना से सम्बन्धित केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी थी। इस कमेटी का कार्य छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थियों के प्रार्थनापत्रों पर विचार करना था। उसके अधीन कुल ५९४ छात्रवृत्तियाँ थी। इनमे ३५८ के लिए स्वतत्र विद्यालयों द्वारा तथा ८५ के लिए एल० ई० एज० द्वारा प्रार्थनापत्र भेजे गए। यह स्पष्ट नहीं है कि स्वतंत्र विद्यालयों के प्रार्थनापत्रों मे कितने स्थान लड़को के लिए थे, विशेषकर कितने माध्यमिक विद्यालय आयु के बालकों के लिए थे। अत हमारा यह अनुमान है कि ८५ स्थानो मे से एल० ई० एज० के छात्रो की केवल थोडे से ही स्थान पब्लिक स्कूलो मे मिल सके। सन् १९४८ ई० में एल० ई० एज० के इन प्रार्थनापत्रों की सख्या १५५, १९४९ ई० मे १८०, और १९५० मे केवल १०२ थी। फिर भी सन् १९४८ ई० मे और उसके पश्चात् मत्रालय ने विशेष रूप से यह सकेत किया है कि पब्लिक स्कूलों मे प्राप्त अधिकाश आवासीय स्थान (Boarding Places) एल० ई० एज० तथा उन स्कूलो के मध्य हुए सीधे सम्पर्क का फल है। सन् १९५० ई० मे मत्री ने पूरी स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए यह कहा कि सब प्रकार के बोर्डिंग स्कूलो मे पढने वाले छात्रों को एल० ई० एज० द्वारा दी जाने वाला आर्थिक सहायता पर्याप्त रूप से बढ गई है किन्तु फिर भी यह दावा नही किया जा सकता कि इन पब्लिक स्कूलो मे स्वतत्र रूप से पढने वाले छात्रो की सख्या पर छात्रवृत्ति प्राप्त एल० ई० एज के विद्यार्थियों का कोई विशेष प्रभाव पडा है। सन् १९५१ ई० मे इस केन्द्रीय समिति का अत कर दिया गया और उसके बाद प्रकाशित होने वाली वार्षिक रिपोर्टों मे आवासीय सुविधा (Boarding Accomodation) सम्बन्धित अनुच्छेद सम्मिलित नही किया जाता। इससे साधारणत ऐसा ज्ञात होता है कि इस दिशा मे हुए प्रयत्न कुछ अशों मे ही सफल हुए और उनके द्वारा फ्लेमिग कमेटी (Fleming Committee) की आशायें पूरी न हो सकी। इस असफलता का क्या कारण था, यह एक विचारणीय प्रश्न है ?

फ्लेमिग कमेटी की असफलता क कारण

(१) सम्भवत इस कमेटी की असफलता का एक कारण मंत्रालय की ओर से इस दिशा मे नेतृत्व की कमी थी। केवल एक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण ही इसके लिए पर्याप्त न था।

(२) दूसरा कारण छात्रवृत्ति के पात्रों के निर्वाचन के लिए उपयुक्त सिद्धान्तो के निश्चय की कठिनाई थी।

इस सम्बन्ध मे अपनी व्याख्या का निष्कर्ष निकालते हुए फ्लेमिग कमेटी ने निराश होकर कहा—

'We recognise that in no part of our report is it more difficult to make recommendations than here.' अर्थात् रिपोर्ट के इस अश पर संस्तुति देने मे हम जिस कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं वह पहले कभी न हुआ था।

फ्लेमिंग कमेटी-रिपोर्ट के पाठकों के सामने भी इस प्रकार के अनेक विरोधी वक्तव्य आए थे। योजना के अंतर्गत किसी छात्र का चुनाव केवल उसकी बौद्धिक योग्यता पर ही निर्भर न था, न ही वह उसके अभिभावकों की आर्थिक सहायता पर निर्भर था, न वह उसके अभिभावक की इच्छा पर निर्भर था और न छात्र के लैटिन और फ्रेन्च की प्रारम्भिक जानकारी पर। वास्तव मे उसका प्रवेश इस बात

पर निर्भर था कि जिस विद्यालय मे उसके अभिभावक उसे भेजना चाहते है, उसके पाठ्यक्रम को भली भाँति हृदयगम करने की क्षमता उसमे है भी या नहीं। रिपोर्ट के शब्दो मे—

'The candidate must be able to assimilate the ordinary curriculum of the school to which his parents want him to go

यह एक ऐसी शर्त थी जिसे असगत नहीं कहा जा सकता था। इसके अतिरिक्त उसमे मन बुद्धि और चरित्र के ऐसे गुणो का भी सन्निवेश होना चाहिये जिनके समुचित विकास मे छात्रालयीय शिक्षा (Boarding School Education) पूर्णतया सहायक हो। रिपोर्ट के शब्दो मे—

'He must seem to have qualities of mind and character which.......boarding education could best develop.'

यह भी एक ऐसी शर्त थी जो बोर्डिंग शिक्षा का एक ध्येय ही कही जा सकती है। कमेटी की तीसरी शर्त भी ऐसी ही थी। इसके अनुसार मन, बुद्धि और चरित्र मे सतुलित हुए हुए भी जो बालक घर की प्रतिकूल परिस्थितियो के कारण दिवसीय शिक्षा (Day School Education) से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो सकते, केवल वे ही पब्लिक स्कूलो मे प्रवेश के अधिकारी हो सकते हैं। यह भी एक निरुत्साहित करने वाली शर्त थी। अत मे उन्होंने कहा—

'But we do not consider that the boarding schools should be regarded as valuable only for children who are in some way handicapped either by reasons of difficulties in their homes or because of some temperamental weaknesses.'

अर्थात् 'हमारी दृष्टि मे बोर्डिंग स्कूल केवल ऐसे बालको के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है जो किसी स्वभावजन्य दुर्बलता के कारण अथवा पारिवारिक उलझनो और कठिनाइयो के कारण शिक्षा का पूर्ण लाभ उठाने से वञ्चित रहते है।'

ये सब वक्तव्य एक दूसरे के इतने विरोधी थे कि उनको कार्यान्वित करना कठिन ही था। ऐसी परिस्थिति मे हमे केवल सन् १९४४ के एक्ट मे कहे हुए उन शब्दो को दुहराना है जिसके अनुसार बोर्डिंग स्कूलो मे आवास की सुविधा केवल ऐसे ही छात्रो के लिए होनी चाहिए जिनके लिए उनके अभिभावक या अधिकारी आवश्यक समझते हों।

जहाँ पर फ्लेमिंग कमेटी (Fleming Committee) स्वयं छात्रो की उपयुक्तता और आवश्यकता के नियम बनाने मे असफल रही, एल० ई० एज० से इसकी आशा करना बेकार था। स्वभावत- वे कमेटी द्वारा उल्लिखित कतिपय सुझावों के आधार पर ही यह चुनाव करने लगे। इनका सम्बन्ध छात्र की योग्यता से उतना न था जितना कि उसकी परिस्थिति की वाञ्छनीयता से था—विशेषकर उसके घरेलू जीवन से। सक्षेप मे यह प्रश्न इस रूप में सामने आया कि छात्र की शिक्षा के लिए क्या-क्या वाञ्छनीय है, यह बात तो गौण हो गई; बल्कि उसके लिए किस बात की आवश्यकता है, इस बात को प्रमुखता मिली। दूसरे शब्दो मे यदि घर मे रह कर उसकी शिक्षा सुचारु रूप से नहीं चल सकती, तो उसके लिए उसे बाहर भेजे जाने का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु पब्लिक स्कूल इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए तैयार न थे कि ऐसे बालक उनके यहाँ पढने भेजे जाये। उन्हें वास्तव मे ऐसे छात्रों की आवश्यकता थी जो न केवल अपनी व्यक्तिगत विशेषताओ मे सामान्य

स्तर के हो, वरन् उनके वे अनुभव भी जिनके आधार पर उनका निर्माण हुआ है, सामान्य हा होने चाहिए। फलस्वरूप स्कूलो और एल० ई० एज० के वीच होने वाली वार्ता जिसका आरम्भ एक वडी आशाजनक दृष्टि से किया जाता था, अतत एक निराशापूर्ण असफलता मे ही समाप्त होती थी। यह भी सभव है कि कभी-कभी एल० ई० एज० स्वय इस योजना के चलाने मे उदासीन रहतो हो। कुछ क्षेत्रो मे ऐसा भी समय आया जब अभिभावको ने जो अधिकाश स्वय पब्लिक स्कूलो मे पढे हुए थे, इस बात का प्रश्न उठाया और एल० ई० एज० को इस बात पर तत्पर करने के लिए कटिवद्ध हुए कि इस प्रकार की शिक्षा उनके वालको के लिए वाञ्छनीय है। फलस्वरूप एल० ई० एज० ऐसे अप्रत्याशित प्रश्न से चकित हो गए और इन्होंने यह निश्चय किया कि इस सम्वन्ध मे अपने अधिकारो का प्रयोग न करना ही श्रेयस्कर होगा। अत मे एक यह भी अफवाह उडी कि ऐसे भी उदाहरण विद्यमान है जहाँ पर सामान्य आर्थिक ओर सामाजिक स्थिति का एक अभिभावक जिसके वालक को पब्लिक स्कूल मे प्रवेश की सुविधा मिलने वाली है केवल इसलिए उस वालक को वहाँ भेजने से झिझकता है कि कही वह बालक उन स्कूलो मे प्रचलित अपरिचित सामाजिक वातावरण मे कष्ट का अनुभव न करे, अथवा यदि उसने अपने आपको वहाँ के वातावरण के अनुकूल बना लिया तो कही घर से वह अपना सम्वन्ध विच्छेद न कर दे।

जिस समय फ्लेमिग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसके बाद भी पब्लिक स्कूलों मे खूब समृद्धि हुई है। रहन सहन का स्तर बढने के साथ ही साथ, वे नियम से अपनी फीस मे वृद्धि करते गए है और एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी जब लोगों ने यह कहना आरम्भ कर दिया था कि यदि पब्लिक स्कूल इसी गति से अपनी फीसो मे वृद्धि करते रहे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब लोग अपने बालकों को वहाँ पढाने मे अपने को असमर्थ पाये। फिर भी युद्ध के उपरान्त इन स्कूलों मे प्रवेश के लिए इतने अधिक बालक होते थे कि उनके लिए बडी लम्बी प्रतीक्षा सूची (Waiting List) बनाई जाती थी। आज भी ये प्रतीक्षा सूचियाँ (Waiting List) किसी प्रकार छोटी नही है। यद्यपि इस बात का कोई विश्वासजनक उत्तर नहां दिया जा सकता कि ऐसा क्यों होता है ? किन्तु कारण स्पष्ट है। पहले तो कुछ अभिभावक अपनी पूँजी से ही अपने वालकों की फीस देते थे, आगे चल कर उन लोगों ने वालको के उचित आयु पर पहुँचने पर पब्लिक स्कूलो के खर्च ओर फोस के लिए इश्योरेस पॉलिसी लेना आरम्भ कर दिया। अभी हाल मे कुछ ऐसी योजनाये चलाई गई है जिनके द्वारा अभिभावको को एक लम्बे समय तक सन्तानो की शिक्षा के लिए पैसा मिलता रहता है। ये सब साधन ऐसे अभिभावकों के लिए उपलब्ध थे जिनकी आय रहन-सहन के स्तर के साथ-साथ नही बढी थी। निस्सन्देह इस युद्ध के बाद भी अनेकों ऐसे अभिभावक है जिनकी आमदनी (पिछले युद्ध की समाप्ति के समान हो) बढी है, और फलस्वरूप जिन्होंने अपने बाल्यकाल मे पब्लिक स्कूल शिक्षा से वञ्चित रहने की हानि से अनुभव उठाकर अपने बालको को पब्लिक स्कूलो मे पढाने का निश्चय किया है। इन आर्थिक विचारों से जुडा हुआ नयी प्रेरणा का प्रश्न भी रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है सन् १९४४ के एक्ट के 'माध्यमिक शिक्षा सब के लिए' नामक नारे ने कुछ अंशों मे सामाजिक वर्गीकरण और भेदभाव दूर करने के स्थान पर और अधिक बढा दिया है। कुछ अभिभावक जो इस एक्ट के पहले संभवत: स्थानीय ग्रामर स्कूल

मे अपने बालक को पढाने के लिए फीस देने के लिए तैयार हो जाते, माध्यमिक आधुनिक शिक्षा (Secondary Modern Education) को उसका संतोषजनक पर्याय मानने के लिए तैयार न थे। अत सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल मे अपने बालकों को भेजने के स्थान पर वे किसी भी मूल्य पर अपने बालकों को पब्लिक स्कूलो मे भेजने के लिए तत्पर थे। अतत यह भी हो सकता है कि एक व्यस्त सामाजिक परिवर्तन के युग के बाद लोग पुन. परम्परा और वाह्य रूप से स्थायी दिखने वाले सम्बन्धो मे प्रेम करने लगते है। अतः मॉडर्न स्कूल के स्थान पर पब्लिक स्कूलो के प्रति झुकाव भी जहाँ कही है, इसी तर्क का उत्तर कहा जा सकता है। सर रिचर्ड लिविंग्स्टन (Sir Richard Livingstone) ने छात्रावासीय विद्यालय (Residential School) की परिभाषा इस प्रकार दी है·

"The Residential School is one of the three most original British achievements in education"[१] अर्थात् 'शिक्षा के क्षेत्र मे इंगलैण्ड की तीन अति मौलिक उपलब्धियों मे छात्रावासीय विद्यालय भी एक है।' वह वास्तव मे इंगलैण्ड वासियों की अपनी रुचियों की अनुकूलता पर ही निर्मित हुआ है, और वे जो भी उसकी आलोचना करते है वह उसी प्रकार है जैसी वे अपनी उन सस्थाओ की करते है जिन पर राष्ट्र को गर्व है।

कन्या पाठशालायें

यद्यपि लड़को के पब्लिक स्कूलो का इतिहास १००० वर्ष पुराना है, लडकियो के पब्लिक स्कूलो का इतिहास पिछले १०० वर्षो से अधिक पुराना नही है। सन् १८५० के पहले जो थोडे से माध्यमिक विद्यालय लडकियो के निमित्त चलते थे वे व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से न चलकर या तो धार्मिक सस्थाओं के द्वारा सचालित होते थे जैसे 'सोसाइटी ऑफ फ्रेन्ड्स' (Society of Friends) द्वारा स्थापित 'द माउन्ट स्कूल ऑफ यार्क' (The Mount School of York), या उदार सस्थाओ द्वारा सचालित होते थे जैसे 'क्राइस्ट हॉस्पिटल फॉर ब्वायज' (Christ Hospital for Boys) के समान 'क्राइस्ट हॉस्पिटल फॉर गर्ल्स' (Christ Hospital for Girls) या फिर ऐसे कन्या विद्यालय थे जो समाज के कुछ मुख्य व्यवसायो मे जैसे पादरी, सेना, नौसेना इत्यादि मे काम करने वाले नागरिको की लडकियो के लिए खोले गए थे। साधारणत· पब्लिक स्कूलों मे पढने वाले बालको की बहने या तो घर पर प्राइवेट तौर से अध्यापिकाओं (governesses) द्वारा पढाई जाती थी अथवा प्राइवेट गर्ल्स स्कूलों मे पढाई जाती थीं जहाँ कि शिक्षा का स्तर बहुधा गिरा हुआ था।

सम्भवत· सर टॉमस आर्नल्ड द्वारा पब्लिक स्कूलो के लिए प्रदर्शित उत्साह ने ही कुछ शिक्षाप्रेमी स्त्रियों को लडकों के समकक्ष लडकियों के लिए भी पब्लिक स्कूलों की सुविधा देने के लिये प्रेरित किया। इस प्रकार के सर्व प्रथम गर्ल्स पब्लिक स्कूल्स प्रसिद्ध मिस बुस (Buss) और मिस बील (Beale) ने खोले। इनका नाम क्रमशः The North London Collegiate School (1850) तथा चेल्टेन-

---

१ देखिए Sir Richard Livingstone द्वारा लिखित *Education for a World Adrift* पृष्ठ ४०, Cambridge University Press.

हैम लेडीज कालेज (Cheltenham Ladies College) (1853) था। किन्तु इस प्रकार के स्कूलो के खोलने का कोई अर्थ न था जब तक कि स्त्रिया विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा से वञ्चित थी। इस दिशा मे सर्वप्रथम सुधार सन् १८६९ मे हुआ। लडकियो को शिक्षा के लिये हिचिन (Hitchin) मे एक कालेज खोला गया जो आगे चलकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अतर्गत गर्टन कालेज (Girton College) के नाम से प्रख्यात हुआ। इसी विश्वविद्यालय के अतर्गत न्यूनहैम कालेज (Newnham College) की स्थापना सन् १८७० मे हुई। ऑक्सफोर्ड मे यद्यपि बेडफोर्ड कालेज फॉर वोमेन (Bedford College for Women) की स्थापना सन् १८४९ ई० मे हो चुकी थी किन्तु लेडी मारगरेट हॉल (Lady Margaret Hall) तथा सोमरविले कालेज (Somerville College) की स्थापना सन् १८७९ मे हुई।

लड़कियो की माध्यमिक शिक्षा को विशेष प्रेरणा एनडाउड स्कूल्स एक्ट (Endowed Schools Act) सन् १८६९ ई० से भी मिली। इस एक्ट मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि यह सर्वथा उचित होगा कि धार्मिक धन कोष (Charitable Funds) का उपयोग जितना लडको की शिक्षा के लिए किया जाए उतना ही लड़कियो के लिए। फलस्वरूप जब इस एक्ट के अतर्गत नयी योजनाये बनायी गई तो उस सम्पूर्ण राशि को जो पहले केवल लडको की शिक्षा मे खर्च की जाती थी, बाँट देना एक साधारण-सी बात हो गयी और इस प्रकार यह बँटी हुई राशि लडकियो की शिक्षा के लिए खर्च की जाने लगी और इस प्रकार जाकर ब्रैडफोर्ड और लीड्स के प्रसिद्ध ग्रामर स्कूलो के समानान्तर ही ब्रैडफोर्ड और लीड्स (Leeds) के Girls High Schools खोले गए। सन् १८७२ मे 'गर्ल्स पब्लिक डे स्कूल कम्पनी' (Girls Public Day School Company) की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप इन हाई स्कूलो की सख्या मे भी वृद्धि हुई। कम्पनी ने अपना पहला गर्ल्स हाई स्कूल सन् १८७३ मे खोला। सन् १९०३ मे इनकी सख्या ३४ हो गई। सन् १९४४ ई० मे गर्ल्स पब्लिक डे स्कूल ट्रस्ट (Girls Public Day School Trust) के अतर्गत २३ हाई स्कूल थे।

लडकियो के लिए पहले पब्लिक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना सेट एण्ड्र्यूज (St Andrews) मे सन् १८७७ ई० मे हुई। उसके पश्चात् कई और गर्ल्स पब्लिक स्कूल उसी नमूने के खोले गए। इनमे सन् १८८५ ई० मे रोडियन (Roedean) मे, सन् १८९६ मे वाईकूम्ब एबे (Wyecombe Abbey), तथा सन् १८९९ ई० मे शेरबोर्न (Sherborne) मे खोले गए। इन स्कूलो ने जान-बूझ कर वे सभी विशेषताये अपनायी जो लडको के पब्लिक स्कूलो मे पाई जाती थी। उदाहरण के लिए इनमे भी पूर्ण-कालीन-स्वामिनियो (Fulltime Mistresses) की देखरेख में गृह-प्रणाली (House System) का आयोजन किया गया। इनमे प्रिफेक्ट सिस्टम (Prefect System) भी रहा। साथ ही प्रतियोगी खेलो को ये अधिक महत्व देने लगे। इनमे पढ़ाए जाने वाले विषय भी लडको के स्कूलों मे पढाए जाने वाले विषयो से भिन्न न थे। इतना अवश्य था कि चूँकि इनके पीछे एक सुदृढ प्राचीन परम्परा न थी, ये लैटिन और ग्रीक भाषाओं के अध्ययन पर उतना ध्यान न देते थे। सामान्यतः इनका करीक्यूलम बालकों के करीक्यूलम की अपेक्षा अधिक लचीला है और उसमे प्रयोगात्मक कार्य पर अधिक बल दिया गया है।

फ्लेमिग कमेटी ने इस बात के भी कारण दिए हैं कि पब्लिक स्कूल्स

एसोसियेशन (Public Schools Association) की योजना को कार्यान्वित करने मे गर्ल्स स्कूल अधिक सफल हो सकते हैं अपेक्षाकृत लडकों के स्कूलो के। उनके विचार से एक लडकी पब्लिक स्कूल मे शिक्षा प्राप्त करने पर भी वे लाभ और सामाजिक सुविधाये प्राप्त नही कर पाती जो कि एक लडका प्राप्त करता है। साथ ही लडकियों के दिवसीय और आवासीय (Day and Boarding)—दोनो प्रकार के स्कूल सदैव से आपस मे छात्राओ और अध्यापिकाओ का पारस्परिक मुक्त आदान-प्रदान करते रहे हैं। अध्यापिकाओ सम्बन्धी यह सुविधा उन्हे इसलिए और भी रही है क्योंकि उनका सख्या प्रधानाध्यापिका सघ (Association of Head-mistresses) केवल एक ही संस्था है। अतः जो बाते ये प्रधानाध्यापिकाये अपने सघ की सभाओ मे या व्यक्तिगत रूप में मिलकर तै करती हैं उन्हे कार्यान्वित करने मे विशेष अडचन का सामना नही करना पड़ता। लडको के सम्बन्ध मे यह बात उतनी सरल नही है। लड़को के स्कूलो के कई सघ (Associations) हैं। उदाहरणार्थ हेडमास्टर्स कान्फ्रेन्स (Head Masters Conference) नामक सस्था के सदस्य केवल पब्लिक स्कूलो के शिक्षक होते हैं। जब कि सस्थापित प्रधानाध्यापक सघ (Incorporated Association of Head Masters) की सदस्यता अधिकतर व्यवस्थित विद्यालयों (Maintained Schools) तक ही सीमित है। तीसरा एक कारण यह भी है कि लड़कियो के स्कूलो का पाठ्यक्रम अधिक उदार है। फलस्वरूप उन्हे विभिन्न आयु और योग्यता की छात्राओ को प्रवेश करने मे अधिक कठिनाई का सामना नही करना पडता। अत: कमेटी ने यह सिफारिश की कि जहाँ पर गर्ल्स स्कूलो मे दोनो (अ) और (ब) योजनाये चलायी जावे, (ब) योजना के अतर्गत किसी भी लडकी को प्रवेश के पूर्व प्रारम्भिक विद्यालय (Preparatory School) मे भेजने की आवश्यकता न रहेगी। किन्तु ऐसा प्रकट नही होता कि गर्ल्स पब्लिक स्कूलों मे इन योजनाओ पर अधिक कार्य किया गया हो। ब्वायज़ स्कूलो की भाँति ही वहाँ भी सीमित क्षेत्र मे ही अल्प काल तक ये योजनाये चल सकी।[1]

प्रबन्ध संस्था सघ (Governing Bodies Association) की भाँति सन् १९४२ मे कन्या विद्यालय प्रबन्ध सस्था सघ (Governing Bodies Association for Girls School Association) की स्थापना हुई। सन् १९४४ ई० मे ८० स्वतत्र तथा ५९ सीधी सहायता प्राप्त (Direct Grant Schools) इसके सदस्य थे।

प्रारम्भिक विद्यालय (Preparatory Schools)

ये स्कूल जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है पब्लिक स्कूलो के लिए छात्रों को तैयार करते थे। विशेषत. ये सन् १९०३ मे सचालित पब्लिक स्कूलो की

१ 'सन् १९४८ की शिक्षा मत्री की वार्षिक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सन् १९४७ मे सब प्रकार के स्कूलो मे जहाँ ३८५२ बालकों को आवासीय सुविधा प्राप्त हुई, वहाँ केवल १३८९ बालिकाये यह सुविधा प्राप्त कर सकी। निश्चित ही इस संख्या का एक भाग ही पब्लिक स्कूलों मे गया होगा।' देखिए Structure of English Education by Roger Armfelt पृ० १६४ Cohen and West Ltd. London.

"कॉमन इन्ट्रेस परीक्षा' (Common Entrance Examination) के लिए छात्र तैयार करते है। इनमे ८ वर्ष की आयु मे बालक भर्ती किए जाते हैं और वे १३ वर्ष तक वहाँ पढते है। एक ओर उनका विचार है कि १२ वर्ष के बालक पब्लिक स्कूलों को कडी मेहनत और प्रतिबन्धों का पालन नही कर सकते और दूसरी ओर वे १४ वर्ष के बाद बालकों को अपने स्कूलों में रखना नही चाहते।

प्रारम्भिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम प्रणाली पर ही निर्धारित होता है क्योंकि उनका उद्देश्य ही पब्लिक स्कूलों के लिए छात्रों को तैयार करना है। फलस्वरूप उनके पाठ्यक्रम मे प्राचीन विद्याये (Classics) जैसे लैटिन और ग्रीक, वर्तमान भाषायें (अंग्रेजी और फ्रेंच तथा अन्य यूरोपीय भाषाये), गणित और विज्ञान सम्मिलित रहते हैं। ये वे विषय हैं जो राज्य के प्राइमरी स्कूलों में नही पढाए जाते। इनमें से अधिकांश स्कूल बडे समृद्ध और गौरवशाली हैं तथा मंत्रालय द्वारा भी उन्हें मान्यता प्राप्त है और उसका मुख्य कारण यही है कि पब्लिक स्कूलों की गौरवशाली परम्परा का प्रभाव उन पर भी पडा है। यहाँ पर यह कहना असंगत न होगा कि यद्यपि पब्लिक स्कूलों मे प्रवेश के लिए इतनी कुशलता और प्रशिक्षण की आवश्यकता नही है जितनी कि इन प्रारम्भिक स्कूलों मे दी जाती है, पर वास्तव मे यहाँ की शिक्षा केवल पाठ्यक्रम के विषयों की शिक्षा मात्र न होकर भावी जीवन की शिक्षा के लिए हर दृष्टि से एक अच्छी तैयारी कही जा सकती है।

पब्लिक स्कूलों की भाँति ही इन प्रारम्भिक स्कूलों (Preparatory Schools) का भी एक व्यावसायिक संघ (Professional Organisation) है। यह आई० ए० पी० एस० अर्थात् "इनकारपोरेटेड एसोसियेशन ऑफ प्रिपेरेटरी स्कूल्स' (Incorporated Association of Preparatory Schools) के नाम से प्रख्यात है।[1] इसकी स्थापना सन् १८९२ ई० मे हुई थी। उस समय इन प्रारम्भिक विद्यालयों के लगभग ५० हेडमास्टर यह निश्चित करने के लिए आपस मे मिले कि उनके बालक जिस क्रिकेट के गेंद का प्रयोग करे उसका आकार और भार क्या हो ? सन् १९२३ ई० मे इसका निगमन (Incorporation) हुआ। इसके दो उद्देश्य हैं--

(१) शैक्षिक अनुभवों का एकत्रीकरण तथा शिक्षा समस्याओ पर विचार विनिमय।

(२) पारस्परिक हितों का पालन और उनकी रक्षा।

४९४ स्कूल इसके सदस्य हैं और इनमे अधिकाश बोर्डिंग स्कूल है। लडकियो के लिए प्रारम्भिक विद्यालयों की सख्या बहुत कम है।

---

१ देखिए *The Public and Preparatory Schools Year Book*, १९६३।

अध्यापकगण | ११

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन काल म मॉनीटरो की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षकगण मॉनीटरों को शिक्षा प्रदान करते थे और प्रशिक्षित मॉनीटर छात्रों को पढ़ाते थे। यह बेल और लैंकेस्टर का युग था और यह प्रणाली कालान्तर मे असफल सिद्ध हुई। के-शटलवर्थ (Kay-Shuttleworth) ने, जो सन् १८३९ मे शिक्षा के लिए नियुक्त की गयी कमेटी ऑफ कौंसिल (Committee of Council on Education) का सेक्रेटरी नियुक्त हुआ, दो प्रमुख परिवर्तन किए : (१) मॉनीटरो के स्थान पर उसने छात्राध्यापको का सुझाव रक्खा, अर्थात् ऐसे लड़के और लड़कियाँ जो पढ़ाई समाप्त कर चुके थे, (२) उसने ट्रेनिंग कालेजो का प्रस्ताव रक्खा जहाँ पर सफल शिष्य वृत्ति (Apprenticeship) समाप्त होने पर १८ वर्ष की आयु मे वे प्रशिक्षित किए जाएँ। सन् १८४० ई० म बैटरसी (Battersea) नामक स्थान मे प्रथम प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। सन् १९०० ई० तक ६१ ऐसे प्रशिक्षण महाविद्यालय इगलैण्ड मे थे जिनमे से ४५ विभिन्न धार्मिक स्वैच्छिक सस्थाओ द्वारा सचालित आवासीय महाविद्यालय (Residential Colleges) थे। सन् १८९० ई० के बाद इस सख्या मे ऐसे दिवसीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (Day Training Colleges) भी सम्मिलित हो गए जो विश्वविद्यालयो अथवा विश्वविद्यालयीय कालेजो से सम्बन्धित थे। इनकी उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण था। अभी तक धार्मिक सस्थाओ द्वारा सचालित महाविद्यालयो मे प्रवेश के पूर्व एक धार्मिक परीक्षा (Religious Test) भी उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। अत ऐसे ट्रेनिंग कालेजो की माँग की गई जो इस धार्मिक परीक्षा से मुक्त हों। इस माँग की पूर्ति यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कालेजो से हुई। सन् १९०२ के शिक्षा अधिनियम ने स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E.As) को ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना का अधिकार दे दिया और उन्होंने इन अवसरों का ऐसे लाभ उठाया कि सन् १९१६ ई० तक ऐसे २० ट्रेनिंग कालेज एल० ई० एज० द्वारा खोल दिए गए। इसके साथ ही बहुत बड़ी सख्या मे खुलने वाले नए माध्यमिक विद्यालयो मे विद्यार्थियो की भरती का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया। आरम्भ मे ऐसे छात्रो को छात्रवृत्ति देने की प्रथा थी जो आगे चल कर शिक्षक बनना चाहते थे। किन्तु ज्यों-ज्यों अन्य छात्रो को भी छात्रवृत्तियाँ मिलने लगी, यह शर्त हटा ली गई। इन नए माध्यमिक स्कूलो के उपयोग का एक दूसरा ढग भी निकाला गया। यहाँ पर सामान्य शिक्षा के लिए छात्राध्यापक भेजे जाने लगे अथवा अनेक छात्राध्यापक केन्द्र जो अभी तक स्वतत्र रूप से चल रहे थे उनसे सम्बद्ध कर दिए गए।

इससे पूरे काल मे और आज भी शिक्षको के प्रशिक्षण मे दो प्रवृत्तियाँ क्रमश: दृढतर होती हुई दिखायी पडती है—

(१) सुयोग्य प्रविधिज्ञ (Technicians) मात्र के स्थान पर शिक्षित और सुसस्कृत व्यक्तियो को उत्पन्न करने का उद्देश्य।

(२) शिक्षक बनने का निर्णय लेने की आयु को धीरे-धीरे बढाते जाना।

प्रारम्भिक काल में स्कूल छोडने के पहले ही मॉनीटरों के रूप मे अध्यापक बनने की दिशा मे पहला कदम उठाते थे। मॉनीटर प्रणाली के समाप्त होने पर छात्राध्यापक प्रणाली प्रचलित हुई। इसके अतर्गत विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर ही शिक्षक बनने की ओर प्रयास होता था। उसके पश्चात् वे अच्छे हेडमास्टरो के पास शिष्यों (Apprentices) के रूप मे कार्य सीखते थे। किन्तु तब भी उनके लिए तब तक शिक्षक बनना अनिवार्य नही था जब तक कि वह १८ वर्ष का आयु मे कालेज मे भर्ती न हो जाएँ। हम यह देख चुके है कि किस प्रकार माध्यमिक स्कूलों मे प्रवेश पाने वाले छात्रो की वृद्धि के कारण जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाना चाहते थे उन्हे पढाई समाप्त होने पर अध्यापक बनने का वचन देना पडता था। किन्तु धीरे-धीरे यह अनिवार्यता समाप्त हो गयी। जब लोगो ने अपनी व्यक्तिगत योग्यता बढाने के लिए विश्वविद्यालयो मे प्रवेश लेना आवश्यक समझा, तो इस स्तर पर उन्हे फिर शिक्षक बनने का वचन देना पडा। आरम्भ मे तो जो विद्यार्थी सरकारी अनुदान का लाभ उठाना चाहते थे उन्हे यह प्रतिज्ञा करनी पडती थी कि जब वे प्रशिक्षित हो जायेंगे तो उन्हे एक निश्चित समय की अवधि तक राज्य द्वारा व्यवस्थित अथवा सहायताप्राप्त स्कूलों मे कार्य करना पडेगा। किन्तु अभी हाल मे यह प्रतिबन्ध भी उठा लिया गया है और अब विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाला कोई भी छात्र तब तक शिक्षक बनने के लिए बाध्य नही किया जा सकता जब तक कि वह एक वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग मे प्रविष्ट न हो जाए।

किस प्रकार धीरे-धीरे व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्थान पर लोग वैयक्तिक शिक्षा को अधिक महत्व देने लगे, इसका बडा ही रोचक वर्णन शिक्षा मंत्रालय ने अपनी पत्रिका 'एजूकेशन १९००–१९५०' (Education १९००–१९५०) में किया है। एक समय था जब ट्रेनिग कालेजों की शासन व्यवस्था बडी कडी थी। इस प्रकार की एक व्यवस्था मे प्रशिक्षण काल ३ मास ही था। किन्तु इन तीन महीनों मे छात्राध्यापक को प्रातःकाल ६–३० से लेकर रात के १० बजे तक लगातार काम करना पडता था। इस समय मे १० बजे से लेकर ४ बजे शाम तक का समय तो अध्यापन मे जाता था और शेष समय मे उन्हें स्वय प्रशिक्षित किया जाता था तथा वे अपनी व्यक्तिगत तैयारी करते थे। सौभाग्य से धीरे-धीरे ट्रेनिंग कालेज के पाठ्यक्रम दो वर्षो के होने लगे। लगभग समस्त पाठ्यक्रम उन्ही विषयों पर आधारित था जो प्रारम्भिक विद्यालयों मे पढाये जाते थे। इसके साथ-साथ फ्रेन्च भाषा और भी पढ़ायी जाती थी। जहाँ तक व्यावसायिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है वह सब पूर्व-नियोजित प्रदर्शन पाठों (Demonstration Lessons) अथवा आदर्श पाठों (Model Lessons) पर निर्भर था। इन पाठों पर शिक्षण विधि प्राध्यापकों (Master of Methods) द्वारा टिप्पणी भी की जाती थी और रचनात्मक सुझाव भी दिए जाते थे। दिवसीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों (Day Training Colleges) द्वारा एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हुई। ये ट्रेनिग कालेज अधिकांश में विश्वविद्यालयो से सम्बन्धित थे, अतः छात्रों को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अतः इन ट्रेनिग कालेजों का कोर्स दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्षों का कर दिया गया। आवासीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों (Residential Training Colleges) ने भी इसका अनुसरण किया, और वे अपने उम्मीदवारों

को लन्दन विश्वविद्यालय की बाहरी डिग्रियों के लिए बिठाने लगे। दूसरी ओर शैक्षणिक अध्ययन के लिए उचित सुविधाये प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्येक विश्व-विद्यालय मे शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। ये शिक्षा विभाग ही दिवसीय (Day) ट्रेनिग कालेजो के उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। इनमे ४ वर्षो का कोर्स रक्खा गया जिनमे अतिम वर्ष ही व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए निश्चित किया गया। शेष तीन वर्ष स्नातक-पाठ्यक्रम (Degree Courses) के लिए रक्खे गए। इन्ही दिनो दो वर्षो वाले ट्रेनिग कालेजो मे शिक्षक की व्यक्तिगत योग्यता पर अधिक बल दिया जाने लगा। उससे आशा की जाती थी कि वह कम से कम विद्यालय मे पढाए जाने वाले एक विषय का पूर्ण विद्वान होगा। साथ ही साथ बालक के प्रति शिक्षक के व्यवहार मे भी अब मानवता का अश बहुत अधिक आ गया और इस दृष्टि मे भी उसको प्रशिक्षा अत्यत आवश्यक समझी जाने लगी।

पूर्ति प्रशिक्षण और मान्यता (Supply Traning and Recogntion

आज का शिक्षा की प्रगति को देखते हुए आने वाले अनेक वर्षो तक शिक्षकों को भरती एक महान् समस्या होगी। युद्ध के पूर्व सहायता प्राप्त स्कूलो मे पूरे समय काम करने वाले अध्यापकों की संख्या २०,००० के लगभग थी। सन् १९४४ के एक्ट के अनुसार यदि सरकारी नीति का पूरी तरह पालन किया जाये तो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से कम से कम ३,००,००० शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस माँग की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओ का पूरा विस्तार आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त प्रकाश डालता है:

'नयी शिक्षा योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए तथा नए स्कूलों मे अध्यापको की नियुक्ति और कक्षाओ के आकार (Size) को कम करने के लिए अतिरिक्त अध्यापको की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त युद्धकाल मे शिक्षकों की जो कमी पडी थी वह अलग पूरी होना आवश्यक है। इस संकट की स्थिति मे स्कूलो मे काम करने वाले २०,००० शिक्षक युद्ध-सेवाओं के लिए भरती कर लिए गए थे। अत स्कूलों में उनकी पूर्ति तो साधारण दृष्टि से भी आवश्यक है। साथ ही युद्ध के समय प्रशिक्षण विभाग मे प्रवेश लेने वाले नवयुवक छात्रों की संख्या मे भी प्रतिवर्ष कमी होती गई। साथ ही जो नवयुवक अध्यापन-प्रशिक्षण प्राप्त भी कर चुके थे, वे भी स्कूलों मे न जाकर सेनाओं मे ही भरती हो गए। विश्व-विद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त कर आने वाले शिक्षकों की भरती भी बद हो गयी। इतना ही नही, युद्ध के आरम्भ से ही शिक्षा विभाग के लिए प्रशिक्षित की जाने वाली अध्यापिकाओं की औसत सख्या भी कम ही रही है। ऐसी दशा मे युद्ध विराम होने पर सन् १९४४ का एक्ट पास होते ही शिक्षको की संख्या मे भारी कमी का अनुभव होना स्वाभाविक था। फिर भी प्रशिक्षित विवाहित स्त्रियों तथा अवकाश प्राप्त शिक्षको की सहायता से इस सक्रमण काल मे किसी प्रकार काम चलता रहा।[1]

प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रकार (Training Institution)

साधारणत इगलैण्ड मे दो प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाये है—

(१) ट्रेनिग कालेज—जो एल० ई० एज अथवा स्वैच्छिक (Voluntary) संस्थाओं द्वारा चलाये गये है।

१ देखिए *Educational System in England and Wales*, पृष्ठ ३७ H. M. S. O. London.

(२) प्रशिक्षण विभाग (Training Department)—जो विश्वविद्यालयो या विश्वविद्यालयोय महाविद्यालयो (University Colleges) के द्वारा उन्ही की इमारतो के अतर्गत स्थापित किये जात है।

१. प्रशिक्षग महाविद्यालय (Training Colleges)

१८ वर्ष या १८ वर्ष से अधिक आयु के नवयुवको के लिए ट्रेनिग कालेजो मे दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकाश प्रशिक्षार्थी ग्रामर स्कूलो मे शिक्षा प्राप्त होते है और उचित परोक्षा उत्तोर्ण हाते है। यह परोक्षा 'जनरल सार्टीफिकेट आॅफ एजूकेशन' (General Certificate of Education) कहलाती है। इनके पाठ्यक्रमो मे दोनो—साहित्यिक (Academic) तथा व्यावसायिक (Professional) विषय सम्मिलित रहते है जिनमे शिक्षण अभ्यास (Practice of Teaching) भी सम्मिलित है। इनमे से सोमित सख्या मे कुछ अच्छे शिक्षक किसो एक विषय मे एक वर्ष को विशेष योग्यता (Specialisation) भी प्राप्त करते है। इस प्रकार उनके लिए यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो जाता है। इसके अतिरिक्त इगलैण्ड मे ग्यारह विशेषज्ञ प्रशिक्षण महाविद्यालय (Specialist Training Colleges) है जिनमे गृह विज्ञान (Domestic Science) के अध्यापको को प्रशिक्षित किया जाता है। मान्यताप्राप्त ८३ प्रशिक्षण महाविद्यालयो मे ५४ स्वेच्छाकृत (Voluntary) सस्थाओ द्वारा चलाये गए है शेष स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियां (Local Education Authorities) द्वारा स्थापित किए गए है। एल० ई० एज० के ट्रेनिग कालेजो का खर्च एल० ई० एज० तथा पब्लिक-फड दोनो मिलकर उठाते है। स्वैच्छिक (Voluntary) ट्रेनिग कालेजो का पूरा भार सार्वजनिक धनराशि (Public funds) पर पडता है यद्यपि इनकी स्थापना गिरजाघरो द्वारा की गयी है। इसके अतिरिक्त कई नारी व्यायाम-प्रशिक्षण महाविद्यालय (Colleges of Physical Education for Women) भी है। आर्ट अध्यापको की ट्रेनिंग के लिए मत्रालय ने बहुत से आर्ट कालेज और स्कूल रक्खे है।

विश्वविद्यालय प्रशिक्षण विभाग (University Training Departments)

ये विभाग तीन वर्ष के डिग्री कोर्स को पूरा करने के उपरान्त नवयुवक स्नातकों को एक वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा देते है। अत इस ट्रेनिग को चार वर्षीय ट्रेनिग कोर्स भी कहते है। इन चारो वर्षो मे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रो को मत्रालय से आर्थिक अनुदान भी मिलता है। इगलैण्ड मे इस प्रकार के २२ ट्रेनिग विभाग है। साथ हो दो स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय (Postgraduate Training Colleges) भी है जो एक वर्ष की ट्रेनिग प्रदान करते है।

युद्धोत्तर संकटकालीन महाविद्यालय (Postwar Emergency Colleges)

शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षको, ट्रेनिग कालेजो और एल० ई० एज० से मिलकर ऐसी योजनाय बनाई है जिसके फलस्वरूप युद्ध समाप्त होते ही अनेक 'स्पेशल एमरजेंसी ट्रेनिग कालेज' खोल दिए जाये। ये ट्रेनिग कालेज युद्ध से लौटे हुए तथा दूसरी राष्ट्रीय सेवाओं से लौटे हुए शिक्षकों और शिक्षिकाओ के लिए होते है। साथ ही उन व्यक्तियो के लिए भी यहाॅ सुविधा दी जाती है जो युद्ध से लौटने पर

अध्यापन-व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं। ये विद्यालय एक वर्ष के लिए गहन-प्रशिक्षण-व्यवस्था (Intensive Training Course) करते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए जो इसके साथ ही किसी एक विषय में विशेष-दक्षता (Specialisation) प्राप्त करना चाहते हैं यह कोर्स एक या दो सत्र (term) और बढ़ा दिया जाता है। इस कोर्स के बाद शिक्षक के लिए दो वर्ष का परख या जाँच (Probationary) का समय होता है जो कि 'निरीक्षित अध्ययन काल' (Supervised Period of Study) में गिना जाता है।

इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापक भी पूर्णतया प्रशिक्षित माने गए हैं। इस समय यह आशा की जाती थी कि युद्ध के उपरान्त शिक्षकों की जो एक असाधारण माँग होगी उसे पूरा करने में यह योजना बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही युद्ध काल में शिक्षकों की भरती में जो कमी अनुभव की जाने लगी थी वह भी पूरी हो जाएगी।

ये 'एमरजेंसी कालेज' एल० ई० एज० द्वारा चलाए गए; पर इनका पूरा व्यय सरकारी कोष से पूरा किया गया। इन कालेजों का अध्यापक वर्ग भी सभी प्रकार के स्कूलों और कालेजों के अनुभवी अध्यापकों में से ही नियुक्त किया गया जिनमें वे शिक्षक भी सम्मिलित थे जो युद्ध काल में अपना व्यवसाय छोड़कर युद्ध में चले गए थे।

अल्पकालीन पाठ्यक्रम (Short Courses)

शिक्षा मंत्रालय, एल० ई० एज०, विश्वविद्यालय, तथा अन्य संस्थाओं ने अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की है, जिनमें सभी प्रकार के स्कूलों के शिक्षक सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित अध्यापकों को समय-समय पर शिक्षा की नवीनतम गतिविधियों से परिचित कराना है।

मैकनेयर कमेटी रिपोर्ट (Mc Nair Committee Report)

सन् १९४४ से एक वर्ष पूर्व शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार और उन्नति के लिए सर आर्नल्ड मैकनेयर (Sir Arnold Mc Nair) की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठलाई गई। सन् १९४४ ई० में इस कमेटी ने 'टीचर्स एण्ड यूथ लीडर्स' (Teachers and Youth Leaders) के नाम से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। प्रशिक्षण के क्षेत्र में इस रिपोर्ट का बहुत महत्व है। इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(१) सरकार द्वारा व्यवस्थित स्कूलों में कार्य करने वाले सभी अध्यापक प्रशिक्षित होने चाहिए।

(२) अध्यापकों की सेवा की दशाओं तथा उनके सामाजिक स्तर को उन्नत बनाना चाहिए।

(६) विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयो मे पारस्परिक और भी निकट सम्बन्ध होना चाहिए। साथ ही उनका सम्बन्ध विश्वविद्यालयो से भी घनिष्ठ होना चाहिए।

(७) ट्रेनिंग कोर्स का समय दो के स्थान पर तीन कर दिया जाना चाहिए।

इनमे से अन्तिम सिफारिश कार्यान्वित नही हो सकी।

मान्यता (Recognition)

सन् १९४४ के पूर्व शिक्षकों की मान्यता के सम्बन्ध मे दूसरे प्रश्नो की ही भाँति एलीमेन्ट्री और ग्रामर स्कूलो के व्यवहार मे बडा अतर रहा है और १ अप्रैल १९४५ के प्रबन्ध के पहले को इस दशा का कुछ वर्णन आवश्यक है। इस तिथि के पहले केवल पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूलों, नर्सरी तथा स्पेशल स्कूलो मे पढाने वाले शिक्षको को ही व्यक्तिगत रूप से मान्यता की आवश्यकता पडती थी। यह मान्यता केन्द्रीय विभाग द्वारा प्रदान की जाती था। 'सर्टिफिकेटेड टीचर' की मान्यता प्राप्त करने के लिए साधारणतया व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स पूरा करना पडता था। एलीमेन्ट्री स्कूलो के अधिकाश शिक्षक 'सर्टिफिकेटेड' (Certificated) होते थे। किन्तु इन स्कूलो मे कार्य करने वाले शिक्षकों मे एक सीमित सख्या मे ऐसे शिक्षक भी होते थे जिनके पास 'स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा' (School Certificate Examination) की योग्यता तो होती थी किन्तु जो आवश्यक ट्रेनिंग प्राप्त न होते थे। ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण-रहित (Uncertificated) कहलाते थे। इतना ही नही एक सीमित किन्तु घटती हुई संख्या मे ऐसे पूरक शिक्षक (Supplementary Teachers) भी है जिनके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण की योग्यता भी नही है, पर फिर भी प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव मे वे गाँवो के स्कूलो मे बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिए जाते है।

ग्रामर स्कलों के शिक्षक केन्द्रीय विभाग (Central Department) से अलग-अलग अपनी योग्यता के अनुसार मान्यता प्राप्त (Recognised) नही होते थे। उनमे लगभग ८०% स्नातक होते है और इनमे से अधिकाश प्रशिक्षित भी होते है। टेकनिकल और व्यापारिक (Commercial) स्कूलों मे भी व्यक्तिगत मान्यता (Individual Recognition) का प्रश्न नही उठता और इनमे से बहुत कम ऐसे होते है जिन्होंने शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

आज की स्थिति (Position Today)

इगलैण्ड और वेल्स मे अनुदान प्राप्त स्कलों मे कार्य करने वाले शिक्षको की संख्या ३,०४,००० है। अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों को छोड कर, सभी दशाओं मे इन स्कूलो के अध्यापकों का पद एक अर्हता-प्राप्त (Qualifiलकर शिक्षक का होता है। किन्तु इस पद को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखि एमर-एक दशा का पूरा करना अनिवार्य है--

(१) इंगलैण्ड के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री का होना या उसके समकक्ष अन्य किसी योग्यता का होना।

या (२) सरकारी स्वीकृति-प्राप्त किसी प्रारम्भिक प्रशिक्षण के कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना।

जिन सस्थाओं मे ऐसे कोर्सो की व्यवस्था है, वे दो प्रकार की हैं:

(१) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। ये विभाग विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक वर्ष की व्यावसायिक प्रशिक्षा प्रदान करते हैं जिसके फलस्वरूप शिक्षा मे यूनिवर्सिटी डिप्लोमा (University Diploma in Education) प्रदान किया जाता है। ऐसे २४ विभाग सारे देश मे कार्य कर रहे हैं और इनमे ३,६०० स्त्री और पुरुष छात्राध्यापक प्रति वर्ष शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(२) ऐसे ट्रेनिंग कालेज हैं जो तीन वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। किन्तु यह प्रशिक्षण ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाता है जो ग्रामर स्कूलों की अंतिम परीक्षा 'जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन' (General Certificate of Education) मे सामान्य ढंग से कम से कम पाँच विषयों मे उत्तीर्ण रहते हैं। किसी भी स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी क्षेत्र (Local Education Authority Area) मे स्थित सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थानीय विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अवश्य रहते हैं, जो उनके पाठ्यक्रमों को स्वीकृत करता है, छात्राध्यापकों की परीक्षा लेता रहता है, और उसमे जो सफल होते हैं, उन्हें 'योग्यता प्राप्त शिक्षक' (Qualified Teacher) का पद दिलाने के लिए अपनी संस्तुति शिक्षा मंत्री के पास भी भेजा करता है। सन् १९६०–६१ में इन ट्रेनिंग कालेजों मे पढने वाले विद्यार्थियो की सख्या ३३,७०० थी जिनमे तीन चौथाई महिलाये थी। छात्राध्यापको की एक बहुत बडी सख्या देश भर मे फैले हुए ११८ सामान्य ट्रेनिंग कालेजों मे शिक्षा प्राप्त कर रही है। इनके अतिरिक्त १५ गृह शिल्प (Housecraft) तथा ७ नारी-व्यायाम-शिक्षा महाविद्यालय (Physical Education Colleges for Women) हैं। इनमे क्रमशः २,३०० तथा १,२०० छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीन शिल्प प्रशिक्षण महाविद्यालय (Technical Training Schools) हैं जिनमे ५०० पुरुष और १०० महिलाये शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अधिकाश प्रशिक्षण महाविद्यालय आवासीय (Residential) प्रकार के हैं किन्तु उनमे कभी-कभी केवल दैनिक शिक्षा प्राप्त कर घर मे रहने वाले (Day scholars) छात्र भी प्रविष्ट हो जाते हैं। सन् १९६० ई० के मध्य तक शिक्षकों के लिए २४,००० अतिरिक्त स्थान भी बन जायेगे। कुछ ट्रेनिंग कालेज आज भी केवल दिवसीय प्रकार के हैं। इनमे से आधे से अधिक ट्रेनिंग कालेज एल० ई० एज० द्वारा संचालित किए जाते हैं, शेष आधे स्वेच्छाकृत अर्थात् प्रमुखतः धार्मिक सस्थाओं द्वारा चलाए गए हैं। इन सस्थाओं को भी धार्मिक सरकारी अनुदान प्राप्त होता है।

अर्हताप्राप्त (Qualified) शिक्षकों के लिए अग्रिम प्रशिक्षण (Further Training) की भी एक छोटी सी योजना है। सेवा कार्य मे लगे हुए तथा नए अर्हताप्राप्त लगभग २,०६० शिक्षक आजकल एक वर्ष का पूरक पाठ्यक्रम (Supplementary Course) पढ रहे हैं। यह कोर्स मुख्यतया विशेष विषयों मे होता है और इसकी व्यवस्था भी अधिकांश ट्रेनिंग कालेजो मे ही ही होती है। इसके अतिरिक्त लगभग ३०० अनुभवी शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों मे एक वर्ष उच्च

पाठ्यक्रम का भी अनुसरण करते है। जैसे—पिछडे हुए बालको का पढाना। यह कार्य विश्वविद्यालयो के शिक्षाविभागो तथा उनके अन्तर्गत काम करने वाली 'इस्टीटयूट्स ऑफ एजूकेशन' मे होता है। ऐसे पाठ्यक्रमो का आयोजन शिक्षको को उत्तरदायित्वपूर्ण पदो के योग्य बनाने के लिए होता है। ये पद स्कूलो मे, ट्रेनिग कालेजो मे अथवा प्रशासन मे कही भी हो सकते है। इसके अतिरिक्त बहुत से विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के उच्च पाठ्यक्रमो की व्यवस्था भी करते है जिन्हे पूरा करने पर डिप्लोमा अथवा ऊँची डिग्रियाँ प्रदान की जाती है।[1]

वेतन (Salaries)—इगलैण्ड और वेल्स मे सरकारी पूँजी से व्यवस्थित स्कूलो तथा अन्य सस्थाओ मे कार्य करने वाले शिक्षको के लिए राष्ट्रीय वेतनक्रमो की व्यवस्था है। ये वेतनक्रम स्वतत्र विद्यालयों(Independent Schools) मे कार्य करने वाले अध्यापको के वेतनो पर भी प्रभाव डालते है। ये वेतनक्रम एक सयुक्त समिति द्वारा निश्चित किए जाते है। इस समिति मे एल० ई० एज० तथा शिक्षक सघ दोनो के समान प्रतिनिधि होते है। सर्व प्रथम यह वेतन समिति सन् १९१९ मे लार्ड बर्नहम के सभापतित्व मे स्थापित की गयी थी और यद्यपि आजकल उसके चेयरमैन लार्ड सॉलबरी (Lord Saulbury) है, इस समिति द्वारा निश्चित वेतनक्रम बर्नहम वेतनक्रम (Burnham Scales) कहलाते है।

समिति द्वारा अनुमोदित इन वेतनक्रमो के लिए शिक्षा मत्री की स्वीकृति आवश्यक होती है क्योकि ग्रान्ट के सम्बन्ध मे इसका प्रभाव उसके विभाग पर भी पडता है। किन्तु वह इन वेतनक्रमो का या तो स्वीकार कर सकता है, अथवा उन्हे अस्वीकृत कर सकता है। उनमे सुधार या परिवर्तन करने का अधिकार उसे नही है। शिक्षा मत्री की स्वीकृति के पश्चात् ये वेतनक्रम शिक्षको को नियुक्त करने वाली समितियो के लिए चाहे वे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी(L A. E.)हो अथवा अन्य स्वेच्छाकृत सस्थाये (Voluntary Bodies) अनिवार्य हो जाते है। शिक्षको का वेतन इसी के आधार पर दिया जाता है। पिछले शिक्षा अधिनियमो के अतर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार न था। एल० ई० एज० द्वारा व्यवस्थित स्कूलो मे काम करने वाले प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त (Qualified) सहायक अध्यापकों का वेतनक्रम ३०० पौ०—१५ पौड—५२५ पौड तथा २७० पौड—१२ पौ०—४२० पौ० वार्षिक स्त्रियो के लिए था। किन्तु १ अक्टूबर सन् १९५९ ई० से लागू किए हुए नए वेतन क्रम के अनुसार प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलो मे काम करने वाले एक अर्हता-प्राप्त अध्यापक का वेतन पुरुषो के लिए ५२० पौ० वार्षिक है। इसमे ४० पौड प्रति वर्ष की वृद्धि है और यह १००० पौ० वार्षिक तक जाती है। फिर भी रहन-सहन के स्तर के साथ-साथ इनमे परिवर्तन होता रहता है। अगस्त सन् १९६१ ई० मे केन्द्रीय मत्रालय तथा बर्नहम कमेटी के वर्तमान सदस्यों के मध्य सशोधित वेतनक्रम की बातचीत फिर चलाई गयी जिसके स्वीकृत हो जाने पर शिक्षको के लिए और भी अधिक वेतन की सभावना है।

लन्दन क्षेत्र मे कार्य करने वाले तथा दो वर्ष से अधिक ट्रेनिग प्राप्त कर विश्वविद्यालय से स्नातक-डिग्री प्राप्त शिक्षको के लिए कुछ और अतिरिक्त रकम भी देते हैं। विशेष उत्तरदायित्व वाले पदों पर कार्य करने वाले [illegible] माध्य-

[1] देखिए *Commonwealth Education* पृष्ठ २६ २७ B.O.I.S. London.

मिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था है। इसके अनुसार पुरुषों को ५० पौंड से लेकर १०० पौंड तक और स्त्रियों को ४० पौंड से लेकर ८० पौंड तक भत्ता दिया जाता है। छोटे से छोटे हेडमास्टर का वेतन ५७० पौंड वार्षिक है। प्रधानाध्यापिकाओं का वेतन अधिकतम ४६० पौण्ड है। जिन स्कूलों में ५०० से अधिक छात्र पढते हैं वहाँ पुरुषों के लिए ७५० पौण्ड वार्षिक और स्त्रियों के लिए ६७० पौण्ड वार्षिक वेतन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त १५ वर्ष की आयु से अधिक वाले प्रत्येक ३० छात्रों के ऊपर शिक्षकों को ५० पौण्ड तथा शिक्षिकाओं को ४० पौण्ड वार्षिक और भी दिया जाता है। किन्तु ये सब आँकड़े अब पुराने पड चुके हैं। आशा है कि सन् १९६१ के नए वेतनक्रमों के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन होगा। यहाँ पर एक बात और भी उल्लेखनीय है। अभी तक इगलैण्ड मे पुरुषों और स्त्रियों के वेतनक्रमों मे अंतर स्पष्ट दिखाई पडता है और यह इगलैण्ड के जनसमाज मे बडी आलोचना का विषय रहा है। फलस्वरूप मई सन् १९५५ से लेकर मई सन् १९६१ तक के मध्य स्त्रियों को विशेष वार्षिक वृद्धि देकर उनके वेतन को अब पुरुषों के समान ही कर दिया गया है।[१]

सेवानिवृत्ति (Superannuation)

मंत्रालय द्वारा एक सेवा निवृत्ति (Pension) प्रणाली भी चलाई गयी है। शिक्षकों के वेतन तथा उनके सम्पूर्ण सेवा काल (Years of service) के आधार पर ६० या उससे अधिक आयु मे अवकाश प्राप्त अध्यापकों के लिए पेंशन तथा विश्रामानुदान (gratuity) दोनों की व्यवस्था है। स्थायी रूप मे काम करने वाले शिक्षकों के लिए पेंशन और विश्रामानदान (Gratuity) की व्यवस्था उस दशा मे भी है यदि वे ६५ वर्ष से पहले किन्ही कारणों से असमर्थ (Incapicitated) हो जाते हैं। साथ ही जो शिक्षक अध्यापन-काल में मर जाते हैं, उनको मृत्यु विश्रामानुदान (Death gratuities) प्रदान की जाती है। शिक्षक के वेतन से ५% तथा अधिकारियों की ओर से ५% इसमे जमा होता रहता है। यदि इन पर लाभ नहीं होता तो अध्यापकों का भाग लौटा दिया जाता है। यह राशि प्रोविडेंट फंड के रूप मे इकट्ठी नही होती वरन् सीधे राज्यकोष (Exchequer) मे भेज दी जाती है और यही से पेंशन तथा विश्रामानुदानों (Gratuities) का भुगतान होता है। इन चन्दों और लाभों का हिसाब बिल्कुल अलग रहता है और इसकी जाँच-पड़ताल प्रत्येक सातवे वर्ष होती रहती है।

पूरक शिक्षक (Supplementary Teachers), युवक संघ, तथा सामुदायिक केन्द्रों मे काम करने वाले सदस्यों के लिए भी इस योजना के लाभ की व्यवस्था की गयी है।

---

१ देखिए '*Education in Britain*'—Revised Number 1960 पृष्ठ २९— B.I.S. London.

१२ | अन्य सेवायें

पिछले अध्यायो मे हम इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली के तीन विभिन्न स्तरो का क्रमश: वर्णन कर चुके है। किन्तु शिक्षा से सम्बन्धित कुछ अन्य सेवायें भी हैं जिनका शिक्षा के किसी विशेष स्तर से सम्बन्ध नहा है, बल्कि जो तीनो से सम्बन्धित हैं। इनमें से एक प्रमुख सेवा स्वास्थ्य और कल्याण सेवा है और दूसरी विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियो की व्यवस्था ताकि शिक्षा के किसी भी स्तर पर बालक और बालिकाये उत्तम शिक्षा से केवल इसलिए वञ्चित न रह सके क्योकि उनके माता-पिता आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नही हैं। यहाँ हम इन्हो का अध्ययन करेगे।

स्वास्थ्य निरीक्षण और चिकित्सा

१९४४ ई० के पूर्व—विद्यालय स्वास्थ्य-सेवा का आरम्भ १९वी शताब्दी के अतिम वर्षो मे हुआ था। सन् १८९० ई० मे लन्दन स्कूल बोर्ड ने अपने पहले स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की। सन् १८९३ ई० मे ब्रैड फोर्ड स्कूल बोर्ड ने भी उसका अनुकरण किया और उसके बाद विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा के क्षेत्र मे वह सदा अग्रगामी रहा। प्रथम महायुद्ध के समान ही बोर-युद्ध मे भाग लेने के लिए भरती होने वाले नवयुवको के शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर इतना नीचा था कि जनता अत्यन्त चिंतित हुई। फलस्वरूप सन् १९०४ ई० मे इस दिशा मे जाँच पडताल करने के लिए एक अन्तर्विभागीय-समिति की स्थापना की गई। इसके लिए मार्ग खोलने की दृष्टि से शिक्षा परिषद् (Board of Education) के सभापति ने एक और समिति की स्थापना की जिसका काम यह पता लगाना था कि किस प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच अभी तक की जा रही है। इससे ज्ञात हुआ कि उस समय तक ८५ स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E As) ने स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति कर ली है और इनमे से ४८ L.E.As ऐसे हैं जिनमे निरीक्षण का कार्य हो रहा है। इन विकास-सम्बन्धी योजनाओं को पुष्ट करने का कार्य शिक्षा (प्रशासनिक व्यवस्थाये) अधिनियम सन् १९०७ ई० ने किया। तब से प्रत्येक एल० ई० ए० (L.E.A.) को यह कर्त्तव्य सौंप दिया गया कि वह पब्लिक एलीमेंट्री स्कूलों मे पढ़ने वाले सभी छात्रो को स्वास्थ्य-परीक्षा का प्रबन्ध करे और उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास के लिए उचित चिकित्सा का भी प्रबन्ध करे। इसके फलस्वरूप शिक्षा-परिषद ने स्वास्थ्य और चिकित्सा-विभाग की स्थापना की और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) को उसका प्रधान बनाया।

सनियमित जाँचों के फलस्वरूप बालकों मे अनेक बीमारियों और शारीरिक दोषों का पता चला जिसमे आँखो से कम दिखाई पडना, दाँतो की बीमारी, उभरे हुए टॉसिल तथा गदगी से सम्बन्धित बीमारियाँ विशेष थी। अत: एल० ई० ए० ने इन बीमारियो की चिकित्सा का प्रबन्ध आरम्भ किया और फलस्वरूप चिकित्सा और

स्वास्थ्य सेवाओं का शीघ्र प्रसार होने लगा। सन् १९१३ ई० मे इसे सरकारी सहायता प्राप्त होने लगी। इस प्रकार जब कि सन् १९०८ मे केवल ५५ स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E As.) ने छात्र-चिकित्सा का प्रबन्ध किया था, दस वर्षो के उपरान्त सन् १९१८ ई० मे २८७ स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L.E.As.) अपने छात्रों की चिकत्सा के प्रबन्ध मे सलग्न थे। यह सख्या कुल एल० ई० एज़० की ९०% थी। दो महायुद्धो के बीच इस सेवा को और भी सुदृढ बनाया गया जिससे कि सन् १९२९ ई० तक प्रत्येक एल० ई० ए० का एक चिकित्सालय था जो छात्रो की सेवा के लिए ही खोला गया था।

विद्यालय-स्वास्थ्य सेवा और सन् १९४४ का शिक्षा अधिनियम

लगभग पिछले ६० वर्षो से इस सिद्धान्त की मान्यता स्वीकार की गई है कि छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना राज्य का एक विशेष उत्तरदायित्व है तथा इसकी पूर्ति शिक्षा-प्रणाली द्वारा ही सभव है। फिर भी सन् १९४४ के एक्ट ने दूसरे छात्रों के समान ही इस क्षेत्र मे भी पर्याप्त परिवर्तन कर दिए है और आज विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा राष्ट्रीय-स्वास्थ्य-सेवा का एक स्वतत्र अग मान ली गई है।

स्वास्थ्य-मत्री ने इस सेवा सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षा मत्री को सौप दिया है और यह कार्य अब एल० ई० एज़० द्वारा अपने चिकित्सा तथा नर्सिग कर्मचारियों की सहायता से सम्पन्न कराया जा रहा है। इसके अतर्गत प्रत्येक विद्यालय का नियमित निरीक्षण तथा कुछ विशेष बीमारियो के लिए चिकित्सा की व्यवस्था है। इस एक्ट के पूर्व एल० ई० एज० का कार्य केवल सार्वजनिक प्रारम्भिक पाठशालाओं (Public Elementary Schools) तथा कुछ विशेष प्रकार के माध्यमिक विद्यालयो के छात्रो का निरीक्षण तथा एलीमेन्ट्री स्कूलो के छात्रों की कुछ रोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना था। माध्यमिक स्कूलो को यह चाहते तो छोड सकते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है आँखो, कानो और दाँतो की सामान्य बीमारियों की चिकित्सा का प्रबन्ध तो पहले से हो ही चुका था किन्तु अब अधिकांश एल० ई० एज० ने लगडे लूले, हृदय की बीमारी, गठिया तथा मानसिक असतुलन के शिकार छात्रों की चिकित्सा की व्यवस्था की है।

नये अधिनियम के अनुसार एल० ई० एज० द्वारा स्थापित और प्रबन्धित सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों मे पढने वाले छात्र तथा काउटी कालेजों मे पढ़ने वाले नवयुवक इस सेवा से लाभ उठाने के अधिकारी है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र मे यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योकि इसके पूर्व किशोरों और युवको को इस सेवा के लाभ से वञ्चित रहना पडता था।

एक व्यापक राष्ट्र-स्वास्थ्य-सेवा की स्थापना से यह निश्चित हो जायगा कि बालक की किसी भी प्रकार की बीमारी की चिकित्सा की ओर राष्ट्र का ध्यान है और इस सेवा के अतर्गत उसका पूरा उपचार भी किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय-सेवा की स्थापना के पश्चात् शिक्षा-प्राधिकारियों (L.E.As) को छात्रों की सामान्य चिकित्सा का प्रबन्ध न करना पडेगा और उनका मुख्य कर्त्तव्य बालकों की नियमित स्वास्थ्य परीक्षा तक ही सीमित रहेगा। साथ ही उनका यह भी कर्त्तव्य होगा कि वे छात्रों और उनके अभिभावकों को उचित परामर्श और प्रोत्साहन देकर स्वास्थ्य-सम्बन्धी नवीन साधनो से लाभ उठाने के लिए कहे किन्तु जब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अपने पूर्ण रूप मे व्यापक नही हो गई और उसका कार्य सुचारु रूप से नही

चलने लगा तब तक एल० ई० एज० को न केवल अपने वर्तमान उत्तरदायित्वों का पालन करना पडेगा, वरन् चिकित्सा के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाओ, (जो १९४४ के एक्ट द्वारा अभी तक नही बाँधी गई) का भी प्रबन्ध करना पडेगा। सन १९४४ के एक्ट के अतर्गत प्रत्येक स्थानीय शिक्षा-प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य हो गया है कि वह प्रबन्धित स्कूलों मे पढने वाले प्रत्येक बालक और नवयुवक की स्वास्थ्य परीक्षा की निश्चित और नियमित व्यवस्था करे और जहाँ आवश्यक हो उनके लिए चिकित्सा की भी पूर्ण सुविधा दे। इस चिकित्सा के लिए किसी भी बालक अथवा युवक को कोई फीस नही देनी पडेगी।

घरों पर बालको की चिकित्सा (Domiciliary Treatment) स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो के क्षेत्र के बाहर की वस्तु है और सन् १९०७ ई० से इसी रूप म चली आ रही है। किन्तु राष्ट्रीय-स्वास्थ्य सेवा के अतर्गत उसके लिए अलग विभाग की स्थापना की जाएगी और तब यह सेवा भी छात्रों के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

दूध और भोजन सम्बन्धी व्यवस्था

दूध—सन् १९३४ ई० के अक्टूबर मास मे चलायी हुई योजना के अनुसार अनुदान-प्राप्त सस्थाओ के छात्र घटे हुए मूल्यों पर ½ पेंस मे ⅓ पाइंट दूध खरीद सकते थे। अक्टूबर १९३८ ई० मे पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूलो मे पढने वाले छात्रो का ५३% इस योजना से लाभ उठा रहा था।

सन् १९४१ के अक्टूबर मे जब दूध की पूर्ति पर नियन्त्रण लग गया, विद्यालय-योजनाओ के अतर्गत होने वाले प्रबन्धो मे दूध को प्रमुखता दी जाने लगी जिससे इस आपत्ति काल मे भी विद्यालय मे पढने वाले छात्रो के लिए नियमित रूप से दूध का प्रबन्ध हो सके। सन् १९४४ ई० मे इगलैण्ड और वेल्स के स्कूलों मे दूध पीने वाले छात्रो की संख्या ३८,००,००० थी जिनमे प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों मे पढने वाले छात्रो मे तीन लाख छात्र निर्मूल्य दूध पीते थे। यह सख्या एलीमेंट्री स्कूलो मे पढने वाले छात्रो की ७६% तथा माध्यमिक स्कूलो मे पढने वाले बालकों की ६०% थी।

यहाँ हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व यह प्रबन्ध स्थानीय-शिक्षा प्राधिकारियो के अधिकारो के अंतर्गत आता था किन्तु अब शिक्षा मत्री द्वारा बनाये हुए नियमो के अतर्गत यह प्रबन्ध कर्त्तव्यो के अतर्गत आता है। इस बात का पूर्ण प्रबन्ध किया जा रहा है कि सारे देश के बालकों को बिना किसी व्यय के दूध पीने की सुविधा प्राप्त हो।

भोजन—सन् १९०६ से ही स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L.E.A.s.) पब्लिक एलीमेंट्री स्कूलों मे पढने वाले उन छात्रो के लिए भोजन और दूध का प्रबन्ध करते रहे है जो इसके अभाव के कारण शिक्षा का पूरा-पूरा लाभ उठाने से वञ्चित रह जाते है। युद्ध के पूर्व विद्यालय मे भोजन की व्यवस्था केवल उन बालकों के लिए की जाती थी जिनके माता-पिताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, या जिनके माता-पिता इस बात की इच्छा प्रकट करते थे। साथ ही ऐसे बालक जिनके घर विद्यालय से इतने दूर थे कि दोपहर के खाने की छुट्टी मे वे वहाँ पहुँच न सकते थे, वहाँ भोजन करते थे। युद्ध के उपरान्त विद्यालय भोजन सेवा (School Meal

Service) का वहुत अधिक विस्तार हुआ है। इसका प्रमुख कारण यही था कि राशनिग के जमाने मे भी देश के इन तरुण नौजवानों का स्वास्थ्य किसी भी दशा मे गिरने न पाए। यह समस्या और भी अधिक गम्भीर वन गई थी क्योंकि युद्ध काल मे विवाहित स्त्रियो का एक बहुत वडा भाग घर की देख-रेख के स्थान पर युद्ध कार्य मे रत था।

सरकार के द्वारा पारिवारिक सुविधाओ की योजना के अतर्गत भोजन और दूध की व्यवस्था सरकारी नीति का एक अनिवार्य अंग बन गई है। प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलो मे पढ़ने वाले सभी ऐसे बालको के लिए जिनके अभिभावक चाहते थे, एल० ई० एज० को दूध और भोजन का प्रबन्ध करना पडता था। किन्तु सन् १९४४ के एक्ट के अतर्गत एल० ई० एज० का यह कर्त्तव्य हो गया है कि वे सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलो मे पढने वाले छात्रो के लिए यह प्रबन्ध करे। जब तक कि भोजन सम्बन्धी यह सुविधा पूर्ण नही हो गयी और पारिवारिक भत्तों (Allowances) की स्कीम पूरी तरह चालू नही हो गई, जो अभिभावक आर्थिक दृष्टि से इस प्रवन्ध का व्यय वहन कर सकते है उन्हे केवल भोजन का मूल्य मात्र देना पडेगा। यह राशि बहुत ही कम होगी और प्रत्येक बालक पर होने वाले भोजन सम्बन्धी व्यय से कही कम होगी। साधारणत: इसकी दर ५ पेंस प्रति एक समय का भोजन थी।

युद्धकाल मे अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी इस दिशा मे बडी प्रगति हुई है। सन् १९४५ के आरम्भ में एलीमेंट्री, माध्यमिक तथा जूनियर टेकनिकल स्कूलो मे पढने वाले इगलैण्ड और वेल्स के कुल छात्रो की सख्या १६,५०,००० थी। इनमे १,८५,००० बालक मुफ्त भोजन कर रहे थे। मई सन् १९४३ ई० से सरकार द्वारा बिना स्थानीय कोष पर प्रभाव डाले हुए आवास तथा सज्जा का प्रबन्ध किया गया है। सारे देश मे छोटे से लेकर बडे विद्यालय तक के छात्रो के लिए नि:शुल्क प्रबन्ध करने मे सरकार वडी तत्परता से सलग्न है।

दूध और भोजन की इस व्यवस्था के अनेक उद्देश्य है। इनमे प्रमुख उद्देश्य देश के बालकों के लिए विद्यालय के अन्दर एक स्वस्थ और सतुलित भोजन का प्रबन्ध करना भी है। इतना ही नही इस प्रबन्ध द्वारा शिक्षा के अन्य उद्देश्यो की भी पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए यह सत्य है कि खाने-पीने की आदतो मे हम बडे रूढिवादी है; जिसके कारण केवल घर के भोजन का अभ्यस्त बालक एक बहुत सीमित स्वाद का आदी होता है। युद्ध की परिस्थितियों ने इगलैण्ड के निवासियो को यह सिखा दिया है कि अनेक ऐसे अवसर भी आते है जब हमे इन सीमाओ का विस्तार आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसरों के लिए तैयारी का इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता है कि बालक और बालिकाये विद्यालयों मे बनने वाले हर प्रकार का भोजन करने के अभ्यस्त हों और उन्हे वनाने की रीतियाँ भी जाने। इसके अतिरिक्त दोपहर का यह भोजन एक सामाजिक और भौतिक उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। इसके द्वारा समस्त विद्यालय को एक सामूहिक भोजन का अवसर मिलता है। यह एक सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति है जो अपने सदस्यों पर अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव डाल सकती है। फलस्वरूप एक अच्छे स्कूल में यह व्यवस्था शिष्टता, स्वच्छता और सामाजिक व्यवहार का एक प्रशिक्षण भी है जिससे उत्तम नागरिकता की भावना उत्पन्न होती है।

विशेष विद्यालय और विशेष शैक्षिक उपचार

सन् १९४४ के एक्ट की आठवी धारा के दूसरे अनुच्छेद के तीसरे भाग के अतर्गत स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (एल० ई० ए०) का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता के शिकार बालको के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करे। यह शिक्षा चाहे विशेष विद्यालयो मे प्रदान की जाए चाहे साधारण विद्यालयों मे। विशेष शैक्षिक उपचार से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो शारीरिक और मानसिक बीमारियो के रोगी बालको को ऐसी पद्धतियो द्वारा शिक्षित करे जो उसको विशेष परिस्थितियो के लिए सबसे अनुकूल कही जा सकती है। आर्मफेल्ट के शब्दो मे—

'The special educational treatment is defined as 'education by special methods appropriate for persons suffering from that disability.'

सन् १९२१ के एक्ट के अतर्गत अवरोधित (handicapped) बालको की पाँच श्रेणियो का उल्लेख है—(देखिए धाराये ५१ व ५२) अन्धे, बहरे, शारीरिक दोष, मानसिक दोष तथा मिरगोग्रस्त बालक (देखिए धाराये ५३ और ५४)। सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम के अतर्गत ११ ऐसी श्रेणियो का उल्लेख है। ये इस प्रकार है—

अधे, धुँधला देखने वाले, बहरे, कम सुनने वाले, अत्यत सुकुमार, मधुमेह (Diabetic) से पीडित, शिक्षित अधसामान्य (Subnormal), मिरगोग्रस्त, कुसमायोजित (Maladjusted) शारीरिक अवरोधो के शिकार तथा वाणी-दोष के रोगी बालक।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

सन् १९४४ ई० के पूर्व—प्रत्येक प्रकार के शारीरिक या मानसिक दोष की उत्पत्ति का अपना अलग इतिहास है जिसका सम्बन्ध कही-कही पर तो १८वी शताब्दी मे है। किन्तु राज्य की ओर से इसमे १९वी शताब्दी के अंतिम वर्षों से पहले कोई कदम नही उठाया गया। सन् १८९३ ई० मे पारित शिक्षा (अधे और बहरे) अधिनियम ने विद्यालय अधिकारियो पर यह भार लाद दिया कि वे अधे और बहरे बालको की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलो की व्यवस्था करे। अधे और बहरे बालको के लिए अनिवार्य विद्यालय आयु ५ वर्ष से १६ वर्ष हो गयी और अन्य दोषग्रस्त बालको के लिए सात वर्ष से १६ वर्ष तक। प्रारम्भिक शिक्षा (दोष पूर्ण और मिरगीग्रस्त बालक) अधिनियम सन् १८९९ ई० मे पास हुआ जिससे अधिकारियो को इन रोगो से छात्रो की देखभाल करने का आदेश हुआ। सन् १९१८ ई० के आते-आते उनके यह अधिकार कर्त्तव्यो मे परिणत हो गए। सन् १९०२ के एक्ट मे उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे भी विद्यालय अधिकारियो को वही अधिकार दिए गए।

सन् १९४४ का शिक्षा अधिनियम—जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है पिछले शिक्षा-अधिनियमों के द्वारा एल० ई० एज० को यह भार सौपा गया था कि वे अधे, बहरे, शारीरिक विकृति वाले. मानसिक दोष वाले तथा मिरगीग्रस्त बालको के विशेष स्कूलों में उनके अनुकूल और हितकर शिक्षा का प्रबन्ध करे। अंधे और बहरे बालकों के लिए अनिवार्य विद्यालय आयु ५ से १६ वर्ष तथा अन्य दोषग्रस्त बालकों के लिए ७ से १६ वर्ष आयु निर्धारित की गई। इन स्कूलों की व्यवस्था या तो स्थानीय

शिक्षा प्राधिकारी (L.E.As) करते थे, या लोक स्वास्थ्य अधिकारी (Public Health Authorities), या फिर स्वेच्छाकृत (Voluntary) संस्थायें। इनमें से कुछ संस्थाओं में १८ वर्ष से ऊपर की आयु वाले अंधे, बहरे और लूले बालकों के लिए पूरे समय की शिक्षा का प्रबन्ध था जहाँ वे विशेष व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त करते थे।

व्यवहार में इस प्रणाली में कई दोष पाए गए। सर्व प्रथम तो मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के लिए खोले हुए विद्यालय संख्या में बहुत कम है। दूसरे एल० ई० एज० द्वारा चलाई हुई प्रमाण-प्रणाली (Certificate System) का अभिभावकों द्वारा विरोध किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी छात्र का किसी विशेष स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने के पूर्व एल० ई० ए० को यह प्रमाणपत्र देना पड़ता है कि अमुक बालक इस दोष से पीड़ित है। इस प्रकार का प्रबन्ध माता-पिता की दृष्टि से बालकों के भविष्य के लिए हितकर न समझा गया, क्योंकि ऐसे प्रमाणित बालकों को अपने जीवन में सदैव एक अनावश्यक बाधा का सामना करना पड़ेगा और वे सामान्य बालकों की तुलना में सदैव हीन समझे जायेंगे। तीसरे, केवल कुछ सीमावर्ती बालकों (Borderline Cases) को छोड़कर शेष बालकों के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं हुआ, यद्यपि इधर-उधर एक-दो प्रयास होते रहे।

सन् १९४४ के एक्ट ने एल० ई० एज को यह आज्ञा दी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष शैक्षिक उपचार के पात्र बालकों का पता लगायें जिनमें कुसमायोजित (maladjusted) छात्र भी हों और जो केवल सामान्य दोषों के कारण पिछड़े हुए बालक है उनके लिए तो सार्वजनिक प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में व्यवस्था करें तथा शेष छात्रों के लिए विशेष स्कूलों में प्रबन्ध करें। अधिक संख्या में विशेष स्कूल खोले जा रहे है। प्रमाण-पत्र प्रथा बन्द कर दी गई है और अभिभावक ८ वर्ष से बड़े किसी भी बालक की परीक्षा की माँग कर सकते है, ताकि वे यह निश्चित कर सके कि इसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता है अथवा नहीं। अब सामान्य रूप से सभी अवरोधित (Handicapped) बालकों की अनिवार्य विद्यालय आयु ५ वर्ष से १६ वर्ष कर दी गयी है।

सन् १९४४ के एक्ट द्वारा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (L.E.As) को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के आधुनिकतम पाठ्यक्रमों में इन अवरोधित (handicapped) बालकों की शिक्षा का पाठ्यक्रम सम्मिलित कर लें और इस प्रकार शिक्षा की प्रमुख प्रणाली में उसे धीरे-धीरे खपा लें।

छात्रवृत्तियाँ (Scholarships and Bursaries)— गत शताब्दी के अंतिम वर्षों में अनेक ऐसे लोक मत सामने आए जिनमें प्राथमिक विद्यालयों से विश्वविद्यालय तक पहुँचने की शैक्षिक सोपान का उल्लेख किया गया।

अगर हम इस प्रकार की सीढ़ी को मान भी लें तो ये छात्रवृत्तियाँ ही उस सीढ़ी के डण्डों का काम देंगी क्योंकि इनकी सहायता से ही छात्र विश्वविद्यालय तक पहुँच पाते हैं। फिर भी कुछ आलोचकों ने इस रूपक की आलोचना की। सन् १९१८ के शिक्षा अधिनियम के विधेयक (bill) की दूसरी आवृत्ति के अवसर पर बोलते हुए सर फ्रांसिस आकलैण्ड ने कहा—"सीढ़ी तो अततः बड़ी हिलने-

डुलने वाली वस्तु है जिस पर सँभल-सँभल कर हर कदम रखना पडता है।" सत्य तो यह है कि आज जिस दृढता के साथ इगलैण्ड के नवयुवक विश्वविद्यालयो तक पहुँच जाते है, प्रारम्भिक काल मे यह इतना आसान न था। उस समय सीढी की उपमा सर्वथा उपयुक्त थी। इसी सीढ़ी को दो भागो मे सरलता से बाँटा जा सकता है—प्रारम्भिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक तथा माध्यमिक विद्यालय से विश्व विद्यालय तक।

ग्रामर तथा अन्य माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रवृत्तियाँ—ये छात्रवृत्तिया प्राचीन काल से चली आ रही है। कैटरबरी मे स्थापित सभवत प्रथम ग्रामर स्कूल के सम्बन्ध मे आर्कबिशप क्रैन्मर ने सन् १५४० ई० मे कहा था 'यदि किसी सम्पन्न और सज्जन व्यक्ति की सतान की पढने मे रुचि है, तो उसे भरती कर लीजिए। किन्तु यदि वह इस योग्य नहीं है तो किसी गरीब आदमी के योग्य बालक को अध्ययन का वह अवसर दीजिए।'[1] इस प्रकार शताब्दियो से दीन किन्तु प्रतिभाशाली बालको का सदा ही ध्यान रक्खा गया है। १९वी शताब्दी मे जब राज्य ने प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप किया, तब भी इस परम्परा का पूर्ण निर्वाह होता रहा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शताब्दी के अत मे भूतपूर्व प्रारम्भिक विद्यालयो मे पढने वाले ५००० छात्रो को माध्यमिक स्कूलो मे प्रदान की जाने वाली कोई न कोई छात्रवृत्ति अवश्य मिलती थी। फलस्वरूप यह कोई आश्चर्य की बात नही कि जैसे ही राज्य ने सन् १९०२ ई० मे प्रारम्भिक स्कूलो के साथ-साथ माध्यमिक स्कूल खोले, उसने छात्रो के स्थानान्तरण की भी व्यवस्था कर दी।[2] किन्तु उसके द्वारा बहुत अधिक आर्थिक सहायता का मार्ग न खुला। सन् १९०७ ई० मे इसे और भी अधिक व्यापक और शक्तिशाली बनाया गया। (प्रशासनिक व्यवस्थाये) नामक शिक्षा अधिनियम सन् १९०७ ई० मे इस प्रकार का नियम निर्धारित किया गया कि फीस लेने वाले सभी स्कूलो मे सुरक्षित स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिवर्ष ऐसे बालकों के लिए रक्खा जायगा जो प्रारम्भिक स्कूलो से परीक्षाये पास करते है। यह अनुपात सेकेंडरी स्कूलो में पढने वाले गत वर्ष के छात्रो की सख्या का २५% होगा। किन्तु बोर्ड ऑफ एजूकेशन को इस अनुपात को घटाने और बढाने का भी पूर्ण अधिकार होगा। भले ही इन निःशुल्क स्थानो के अनुपात में अतर आ जाये किन्तु सन् १९१८ के शिक्षा अधिनियम के चौथे अनुच्छेद के चोदहवें भाग मे निर्धारित तथा सन् १९२१ के एक्ट के चौदहवे अनुच्छेद के चौथे भाग मे पुनरावृत सिद्धान्त को मान्यता तो दी ही गई। एक्ट के शब्दो मे—

"Children shall not be debarred from receiving the benefits of any form of education by which they are capable of profiting through inability to pay any fees"

आगे चल कर ग्रामर स्कूलो में कितने छात्र निःशुल्क प्रविष्ट हो सकते हैं इसका मूलाधार 'लाभ उठाने की योग्यता' माना गया। यह अनुपात निरन्तर तब तक चलता रहा जब तक कि निःशुल्क स्थानो (free places) के बदले 'विशेष

---

१ देखिए *The Public Schools*—H. M. S. O. London. पृष्ठ ११।

२ देखिए S. J. Curtis द्वारा लिखित *Education in Great Britain Since.* 1900. पृष्ठ ६२।

स्थानों' (Special places) की व्यवस्था न कीगयी। यह परिवर्तन सन् १९३१ मे कार्यान्वित हुआ। इसका मुख्य कारण उस वर्ष इगलैण्ड पर पडने वाला आर्थिक सकट था। साथ ही सर जार्ज मे (Sir George May) की अध्यक्षता मे आयोजित 'आर्थिक समिति' (Economic Committee) पर किए हुए विचार-विमर्श भी। इस प्रकार सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व प्रारम्भिक स्कलो मे पढने वाले छात्रो के लिए शिक्षा नि शुल्क नही हुई वरन् अपने-अपने आर्थिक साधनों के अनुसार इसके लिए अभिभावको को छात्रो को खर्च भी देना पडा। आगे चल कर माध्यमिक शिक्षा भी सभी छात्रो के लिए नि शुल्क कर दी गई अत इस प्रणाली की मौलिकता लगभग समाप्त सी हो गयी। किन्तु सेकेंडरी टेकनिकल स्कलो मे इसकी व्यवस्था किसी न किसी रूप मे आज भी विद्यमान है।

विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयीय छात्रवृत्तियाँ

(१) **विश्वविद्यालय**—इगलैण्ड और वेल्स मे बारह डिग्री प्रदान करने वाली युनिवर्सिटियाँ है। ये है बरमिघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लिवर-, पूल, लन्दन, मैनचेस्टर, आॅक्सफोर्ड, रोडिग, शेफील्ड और वेल्स विश्व विद्यालय। इनके अतिरिक्त पाँच अन्य सस्थाये है जिन्हे डिग्री प्रदान करने का अधिकार नही है पर जो अन्य सामान्य कार्यो मे विचारार्थ इसी कोटि में रक्खी जाती है। ये है—एक्जीटर (Exeter), नॉटिघम, साउथैम्पटन, लीस्टर तथा हल के यूनिवर्सिटी कालेज।

आॅक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो बहुत पुराने विश्वविद्यालय है। इनमे से प्रत्येक के अतर्गत अनेको महाविद्यालय है तथा ये आवासीय (Residential) विश्व-विद्यालय है। इनके साथ इगलैण्ड की परम्परा और सस्कृति का इतिहास लगा हुआ है। शेष विश्वविद्यालयो की स्थापना सन् १८०० ई० के पश्चात् हुई है। इनमें स दो या तीन को छोड कर शेष आवासीय विश्वविद्यालय (Residential Universities) नही है। फिर भी जो छात्र वहाँ आवास की सुविधा के प्रार्थी होते है उन्हे यह सुविधा भी प्रदान की जाती है। आॅक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की भाँति डरहम, वेल्स तथा लन्दन विश्वविद्यालयो के अंतर्गत भी अनेक महाविद्यालय है जो स्वय शासित है पर परीक्षा की दृष्टि से इन विश्वविद्यालयो के अतर्गत है। युद्ध के पूर्व इन विश्वविद्यालयो मे पूरे समय पढने वाले छात्रों की सख्या ३९,९५० थी जिनमे २२% लडकियाँ थी। आॅक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयो में १०,९५० विद्यार्थी पढते थे, जब कि लन्दन विश्वविद्यालय में १३,२००, तथा अन्य प्रदेशीय विश्वविद्यालयो मे १३,०५० छात्र थे। वेल्स विश्वविद्यालय मे ८७५० छात्र थे।

विश्वविद्यालयीय डिग्री कोर्सो का अवधिकाल सामान्यत तीन से चार वर्ष का है। औषधिशास्त्र (Medicine) मे ५–६ वर्ष लगते है। साधारणत दो स्तरो पर डिग्री परीक्षाये होती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर शिक्षा (Post-Graduate Work) तथा शोध कार्य के लिए भी प्रबन्ध रहता है।

सभी विश्वविद्यालय स्वयशासित सस्थाये है। फिर भी वे राज्य द्वारा कोष से सीधे अनुदानो के रूप मे सहायता प्राप्त करती है। यह सहायता इन्हे विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति (University Grant Commission) की सिफा-

रिश पर मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र मे बडे अनुभवी व्यक्ति ही इस समिति के सदस्य होते हैं। आधुनिक विश्वविद्यालयो को स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (Local Education Authorities) से भी सहायता प्राप्त होती है। फिर भी यह बात स्मरणीय है कि विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त कोई समिति नहीं है, बल्कि राज्य-कोष द्वारा नियुक्त समिति है, जिसका कार्य प्रत्येक विश्वविद्यालय को आर्थिक आवश्यकताओं की जाँच और तदनुरूप सहायता की व्यवस्था करना है।

(२) **विश्वविद्यालयीय छात्रवृत्तियाँ**—शिक्षा मत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय के ऑनर्स पाठ्यक्रमो के लिए प्रतिवर्ष अनेक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। सन् १९४६ ई० मे इनकी संख्या ३६० थी। सन् १९५५ ई० मे यह बढ कर ५०० हो गयी। ये छात्रवृत्तियाँ सेकेंडरी ग्रामर स्कूलो मे पढ़ने वाले उन छात्रो को दी जाती है जो हायर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा मे सफल होते है। इस छात्रवृत्ति को पाने वाला विद्यार्थी अपनी आर्थिक आवश्यकतानुसार न केवल निर्धारित फीस की राशि प्राप्त करता है वरन् विश्वविद्यालय मे अपने निर्वाह के लिए १०० पौंड वार्षिक भी पाता है। इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने वाले छात्रो मे से लगभग दो तिहाई छात्र पब्लिक स्कूलों में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त किए होते हैं। इनके अतिरिक्त इम्पीरियल कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी मे पढने वाले छात्रो को लगभग ३० सम्राज्ञी छात्रवृत्तियाँ (Royal Scholarships and Studentships) और रायल कालेज ऑफ आर्ट मे पढ़ने वाले छात्रो को ६० छात्रवृत्तियाँ (Exhibitions and Free Studentships) शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। निर्वाह अनुदान (Maintenance Grants) के साथ-साथ लगभग १५०० छात्रवृत्तियाँ स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L.E.As) द्वारा अपने-अपने क्षेत्रो से विश्वविद्यालयो मे प्रवेश पाने वाले छात्रो को प्रदान की जाती है।

यहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सभी विश्वविद्यालय अपने धन में से पर्याप्त राशि अगणित छात्रवृत्तियों के रूप में विद्यार्थियो को प्रदान करती है। विशेषकर ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयो मे इसकी सबसे अधिक सुविधा है। इसी प्रकार बहुत से प्राइवेट ट्रस्ट तथा अन्य उदार संस्थाये भी विद्यार्थियो को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्वविद्यालयों मे पढने वाले छात्रो मे से लगभग ५०% छात्रो को व्यक्तिगत सहायता छोड कर किसी न किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती ही रहती है।

केन्द्रीय तथा स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियो के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, उनका विस्तृत विवरण नारवुड (Norwood) कमेटी रिपोर्ट मे मिलता है। यह रिपोर्ट 'करीकुलम एण्ड एक्जामिनेशन्स इन सेकेंडरी स्कूल्स' के नाम से प्रकाशित हुई है।

युद्धकालीन विशेष छात्रवृत्तियाँ

युद्ध काल मे नवयुवको को लगभग ६००० छात्रवृत्तियाँ और दी गयी थी। ये रेडियो के साथ भौतिकविज्ञान, इजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल), रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान और ग्लासटेक्नालॉजी इत्यादि विषयो मे पढने वाले छात्रो के निमित्त थी। ये हायर स्कूल सार्टिफिकेट इक्जामिनेशन (Higher School Certificate Examination) मे उच्च

परीक्षा फल प्राप्त करने वाले छात्रो को प्रदान की जाती थी जिससे कि वे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयीय कालेज तथा टेकनिकल कालेजो मे ऐसे प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का अनुसरण करे जिसे समाप्त कर या तो वे सेना मे टेकनिकल कार्य कर सके अथवा राष्ट्रीय महत्व के नागरिक व्यवसाय मे सलग्न हों। कुछ थोड़ी सी छात्रवृत्तियाँ स्नातकोत्तर (Post Graduate) तथा शोधकार्य करने वाले छात्रों को भी दी जाती है, जो वैमानिक शास्त्र (Aeronautical Engineering), रसायन इंजीनियरिंग तथा ईंधन शिल्प विज्ञान (Fuel Techonology) मे शिक्षा ग्रहण करते है।

लगभग ३००० इंजीनियरिंग नौ छात्रवृत्तियाँ (Engineering Cadetships) टेकनिकल कालेजो मे पढने वाले १७ से १८ वर्ष की आयु के उन बालको के लिए प्रदान की जाती है जो चुनाव बोर्ड द्वारा सेना विभाग में कमीशन वाले टेकनिकल पदों पर लिये जाते है।

लन्दन विश्वविद्यालय की दो अन्य सस्थाओ मे भर्ती किए गए छात्रो के लिए कुछ अन्य छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। ये है 'स्कूल ऑफ ओरियटल एण्ड एफ्रीकन स्टडीज' तथा 'स्कूल ऑफ स्लैवोनिक एण्ड ईस्ट यूरोपियन स्टडीज'। इनका उद्देश्य सेना मे ऐसे सैनिको की वृद्धि करना था जो निम्नलिखित भाषाये जानते हो—चीनी, जापानी. तुर्की, फारसी, रूसी ,इटैलियन, सर्बो-क्रोट, रूमानियन, हंगेरियन, बल्गेरियन तथा आधुनिक ग्रीक।

(३) **अग्रिम शिक्षा और प्रशिक्षण योजना**—महायुद्ध ने उन नवयुवको और नवयुवतियो को शिक्षा और प्रशिक्षण मे बाधा डाल दी जो एक निश्चित आयु के बाद या तो अग्रिम शिक्षा (Further Education) ग्रहण करते होते अथवा किसी व्यवसाय विशेष की शिक्षा प्राप्त करते। इसके स्थान पर उन्हें राष्ट्रीय महत्व और सुरक्षा वाले कार्यो मे लग जाना पडा। इसके फलस्वरूप नौकरियों, उद्योगधन्धों तथा व्यापारिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदो के लिये सुयोग्य व्यक्तियों का अभाव-सा हो गया। अत युद्ध के पश्चात् विस्थापित स्त्री-पुरुषो को फिर से बसाने की योजना के अंतर्गत सरकार ने इनके लिए अग्रिम शिक्षा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण की व्यवस्था फिर से कर दी है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालयो, ट्रेनिंग कालेजों, टेकनिकल कालेजों तथा इन्ही के समान अन्य संस्थाओ मे कर दी गयी है।

यह योजना इंग्लैण्ड और वेल्स मे शिक्षा मंत्रालय, श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय तथा कृषि और मत्स्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलायी गयी है। जब तक पूर्णत विस्थापन नही हुआ था तब तक इसका कार्य क्षेत्र उन व्यक्तियो तक सीमित था जो अस्वास्थ्य के कारण युद्ध से वापस कर दिए गए थे और जो श्रम-विभाग द्वारा किसी दूसरे राष्ट्रीय महत्व के कार्यो में नही लगाये जा सकते थे। बाद मे सभी विस्थापित सैनिक इसके अंतर्गत आ गये। इसकी घोषणा सबसे पहले अप्रैल सन् १९४३ ई० मे हुई और सन् १९४४ ई० के अंत तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा ४५० छात्रवृत्तियाँ दी गयी। आगे चलकर यह संख्या बहुत अधिक हो गयी।

१३ | अर्थ व्यवस्था
(Finance)

अनुदान प्रणाली की उत्पत्ति

साधारणत यह कहा जाता है कि मत्रालय और एल० ई० एज दोनो मिलकर एक साझेदारी का निर्वाह करते है और इस निर्वाह का सबसे उत्तम दृष्टान्त शिक्षा पर किए हुए व्यय मे ही दिखलाई पडता है। शिक्षा पर एल० ई० एज० सबसे अधिक धन व्यय करते है अत मत्रालय उन्हे उसी अनुपात मे अधिक सहायता भी प्रदान करता है। किन्तु फिर भी किसी साझेदारी मे दो साझेदार तो होने ही चाहिये। अत इस साझेदारी को तब तक सही अर्थो मे रुकना पडा जब तक कि केन्द्रीय और स्थानीय परिषदो की स्थापना नही हो गयी। साथ ही साझेदारो की शर्तें ज्यो-ज्यो बदलती गयी त्यो-त्यो उनके पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध भी बदलते गए।

एक समय था जब दोनो साझेदारो मे से किसी एक का भी अस्तित्व न था क्योकि शिक्षा तो स्वेच्छाकृत सघो और समितियो (voluntary bodies) के हाँथ मे थी और इनमे अधिकाश सघ साम्प्रदायिक और धार्मिक थे। राज्य शिक्षा के क्षेत्र मे कोई हस्तक्षेप न कर सकता था। इसके बाद सन् १८३३ ई० में जब राज्य की ओर से २०,००० पौड की एक राशि शिक्षा प्रसार के लिए दी गयी, तब भी राज्य को इस राशि के वितरण तथा उसके उपयोग की जाँच का अधिकार न था। अत सरकार ने नेशनल सोसाइटी तथा ब्रिटिश एण्ड फारेन सोसाइटी (British and Foreign Society) नामक सस्थाओ को यह राशि दे दी और कहा कि इसका उपयोग स्कूल को इमारतो के बनाने मे किया जाए। इस दशा मे भी वर्तमान सिद्धान्त की यदि कोई झलक देखने को मिलती है तो वह केवल यह कि राज्य उन सभी सस्थाओ को आर्थिक सहायता देने के लिए तत्पर था जो शिक्षा के ऊपर स्वय भी खर्च करना चाहती थी। सन् १८३९ मे एक भ्रूण के रूप मे केन्द्रीय सत्ता की स्थापना हुई जिसका नाम 'कमेटी आफ कौसिल' (Committee of Council) पडा। इसके बाद सन् १८७० के एक्ट द्वारा यह निश्चय किया गया कि एलीमेंट्री स्कूलो पर होने वाले खर्च को कुछ राशि स्थानीय करो द्वारा पूरी की जाए। फिर भी नए स्थापित किए गए स्कूल बोर्डो को जो ग्रान्ट दी जाती थी वह मुख्यतया व्यक्तिगत स्कूलो के लिए थी और थोडी-थोडी कर कई अशो मे दी जाती थी। साथ ही उसका अधिक या कम होना उसमे पढने वाले छात्रो की उपस्थिति और परीक्षा मे उनकी सफलता पर निर्भर था। अत इस समय एक व्यापक शिक्षा प्रणाली के लिए स्थानीय और केन्द्रीय सत्ताओ के मिलकर कार्य करने का प्रश्न ही न उठता था।

सन् १९०२ के एक्ट ने एक नई परम्परा को जन्म दिया। इसके अनुसार अब व्यक्तिगत स्कूलो के मैनेजरो को न दिया जाकर यह अनुदान स्थानीय शिक्षा-प्राधिकारियों को दिया जाने लगा। फिर भी इसने शैक्षिक अनुदानो के आधार

को नहीं बदला। अब भी अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए थोड़ा-थोड़ा करके अनुदान दिया जाता था। वास्तव में सन् १९२२ ई० के पहले प्रतिशत प्रणाली (percentage system) का वर्तमान रूप कभी भी पूर्णतया कार्यान्वित नहीं हुआ। सन् १९११ ई० में सर जॉन केम्प (Sir John Kempe) की अध्यक्षता में राज्य कोष की ओर से एक समिति बनाई गई। इसका कार्य अनुदान-प्रणाली पर अपने विचार प्रकट करना था। इस अंतिम रिपोर्ट के फलस्वरूप ही भावी परिवर्तनों का मार्ग खुला। राज्य कोष से मिलने वाले अनुदान शिक्षा के बढ़ते हुए खर्च का साथ न दे सके। सन् १९०५ ई० में २,२४,४०,००० पौण्ड के कुल व्यय में १,२२,२५,००० पौण्ड राज्य कोष ने अनुदान के रूप में खर्च किए। सन् १९१३ में शिक्षा पर होने वाले ३ करोड़ ११ हजार पौण्ड के वार्षिक खर्च में राज्य की ओर से केवल १ करोड़ ३८ लाख २८ हजार पौण्ड की सहायता दी गई है। दूसरे शब्दों में राज्य की ओर से एलीमेंट्री शिक्षा के लिए दिये जाने वाले अनुदान का प्रतिशत जो सन १९०५ में ५३.९ था, सन् १९१३ में ४६ रह गया। केम्प समिति से यह कहा गया कि वह शिक्षा के विषय पर भी अन्य स्थानीय सेवाओं को दृष्टि में रखकर विचार करे और यह सिफारिश की कि राज्य की ओर से दिया जाने वाला अनुदान सभी स्थानीय सेवाओं के सामूहिक व्यय पर होना चाहिए न कि केवल शिक्षा के व्यय पर। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस व्यय राशि में से एल० ई० एज० स्वयं कितना भार वहन कर सकती है। शिक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में कमेटी ने यह भी उल्लेख किया कि अनुदान का कोई भी सूत्र या सिद्धान्त तभी स्थिर किया जा सकता है जब कि स्थानीय व्यय के विस्तार के साथ-साथ अनुदान राशि में भी आनुपातिक विस्तार किया जाए। उन्होंने यह सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा को दी जाने वाली अनुदान सहायता औसत उपस्थिति को ध्यान में रखकर प्रति बालक ३६ शिलिंग वार्षिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ७ पेंस प्रति बालक के हिसाब से कर को घटाकर एल० ई० एज० द्वारा शिक्षा पर किए हुए कुल व्यय का ४०% भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है

प्राथमिक शिक्षा को दी जाने वाला अनुदान सहायता	२६ शिलिंग प्रति बालक प्रति वर्ष+एल० ई० एज० के व्यय का ४०%—७ पे० प्रति बालक का कर।

उन्होंने लन्दन क्षेत्र के बाहर के स्थानीय-शिक्षा प्राधिकारियों को २०० छात्रों से कम की उपस्थिति पर भी विशेष अनुदान देने की सिफारिश की। साथ ही यह भी प्रतिबन्ध लगा दिया कि जब तक १ पौण्ड प्रति बालक वार्षिक कर के हिसाब से एकत्रित राशि से कम राशि 'लघु विद्यालय अनुदान' (Small Schools Grant) अथवा स्थानीय करों से उपलब्ध न हो तब तक किसी भी एल० ई० ए० को उसके नकद खर्च के दो-तिहाई से अधिक अनुदान के रूप में न दिया जाए। वे यह न सोच सके कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था आगे चलकर खर्च में वृद्धि भी करेगी जिससे वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो जाएगा। इसके पूर्व कि इस दिशा में कोई कदम उठाया जाए, सन् १९१४–१८ का प्रथम महायुद्ध आ गया। किन्तु सन् १९१८ ई० के एक्ट के पास होने पर 'केम्प कमेटी फारमूला' के सभी मुख्य तत्व ग्रहण कर लिए गए। सन् १९०२ के एक्ट के फलस्वरूप दो प्रकार के स्थानीय-शिक्षा-प्राधिकारियों (L.E.As.)—पार्ट दो तथा पार्ट तीन—के कारण

पूरी शिक्षा-सेवा के लिए किसी एक नियमित अनुदान प्रणाली का प्रचलन सभव न हुआ। जब कि प्राथमिक शिक्षा के लिए केम्प फारमूला मान्य समझा गया। उच्च शिक्षा के लिए वास्तविक व्यय का ५०% अनुदान सहायता से प्राप्त होने लगा। चूँकि आमदनी को ध्यान मे रखकर, पडने वाली कमी के आधार पर यह अनुदान दिया जाता था इसे 'डेफिशियन्सी ग्रान्ट' (Deficiency Grant) के नाम से पुकारा गया।

अनुदान प्रणाली (The Grant System)

शिक्षामत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन साझोदारो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है—

(१) स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L.E.As.)

(२) स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो को छोड कर शेष अन्य समितियाँ और सस्थायें।

(३) व्यक्तिगत छात्र।

स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो को अनुदान

जैसा पहले बतलाया जा चुका है एल० ई० एज० को यह अनुदान स्वीकृत व्यय के प्रतिशत आधार पर दिया जाता है। किस एल० ई० ए० को कितना अनुदान मिलना चाहिए इसका निर्धारण प्रति वर्ष किया जाता है और अनुदानित राशि पूरे वर्ष मे कई बार किश्तो मे दी जाती है। वर्ष के अत मे कुछ न कुछ अनुदान बचत के रूप मे रह जाता है।

यह सुविधाजनक होगा यदि द्वितीय महायुद्ध के ठीक पहले की स्थिति पर विचार कर लिया जाये। उसके पश्चात् युद्ध काल मे होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख हो और अन्त मे सन् १९४४ के एक्ट के अन्तर्गत जो समायोजन किए गए है उन पर प्रकाश डाला जाए।

पूर्व युद्ध काल—सन् १९३८–३९ मे केन्द्रीय विभाग ने एल० ई० एज० को कुल जितना धन अनुदान मे दिया वह लगभग ४,५५,००,००० पौड था और यह राशि स्थानीय शिक्षाधिकारियों (L.E.As) द्वारा व्यय की हुई राशि की आधी थी। इस समय प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पृथक् नियमो के अतर्गत आती थी।

(i) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए दिया जाने वाला अनुदान बहुत कुछ एल० ई० एज० द्वारा किए हुए व्यय पर निर्भर होता था, किन्तु जिस सूत्र (फारमूले) के आधार पर उसकी गणना होती थी उसका सम्बन्ध एक ओर बालको की उस सख्या से था जो आगामी वर्ष मे बढाए जाने वाले थे और दूसरी ओर उस एल० ई० ए० क्षेत्र की आर्थिक तथा अन्य दशाओ से। अनुदान सूत्र (Grant Formula) को इस रूप मे समझना चाहिए —

(१) शिक्षको के वेतन का ६०%।

(२) विशेष सेवाओ का ५०%। विशेष सेवाओ के अन्तर्गत स्कूल मेडिकल सर्विस, भोजन व्यवस्था, सदोष (Defective) बालकों के लिए स्कूल, शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षण का संगठन, खेलकूद केन्द्र और नर्सरी स्कूल आते थे।

(३) निर्वाह भत्तों (Maintenance Allowances), सन् १९३६ के शिक्षा अधिनियम के अतर्गत स्वेच्छाकृत विद्यालयो (Voluntary Schools) को

दिये जाने वाले अनुदानों तथा पुनर्गठन या विकास पर होने वाले व्यय का ५०%।

(४) बालकों के आवागमन साधनों पर होने वाले व्यय था ४०%।

(५) बचे हुए वास्तविक व्यय का २०%।

इस गणना के आधार पर जो भी सख्या प्राप्त होती थी उसमे प्रारम्भिक विद्यालयो मे पढ़ने वाले छात्रों की औसत उपस्थिति के आधार पर प्रति बालक ३६ शिलिंग और जोड दिया जाता था। फिर इस पूरी राशि से ७ पें० प्रति बालक की दर से घटाकर जो भी बचता था वही उस एल० ई० ए० को दी जाने वाली वास्तविक आर्थिक राशि होती थी।

बहुत अधिक करो वाले क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए इगलैण्ड और वेल्स मे मिला कर ४ लाख पौड का विशेष अनुदान अलग दिया जाता था।

(ii) उच्च शिक्षा के लिए जिसमे माध्यमिक, टेकनिकल तथा अध्यापको की ट्रेनिंग सम्मिलित है, जो भी अनुदान दिए जाते थे वे मान्यता-प्राप्त व्यय पर आधारित होते थे और पूरे व्यय का ५०% होते थे।

केन्द्रीय सरकार से जिस व्यय पर सहायता मिलती थी उसके अन्तर्गत एल० ई० एज० द्वारा व्यवस्थित स्कूलो का खर्च तथा उन स्कूलों के निर्वाह का खर्च सम्मिलित रहता था जो एल० ई० एज० के नियत्रण मे न थे।

मार्च १९४५ तक का युद्ध-काल—उच्च शिक्षा सम्बन्धी अनुदान की दर ५०% ही रही। जहाँ तक प्रारम्भिक शिक्षा का सम्बन्ध है, युद्ध काल मे अनुदान प्रणाली का सरलीकरण करने की दृष्टि से तथा जन सख्या के आवागमन से शिक्षा सेवाओ में बाधा आने के कारण एक विशेष अनुदान सूत्र की रचना की गयी। इसके अनुसार प्रत्येक एल० ई० ए० से यह कहा गया कि वह सन् १९३७–३८ में राज्य कोष से प्राप्त प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर होने वाले व्यय की राशि का उल्लेख करे। जो प्रतिशत राज्य कोष से अनुदान के रूप मे प्रत्येक प्राधिकारी (Authority) को उस वर्ष मिला था, उसे ही 'आदर्श प्रतिशत' (Standard Percentage) मान लिया गया और उसी के आधार पर अनुदान दिया जाने लगा।

३० सितम्बर सन् १९४१ ई० के बाद बालको को दिए जाने वाले दूध पर जो भी व्यय होता था उसका १००% सरकार देने लगी। इसी प्रकार विद्यालयो मे दिए जाने वाले भोजन के व्यय से सम्बन्धित अनुदान मे भी 'आदर्श प्रतिशत' से ३०% अधिक की वृद्धि कर दी गई। इसके अनुसार भोजन-व्यय का कम से कम ७०% और अधिक से अधिक ९५% सरकार अनुदान के रूप में देने लगी। ३० अप्रैल सन् १९४३ के बाद एल० ई० एज० इस बात के लिए बाध्य थी कि स्कूलो के लिए नयी इमारते बनवाई जाये तथा उनके लिए सज्जा का प्रबन्ध भी किया जाए साथ ही भोजन सामग्री के लिए यातायात की सुविधा की जाए। इससे सम्बन्धित व्यय का १००% अनुदान के रूप में राज्य कोष से मिलने लगा। १९ अक्टूबर सन् १९४० के बाद हवाई आक्रमण से सुरक्षा के लिए उठाए हुए व्यय का १००% भी स्कूलों को अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ।

बढ़ते हुए मूल्यों और इन विशेष अनुदानों के फलस्वरूप युद्ध काल में एल० ई० एज० को मिलने वाली अनुदान की कुल राशि में बड़ी वृद्धि हो गयी। सन् १९४४–४५ में इसके अनुमानित व्यय की राशि ५ करोड ७५ लाख थी जो सन् १९३७–३८ अर्थात् युद्ध के प्रारम्भिक वर्ष से १ करोड २० लाख अधिक थी।

१९४४ के शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुदान की स्थिति—३१ मार्च १९४५ को एल० ई० एज० को प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली पृथक् अनुदान राशियाँ बन्द कर दी गईं। उसके स्थान पर अब सब प्रकार की शिक्षा के लिए एक सम्मिलित राशि ही अनुदान के रूप में स्थानीय शिक्षाप्राधिकारियों (L.E.As.) को दी जाने लगी। यद्यपि स्कूलों में दिए जाने वाले दूध और भोजन पर होने वाले व्यय के लिए अनुदान की दरें पहले के ही समान हैं, अध्यापक-प्रशिक्षण की संकटकालीन स्थिति के लिए सरकार की ओर से १००% अनुदान मिल रहा है।

सम्मिलित अनुदान की यह राशि प्रत्येक एल० ई० ए० की अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर है। किन्तु अनुदान की दर गणना का एक आधार सन् १९३८–३९ में प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा के लिए दिए हुए अनुदान का योग है। इस मान्यता-प्राप्त व्यय के ऊपर एक निर्धारित प्रतिशत ही इस योग के रूप में हमारे सामने आएगा, और वही अनुदान की राशि समझी जायेगी। जहाँ किसी काउन्टी कौंसिल के लिए व्यय और अनुदान की गणना की जाती है वहाँ १९४४ के पहले की किसी एल० ई० ए० में दी जाने वाली प्रारम्भिक शिक्षा ही ध्यान में रक्खी जाती है।

नयी विकास योजनाओं में एल० ई० एज० को पूर्ण कर्त्तव्य पालन में सहायता देने की दृष्टि से और १ अप्रैल १९४५ को शिक्षकों के वेतन क्रम में की हुई वृद्धि की दृष्टि से प्रत्येक एल० ई० ए० के लिए संयुक्त आदर्श प्रतिशत (Combined Standard Percentage) में ५% की वृद्धि और कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से गरीब और कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए २० लाख पौंड की एक राशि अलग निर्धारित कर दी गई है। पूरे देश में मिला कर एल० ई० ए० द्वारा किए गए मान्यताप्राप्त व्यय का लगभग ५५% मंत्रालय के अनुदान से पूर्ण किया जा रहा है।

सन् १९४४ के एक्ट के अन्तर्गत किए हुए सुधारों का सामान्य प्रभाव प्रति वर्ष सरकारी धन से शिक्षा के कुल व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। यह वृद्धि आगामी कई वर्षों तक होगी। सन् १९४४–४५ में यह राशि लगभग १२ करोड पौण्ड थी। इसे बढा कर २० करोड पौण्ड करने का विचार है। अध्यापकों की वेतन वृद्धि के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय ही सन् १९४५–४६ में १ करोड ८० लाख पौंड था। यदि वेतनवृद्धि को छोड भी दिया जाए, तो एक्ट के नए सुधारों के फलस्वरूप होने वाला अतिरिक्त व्यय ही प्रथम वर्ष में अनुमानत: ५० लाख पौंड था। छठे वर्ष के अंत में यह ४ करोड़ पौंड और अंतिम लक्ष्य पर ८० करोड पौण्ड होना चाहिए।

अन्य समितियों और संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान—सन् १९३८–३९ में इस प्रकार के अनुदानों की राशि १६,००,००० पौण्ड थी। सन् १९४४ के

आते-आते वे बढ़कर २० लाख पौंड हो गई। इसके अन्दर युद्ध की कठिनाइयों का सामना कराने के लिए विशेष अनुदानों की राशि भी सम्मिलित थी।

प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में इन अनुदानों की राशि बहुत सीमित ही रही है। दूसरी ओर माध्यमिक और अग्रिम शिक्षा के क्षेत्र में ये अनुदान काफी बड़ी सख्या मे रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सस्थायें और विद्यालय एल० ई० एज० के स्थान पर स्वेच्छाकृत समितियों द्वारा ही सचालित और नियत्रित किये गये हैं। उदाहरण के लिए सीधी-सहायता प्राप्त ग्रामर स्कूल स्वेच्छाकृत (voluntary) ट्रेनिंग कालेज, विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग विभाग स्वेच्छाकृत युवक सस्थायें, तथा प्रौढ़ शिक्षा सबन्धी कक्षायें।

सन् १९४४ के एक्ट के अन्तर्गत स्कूलों तथा अन्य सस्थाओं को मत्रालय से मिलने वाले सीधे अनुदान (Direct Grant) के क्षेत्र मे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सर्वप्रथम तो मत्रालय उन स्वेच्छाकृत (Voluntary) प्राइमरी और सेकेडरी स्कूलों को जो सहायता प्राप्त स्कूलों (Aided Schools) की श्रेणी मे आना चाहते हैं विकास योजना के अन्तर्गत किए गए इमारतों की मरम्मत तथा सुधार सम्बन्धी व्यय का ५०% सीधे अनुदान के रूप मे देगा। जहाँ कहीं ऐसे सुधारों मे अपेक्षाकृत बहुत अधिक व्यय की सभावना है, शिक्षा मत्री एक्ट से प्राप्त अधिकार के अनुसार विशेष परिस्थितियों मे मैनेजरों तथा गवर्नरों को ऋण दे सकता है, जिससे कि वास्तविक खर्च मे अपने भाग का व्यय वे वहन कर सके।

इसके अतिरिक्त स्वेच्छाकृत ट्रेनिंग कालेजों तथा विशेष स्कूलों को असाधारण वर्ग के निर्वाह के लिए भी मत्रालय से सीधा अनुदान प्राप्त होता है। इस एक्ट के अतर्गत मत्री को पूर्वअधिनियमों से प्राप्त शिक्षा परिषद् (Board of Education)के अधिकारों से कहीं अधिक व्यापक अधिकार प्राप्त हैं जिससे वह शैक्षिक शोध कार्य मे सलग्न सस्थाओं को चाहे वे किसी भी प्रकार की क्यों न हों, सीधी सहायता प्रदान कर सकता है।

सन् १९४४-४५ मे १ लाख ७५ हजार पौंड की एक अच्छी अनुदान राशि सी० ई० एम० ए० (The Council for Encouragement of Music and the Arts) नामक सस्था को दी गई। तब से इस प्रकार की सहायता निरतर दी जा रही है। सन् १९३७ के 'शारीरिक व्यायाम शिक्षण तथा मनोरजन अधिनियम' (Physical Training and Recreation Act) के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान सन् १९४४ के एक्ट के परिवर्धन के फलस्वरूप स्वेच्छाकृत सगठनों तथा एल० ई० एज के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को भी सामाजिक तथा मनोरजन क्रियाओं के सयोजन के लिए दिये जाने लगे हैं।

व्यक्तिगत छात्रों को दिए जाने वाले अनुदान—युद्ध के पूर्व इस शीर्षक के अतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि २,३०,००० पौंड थी। सन् १९४४–४५ मे यह राशि घटकर १,५०,००० पौंड रह गयी। इसका कारण युद्ध के कारण छात्रों की संख्या मे कमी थी।

इस प्रकार के अनुदानों मे सबसे बड़ी मद विश्वविद्यालयीय स्तर पर दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्तियाँ हैं। इनमे से प्रति वर्ष ३६० छात्रवृत्तियाँ मत्रालय द्वारा माध्यमिक स्कूलों के उन छात्रों को प्रदान की जाती हैं जो उन स्कूलों की द्वितीय परीक्षा मे उत्तम परीक्षाफल दिखाते हैं। एक सीमित संख्या मे मत्रालय रायल कालेज ऑफ आर्ट तथा इम्पीरियल कालेज ऑफ साइस टेकनालॉजी मे पढ़ने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्तियाँ देता है।

इन अनुदानो की दूसरी बडी मद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राध्यापको को छात्रवृत्तियाँ देना है।

इन अनुदानो के अतिरिक्त सेना के भूतपूर्व सैनिक पुरुषों और स्त्रियो को भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा पास करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती है।

मंत्रालय के कुल मतदान से अनुदान का सम्बन्ध—सन् १९४४-४५ मे केन्द्रीय विभाग ने जो राशि अनुदान के रूप मे बाँटो थी वह अनुमानत ६ करोड पौड थी। यह राशि कुल मतदान का ८४% थी। शेष १६% मे प्रशासन, निरीक्षण, अध्यापको की पेशन, रायल कालेज आँफ आर्ट तथा मत्रालय के नियत्रण मे रहने वाले अजायब घरो पर किया हुआ व्यय सम्मिलित है।

स्थानोय शिक्षा प्राधिकारियों (L.E As.) की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले कुछ आँकडे जो ३१ मार्च को समाप्त होने वाले सन् १९५९ के आर्थिक वर्ष से सम्बन्धित है, इस प्रकार है —

स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों की अर्थव्यवस्था

इंगलैण्ड और वेल्स—३१ मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष

हजार पौण्डो मे

	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६० अनुमानित
आमदना—			
विशिष्ट राज्य कोष अनुदान	३३८,४२६	३६४,७४५	....
स्थानीय करो से प्राप्त	२०५,५५७	२२३,३६२	.. ...
वास्तविक खर्च—(सभी सेवाये)	५४३,९८३	५८८,१०७	६६९,६१५
प्राइमरी (नर्सरी सहित) स्कूल	१७४,५५१	१७८,६७९	१९६,८१५
सेकेडरी स्कूल	१४९,८४८	१६६,१५२	१९१,३५६
स्पेशल स्कूल	९,०६६	९,७३७	१०,८३५
अग्रिम शिक्षा	३९,३२३	४४,३०४	५३,६२६
अध्यापक प्रशिक्षण	९,९०९	१०,८६८	१२,४७५
मेडिकल जाँच और चिकित्सा	१०,३०३	१०,९१५	१२,४४८
छात्रो को सहायता	२२,७६३	२६,३०९	२९,७१८
प्रशासन और निरीक्षण	१८,८५४	२०,३१७	२३,००३
ऋण राशि	३९,३२९	४५,७९२	५५,४९६
लगान से प्राप्त प्रधान व्यय	७,७६१	७,३९२	८,४२७
स्कूलो मे दूध और भोजन	४८,४३७	५१,२४१	५७,६००
छात्रों का आवागमन	७,७९९	८,५६१	८,९९०
मनोरजन तथा सामाजिक और शारीरिक प्रशिक्षण	५,१५९	५,६८८	६,७०९
अन्य	८८१	२,१५२	२,११७

१ एल० ई० एज को दी जाने वाली ग्रान्टो के अतिरिक्त मत्रालय ने अन्य सस्थाओ को उनकी शिक्षा सेवाओ के लिए निम्नलिखित सीधी सहायता दी—

वर्ष	राशि
१९५७–५८	१४,९८०,६१० पौड
१९५८–५९	१५,८८८,६०५ पौड
१९५९–६०	१७,४७५,१४३ पौड (अनुमानित)

२ छात्रवृत्ति और भत्तो के रूप मे निम्नलिखित राशि दी गई—

१९५७–५८	३,५०९,४९३ पौड
१९५८–५९	३,९९४,२९२ पौड
१९५९–६०	४,२४२,७९२ पौड (अनुमानित)

३ १ अप्रैल १९५९ से दूध और भोजन को छोड कर शिक्षा को दी जाने वाली विशिष्ट राशि बन्द कर दी गई है और उसके स्थान पर एक सामान्य अनुदान जिसमे शिक्षा के साथ-साथ अन्य सेवाये भी सम्मिलित है अब स्थानीय शासन और गृह-निर्माण मत्रालय (Ministry for Housing and Local Government) से दी जाने लगी है।

१४ | उपसंहार

जैसा हम पिछले अध्यायो मे देख चुके है इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियो के लिए जो उससे लाभ उठा सकते है एक बहुसमावेशक (Comprehensive) सेवा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य 'बालकों को एक सुखी बाल्यकाल और जीवन मे एक अच्छा श्रीगणेश प्रदान करना है। उसका यह भी उद्देश्य है कि वह इगलैण्ड के नवयुवको को पूर्ण मात्रा मे शैक्षिक शुभावसर प्रदान करे साथ ही सब के लिए ऐसे साधनो की भी व्यवस्था करे जिससे उन्हे अपने देश की परम्पराओ से प्राप्त गुणो तथा अपनी नैसर्गिक प्रतिभाओ के विकास मे कोई कठिनाई न हो।'[1]

प्रत्येक अभिभावक का यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि 'उसके बालक को ५ से लेकर १५ वर्ष तक उसकी आयु, योग्यता और प्रतिभा के अनुसार या तो नियमित विद्यालय उपस्थिति द्वारा या किसी दूसरे ढगसे पूरे समय की श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त होती है।'[2] अनिवार्य विद्यालय आयु के लगभग ९० % बालक इगलैण्ड, वेल्स और स्काटलैण्ड मे जनता द्वारा चलाए हुए स्कूलो मे पढ रहे हैं। इनमे सभी आय-समूहो (Income Groups) के अभिभावक सम्मिलित है। स्वतत्र विद्यालय बहुत विविधता लिए हुए है। इनमे शताब्दियो पुरानी परम्पराओ वाले पब्लिक स्कूलो से लेकर नए व्यक्तिगत प्रायोगिक विद्यालय सम्मिलित है।

ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में स्वतत्रता और विविधता का अद्भुत समन्वय है। इसकी प्रमुख विशेषताये है—प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छाकृत एजेन्सियो द्वारा शिक्षा मे महत्वपूर्ण योगदान, और अधिकारिक निर्देश से शिक्षकों की मुक्ति। शिक्षक यहाँ सरकारी नौकर नही है कारण कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा न तो नियुक्त किए जाते है और न निकाले ही जाते है। वे स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (L E As) द्वारा या स्वेच्छाकृत विद्यालयों के गवर्नरो और मैनेजरो द्वारा नियुक्त होते है और उन्ही को इनके निकालने का अधिकार भी है। व्यापक सीमाओं के अंतर्गत प्रधानाध्यापकों को यह स्वतन्त्रता है कि वे अपने स्कूलों का संयोजन अपने मौलिक विचारो के अनुसार करे और इसी प्रकार साधारणत शिक्षक भी पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों तथा शिक्षण-विधियो के सरकारी प्रतिबन्धो से मुक्त रहते है।

विश्व विद्यालयों को राज्य से पर्याप्त सहायता मिलती है। पर वे स्वय शासित संस्थाये है और सरकारी विभागों का उन पर कोई नियत्रण नही है। अधिकाश विश्वविद्यालयो के छात्र सरकार से किसी न किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करते रहते है।

स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियों (L.E.As) के द्वारा प्रमुख रूप से अग्रिम

---

१. देखिए '*Educational Reconstruction*' प्रकाशक H.M.S O London 1943

२. देखिए *Education Act* 1944.

शिक्षा के लिए व्यापक सरकारी व्यवस्थाये है। इसके अन्तर्गत पूरे समय की विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक और अव्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित है। इनकी पढ़ाई का प्रबन्ध 'कालेजज ऑफ एडवान्स्ड टेकनालॉजी' (Colleges of Advanced Technology) मे भी होता है और सायकालीन कक्षाओ (प्रौढ़ो के लिए) तथा युवक क्रियाओं मे भी। प्रौढ शिक्षा मे स्वेच्छाकृत (Voluntary) विद्यालयो का प्रमुख हाथ रहता है। युवक सेवाओ मे भी उनका योगदान उल्लेखनीय है।

यूनाइटेड किंगडम (U.K.) मे दिन प्रति दिन शिक्षा का खर्च बढता जा रहा है और इसमे से अधिकांश सार्वजनिक कोष से होता है। कोषागार से दिये हुए विश्वविद्यालयों के अनुदान को छोड कर, राष्ट्रीय आय का ३½ प्रतिशत केन्द्रीय शिक्षा विभागो और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L E.As.) पर खर्च किया जाता है। सन् १९५८ के स्थानीय प्रशासन अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय शिक्षा प्राधिकारियो (L E.As.) को 'मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिग एण्ड लोकल गवर्नमेंट' (Ministry of Housing and Local Government) द्वारा राज्य कोष से एक सामान्य अनुदान प्राप्त होता है जिसे वे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय सेवाओ पर व्यय करते हैं। इसके पूर्व प्रतिशत अनुदान प्रणाली (Percentage Grant system) के अन्तर्गत एल० इ० एज को मिलने वाले अनुदान से शिक्षा पर होने वाले व्यय का ६०% व्यय होता था और शेष ४०% व्यय स्थानीय करों से प्राप्त राशि से किया जाता था। आज भी पूरे प्रदेश पर होने वाले खर्च का केन्द्रीय और स्थानीय अनुपात यही है। सन् १९६०-६१ के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया था कि शिक्षा (जिसमे विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है) पर होने वाला वास्तविक सरकारी व्यय १ अरब पौड होगा।

सन् १९४५ के बाद होने वाली प्रगति—द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त इगलैण्ड की सार्वजनिक शिक्षा मे होने वाली प्रगति मात्रात्मक और गुणात्मक (Quantitative and Qualitative) दोनो प्रकार की रही है। १ अप्रैल सन् १९४७ मे विद्यालय की अनिवार्य आयु १४ से १५ वर्ष कर देने से छात्रों को एक वर्ष अतिरिक्त शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भी लडके और लडकियो को शिक्षण की विभिन्न सुविधाये प्राप्त हैं। यद्यपि अधिकाश बालक १५ वर्ष की आयु मे स्कूल छोड़ देते है, लगभग ३०% बालक १६ वर्ष की आयु तक पूरी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तथा ११% १७ वर्ष की आयु तक पढते है। १७ वर्ष के छात्रो की संख्या सन् १९५० से प्रति वर्ष ५ प्रतिशत के हिसाब से बढ रही है। इस प्रकार ब्रिटेन मे प्रति वर्ष विश्वविद्यालयों में भरती होने वाले छात्रों की संख्या भी वृद्धि पर है और अग्रिम शिक्षा के लिए चलाई गयी संस्थाओ मे आशिक दिवसीय छात्रों (Part time Day Students) की संख्या भी पिछले १० वर्षों मे दुगनी हो गई है।

इसी प्रकार 'जनरल सार्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन' (General Certificate of Education) की परीक्षा के सभी स्तरो पर प्रति वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या मे भी प्रगति दिखाई पडती है। सामान्य ग्रामर स्कूल करीक्यूलम की अपेक्षा और लचीले तथा कम शास्त्रीय (Academic) पाठ्यक्रमो की उन्नति भी एक महत्वपूर्ण बात है।

इ समे से अधिकाश कार्य अभी पुरानी ही इमारतों मे हो रहा है। किन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् बने हुए ४००० नए स्कूलो के भवन शिक्षा की उत्तरोत्तर

बढ़ती हुई प्रगति के लिए एक सहायक वातावरण उत्पन्न करते है। इन भवनो के नक़्शे और डिजाइने नवीन विचारो और शिक्षा के आधुनिक स्तरो की प्रतीक है।

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व आरम्भ होने वाला शिक्षा का पुनर्गठन धीरे-धीरे दृढ़ता से द्वि-स्तरीय शिक्षा (Two-stage Education) के ध्येय तक पहुंच सका है आज प्रत्येक बालक के लिए प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा सुलभ है। जहाँ सन् १९४७ मे प्रत्येक चार बालको मे तीन बालक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते थे आज माध्यमिक स्कूलो की आयु वाले प्रत्येक दस छात्रो में नौ छात्र इन स्कूलो मे पढ रहे है।

इस व्यापक पुनर्गठन के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक असुविधा वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था का भी पुनर्गठन हुआ है।

आज की समस्यायें—इसके पूर्व कि शिक्षा अधिनियमो मे उल्लिखित आदर्श पूर्ण रूप से देश मे लागू हो अभी बडी लम्बी यात्रा तै करनी है। स्कूलो का पुनर्गठन अभी अपूर्ण है और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L. E. As) एक्ट के अतर्गत किए हुए अपने वचन के निर्वाह के लिए जिसमे सभी बालकों के लिए माध्यमिक शिक्षा का उल्लेख है, विभिन्न हल ढूँढ रहे है। जिस प्रकार के स्कूलो की व्यवस्था करनी है, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रमो के लिए जिस प्रकार चुनाव किया जाता है और प्राइमरी स्तर के अन्त मे बालको के अलग-अलग सुनिश्चित वर्गों के चुनाव पर, एक ओर बहुत तेजी पर वाद-विवाद चल रहा है और दूसरी ओर ये प्रयोग भी हो रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जन सख्या की वृद्धि ने उपलब्ध साधनो पर भी भारी दबाव डाला है। अधिक सघन (Overcrowded) कक्षाओं की समस्या अब भी गभीर विषय है। निरन्तर बनने वाले स्कूल भवनो तथा विस्तार के अन्य साधनो के होते हुए भी सन् १९५९ मे एक-चौथाई प्राइमरी और दो-तिहाई माध्यमिक कक्षाये ऐसी थी जिनमे क्रमश ४० और ३० से अधिक छात्र पढते थे।

विद्यालय जीवन का स्वैच्छिक विस्तार और काम पर लगे हुए नवयुवकों की कक्षाओ मे स्वैच्छिक (Voluntary) उपस्थिति वृद्धि पर है। पर अभी पर्याप्त मात्रा मे आर्थिक साधन न होने के कारण सन् १९४४ के एक्ट की वे धाराये कार्यान्वित नही की गई जिनमे १६ वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य पूरे समय की उपस्थिति की व्यवस्था है। इसी प्रकार वे धाराये भी अभी तक कार्यान्वित नही हुई है जिनके अनुसार १८ वर्ष तक के सभी नवयुवकों के लिए अनिवार्य आंशिक शिक्षा (Compulsory Parttime Education) प्रदान करने वाले काउंटी कालेजों का उल्लेख है।

सर जियोफ्रे क्रोदर (Sir Geoffrey Crowther) के चेयरमैनशिप मे आयोजित केन्द्रीय सलाहकार समिति की सन् १९५९ मे प्रकाशित रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख है कि वैधानिक विद्यालय आयु से बडे लडके और लडकियो की शैक्षिक आवश्यकताओं पर भी विचार किया जा रहा है। कौंसिल की मुख्य सिफारिशे इस प्रकार हैं :—

(१) सन् १९६६, १९६७ या १९६८ तक अनिवार्य विद्यालय आयु की सीमा १५ से बढ़ाकर १६ कर दी जाए।

कौन, क्या, कहाँ ?

नीचे प्रचलित परिभाषित पदो की एक सूची दी जा रही है। उनके साथ ही सक्षेप मे उनके अर्थ का भी संकेत है। सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व बहुत से परिभाषित पद अब व्यवहार के बाहर है किन्तु पुस्तक मे उनका प्रयोग हुआ है अतः उनका यहाँ देना आवश्यक समझा गया। वैसे भी उन पदो का प्रयोग अभी इंगलैण्ड मे भी चल रहा है—क्योकि उन्हे बन्द होते-होते भी कुछ समय लगेगा। जब तक उल्लेख न हो स्कूल से तात्पर्य प्राइमरी तथा सेकेडरी दोनो प्रकार के स्कूलो से है।

अग्रिम शिक्षा (Further Education)—शिक्षा का उत्तर-माध्यमिक स्तर। सन् १९४४ के एक्ट के अन्तर्गत प्रौढो तथा उन युवको के लिए जो अनिवार्य पढ़ाई छोड चुके है व्यावसायिक तथा शैक्षणिक व्यवस्था।

अनस्थापित विद्यालय (Non-provided Schools)—स्वेच्छाकृत एलीमेन्ट्री स्कूल का पुराना नाम।

अनुदान प्राप्त स्कूल (Grant-aided School)—राज्य कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालय।

अनुदान सूत्र (Grant Formula)—राज्य कोष से प्रत्येक एल० ई० ए० को दी जाने वाली अनुदान राशि की गणना का आधार।

अपवादी जिले (Excepted Districts)—वे बरो या नगर जिले जिन्हें किसी काउटी L E .A द्वारा तैयार की हुई क्षेत्रीय प्रशासन योजना से मुक्ति मिल गई हो और जिन्हे क्षेत्रीय कार्यकारिणी का विशेष पद प्रदान कर दिया गया हो।

अप्रमाणित शिक्षक (Uncertificated Teacher)—वह शिक्षक जिसे पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूलों मे पढाने के लिए मंत्रालय से औपचारिक मान्यता तो मिल गई हो किन्तु जिसके पास पूरी अर्हतायें न हों।

अस्थायी शिक्षक (Temporary Teacher)—मंत्रालय ने जिसे पूर्णतया योग्य न होने पर भी अस्थायी रूप मे अध्यापक मान लिया हो।

अर्हता-प्राप्त (Qualified)—शिक्षक, जिसे मत्रालय ने प्राइमरी तथा सेकेडरी स्कूलों मे पढाने की आवश्यक योग्यता से सम्पन्न मान लिया हो।

उच्च शिक्षा (Higher Education)—१९४४ के एक्ट के पूर्व सेकेडरी तथा अग्रिम शिक्षा का द्योतक पद (term)। एलीमेन्ट्री का विरोधी।

एग्रीड सिलेबस (Agreed Syllabus)—काउन्टी तथा कन्ट्रोल्ड स्कूलो मे दी जाने वाली धर्म-निरपेक्ष (असाम्प्रदायिक) नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो एक ऐसी समिति द्वारा तैयार किया गया हो अथवा अपना लिया गया हो जिसमे उस क्षेत्र के सभी धार्मिक सम्प्रदायो के प्रतिनिधि, अध्यापकों के प्रतिनिधि तथा एल० ई० ए० के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।

एलीमेन्ट्री स्कूल (Elementary School)—देखिए पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूल।

काउन्टी कालेज (County College)—एल० ई० ए० द्वारा स्थापित ऐसी सस्था जिसमे १८ वर्ष से कम आयु वाले वे युवक जो पढ़ना छोड चुके हैं, आशिक रूप (Part-time basis) मे किन्तु अनिवार्य आधार पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित होते है।

काउन्टी डिस्ट्रिक्ट (County District)—स्थानीय सरकारी क्षेत्र (चाहे वह बरो हो, नगर जिला अथवा ग्राम जिला हो) जो एक काउटी कौंसिल के प्रशासनिक अधिकार मे रहता है।

काउन्टी बरो (County Borough)—नगर या क़स्बा जिसे स्थानीय स्वशासन के वे सारे अधिकार प्राप्त है जो एक काउन्टी कौंसिल को प्राप्त होते है।

केन्द्रीय सलाहकार (परामर्शदात्री) समिति (Central Advisory Council or Advisory Council)—शिक्षा मत्री द्वारा इंगलैण्ड और वेल्स के लिए अलग-अलग नियुक्त की हुई वैधानिक परिषदे जिनका कार्य शिक्षासम्बन्धी सद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विषयो पर सलाह देना है।

कैम्प स्कूल (Camp School)—सामान्यत किसी ग्रामीण क्षेत्र अथवा समुद्र तट के किनारे पाया जाने वाला विद्यालय जिसमे प्रमुख रूप से गर्मी के दिनों मे नगर से आने वाले छात्र-समूह बारी-बारी से आते और पढते है।

कौंसिल स्कूल (Council School)—देखिए 'स्थापित विद्यालय'।

गवर्नर या गवर्निंग बॉडी (Governor or Governing Body)—देखिए 'प्रशासन-समिति'।

ग्रामर स्कूल—माध्यमिक विद्यालय का एक प्रकार जिसके छात्र विश्वविद्यालय तथा अच्छे व्यवसायों मे जाते है तथा जिसके साथ एक अति प्राचीन परम्परा है।

जूनियर आर्ट डिपार्टमेन्ट (Junior Art Department)—देखिए 'सेकेंडरी टेकनिकल स्कूल'।

जूनियर कमर्शियल स्कूल (Junior Commercial School)—देखिए 'सेकेडरी टेकनिकल स्कूल'।

जूनियर टेकनिकल स्कूल (Junior Technical School)—देखिए 'सेकेंडरी टेकनिकल स्कूल'।

जूनिर स्कूल या लघु विद्यालय (Junior School)—७ वर्ष से ११ वर्ष तक के छात्रों के लिए प्राइमरी स्कूल।

टेकनिकल कालेज (Technical College)—अग्रिम शिक्षा के लिए (प्रमुख रूप से व्यावसायिक शिक्षा के लिए) एक बड़ी-सी संस्था।

द्वितीय परीक्षा (Second Examination)—देखिए 'हायर सर्टिफिकेट'।

दिवसीय विद्यालय (Day Schools)—जिनमे छात्रावास नही है।

नवयुवक महाविद्यालय (Young People's College)—प्रारम्भ मे कौउटी कालेजो के लिए प्रस्तावित नाम।

नर्सरी कक्षा (Nursery Class)—प्राइमरी स्कूल से सम्बद्ध ३ वर्ष से ५ वर्ष के बालको के लिए कक्षाये।

नर्सरी स्कूल (Nursery School)—२ से लेकर ५ वर्ष या उससे बड़े बालको के लिए अपने मे सम्पूर्ण विद्यालय।

नियंत्रित विद्यालय (Controlled School)—एक प्रकार का स्वेच्छाकृत विद्यालय जिसके इमारतो सुधार, परिवर्धन और व्यवस्था के लिए एल० ई० ए० पूर्णतया उत्तरदायी होता है। इसके वदले मे मैनेजरो और गवर्नरो के लिए कुछ विशेष अधिकारो की सुरक्षा छोड़ कर, एल० ई० ए० को सामान्य तथा धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षको को नियुक्ति का अधिकार रहता है।

पब्लिक स्कूल (Public School)—इस पद का प्रचलित अर्थ है सेकेंडरी स्वतंत्र आवासीय (Boarding) विद्यालय। पर इसके अतर्गत अनेक दिवसीय (Day) ग्रामर स्कूल भी आते है। ये बहुधा डाइरेक्ट ग्रान्ट ग्रामर स्कूल है।

पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूल या प्रारम्भिक विद्यालय (Public Elementary School)—सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व अनिवार्य विद्यालय आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय।

पार्ट टू अथॉरिटो या द्वितोय भाग प्राधिकारी (Part II Authorities)—सन् १९०२ के एक्ट के अन्तर्गत काउन्टी या काउन्टी बरो कौंसिल जो उच्च और प्रारम्भिक-दोनो प्रकार की शिक्षा के लिए उत्तरदायी थी। जहाँ तक एक काउन्टी का सम्बन्ध है उसके अन्तर्गत पाये जाने वाले अनेक स्वतंत्र क्षेत्र ऐसे होते थे जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनके अधिकारों के अन्तर्गत नही आती।

पार्ट थ्री अथॉरिटी या तृतीय भाग प्राधिकारी (Part III Authorities)—सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व किसी काउन्टी मे पाए जाने वाले म्युनिसिपल बरोज या अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स (नगर जिला) की कौसिलें जो अपने क्षेत्रो मे केवल एलीमेन्ट्री शिक्षा के लिए उत्तरदायी थी।

पूरक अध्यापक (Supplementary Teacher)—कुछ ग्रामीण विद्यालयों मे काम करने वाले अनर्हता प्राप्त (Unqualified) अध्यापक जिन्हे स्पेशल ग्रेड दिए गए है।

प्रथम परीक्षा (First Examination)—देखिए 'स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा'।

प्रमाणित अध्यापक (Certificated Teacher)—केन्द्रीय विभाग द्वारा मान्यता-प्राप्त शिक्षक जो पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूलो मे पढ़ाने के लिए पूर्णतया योग्य समझा जाता है।

प्रशासन समिति (Governing Body)—एक सेकेंडरी स्कूल के संचालन तथा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी समिति।

प्रबन्ध समिति (Managing Body)—एक प्राइमरी स्कूल के संचालन तथा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी समिति।

प्रशिक्षण महाविद्यालय (Training Colleges)—एल० ई० एज० तथा स्वेच्छाकृत संस्थाओं द्वारा अध्यापकों के तीन वर्षीय प्रशिक्षण के लिए चलाए हुए कालेज।

प्राइमरी शिक्षा (Primary Education)—इस शिक्षा के अन्तर्गत १२ वर्ष तक के बालकों के लिए नर्सरी, शिशु (Infant), जूनियर और स्पेशल स्कूलों की शिक्षा आती है।

प्राइवेट स्कूल (Private School)—कोई भी स्वतंत्र विद्यालय जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति विशेष हो अथवा कई व्यक्ति मिल कर हों।

प्रिपेरेटरी स्कूल (Preparatory School)—स्वतंत्र आवासीय (Boarding) विद्यालय जो ८ से १३ या १४ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा देकर उन्हें पब्लिक स्कूलों के प्रवेश के लिए तैयार करता है।

फ्री प्लेस प्यूपिल्स (निःशुल्क स्थानों वाले छात्र)—डाइरेक्टर ग्रान्ट ग्रामर स्कूलों में बिना फीस दिए हुए पढ़ने वाले छात्र।

फिशर एक्ट (Fisher Act)—सन् १९१८ ई० का शिक्षा अधिनियम, जो श्री एच० ए० एल० फिशर सभापति-शिक्षा परिषद् द्वारा लोक सभा में प्रस्तावित किया गया था।

बर्नहम वेतन क्रम (Burnham Scales)—सरकार द्वारा संचालित और व्यवस्थित सभी स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए निश्चित वेतन क्रम। बर्नहम कमेटी—जिसमें एल० ई० एज़ तथा शिक्षक—दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे—द्वारा निर्धारित किए जाने के कारण ये 'बर्नहम स्केल्स' कहलाए।

माध्यमिक विद्यालय—देखिए 'सेकेंडरी स्कूल'।

मॉडर्न स्कूल (Modern School)—सीनियर एलीमेन्ट्री स्कूल से विकसित एक प्रकार का माध्यमिक विद्यालय।

मान्यता प्राप्त 'श्रेष्ठ' स्कूल (Recognised Efficient School)—ऐसा स्वतंत्र विद्यालय जिसका एच० एम० आईज० द्वारा निरीक्षण किया गया हो और जिसे मंत्रालय ने श्रेष्ठ स्वीकार किया हो।

मुख्य शिक्षाधिकारी (Chief Education Officer)—एल० ई० ए० द्वारा लगाया हुआ प्रमुख वेतन-भोगी शिक्षाधिकारी।

मैनेजिंग बॉडी (Managing Body)—देखिए 'प्रबन्ध समिति'।

युवक केन्द्र तथा युवक संघ (Youth Centres and Youth Clubs)—एल० ई० ए० अथवा किसी स्वच्छिक संस्था द्वारा स्थापित मनोरंजन केन्द्र या संघ जिसका उद्देश्य अनिवार्य विद्यालय आयु से ऊपर २० वर्ष तक के युवकों के लिए अवकाशोपयोगी (Leisure Time) स्वस्थ कार्यकलाप प्रदान करना है।

युवक समिति (Youth Committee)—एल० ई० ए० के अंतर्गत एक समिति जिसका कार्य अपने क्षेत्र में होने वाली विभिन्न प्रकार के युवक-कार्यकलापों को सहायता पहुँचाना तथा उनमें सामञ्जस्य स्थापित करना है।

युवक सेवा (Youth Service)—एक प्रचलित पद जिसके द्वारा शिक्षा

मंत्रालय, एल० ई० एज० तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के उन कार्यकलापों और उत्तरदायित्वो का बोध होता है जिनका सम्बन्ध अनिवार्य-विद्यालय आयु के नवयुवको के अवकाश-कालीन कार्यकलापो से है।

यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग डिपार्टमेन्ट (University Training Department)——विश्वविद्यालय का एक विभाग जिसका कार्य उन स्नातको को एक वर्ष का व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है जो शिक्षक बनना चाहते हैं।

राज्य छात्रवृत्ति (State Scholarship)——हायर सार्टिफिकेट परीक्षा के फलस्वरूप शिक्षा मत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति।

वर्क्स स्कूल (Works School)——किसी भी उद्योगपति द्वारा अपने यहाँ के कर्मचारियो की आंशिक (part time) शिक्षा के लिए खोला हुआ स्कूल।

व्यवस्थित स्कूल (Maintained School)——जिन स्कूलो के शैक्षिक निर्वाह का पूरा व्यय एल० ई० एज० को वहन करना पडता है। शैक्षिक निर्वाह मे अध्यापको का वेतन भी सम्मिलित है।

विकास योजना (Development Plan)——एल० ई० ए० द्वारा तैयार की हुई योजना जो स्वीकृति के लिए मत्री महोदय के पास भेजी जाती है। इस योजना मे यह स्पष्ट रहता है कि अपने क्षेत्र की प्राइमरी तथा सेकेंडरी शिक्षा के विस्तार और सघटन के लिए क्या-क्या कदम प्रस्तावित हैं।

विशेष समझौते वाले स्कूल (Special Agreement School)——सन् १९३६ के शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत (जिसका अनुमोदन सन् १९४४ के एक्ट मे कर दिया गया) आने वाले वे स्कूल जिनके निर्माण कार्य, इमारती परिवर्तन तथा अन्य सुधारों के लिए उस क्षेत्र की एल० ई० ए० ही आर्थिक दृष्टि से उत्तरदायी होती थी।

विशेष स्थान परीक्षा (Special Place Examination)——सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व सेकेंडरी ग्रामर स्कूल मे प्रवेश पाने के लिए ११+वर्ष के बालको की एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा। इस परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाने पर गरीब बालको से ग्रामर स्कूल मे फीस नही ली जाती थी।

विशेष विद्यालय (Special Schools)——मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों से बाधित छात्रो के लिए खोले गए विद्यालय।

शिक्षा परिषद् (Board of Education)——सन् १८९९ से लेकर १९४४ तक कार्य करने वाले केन्द्रीय विभाग का नाम। सन् १९४४ के एक्ट से यही शिक्षा-मत्रालय के नाम से घोषित हुआ।

शिशु विद्यालय (Infant School)——५ वर्ष से लेकर ७ वर्ष तक के बालको के लिए प्राइमरी स्कूल। इनमे कही-कही ३–४ वर्ष तक के छात्रों की कक्षाये भी होती हैं।

सम्मत पाठ्यक्रम——देखिए 'एग्रीड सिलेबस'।

सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee)——सन् १८९९ के एक्ट के अतर्गत नियुक्त एक वैधानिक समिति जिसका कार्य बोर्ड ऑफ

एजूकेशन को शिक्षा सम्बन्धी उन विषयों पर सलाह देना था जो उससे पूछे जाते थे।

सलाहकार समिति (Advisory Councils)—देखिए 'केन्द्रीय सलाहकार समिति'।

सहायता-प्राप्त स्कूल (Aided School)—वे स्वेच्छाकृत विद्यालय जिनके प्रबन्धक को शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार रहता है, धार्मिक शिक्षा का उत्तरदायित्व रहता है तथा जो भवन-सम्बन्धी नए निर्माण और बाहरी सुधार तथा मरम्मत में होने वाले व्यय का आधा भार स्वयं वहन करते हैं।

सामुदायिक केन्द्र (Community Centre)—ऐसे केन्द्र जहाँ पर पास-पड़ोस में रहने वाले प्रौढ़ों तथा अन्य लोगों के लिए सामाजिक, मनोरंजन तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त रहती हैं। इसकी स्थापना एल० ई० ए० या कोई भी स्वैच्छिक संस्था कर सकती है।

सायंकालीन संस्थायें (Evening Institutions)—अग्रिम शिक्षा की संस्थायें जहाँ पर नवयुवकों और प्रौढ़ों के लिये सायंकाल के समय व्यावसायिक तथा अ-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है।

सीधी सहायता प्राप्त स्कूल (Direct Grant Schools)—वे स्कूल जिन्हें सीधे मंत्रालय से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इनमें नर्सरी स्कूल, स्पेशल स्कूल तथा ग्रामर स्कूल सम्मिलित हैं।

सुरक्षित स्थान (Reserved Place)—एल० ई० ए० द्वारा मनोनीत छात्र के लिए सीधी सहायता प्राप्त ग्रामर स्कूल में सुरक्षित स्थान। ऐसे छात्रों की फीस स्वयं एल० ई० ए० देती है।

सेकेंडरी ग्रामर स्कूल (Secondary Grammar School)—देखिए 'ग्रामर स्कूल'।

सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल (Secondary Modern School)—देखिए 'मॉडर्न स्कूल'।

सेकेंडरी टेकनिकल स्कूल (Secondary Technical School)—एक प्रकार का सेकेंडरी स्कूल जिसमें किसी उद्योग या व्यापारिक शाखा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है।

सेन्ट्रल स्कूल (Central School)—सन् १९४४ के एक्ट के पूर्व नगर क्षेत्रों में चलने वाले एक विशेष प्रकार के सीनियर एलीमेन्ट्री स्कूल। इनमें पढ़ने वाले छात्रों का चुनाव ११ वर्ष की आयु में होता था जो साधारणतः १५ वर्ष की आयु तक वहाँ पढ़ते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके समकक्ष ही 'सीनियर स्कूल' पाए जाते थे। सन् १९४४ के एक्ट से ये सभी स्कूल सेकेंडरी स्कूलों में बदल गए हैं।

संकटकालीन प्रशिक्षण महाविद्यालय (Emergency Training Colleges)—शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित तथा उनकी ओर से एल० ई० ए० द्वारा प्रबन्धित

ट्रेनिंग कालेज जिनमे राष्ट्रीय सेवा से हटाये हुए पुरुषों और स्त्रियों को अध्यापक-प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संयुक्त परीक्षा परिषद् (Joint Examination Board)—एक सस्था जिसमे दो या दो से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि रहते हैं और जिसका कार्य स्कूल तथा हायर सर्टिफिकेट परीक्षा का सचालन है।

सयुक्त परीक्षा परिषद् (Joint Examining Board)—एक सस्था जिसमे विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग कालेज तथा एल० ई० एज० के प्रतिनिधि रहते हैं, और जो ट्रेनिंग कालेजों के छात्राध्यापकों की परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

सयुक्त शिक्षा परिषद् (Joint Education Board)—शिक्षा मंत्री की आज्ञा से रचित एक स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (L.E.A.) जिसमे दो या दो से अधिक कौसिलें होती हैं।

स्कूल मेडिकल ऑफिसर (School Medical Order)—एल० ई० ए० द्वारा नियुक्त एक मेडिकल ऑफिसर जो बहुधा स्वास्थ्याधिकारी (Health Officer) भी होता है। उसे ये अधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण अधिकार के अतर्गत प्राप्त होते हैं।

स्थानीय शिक्षा आदेश (Loal Education Officer)—एल० ई० ए० द्वारा प्रस्तुत की गई विकास योजना को पूर्ण करने का वैधानिक आज्ञा पत्र जो शिक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है।

स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी—(Local Education Authority—(L.E.A.)अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के सभी स्तरों के प्रशासन और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी स्थानीय सत्ता या प्राधिकारी। यह काउन्टी या काउन्टी बरो कौसिल भी हो सकती है और एक सयुक्त शिक्षा परिषद् भी हो सकती है।

स्थापित विद्यालय (Provided Schools)—एल० ई० ए० द्वारा स्थापित पब्लिक एलीमेन्ट्री स्कूल के लिए प्रयोग होने वाला प्रचलित पुराना शब्द। इसे कौसिल स्कूल भी कहते हैं।

स्वतंत्र विद्यालय (Independent School)—जो विद्यालय शिक्षा मंत्रालय अथवा एल० ई० ए० किसी से कोई आर्थिक अनुदान प्राप्त नहीं करता।

स्वेच्छाकृत या स्वैच्छिक विद्यालय (Voluntary School)—वह स्कूल जिसकी इमारत किसी स्वेच्छाकृत सस्था द्वारा बनवाई गई हो। यह सस्था बहुधा धार्मिक होती है। जहाँ तक विशेष समझौते वाले स्कूल का सम्बन्ध है उसे इसके लिए एल० ई० ए० से सहायता प्राप्त होती है।

हायर स्कूल सर्टिफिकेट (Higher School Certificate)—इसे 'हायर सर्टिफिकेट' परीक्षा भी कहते हैं। यह प्रमाण पत्र ग्रामर स्कूल के छात्रों को १८ वर्ष की आयु मे अपनी अंतिम परीक्षा पास करने के उपलक्ष मे प्रदान किया जाता है।

हिज या हर मैजेस्टीज इंस्पेक्टर (H. M. I.—His/Her Majesty's Inspector)—शिक्षा मत्रालय के लिए स्कूलों तथा अग्रिम शिक्षा सस्थाओ का निरीक्षण करने वाला जिसकी नियुक्ति 'आॅर्डर इन कौसिल' की सहायता से स्वय सम्राट् द्वारा की जाती है। वह शिक्षा मत्रालय और एल० ई० ए० या दूसरी शिक्षा सस्थाओ के मध्य सम्पर्क अधिकारी का भी काम करता है।

हैडो कमेटी रिपोर्ट (Hadow Committee Report)—सन् १९२६ मे प्रकाशित सम्मतिदायिनी समिति (Consultative Committee) की रिपोर्ट। यह 'Education of the Adolescent' के नाम से प्रकाशित हुई। इसने ११ वर्ष से अधिक आयु वाले एलीमेंट्री स्कूल के छात्रो के लिए पृथक् सीनियर स्कूलो की सिफारिश की।

एल० टी० परीक्षा के प्रश्न

सन् १९५४

१. ब्रिटिश शिक्षा की विशेषतायें प्रकट करती है कि 'उस राष्ट्र के नागरिक अपने ऊपर लादी गई समानता (Uniformity) को पसन्द नही करते। राष्ट्र स्वय जनता द्वारा किये गये प्रयत्नो को अधिक अच्छा समझता है। प्रचलित सस्थाओ को नष्ट करने की अपेक्षा उनका सुधार करने के लिए उस राष्ट्र मे धैर्य तथा व्यावहारिक योग्यता वर्तमान है। विभिन्न धर्मो के प्रति राष्ट्र का व्यवहार उदारतापूर्ण है।'

इन विशेषताओ को अगरेजी शिक्षा के इतिहास से उदाहरण देकर समझाइए।

२. ११ वर्ष से १७ वर्ष तक के छात्रो के लिए इगलैण्ड मे विभिन्न प्रकार की कौन-कौन सी शिक्षा सस्थाये है ? प्रत्येक के विषय मे सक्षिप्त विवरण दीजिए।

ग्रामर स्कूलो तथा पब्लिक स्कूलो मे क्या अन्तर है ?

३. इगलैण्ड के निर्धन विद्यार्थियो के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरो पर प्राप्त होने वाली सुविधाओ का वर्णन कीजिए।

४. १९४४ के शिक्षा विधायक द्वारा शिक्षा मे लाये गये परिवर्तन को सक्षेप मे लिखिए।

५. निम्नलिखित मे से किन्ही चार पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--

(१) Approved Schools.
(२) एल० ई० ए० (L.E A.)
(३) His Majesty's Inspectors.
(४) The General Certificate of Education.
(५) Juvenile Court:
(६) १९४६ का शिक्षा कानून।
(७) Children's Care Committee.

सन् १९५५

१. English Education के उन मुख्य दोषो का उल्लेख कीजिए जिनको कि १९४४ के शिक्षा विधायक (Education Act) द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया गया है। उसके मुख्य-मुख्य प्रावधानों की सक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

२. इगलैंड मे प्रारम्भिक शिक्षा (Primary Education) के सगठन की सविस्तार व्याख्या कीजिए और सेकेण्डरी शिक्षा के लिए शिक्षार्थियों के चुनाव की विधियो का वर्णन कीजिए।

३. इंगलैण्ड मे धार्मिक शिक्षा की समस्या को सुलझाने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

४. इगलैण्ड मे प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था का सविस्तार वर्णन कीजिए।

५. निम्नलिखित मे से किन्ही चार पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए--

(i) Out of School activities.
(ii) Education of Handicapped Children.
(iii) Further Education.
(iv) Public Schools.
(v) The Duel system.
(vi) Youth Clubs.

सन् १९५३

१. सन् १९४४ के शिक्षा विधान द्वारा लाये गये प्रमुख परिवर्तनो की व्याख्या कीजिए।

२. इगलैण्ड की शिशु (Nursery) शिक्षा तथा बाल (infant) शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए।

३. इगलैण्ड की प्रौढ़ शिक्षा के सघटन तथा प्रणालियो की विवेचना कीजिए।

४ द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इगलैण्ड ने अध्यापको के प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्य मे प्रविष्ट अध्यापको की शिक्षा का पुन: सघटन किस प्रकार किया ?

५. निम्नलिखित मे से किन्ही दो पर टिप्पणियाँ लिखिये—
(1) School Medical Service
(2) Methods of Selection of pupils for Secondary Education
(3) Secondary Schools Examination Council.
(4) Child Guidance Clinics.

सन् १९५७

१ "सन १९४४ ई० का शिक्षा विधान, अधिकार विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है।" इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए और इगलैण्ड की वर्तमान शिक्षा पद्धति की रचना पर प्रकाश डालिए।

२. आगे की शिक्षा (Further Education) का अर्थ तथा विस्तार क्या है ? उसके संघटन तथा कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए।

३. इंगलैण्ड की प्रारम्भिक शिक्षा (Primary education) के वर्तमान संघटन का वर्णन कीजिए।

४. इंगलैण्ड के उन विभिन्न प्रकार के विद्यालयो का वर्णन कीजिए जो माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते है।

५ निम्नलिखित मे से किन्ही दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—
(i) Education of Handicapped Children.
(ii) Training of Teachers (अध्यापको का प्रशिक्षण)।
(iii) Psychological Service (मनोवैज्ञानिक सेवा)।
(iv) Curricula (पाठ्यक्रम)

सन् १९५८

१ इगलैण्ड मे प्राथमिक शिक्षा के संघटन का वर्णन कीजिए और भारतीय संघटन से उसकी तुलना कीजिए।

२. 'इगलैण्ड के लिए ग्रामर स्कूल आवश्यक है।'—इस कथन की विवेचना कीजिए और इन स्कूलों की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

३. इंगलैण्ड मे अध्यापको की शिक्षा की क्या व्यवस्था है ? उसकी प्रमुख विशेषताओ को स्पष्ट कीजिए।

४. "१९४४ का विधेयक शासन एव व्यक्तिगत नागरिक दोनो पर अपूर्व उत्तरदायित्व स्थापित करता है।" इस कथन की पूर्ण विवेचना कीजिए।

५. निम्नलिखित मे से किन्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) लोकल एजूकेशन अथारिटी।

(ख) स्कूल हेल्थ सर्विस।

(ग) कॉम्प्रिहेन्सिव स्कूल।

(घ) इगलैण्ड मे पब्लिक स्कूल।

सन् १९५९

१. इगलैण्ड मे प्राथमिक पाठशालाओ की व्यवस्था तथा शासन किस प्रकार होता है ? उनकी व्यवस्था तथा शासन मे शिक्षा मत्रालय और लोकल एजूकेशन अथारिटी का क्या हाथ है ? पूर्णतया स्पष्ट कीजिए।

२. इगलैण्ड मे माध्यमिक शिक्षा के सघटन का वर्णन कीजिए प्रत्येक बालक को अपनी 'अवस्था, योग्यता तथा अभिरुचि' के अनुसार शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति इसके द्वारा कहाँ तक होती है ?

३. कहा जाता है कि सन १९४४ के शक्षा अधिनियम ने इगलैण्ड मे शिक्षा के एक नए युग का सूत्रपात किया है। इस अधिनियम के फलस्वरूप हुए परिवर्तनो के उदाहरण देकर उपर्युक्त कथन को सिद्ध कीजिए।

४ इगलैण्ड मे प्रौढ शिक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र तथा सघटन क्या है ?

५. निम्नलिखित मे से किन्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) विद्यालय मे भोजन व्यवस्था (School meals Service.)

(ख) Secondary Modern School

(ग) अध्यापको का सेवाकालीन प्रशिक्षण

(घ) Her Majesty's Inspectors of Schools.

सन् १९६०

१. इगलैण्ड की प्राथमिक पाठशालाओं के सघटन सव शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए।

२. इगलैण्ड के विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का वर्णन कीजिए। उनमे शिक्षार्थियो का चयन किस प्रकार होता है ?

३. १९४४ के अधिनियम के प्रमुख प्राविधानो का उल्लेख कीजिए। इगलैण्ड मे यह नवशैक्षिक युग का प्रवर्त्तक क्यो कहा जाता है ?

४. इंगलैण्ड मे अग्रिम शिक्षा के उद्देश्यो का निरूपण कीजिए। इसमे वर्तमान शैक्षणिक एव व्यावसायिक अग्रिम शिक्षा के प्राविधानो का वर्णन कीजिए।

५. निम्नलिखित मे से किन्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

(क) पब्लिक स्कूल।

(ख) अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(ग) विद्यालय स्वास्थ्य सेवा।

(घ) विद्यालयों के निरीक्षकगण (H.M. Is)

(ङ) स्थानीय शिक्षाधिकारी (L.E.A.)

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

१ यह कहा जाता है कि सन् १९४४ का शिक्षा अधिनियम शक्ति-वितरण (distribution of power) के सिद्धान्त पर आधारित है। आप इससे कहाँ तक सहमत है ? अपने तर्क के समर्थन मे निश्चित उदाहरण दीजिए।

२ 'समझौते की भावना अग्रेजी चरित्र की अत्यत प्रमुख विशेषता है।' सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम के आधार पर इस कथन की पुष्टि कजिए।

३ सन् १९४४ के शिक्षा अधिनियम के प्रमुख प्राविधानो (povisions) का उल्लेख कीजिए और यह भी बतलाइए कि उसके द्वारा इगलैण्ड के शैक्षिक ढाँचे मे क्या-क्या परिवर्तन हुए है ?

४. प्राइमरी शिक्षा से क्या तात्पर्य है ? इगलैण्ड मे प्राइमरी स्कूलो की व्यवस्था और प्रबन्ध किस प्रकार होता है ?

५. ११ से १७ वर्ष तक के आयु वर्ग (age group) के लिए सुलभ विभिन्न प्रकार की शिक्षा सस्थाओ का सक्षिप्त वर्णन कीजिए।

६ इगलैण्ड मे सेकेण्डरी स्कूलो के लिए बालको का चुनाव किस प्रकार होता है ? यह प्रश्न वहाँ के निवासियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण क्यो है ?

७ एक ग्रामर स्कूल पब्लिक स्कूल से किस प्रकार भिन्न है ? आज भी इगलैण्ड की जनता ग्रामर स्कूल मे ही अपने बालको को क्यो पढाना चाहती है ?

८ इगलैण्ड मे सेकेडरी शिक्षा के वर्तमान सघटन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

९ द्विशासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है ? इगलैण्ड मे आज वह किस प्रकार कार्य कर रही है ? विशद विवेचन कीजिए।

१०. इगलैण्ड मे राज्य और स्थानीय शिक्षा प्राधिकारी (एल० ई० ए०) किस प्रकार सम्मिलित रूप से (१) अनिवार्य विद्यालय आयु की जन संख्या तथा (२) अनिवार्य विद्यालय आयु के ऊपर वाले युवकों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है ? सोदाहरण उत्तर दीजिए।

११ इगलैण्ड मे आर्थिक साधनो से हीन छात्रो के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर क्या-क्या सुविधाये प्रदान की जाती है ? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।

१२. 'इंगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली अवसर की समानता तथा सम्मान की समानता—दोनो प्रदान करती है।' इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

१३. इगलैण्ड ने धार्मिक शिक्षा की समस्या को किस प्रकार सुलझाया है ? इससे वहाँ के निवासियो की किस प्रवृत्ति का सकेत मिलता है ?

१४ 'अग्रिम शिक्षा' से आप क्या समझते है ? उसके क्षेत्र, संघटन तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए।

१५. विस्तारपूर्वक लिखिए कि इगलैण्ड मे (१) अध्यापक प्रशिक्षण (२) प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

१६. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--

(1) Approved Schools, (2) Local Education Authorities.
(3) Her Majesty's Inspectors, (4) General Certificate of Education.
(5) Juvenile Courts, (6) The Education Act of 1946.
(7) The Agreed Syllabus, (8) The Dual System.
(9) Education of Handicapped Children.
(10) Youth Clubs, (11) Training of Teachers.
(12) Emergency Training Colleges, (13) Psychological Service.
(14) Child Guidance Clinics, (15) Nursery Education.
(16) School Medical Service, (17) Central Advisory Council.
(18) Independent Schools, (19) The Special Agreement School.
(20) Divisional Executives, (21) The Secondary Modern School.
(22) The Grammar School, (23) Technical Education in U. K. (24) County Colleges.

परिशिष्ट १

ब्रिटेन में शिक्षा का विन्यास[१]

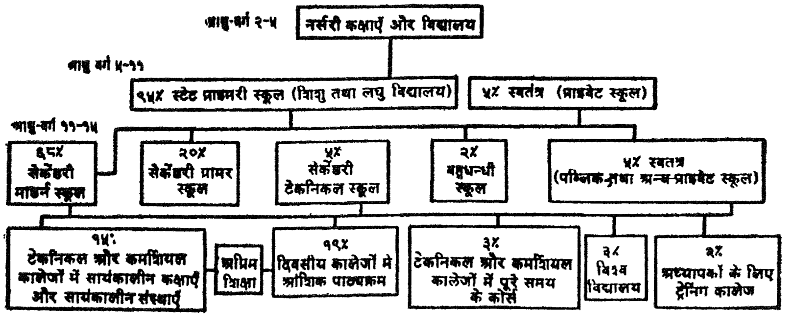

नोट —प्रतिशत अनुमानित है। १ प्रतिशत बालक स्पेशल स्कूलों मे पढते हैं।

---

१ At School in Britain के आधार पर H M.S O London

काउन्टी तथा स्वेच्छाकृत (Voluntary) विद्यालय
(नर्सरी तथा विशेष विद्यालयों (Special Schools) को छोडकर

स्तर (Status) तथा धार्मिक सम्प्रदाय	विद्यालय	छात्र	अध्यापक
काउन्टी	१८,८६१	५३,३७,४८१	२,०५,०८९
स्वेच्छाकृत	१०,४६९	१५,६३,७०६	५८,७१४
चर्च ऑफ इंगलैण्ड	७,९७६	८,८९,६९२	३३,६८०
रोमन कथोलिक	२,०३३	५,२९,९७२	१७ ८८८
अन्य	४६०	१,४४,०४२	७,१४६

विश्वविद्यालय

अ—इगलैण्ड और वेल्स मे पूरे समय यूनिवर्सिटियों तथा यूनिवर्सिटी कालेजो मे पढ़ने वाले छात्र

सत्र—हेमन्त (Autumn) १९५९

यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कालेज	पुरुष	स्त्रियाँ	योग
इगलैण्ड	६१,५१०	१८,२७१	७९,७८१
लन्दन	१५,५३५	५,९७४	२१,५०९
कैम्ब्रिज	८,१३०	८०८	८,९३८
ऑक्सफोर्ड	७,५८५	१,२२२	८,८०७
मैनचेस्टरर्ड	३,५३२	१,२६६	४,७९८
मैनचेस्टर कालेज ऑफ साइस एण्ड टेकनालॉजी	१,६२५	७७	१,७०२
डरहम (डरहम कालेज तथा किंग्स कालेज न्यूकैसल)	३,९९६	१,०८८	५,०८४
लीड्स	३,६२५	१,०३०	४,६५५
वरमिंघम	३,२५२	८६०	४,११२
लिवरपूल	२,८६५	९०५	२,८१७
ब्रिस्टल	२,२७२	९५५	३,२२७
शेफील्ड	२,२६५	५५२	२,८१६
नॉटिंघम	१,७३२	७२४	२,४५३
रीडिंग	९१९	६३६	१,५५५
साउथैम्पटन	१,११७	४३४	१,५५१
हल	,१,१२१	४४३	१,५८१
एक्लीटर	७३७	५५९	१ २८०
लीस्टर	७४८	४८	१,२०७.
नार्थ स्टैफोर्ड शायर यनिवर्सिटी कालेज	४५४	२७	७३२
वेल्स— वेल्स विश्वविद्यालय तथा वेल्स नेशनल — कार्डिफ कालेज, एवर्सट्विथ, बैगॉर, स्वैन्सी स्कूल ऑफ मेडिसिन	४,३५०	१,७५५	६, १०
कुल योग (इगलैण्ड+वेल्स)	६५,८६०	२०,०२६	८५,८८६

[1]ब—ग्रेट ब्रिटेन मे पूरे समय पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी छात्रों (Full Time) का विषय-वर्ग वितरण

सत्र—हेमन्त (Autumn) १९५९

विषय वर्ग	पुरुष प्रतिशत	स्त्रियाँ प्रतिशत	कुल छात्र प्रतिशत
कला (Arts)	३६ ८	६२.३	४२.९
शुद्ध विज्ञान (Pure Science)	२४ ४	२० ७	२३ ५
मेडिसन	१२ १	११ ८	१२ १
दन्त विज्ञान (Dentistry)	३ २	२ ५	३ ०
टेकनालॉजी	१९ ७	१ ३	१५ ३
कृषि और वन विभाग	२ ४	० ९	२ ०
पशुचिकित्सा (Veterinary Science)	१ ४	० ५	१ २
	१०० ०	१०० ०	१०० ०

१ इन आँकडों मे स्काटलैण्ड तथा उत्तरी आयरलैण्ड भी सम्मिलित है।

परिशिष्ट ३

सरकारी विभाग और शैक्षिक संगठन

(Government Departments and Education Organisation)

Government Departments

Ministry of Education, Curzon Street, London, W-1.

Scottish Education Department, St Andrew's House, Edinburgh, 1.

Ministry of Education Northern Ireland, Netherleigh, Massey Avenue, Stormont, Belfast 4.

Professional Bodies.

Association of Assistant Mistresses in Secondary Schools, 29 Gordon Square, London, W C I

Association of Education Officers, c/o County Education Offices, 14 Sir Thomas Street, Liverpool, 1.

Association of Principles of Technical Institutions c/o Technical College, Dudley, Worcs

Association of Teachers in Technical Institutions, Hamilton House, Mabledon Place, London, W C 1.

Association of Teachers of Domestic Subjects, Hamilton House, Mabledon Place, London, W C 1.

Association of University Teachers, 21 Dawson Place, London W-2.

Educational Institute of Scotland, 46 Moray Place, Edinburgh

Headmaster's Conference, 29 Gordon Square, London, W C 1

Incorporated Association of Assistant Masters in Secondary Schools, 29 Gordon Square, London, W. C. 1.

Incorporated Association of Head Masters, 29 Gordon Square, London W. C 1.

Incorporated Association of Head Mistresses, 29 Gordon Square, London W C. 1.

National Association of Head Teachers, 26 Claremont Road, Surbiton, Surrey.

National Association of School Masters, 59 Gordon Square, London W. C. 1

National Union of Teachers, Hamilton House, Mabledon Place, London W. C 1.

National Union of Women Teachers, 41 Cromwell Road, London S. W. 7.

Science Master's Association, The Salt School, Shipley, Yorks.

Other Bodies.

Arts Council of Great Britain, 4 St Jame's Square, London S W 1

Association of Convent Schools, Convent of the Faithful Companions of Jesus, Poles, Ware, Herts

Association of Education Committees, 10 Queen Anne Street, London W. 1

Association of Government Bodies of Girl's Public Schools c/o Women's, Employment Federation, 251 Brompton Road, London S W 3

Association of Governing Bodies of Public Schools (Boys,, Dormy House, Longdown Lane South, Epsom, Surrey.

Association of Nursery Training Colleges, 8 Chester Road, Northwood, Middlesex

Association of Technical Institutions, c/o The Polytechnic, Regent Street, London W. 1.

Association of the Universities of the British Commonwealth 36, Gordon square, London, W, C. 1.

British Council, 65 Davies Street, London, W. 1.

Catholic Education Council for England and Wales, 27 Great James Street, Bedford Row London W. C. 1.

Central Bureau of Educational Visits and Exchanges 55A Duke Street, Grosvenor Square, London, W. 1.

Central Council of Physical Recreation, 6 Bedford Square, London W. C. 1.

Conference of Educational Associations, Conference Office, 2 and 3 Bloomsbury Square, London, W. C. 1.

Educational Centres Association, Walthmastow Educational Settlement, Greenleaf Road, London E, 17.

Educational Foundation for Visual Aids, 33 Queen Anne Street London W. 1.

Educational Interchange Council, 43 Parliament Street, Londou S. W. 1

Followship of Independent Schools, 5 New Quebec Street, London W. 1.

Girl's Public Day School Trust, Broadway Court, London, S. W. 1.

King George's Jubilee Trust (for youth), 166 Piccadilly, London W. 1.

National Committee of Visual Aids in Education, 33 Queen Anne Street, London W. 1.

National Council for Technological Awards, 9 Cavendish Square, London, W. 1.

National Federation of Community Associations, 26 Bedford Square, London W: 1.

National Foundation for Educational Research in England and Wales, 79 Wimpole Street London, W. 1.

National Froebel Foundation, 2 Manchester Square, London W. 1

National Institute of Adult Education, 35 Queen Anne Street, London W 1

The National Society, 69 Great Peter Street, London, S. W. 1. Nursery School Association of Great Britain, 1 Park Crescent, London, W. 1.

Parents National Education Union, Murray House, Vandon Street, London, S. W 1.

Parent Teacher Associations, 127 Herbert Gardens, London, N. W. 10.

School Broadcasting Council for the United Kingdom, 3 Portland Place, London, W. 1

Special Schools Association, c/o 46 Baliol Avenue, London E. 4.

Special Conference of National Voluntary Youth Organisations, 26 Bedford Square London, W. C. 1.

University Grants Committee, 38 Belgrave square, London, S W 1

Worker's Educational Association, 27 Portman Square, London, W. 1.

परिशिष्ट ४

चुनाव परीक्षा

(Selection Examination)

इगलैण्ड की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते समय एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ के निवासी अपने बालको के माध्यमिक विद्यालयो मे प्रवेश के सम्बन्ध मे उतनी ही रुचि लेते है और वह उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण विषय है जितना कि माध्यमिक स्तर के पश्चात् उनके बालको का विश्वविद्यालय मे प्रविष्ट होना। माध्यमिक लिद्यालयो मे प्रवेश ११ + की आयु पर होता है। इस अवसर पर अंग्रेजी, अरिथमेटिक तथा बुद्धि परीक्षा—इन तीन दिशाओ मे प्राइमर स्कूल से आने वाले छात्र की जाँच होती है, और उसके फलस्वरूप यह निश्चय किया जाता है कि उसे ग्रामर स्कूल मे भेजा जाये, अथवा मार्डन या टेकनिकल मे। इस सब के विषय मे पहले कहा जा चुका है। यहाँ उदाहरण के लिए लन्दन काउन्टी कौसिल द्वारा आयोजित सन् १९५२ की गणित विषयक सामान्य प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। पाठकगण इससे न केवल वहाँ की शिक्षा के स्तर का अनुमान लगा सकते है वरन् इस परीक्षा सम्बन्धी आलोचना-प्रत्यालोचनाओं के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र धारणा भी बना सकते है।

A

..: Number.....

Surname. ....Christian
or First Names ....

Name of School ....

LONDON COUNTRY COUNCIL

Common Entrance Test (Secondery Schools) 1952

January 1952.

ARITHMETIC

Time—45 minutes.

PART I

Answer as many of these questions as you can

You need not show any working where you can do the questions in your head	Write your answers here	You may use this column for any working you need to do
1. Add 11, 9, 8, 7 ..	(1)	
2. 36 + 25 ..	(2)	
3 35-18 ...	(3)	
4 9×8 ..	(4)	
5. 84÷7 ..	(5)	
6 33×7 ...	(6)	
7 How many half pennies are there in 1s 4½ d ?..	(7)	
8. How many oz are there in 2 lb 10 oz ? ...	(8)	
9 How many inches are three in ¼ yd ? ..	(9)	
10 How many minutes are there from 9 40 a.m to 12 noon ?	(10)	
11. How many 7 lb bags can be made up from 1 cwt. of potatoes ?	(11)	
12 How far will a cart travel in 1 minute if it is going at 30 miles an hour ?	(12)	
13 How many seconds are there in 3/5 minutes ?	(13)	
14. From half of 4·6 take ·7.	(14)	
15. Which is greater and by how much, ·25 or 1/5 ?	(15)	
16. Express 15 shillings as a decimal of £ 1.	(16)	
17. A boy saves ¼ of his pocket money, what percentage is this ?	(17)	
18. How much milk is there in a half pint glass when it is only ⅔ full ?	(18)	

You need not show any working where you can do the question in your head.	Write your answers here	You may use this column for any working you need to do.
19 How many one inch cubes are needed to make a four inch cube ?	(19)	
20. A number of telegraph poles are placed at equal distances apart. If the space between four of them is 60 yd What will be the distance between any two of them ?	(20)	

When you have done all you can in this part, go straight on to Part II.

PART II

[Turn Over

Answer as many questions as you can
Do your written work clearly in the spaces provided.

1. Add.

```
73
86
49
——

——
```

2. Add.

```
£   s.   d.
8   7    6
4   13   8
——————————

——————————
```

2. Subtract

```
706
607
———

———
```

4. Subtract

```
lb.   oz.
10    7
 7    10
——————————

——————————
```

5. Multiply
4015 by 7

6. Multiply

gall.	qt.	pt.
4	2	1 by 6

7. Divide

£	s.	d.
6	7	6 by 5

8 Divide

yd.	ft.	in.
19	1	9 by 5

9. Divide

£	S.	d.
140	17	6 by 14

10. Multiply
    3256 by 45

11. 5 3/8—$2\frac{3}{4}+1\frac{1}{2}$
12. 4 1/8 — 2 $\frac{3}{4}$

When you have done all you can in this part, go straight on to Part III

(Turn Over)

PART III

You should show how you get the answers

1. Three pennies weigh 1oz. , five half-pennies also weigh 1oz which is heavier and by how much, five shillings' worth of pennies or five shillings' of half-pennies ?

Answer (1)........ ......
(2).... .....

2. In a School 4/9 of the children are girls and there are 125 boys. How many children are there in the school ?

Answer... ....

3. A ball of string containing 90 yard was cut up into pieces each 1 ft 6 in long. How many more pieces would there have been if each piece had been 3 in shorter ?

Answer..............

4 An empty can weighs 4lb When full of water it weighs 29 lb. A pint of water weighs $1\frac{1}{4}$ lb. How many gallons does the can hold ?

Answer..............

5. A train is 66 yd long and is travelling through a station at 30 miles an hour. The station platform is 88 yd long. How long will it take the train to clear the platform completely ?

Answer..............

6. The drawing shows two square flower beds in a plot of ground. All the paths (left unshaded) are 3 yd. wide
Find : (a) The area of each flower bed.
(b) The length of the whole plot.

Answer (a).. ....
(b)... ....

परिशिष्ट ५

ब्रिटिश शिक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण पाठनीय सामग्री

सरकारी प्रकाशन

(हिजमैजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस द्वारा प्रकाशित)

Acts

Education Act, 1944 5s. 6d.
Education Act, 1946 1s,
Education (Miscellaneous Provisions) Act, 1948 1s.
Education (Miscellaneous Provisions) Act, 1953 1s.
Education Act, 1959 4d.

General

Education in 1959 Annual Report of the Ministry of Education 14s 6d.

Schools

15 to 18 Vol. I of Report of the Central Advisory Council for Education (England) or (Crowther Report) 1959 12s 6d.
15 to 18 Vol. II (Surveys) 1960 8s. 6d.
Out of schcol 2nd Report of Central Advisory Council for Education (England) 1948 3s.
The Story of Post-war School Building, 1957 3s. 6d.

Primary Schools

Nursery Schools and Nursery Classes (Ministry of Education Administrative Memorandum No. 129). Ministry of Education 1946, Free.

Physical Education in Primary School : Part I : Moving and Growing.

Primary Education Suggestions for the consideration of Teachers and others concerned with the work of Primary Schools. University Of Education 1959 10s.

The Primary School. Report of Consultative Committee 1930.

Story of a School · A Head Master's Experience with Children 7 to 11 1949 2s. (Ministry's Pamphlet No. 14.)

Secondary Schools

Curriculum and Examinations in Secondary Schools (Norwood Report) 1963 3s.
Early Leaving : A Report of the Central Advisory Council for Education (England) 1954 3s. 6d.

Public Schools and the General Educational system (Fleming Report) 1944 7s. 6d.

Teachers

Education of Teachers in England, France and U. S. A. Unesco. (Problems of Education No VI) 1954 13s. 6d.

Report of the Burnham Committees on scales of salaries for Teachers (England and Wales) 1959 4s. 6d.

The supply of Teachers in 1960s (England and Wales) 1958 9d.

Teachers and Youth Leaders [Mc Nair Report] 1944 6s

The Training of Teachers: Suggestions for a three-year Training course (Ministry of Education Pamphlet No. 4.) 1957 1s. 9d.

Health And Welfare of School Children.

The Health af the Sehool Child and Fifty years of the School Health Service. Report of the Chief Medical Officer of the Ministry of Education. For 1956 and 1957: 1957 10s. 6d

Health Education (Ministry Pamphlet No. 31) 1951 5s.

The Education of the Handicapped Pupil 1945-55 (Pamphlet No. 30) 1956 2s

Universities

University Development 1952-57 1958 4s. 6d.

Further Education

Community Centres 1944 1s 6d

Evening Institutes 1956 3s. Pamphlet No. 28.)

Further Education 1947 (Pamphlet No. 8) 6s

Youth's Opportunity: Further Education in County Colleges (Pamphlet No. 3) 1945 2s

Technical and Technological Education.

The Future Development of Higher Technical Education 1950 1s. 3d.

Technical Education 1956 2s

Youth Service

The Youth Service in England and Wales (Albermarle Report) 1960 6s.

अन्य प्रकाशन

Education in England: The national System—How it works by Alexander, W. P. Newnes 1954 12s. 6d.

The Structure of English Education: Cohen and West by Armfelt, Roger. 1955 12s. 6d.

British Education: Published for the British Council by by H. C. Dent Longmans and Greens

Education Committees year Book 1960-61 Council and Education Press 1960 32s.

The English Educational system by Lowndes, G. A. N., Hutchinson 1955 8s. 6d.

Education in Great Britain by Lester Smith W O, O U P 3rd Edition 1958

Education: An Introductory Survey by Lester Smith Penguin Books 1957 3s. 6d.

Year Book of Education 1952 onwards. Published in Association with the University of London Institute of Education by Evans Bros 1959 63s.

A short History of English Education from 1760-1944. University of London Press, N E 1953 20s

Education in Britain Since 1900 by Curtis, S. J., Dakers 1952 18s

History of Education in Great Britain by Curtis, S J, University Tutorial Press 4th Edn. 1957 21s

Periodicals

Education, Weekly Association of Education Committees 6d (36s. a year)

The New Era in Home and School Ten Times a year. New Era 2s 3d (20s a year)

School Master and Woman Teacher's Chronicle, Wekly Schoolmaster Publishing Co 4d (28s 2d a year)

The Times Educational Supplement. Weekly The Times Publishing Co. 6d (36s. 10d. a year)